सप्तम माला, 11 July 1980

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Third-Session

(सातवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय सूची

अंक 25, शुक्रवार, 11 जुलाई, 1980/20 आषाढ़, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
*तारांकित प्रश्न संख्या 490, 491, 493, 495, 496, 502 से 504, और 506	1–16
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या 492, 494, 497 से 501, 505 और 507 से 509	16–22
अतारांकित प्रश्न संख्या 3805 से 3857, 3859 से 3891 और 3893 से 3985	22–117
एक सदस्य की गिरफ्तारी तथा दोषसिद्धि	
श्री रशीद मसूद	118–121
सभा पटल पर रखे गये पत्र	121–122
राज्य सभा से संदेश	122
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में	122–123
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली में विधि और व्यवस्था की स्थिति—	
श्री कृष्ण प्रताप सिंह	123–124
श्री योगेन्द्र मकवाना	123–135
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	126–127
श्री रामावतार शास्त्री	132–133
श्री मनीराम बागड़ी	133–135
श्री जैल सिंह	135–136
समिति के लिये निर्वाचन—	
तम्बाकू बोर्ड	136
नियम 377 के अधीन मामले—	
(एक) देश भर में इस्पात, कोयला और रूई आदि के मूल्य बराबर रखना—	
श्री निरेन घोष	136
(दो) चीनी और खाने के तेलों के मूल्यों में वृद्धि—	
श्री चिन्तामणि जैना	137
(तीन) भारतीय खाद्य निगम द्वारा महाराष्ट्र को उचित मात्रा में खाद्यान्नों की सप्लाई न की जाना—	
श्री आर० के० महालगी	137

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह + इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

1—357 LSS/ND/80

विषय	पृष्ठ
(चार) केरल में बाढ़ से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता—	
श्री के० कुन्हम्बू	137
(पांच) पालघाट (करल) में तलीकाकुल के आदिवासियों को भुखमरी से बचाने के लिये तुरंत कार्यवाही करने की आवश्यकता—	
श्री वी० एस० विजयराघवन	137–138
(छः) सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता—	
श्री के० पी० सिंह देव	138
(सात) पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षक संघ की मिदनापुर जिला शाखा के महामंत्री को तंग करने वाले गुंडों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता—	
श्री एडुआर्डो फैलीरो	138–139
अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1980-81—	
ऊर्जा मंत्रालय तथा कोयला विभाग (इस्पात, खान तथा कोयला मंत्रालय)—	
श्री मोतीलाल सिंह	139–140
श्री एम० आर० गोपाल रेड्डी	140
श्री सत्यनारायण जटिया	141–142
श्री भागवत झा आजाद	142–144
श्री उत्तमभाई एच० पटेल	144–145
श्रीमती प्रमिला दंडवते	145–147
श्री के० ए० राजन	147–148
श्री रामसिंह यादव	148–149
श्री हरिकेश बहादुर	149–150
श्री ए० के० राय	150–151
श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी	152–155 व 182–18[illegible]
आधे घंटे की चर्चा के बारे में	155–157
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति चौथा प्रतिवेदन . .	157
विधेयक पुरःस्थापित—	
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक, (आठवीं अनुसूचि का संशोधन)—	
प्रो० नारायण चन्द्र पराशर	158
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 366 इत्यादि का संशोधन)—	
प्रो० नारायण चन्द्र पराशर	158
(तीन) सशस्त्र दल (विशेष शक्तियां) निरसन विधेयक—	
श्री जार्ज फर्नान्डीस	158
(चार) भूख से मृत्यु (पूर्वविधानी उपाय और उत्तरदायित्व)—	
श्री राम विलास पासवान.	158–159
(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक, (अनुच्छेद 341 का प्रतिस्थापन)—	
श्री राम विलास पासवान.	159
(छः) संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश (संशोधन) विधेयक—	
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत	159
संविधान संशोधन विधेयक—अस्वीकृत—	
(अनुच्छेद 19 और 326 का संशोधन)— प्रो० मधु दंडवते . . .	159

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव—	
श्री मूल चन्द डागा	159–160
श्री चित्त बसु	161–163
श्री वृद्धि चन्द जैन	163–165
श्री अनन्त रामुलु मल्लु	165–166
श्री गिरिधर गोमांगो	166–168
श्री ए० टी० पाटिल	168–169
श्री रामावतार शास्त्री	170
श्री बी० के० नायर	170–171
श्री रामेश्वर निखरा	171–172
श्री कमला मिश्र मधुकर	172–173
श्री एन० जी० रंगा	173–174
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत	174–175
श्री तारिक अनवर	175
श्री वाई० एस० महाजन	175–176
श्री राम विलास पासवान	176–177
श्री सुन्दर सिंह	177
श्री एम० सत्यनारायण राव	177
श्री पी० शिवशंकर	177–179
लघु कृषक और कृषि कर्मकार सुरक्षा विधेयक—	
श्री पी० राजगोपाल नायडू	181–182
विचार करने का प्रस्ताव—	
श्री पी० राजगोपाल नायडू	182

लोक सभा

शुक्रवार, 11 जुलाई, 1980/20 आषाढ़, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।)

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री बांगशी ठाकुर के, जो त्रिपुरा निर्वाचन क्षेत्र से 1957-62 के दौरान दूसरी लोक सभा के सदस्य थे, दुःखद निधन के बारे में सूचित करना है।

वह 1951 में त्रिपुरा सरकार की आदिवासी कल्याण समिति के सदस्य थे और 1954-55 के दौरान जिला न्यायाधीश के न्यायालय, त्रिपुरा में मूल्यांकक थे। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में श्री ठाकुर ने त्रिपुरा युवा संस्था और सामाजिक सुधारों हेतु सबुज समिति संगठित की वह 'बेरोजगारों की संस्था' और प्रजा मण्डल के संस्थापकों में से एक थ।

3 जुलाई, 1980 को 82 वर्ष की आयु में उनकी अगरतला में निधन हो गया।

हम अपने मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते है और मुझे विश्वास है कि सभा शोक सन्तप्त परिवार को अपनी संवेदना भेजने में मेरे साथ है।

सभा के सदस्य शोक व्यक्त करने हेतु थोड़ी देर के लिए मौन खड़े होंगे।

(तत्पश्चात् सदस्य कुछ क्षण तक मौन खड़े रहे।)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सुपर बाजार दिल्ली का कार्यकरण

*490. **श्री मूल चंद डागा :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री निम्नलिखित जानाकरी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) सुपर बाजार में जो दिल्ली में एक बड़ा उपभोक्ता सहकारी भंडार है, कुल कितना धन निवेशित है तथा गत तीन वर्षों में उसकी कुल आय कितनी रही है तथा उसे कितना लाभ हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि सुपर बाजार में प्रोत्साहन भी दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में वर्षवार प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि दी गई ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) (1) सुपर बाजार के प्रारम्भ होने से, शेयर पूंजी और ऋण के रूप में केंद्रीय सरकार की कुल निविष्ट पूंजी के बारे में गत तीन वर्षों का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

	30-6-78 को (रु०)	30-6-79 को (रु०)	30-6-80 को (रु०)
(i) शेयर पूंजी	79,24,000	82,99,000	84,49,000
(ii) ऋण	93,30,000	93,09,000	93,99,000
(2) कुल बिक्री	1977-78 (रु०)	1978-79 (रु०)	1979-80 (रु०)
	10,89,39,000	9,97,61,000	12,53,75,100
(3) लाभ . . .	1977-78 (रु०)	1978-79 (रु०)	1979-80 (रु०)
	85,000	2,35,000	25,00,000

(कुल बिक्री तथा लाभ संबंधी आंकड़े अनन्तिम हैं और इनका अभी आडिट होना है)

(ख) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रोत्साहन के रूप में दी गई राशि इस प्रकार है :—

1977-78 (रु०)	1978-79 (रु०)	1979-80 (रु०)
64,000	25,000	1,36,000

2—357 एलएस एस/एनडी/80

श्री मूलचन्द डागा : सुपर बाजार की जो योग्यता है, वह तो आज हमें मालूम हो रही है कि सुपर-बाजार में हमें वह चीजें सस्ती नहीं मिलती जो बाजार में मिलती हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मंत्री जी ने जो फिगर्स दिये हैं उसमें यह बतलाने की कृपा करें कि गवर्नमेंट कितनी सब्सीडी उनको देती आ रही है और आपका एकुमुलेटेड लासेस कितने हैं और प्रतिवर्ष इस बारे में कितनी सब्सीडी गवर्नमेंट देती है। जो फिगर्स बताये हैं इससे मालूम नहीं होता। जब कि आपने 1978-79 में 25,000 रुपये दिये, मैं जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने कितनी सब्सीडी दी है और उनके एकुमलेटेड लासेस को किस प्रकार मीट किया है?

श्री विद्या चरण शुक्ल : अभी जो हमारे पास आंकड़े हैं, उनमें एकुमलेटेड लासेज का विवरण नहीं है। वह, मैं लेकर सभा-पटल पर रख दूंगा जिससे लोगों को अन्दाजा हो जायेगा कि इसमें कितना पुराना नुकसान हुआ है।

जहां तक सब्सीडी का सवाल है, वह एक नियम के अनुसार कुछ ऐसी वस्तुओं पर दी जाती है जिनका रोजमर्रा उपयोग आम जनता के द्वारा किया जाता है। सब्सीडी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है और 1966 से जब से सुपरबाजार का कार्य प्रारम्भ हुआ है उस वक्त से कितनी सब्सीडी दी गई, उसके फिगर्स में सभा-पटल पर रख दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : मैं पिछले 3 साल के फिगर्स चाहता था, आपने लासेज, प्राफिट में यह नहीं बताया कि कितनी सब्सीडी सरकार देती है। प्रतिवर्ष पिछले वर्षों में कितनी सब्सीडी दी है? मकान का किराया क्या है, मकान बनाकर दे दिया है, बिल्डिंग दे दी है, मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने घाटे को छिपाकर मत बताइये।

अध्यक्ष महोदय, यह मेरा पहला ही क्वैश्चन है, दूसरा नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : पहली बात तो मैं माननीय सदस्य से यह कह दूं कि सुपर बाजार कोई मुनाफा कमाने के लिये शुरू नहीं किया गया है, यह केवल हमारे उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये हैं जिसमें कीमतें ठीक से ली जायें और भाव ठीक चलें। अगर गलत ढंग से दाम बढ़ते हैं तो उन पर रोक लगाई जाये।

सब्सीडी का मैंने कहा कि मेरे पास इस समय फिगर्स नहीं हैं, एकट्ठी कर के पटल पर रख दूंगा, पूरा बताने का प्रयास करूंगा कि किसी भी तरह से नुकसान छिपाने का प्रयास नहीं किया गया है, क्योंकि यदि सुपर बाजार में कोई नुकसान भी हुआ है, तो वह कोई शर्म की बात नहीं है। सवाल यह है कि उससे उपभोक्ताओं की सेवा ठीक ढंग से की जा रही है या नहीं। फायदे नुकसान की बात तो मैं बहुत गौण मानता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया है। सब्सीडी का एमाउंट भी तो जनता पर एक प्रकार का टैक्स है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सुपर बाजार का वेज बिल कितना है और वहां पर इनसेन्टिव किस आधार पर दिया जाता है। पिछले साल 25,000 रुपये इनसेन्टिव दिया गया था और इस साल 1,36,000 रुपये दिया गया है। यह इनसेन्टिव किन किन को दिया जाता है और किन किन को दिया गया है?

श्री विद्या चरण शुक्ल : पहले इनसेन्टिव का आधार] कांउटर-वाइज सेल था और जितना सेल किया जाता है, उसके मुताबिक काम करने वालें लोगों को इनसेन्टिव दिया जाता था। अब इसका एक दूसरा आधार बनाया गया है। 1979 से एक रिवाइज्ड स्कीम शुरू की गई है, जिसके मुताबिक डिपार्टमेंटवाइज मन्थली इनसेन्टिव दिया जाता है। बेंच-मार्क नाम की एक चीज बनाई गई है; जो उससे अतिरिक्त सामान बेचते हैं और सेवा करते हैं, उनको इनसेन्टिव दिया जाता है। उसका फ़ार्मुला इस प्रकार है : 3 $\times$ मन्थली परफ़ार्मेन्स $\times \frac{110}{100}$। इसके आधार पर 1 लाख और कुछ रुपया इनसेन्टिव के रूप में सुपर बाजार के लोगों को दिया गया है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि सुपर बाजार कोई लाभ कमाने वाला निकाय नहीं है। यह केवल उपभोक्ताओं की सेवा के लिए है तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को बढ़ने से रोकने क लिए है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा दिल्ली के कितने

प्रतिशत लोगों की सेवा की जाती है तथा दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियन्त्रित करने में कितनी सफलता मिली है तथा वार्षिक स्टाक जो कि . . .

अध्यक्ष महोदय : स्टाक लेना ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : प्रति वर्ष कितना माल खराब होता है । मैं यह सब जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : बेकार स्टाक ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : महोदय, सुपर बाजार दिल्ली के उपभोक्ताओं की काफी अच्छी सेवा कर रहा है । इस समय इसकी लगभग 53 शाखाएं हैं । और इसकी वार्षिक कुल बिक्री सभा के समक्ष रखे विवरण में निर्दिष्ट कर दी है । यह पर्याप्त है तथा—

एक माननीय सदस्य : कितना ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं आपको कुल बिक्री के आंकड़े दूंगा । वर्ष 1979-80 में कुल बिक्री 12,53, 75,100 रुपए रही । यह वार्षिक बिक्री है । इस वर्ष इससे काफी अधिक होने की आशा है । ऐसे प्रत्येक बड़े निकाय में कुछ व्यर्थ का स्टाक भी होता है और माल भी खराब हो जाता है परन्तु इतना अधिक नहीं जितना कुछ लोग कल्पना कर रहे हैं । यह बहुत कम है और सुपर बाजार के प्रबन्ध की बढ़ती कार्य कुशलता को देखते हुए भविष्य में यह और भी कम होगा ।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि सुपर बाजार जनता की सेवा के लिए है मगर ऐसा नहीं है क्योंकि हम न देखा है कि मार्केट में बहुत सी चीजें सस्ती मिलती हैं और सुपर बाजार में वह महंगी मिलती हैं और बहुत से शार्ट सप्लाई वाले आइटम सुपर बाजार में बिलकुल गायब हो जाते हैं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट पर आप का कितना खर्च होता है ? सारा जो स्टोर है, तनख्वाहें हैं, स्टेशनरी है, मकान किराया वगैरह है, इस सब के खर्च का परसेंटज क्या है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाजार में सस्ती मिलती हैं, सुपर बाजार में महंगी मिलती हैं तो मैं यह जरूर चाहूंगा कि इसके बारे में वह मुझे विस्तृत सूचना दें जिस से इस तरह की कोई खराबी या गलत बात है तो उसे ठीक किया जा सके । लेकिन जब कभी भी ऐसी बात होती है तो हमें देखना चाहिए कि उसी स्तर की और उसी तरह की, यानी एक ही तरह की चीजों के दाम में कोई अंतर है क्यों कि इस से तुलना करने में आसानी होगी । जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर का सवाल है टोटल टर्न ओवर का केवल 6.6 प्रतिशत ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च आता है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, 1980-81 का बजट प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि कुछ उपभोक्ता वस्तुओं के दाम में कमी होगी क्योंकि टैक्स कुछ कम किये गए हैं । लेकिन खुले बाजार में तो उन चीजों के दाम आये दिन बढ़ रहे हैं । पता नहीं मंत्री महोदय को उसकी जानकारी है या नहीं । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या सुपर बाजार में उन उपभोक्ता वस्तुओं की जैसे टूथ-पेस्ट है, साबुन है, उन की कीमत घटी है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जिन वस्तुओं के ऊपर माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट में टैक्स कम किए हैं उन की कीमत तुरंत दूसरे दिन से सुपर बाजार में कम कर दी गई ।

श्री रामावतार शास्त्री : नहीं यह बात नहीं है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह मुझे इसलिए मालूम है कि इस के बारे में मुझसे पूछा गया था कि चूंकि सुपर बाजार में पुराना स्टाक है जिस में पुराने रेट से एक्साइज ड्यूटी दी गई है तो उसके अंदर क्या करना है ? हमें तुरंत ही दाम कम करना है या पुराना स्टाक खत्म हो जाय तब कम किया जाय ? मैंने उनसे कहा कि मैं समझता हूं कि इस तुरंत कम कर देना चाहिए क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ है कि पुराने स्टाक की चीजों के ऊपर चूंकि टैक्स बढ़ा है तो तुरंत पुराने स्टाक पर भी वह टैक्स लगा कर पैसा कमाया गया है, इसलिए एकाध बार अगर ऐसा हुआ कि उस में टैक्स कम हुआ है तो तुरंत उस पर ज्यादा टैक्स देने के बावजूद भी उसकी कीमत कम कर के दे दें । इसलिए जो भी चीजें सुपर बाजार में दी गई हैं वह टैक्स कम कर के ही दी गई हैं ।. . .
(व्यवधान) . . .

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिये पर्याप्त धनराशि

*491. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने उनसे अनुरोध किया है कि येलेरू कि जल आपूर्ति योजना के निष्पादन के लिये, जो विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की परिचालन अवस्था पर जल आपूर्ति के लिये आवश्यक है, चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग आन्ध्र प्रदेश की 1980–81 की वार्षिक योजना में येलेरू जल आपूर्ति योजना के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने को सहमत हो गया है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के विचार में इस योजना से मिलने वाला पानी संयन्त्र के लिए पर्याप्त है।

श्री प्रणव मुखर्जी : जी हां, श्रीमन् हमें प्रतिदिन 650 लाख गैलन पानी की आवश्यकता है और संभवत: माननीय सदस्य यह जानते हैं कि हमारी पानी की आवश्यकता की पूर्ति के अतिरिक्त इससे काफी बड़े क्षेत्र को सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध होगी।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : इसमें सन्देह है कि यह पर्याप्त है और जब तक पाचेमपेड परियोजना पूरी नहीं हो जाती पानी पर्याप्त नहीं होगा। मैं उस संबंध में सरकार के विचार जानना चाहता हूं।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैंने जैसा कि माननीय सदस्य को पहले स्पष्ट किया है कि जहां तक इस परियोजना विशेष का संबंध है, वस्तुत: इससे प्रतिदिन 3840 लाख गैलन पानी मिलेगा जिसमें से हमारी मांग केवल 630 से 650 लाख गैलन प्रतिदिन की है। अतः जहां तक हमारी मांग का संबंध है, हम अनुभव करते हैं कि इससे इस्पात संयन्त्र के लिए आवश्यक पानी मिलना संभव हो सकेगा।

श्री एम० सत्यनारायण राव : इस वर्ष सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर 1 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध की है मैं जानना चाहता हूं कि 1982–83 तक इस्पात संयन्त्र के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी। दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या परियोजना रिपोर्ट रूसियों द्वारा तैयार की गई है, यदि हां तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक संयन्त्र के वित्त पोषण का प्रश्न है, माननीय सदस्य जानते ही हैं कि प्रथम स्टेज के लिए हमें 998 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। और दूसरी स्टेज के लिए 1258 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के संबंध में यह सच है कि पहले इसे दस्तूर एंड कम्पनी द्वारा बनाया गया था परन्तु तत्पश्चात् जब सोवियत प्रोद्योगिकी को सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया तो सोवियत रुस वालो के साल परामर्श करने के बाद यह सोचा गया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए जो कि अब किया जा रहा है।

अहमदाबाद हवाई अड्डे में एयर कार्गो काम्प्लेक्स का विकास

*493. **श्री अमर सिंह बी० राठवा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद हवाई अड्डे में एअर कार्गोका काम्पलेक्स के विकास के मार्ग में क्या रुकावटें हैं; और

(ख) सरकार ने अहमदाबाद स्थित एअर कार्गो काम्पलेक्स को सक्षम बनाने में ऐसी रुकावट को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्रकर) : (क) और (ख) सभा–पटल पर एक विवरण रखा गया है।

विवरण

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा गुजरात राज्य निर्यात निगम से जो कि अहमदाबाद के एयर कार्गो काम्प्लेक्स की प्रबंध व्यवस्था करने वाला राज्य सरकार का एक उद्यम है, प्राप्त सूचना के अनुसार 1978–79 के मुकाबले में 1979–80 के दौरान विमानों द्वारा निर्यात किये गये माल के कुल मूल्य में कुछ मामूली सी गिरावट आयी है। यह मामूली गिरावट उन सुविधाओं के बावजूद हुई है जिनका स्तर दोनों वर्षों के दौरान एक सा बना रहा है। जब कि कुछ वस्तुओं के निर्यात में बढ़ोत्तरी हुई है कुछ अन्य वस्तुओं के मामले में गिरावट हुई है। इन परिस्थितियों में आवश्यकता इस बात की है कि अहमदाबाद क्षेत्र के निर्यात–कर्ताओं को उपयुक्त जानकारी एवं सूचना प्रदान करने के सम्मिलित एवं सघन प्रयत्न किये जायें और विमानों द्वारा माल के निर्यात को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाये। इस संबंध में गुजरात राज्य निर्यात निगम और गुजरात सरकार दोनों ही से साग्रह अनुरोध किया गया है। परन्तु, निगम ने विमानों द्वारा निर्यात को प्रोत्साहहित करने के लिये माल भाड़ो की दरों में सुधार तथा विमानोंद्वारा निर्यात किये जाने वाये माल के लिए "कस्टम्स क्लीयरेंस" सुविधाओं में बढ़ोत्तरी व क्षेत्र–विस्तार की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। इन पहलुओ पर संबंधित मंत्रालयों, संगठनो के परामश से जांच की जा रही है।

इंडियन एयरलाइंस इस समय अहमदाबाद से विमानों द्वारा माल वहन के लिए 500 टन की वार्षिक क्षमता प्रस्तुत कर रही है। सितम्बर, 1980 से इंडियन एयरलाइंस की इस क्षमता को बढ़ाकर 1000 टन कर देने की योजना है। परन्तु अहमदाबाद कार्गो काम्प्लेक्स से माल भेजने वालों ने 1978–79 मे केवल 162 टन माल भेंजा और 1979–80 मे केवल 118 टन माल भेंजा। क्षमता में इस प्रस्तावित वृद्धि से एयर कार्गो काम्प्लेक्स के भविष्य में किये जाने वाले विस्तार की आवश्यकता पूर्ति हो सकेगी।

अहमदाबाद के नये टर्मिनल भवन के इस वर्ष के अन्त से पहले चालू कर दिये जाने की आशा है। उसके बादमौजूदा सारी टर्मिनल बिल्डिग एयर कार्गो काम्प्लेक्स के रुप में उपयोग के लिए उपलब्ध कर दी जायेगी। इस प्रकार एयर कार्गो काम्प्लेक्स के विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान भी प्राप्त हो जायेगा।

श्री अमरसिंह राठवा : अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान के बड़े शहरों में अहमदाबाद भी एक बड़ा शहर है और गुजरात का वहां पर मुख्य एरोड्रोम है। गुजरात में विमान के द्वारा जो आयात-निर्यात होता है वह अहमदाबाद से होता है लेकिन खेद की बात है कि वहां पर टर्मिनल बिल्डिग में एअर कार्गो कांप्लेक्स के रूप में पूरी उपलब्धता नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार क्या क्या ठोस कदम उठाना चाहती है और कबतक ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : अभी जैसा की स्टेटमेन्ट मे बताया गया है, गुजरात में अहमदाबाद निःसंदेह बहुत बड़ा केन्द्र है जहां से विदेशी को सामान जाता है। वह एक महत्वपूर्ण स्थोन है इस लिए यहां पर जितना भी आयात-निर्यात का सामान होता है उसके लिए इंटिग्रेटेड कमेंटी है वह गुजरात राज्य निर्यात निगम की सहायता से उसकी सारी व्यवस्था करती है और उनके जो सुझाव होतें है उनको कार्यान्वित करने के लिए एवं कठिनाइयों को दूर करन के लिए हर किस्म का प्रयन्न किया जाता है।

श्री अमर सिंह राठवा : मैं मंत्री महोदय से जानाना चाहता हूं की गुजरात राज्य निर्यात निगम ने और गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कस्टम क्लियरेंस की मांग की हुई है तो उसका निर्णय कबतक आप ले रहें है ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : जहांतक कस्टम क्लियरेंस का सवाल है, हमारी तरफ से कस्टम क्लिरेंस मे कोई दिक्कत नहीं है, कस्टम और रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट की तरफ से है। अभीतक यहां से प्रति वर्ष पांच सौ टन सामान हवाई जहाजों से दूसरें देशों में ले जाने की व्यवस्था थी लेकिन उसका भी पूरा उपयोग नहीं किया गया है। वस्तुतः पिछले 2 वर्षों में 162 टन और 118 टन सामान ही यहां से भेंजा गया जब कि पांच सौ टन तक सामान ले जाने की व्यवस्था थी। इतना ही नहीं, इस साल सितम्बर में पांच सौं टन से बढ़ाकर हजार टन सामान उठाकर ले जाने की व्यवस्था एअर लाइन्स कर रही है।

श्री दौलत सिंह जी जदेजा : माननीय मंत्री महोदय ने आकड़ों की मदद से यह दिखाया है कि अहमदाबाद हवाई अड्डे की क्षमता देश से बाहर अधिक माल ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। परन्तु तथ्य यह है कि इंडियन एयर लाइन्स को जो माल अहमदाबाद से उठाना चाहिए वह उसे बम्बई से उठा रहा है। इस कठिनाई की वजह से अहमदाबाद और गुजरात क्षत्र के व्यापारी अपना माल परिवहन के अन्य साधनों से उठवा रहे है। उसके परिणामस्वरुप माल की वास्तविक मात्रा, जो अहमदाबाद से बाहर जा रही है, वह अहमदाबाद से नहीं बल्कि बम्बई से उठाई जा रही दिखाई

जा रही है। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि व्यापारियों और निर्माताओं को उनके माल के निर्यात हेतु अहमदाबाद में क्या सुविधाएं दी जा रही है।

यह माल केवल 500 टन नहीं वल्कि 5000 टन तक जा सकता है बशर्ते निःसंदेह सरकार अहमदाबाद से मध्य पूर्व और यूरोप तक चार्टर्डंड उड़ानों की अनुमति दे।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : अध्यक्ष महोदय, अभितक इन्डियन एअर लाइन्स की जितनी भी आवश्यकताऐं है, उनमें एक दो चीजों को भेजने के अलावा और सभी चीजों, की व्यवस्था करने में इंन्डियन एयरलाइन्स सक्षम है। जहां तक उनकी सुविधाओं का सवाल है, अब बहुत ही जल्दी जो अहमदाबाद एयर-टर्मिनल था, वह नए पैसेंजर टर्मिनल में शिफ्ट हो रहा है और जो पुराना टर्मिनल था, वह इन्टिग्रेटड कार्गो काम्प्लैक्स बन जाएगा, जिससे हर, को एक ही स्थान से भेजने की व्यवस्था हो जाएगी। इसी तरह से वहां पर स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कहा गया था कि इन्टिग्रेटड गार्गो काम्प्लैक्स वहां कुछ ऐसे है, जो कि ज्यादा निर्यात करते है, जैसे आल-इण्डिया हैण्डीक्राफटस बोर्ड है, उसका वहां पर कार्यालय हो। इस संबंध में आल-इण्डिया हैण्डीक्राफ्टस बोर्ड ने यह सिद्धान्ततः तय कर लिया है कि वहां बहुत जल्दी ही इसका कार्यालय होगा। उसी तरह से एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल का वहां आफिस था, कार्गो एयर काम्प्लैक्स में, लेकिन काम ज्यादा न होने की वजह से उन्होंने वहां से अपना कार्यालय हटा लिया। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ कार्यों को करने के लिए जैसे एक्सपोर्ट आफ गारमेंट है, उसको काटन टैक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल के जरिए, उनके साथ स्वंय सहयोग करक वहां पर व्यवस्था करने वाले है। इसी तरह से सैन्ट्रल सिल्क बोर्ड भी वहां पर एयर कार्गो काम्प्लैक्स में आफिस खोलेगा।

धनवाद के लिए विमान सेवा

*495. **श्री ए० के० राय : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि धनवाद में हवाई पट्टी तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध होने और देश में महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्रों का मुख्यालय वहां होने के बावजूद धनवाद के लिए कोई विमान सेवा नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार धनवाद से विमान सेवा आरम्भ करने का है, यदि हां तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस की धनवान के लिए निकट भविष्य में विमान सेवाएं परिचालित करने की कोई योजनाएं नहीं है। इसके अलावा, धनवाद का विमानक्षेत्र इंडियन एअरलाइस के मौजूदा विमान बेड़े के किसी भी प्रकार के विमान से परिचालन के लिए उपयुक्त नहीं है।

श्री ए० के० राय : मुझे माननीय मंत्री महोदय से इस प्रकार के नकारात्मक उत्तर सुनकर खेद हुआ है। धनबाद पूर्वी भारत की औद्योगिक राजधानी के रूप में विकसित हो रहा है और यह कोयला क्षेत्र का केन्द्र बिन्दु है। धनवाद के आस-पास कोकिंग कोल कम्पनी का मुख्यालय है, सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, सबसे बड़ा सिन्दरी का उर्वरक संयंत्र, दामोदर घाटी निगम का योजना और विकास प्रभाग तथा अन्य कई कार्यालय हैं। यदि ये सभी बातें वायुयान सेवा आरम्भ करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि किसी स्थान विशेष से वायुयान सेवा आरम्भ करने के लिए निर्धारित मापदण्ड क्या हैं।

श्री चन्दूलाल चंद्राकर : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दोस्त को यह बताना चाहता हूं कि अभी तक के जो धनवाद के आंकड़े मिले हैं, उनके अनुसार किसी ने भी एयर सर्विस शुरू करने की मांग नहीं की है और नान-शैड्यूल्ड एयरलाइन्स की भी अभी तक किसी ने मांग नहीं की है कि हमको वहां से आपरेट करने दिया जाए। उसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहली बात तो यह है कि वहां से रांची 110 मील के अन्दर है, वहां तक जाने के लिए बहुत बढ़िया सड़क है, दूसरी बात यह कि कलकत्ता भी 176 मील पर है, वह भी नज़दीक है। इसलिए वहां से लोग आ जा सकते हैं, लेकिन धनवाद में अभी एयर सर्विस की मांग नहीं हुई है।

एक माननीय सदस्य : मांग हो रही है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : अभी तक किसी ने वहां से मांग नहीं की है।

दूसरी बात यह है कि धनवाद इंडस्ट्रियल सैंटर है, इसमें सन्देह नहीं हैं और कोई दो रायें नहीं हो सकती है। वहां एक कमेटी ने भी जब थर्ड लैवल एयर सर्विस शुरू करने के बारे में विचार किया, तो शायद माननीय सदस्य को सुनकर दुःख होगा कि उसमें भी इस शहर का नाम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर राय, आपके लिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि कम से कम आपकी मांग को तो मान लें ।

श्री ए० के० राय : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री जी यह जानते हैं या उनके विशाल रिकार्ड में यह है कि वहां चार हवाई पट्टियां हैं —एक धनबाद में, एक बोकारो में, एक हावड़ा में और एक सिन्दरी में। धनबाद स्थित हवाई पट्टी का उपयोग सामान्यतः बिहार राज्य या केन्द्र के मंत्रियों द्वारा किया जाता है । बोकारो का उपयोग बोकारो इस्पात अधिकारियों द्वारा सिन्दरी का भारतीय लौह और इस्पात कम्पनी के अधिकारियों द्वारा और हावड़ा का टाटा स्टील और इस्पात कम्पनी के अधिकारियों द्वारा । अतः इन सभी हवाई पट्टियों का उपयोग हो रहा है । इन चार हवाई पट्टियों में से, मैं कहूंगा और यह चाहता भी हूं कि, सरकार इस संबंध में जांच भी करे—सिन्दरी हवाई पट्टी न केवल हवाई अड्डे के लिए उपयुक्त है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है । इन बातों को देखते हुए क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात की जांच करेंगे कि क्या इसे हवाई सेवा के अन्तर्गत लाया जा सकता है ।

चन्दूलाल चन्द्राकर : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने विस्तार से धनबाद के लिये प्रश्न पूछा है । मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि धनबाद एअर-पोर्ट सिविल एवियेशन विभाग का नहीं है । यह गवर्नमेन्ट आफ़ बिहार का है और फेअर-वेदर्स में कभी-कभी काम करता है । अच्छे मौसम (फेअर वेदर) में काम देने योग्य दो स्ट्रिप्स हैं जिन की लम्बाई-चौड़ाई 1950 × 375 फुट और 1500 × 375 फुट हैं, जो भारतीय एअर लाइन्ज के विमानों के लिये उपयोगी नहीं है ।

इस समय बिहार में दो एयर-पोर्टस काम करते हैं—एक पटना में और दूसरा रांची में । इन के अतिरिक्त थर्ड-एयर लाइन्ज सर्विस में, जो पापुलेशन के बेसिज पर और बिहार सरकार की मांग के आधार पर तय किया गया है, उन में गया, मुजफ्फरपुर और जमशेदपुर है । इन में धनबाद का नाम अभी भी नहीं है ।

श्री तारीक अनवर : मंत्री महोदय ने कहा कि वहां अभी एअर-लाइन नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि धनबाद की कलकत्ता और रांची से दूरी बहुत कम है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से प्रदेश हैं, जैसे महाराष्ट्र में बम्बई और पूना, इसी तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जहां 100—150 किलोमीटर का अंतर होने के बावजूद भी एअर-सर्विस दी गई है । इसलिये क्या यह नियम केवल बिहार पर ही लागू होगा या दूसरे प्रदेशों पर भी लागू होगा ।

अध्यक्ष महोदय, बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां सब से कम एअर-सर्विस है । यू० पी० में चार जगहों पर है, महाराष्ट्र में 4 जगहों पर है, मध्य प्रदेश में 6 जगहों पर है, इस तरह से आप देखेंगे कि हर प्रदेश में कहीं 4 और कहीं 6 जगहों पर है, लेकिन बिहार में सिर्फ पटना और रांची में है । मैं जानना चाहता हूं कि बिहार के साथ इस तरह की उपेक्षा क्यों की जाती है ?

श्री चन्दूलाल चंद्राकर : मैं सदस्य महोदय से इतना कह देना चाहता हूं कि हमने यह नहीं कहा है कि वहां देना आवश्यक नहीं है । मैंने तो यह निवेदन किया है कि अभी तक वहां से मांग नहीं आई है ।

श्री भागवत झा आजाद : किस ने कहा है कि मांग नहीं है, वह कौन अथारिटी या आफ़िसर है जो कहता है कि मांग नहीं है ?

एक माननीय सदस्य : आज हम लोग मांग कर रहे हैं ।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मैं सदस्यों की भावना से सहमत हूं, इस पर विचार करेंगे, इस में कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन सवाल यह है कि जितनी कमेटियों ने इस की जांच की है—अभी तक दो-तीन कमेटियों ने जांच की है—उस में भी थर्ड लेवलर सर्विस से इन तीन स्थानों को जोड़ा गया है । तो मैं यह कह रहा था कि इस समय इस तरह की कोई मांग वहां से नहीं है और जब वहां पर इस तरह की मांग होगी, तो निःसंदेह मदद की जाएगी लेकिन अभी तक इस तरह की व्यवस्था नहीं है ।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि में कमी

*496. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री पी० एम० सईद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या 9 मई, 1980 को समाप्त हुए सप्ताह में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि में 3600 लाख रुपये की कमी आई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसका मुख्य कारण क्या था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 28 मार्च से मई, 1980 की अवधि के दौरान कुल जमा राशि में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, रिकार्ड वढ़ोतरी हुई थी ; और

(घ) मई के दौरान जमा में हुई कमी का मुख्य कारण क्या था और स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

9 मई, 1980 को समाप्त सप्ताह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों में 35.5 करोड़ रुपये की घटौतरी आई। बाद के तीन सप्ताहों में, इनमें 320 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गयी।

बैंकों की जमा राशियों की मात्रा में अल्पकालीन घट-बढ़ बैंक परिचालनों में कोई असाधारण बात नहीं है। मुख्यतः इनके कारण ये होते हैं :—बैंकिंग प्रणाली में अल्पावधिक राशियों का आना-जाना, बड़े ग्राहकों की कम या ज्यादा नकदी के बारे में घटती-बढ़ती अपेक्षाएं, विशिष्ट वितरणों के लिए, बैंकिंग प्रणाली में धन राशियों के आगमन और उनके वास्तविक आहरण के बीच लगने वाला समय आदि। अतः जमा राशियां जुटाने विषयकः प्रवृत्तियों का अध्ययन अपेक्षाकृत लम्बी अवधि के आधार पर किया जाना चाहिए।

वर्तमान वित्तीय वर्ष (13 जून, 1980 तक) के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों में 791 करोड़ रुपय की वृद्धि हुई। जबकि, इसकी तुलना में, पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 651 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

बैंक लगातार अपनी जमा राशियों की अधिकतम वृद्धि के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। इस उद्देश्य के लिए वे विशेष प्रचार उपाय अपनाते हैं, विभिन्न वर्गों के बचतकर्त्ताओं की विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपेक्षाओं के अनुरूप जमा योजनाएं तैयार करते हैं और दूसरी तरह जमा राशियां जुटाने के अभियान चलाते हैं।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि घरेलू जमा की वर्तमान दरों पर बैंकों को विभिन्न प्रकार के ऋणों पर 40 पैसे प्रति शत की हानि हो रही है, यदि हां तो क्या इन जमा राशियों तथा ऋणों की व्याज दरों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका। यदि हम जमा राशियों पर कम व्याज दे रहे हैं तो हमें हानि नहीं हो सकती। यदि माननीय सदस्य का आशय है कि ज्यादा व्याज लेकर भी हम हानि उठाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कैसे इस मामले में बैंक को हानि होती है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर अन्य प्रश्न द्वारा दिया जा चुका है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : कुछ समाचारों में छपा है कि वर्तमान व्याज दरों पर बैंकों को 48 पैसे प्रति सैंकड़ा हानि हो रही है। क्या यह सच है अथवा नहीं ?

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य मुझे पत्र की प्रति भेजें। मैं जांच कराकर इसका अध्ययन करूंगा।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या प्रगतिशील कदम के रूप में और कृषि तथा ग्रामीण पुनर्वित्त के रूप में दिये गये ऋणों को माफ करने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि 16 राज्यों ने मांग की है।

श्री आर० वेंकटरामन : जहां तक केन्द्रीय सरकार का प्रश्न है ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है। मैंने कुछ राज्य सरकारों के प्रस्ताव देखे हैं। यदि भारत सरकार को पूरा विवरण प्राप्त होगा तो इस पर अपनी राय व्यक्त की जा सकती है।

श्री पी० एम० सईद : कुछ ही समय पूर्व मेरे मित्र ने मंत्री महोदय से प्रश्न पूछा था वर्तमान व्याज दरों से बैंकों को कितनी हानि हो रही है। सैंट्रल बैंक के एक निदेशक श्री वाघे ने बताया था कि घरेलू जमा पर व्याज दरों तथा इन राशियों के विभिन्न ऋणों के रूप में उपयोग किये जाने में सरकार को प्रति सैंकड़ा 48 पैसे की हानि होती है। मैं नहीं जानता। आप इस की जांच कर सकते हैं। बैंकों के लाभ निरन्तर घट रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए बैंक चाहते हैं कि

सन्देहात्मक तथा बट्टे खाते के ऋणों के लिए आयकर में कटौती की अनुमति दी जाये, जैसे ही ये ऋण सन्देहात्मक बन जायें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप वाणिज्यिक बैंकों की प्रार्थना पर विचार करने को तैयार है ?

श्री आर० वेंकटरामन : बैंकों द्वारा कुछ अभ्यावेदन दिये गये हैं कि सरकार द्वारा किये गये इन निदेशों से कि 40 प्रतिशत ऋण विशेष रियायती दरों पर दिये जाये, से बैंकों को कुछ हानि हो सकती है। वे उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। सरकार यह समझती है कि बैंकों को अपने ऋण देने की दरों को इस प्रकार समायोजित करना चाहिए कि डी० आर० आई० अथवा व्याज की रियायती दरों से होने वाली थोड़ी हानि को पूरा कर सकें। वे वाणिज्यिक ऋणों पर उच्च व्याज ले रहे हैं जिससे कि ऋण लेने वाले काफी लाभ कमाते हैं। इसलिए बैंकों के लिए यह सम्भव होना चाहिए कि वे ऋण लेने वालों की क्षमता के अनरूप ऋण ले सकें—जो लोग अधिक व्याज दे सकते हैं उनसे अधिक व्याज लिया जाये, और जो कम व्याज दे सकते हैं उनसे कम व्याज लिया जाये।

श्री पी० एम० सईद : श्रीमान्, उन्होंने आयकर के बारे में स्वीकार्य कटौतियों के संबंध में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री आर० वेंकटरामन : आयकर के बारे में पृथक प्रश्न करना होगा।

श्री दिग्विजय सिंह : क्या सरकार मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए व्याज दर बढ़ाने पर विचार करेगी। यदि हां, तो क्या सरकार इन विशेष मामले में व्याज दर बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री आर० वेंकटरामन : व्याज की कटौती के आधार पर व्याज दरों में वृद्धि के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। परिणाम स्वरूप बैंक को ऋणों के देने की दरें बढ़ानी पड़ेगी। तब भी मैंने बताया है कि आर० डी० आई० ऋणों के मामले में व्याज दरों में वद्धि नहीं होगी। अन्य ऋणों के मामले में वह कर की सीमा तक वृद्धि कर सकते हैं, अधिक नहीं। वे इससे लाभ नहीं कमा सकते।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत छोटा-सा सवाल करना चाहता हूं। मेरा सवाल यह है कि किस राज्य में सब से अधिक राशि जमा हुई और किस राज्य में सब से कम राशि जमा हुई ? दूसरे प्रत्येक राज्य में उनकी जमा राशि के किस किस अनुपात में ऋण दिये गये ?

श्री आर० वेंकटरामन : श्रीमान्, यह बहुत बढ़ा प्रश्न सरल ढंग से पूछा गया है। अभी तक मेरे पास प्रत्येक राज्य के बारे में आंकड़े नहीं हैं। उन्हें विभिन्न बैंकों तथा विभिन्न राज्यों से एकत्र करना पड़ेगा। इसमें समय लगेगा। यदि माननीय सदस्य प्रश्न देंगे तो मैं जानकारी एकत्र करूंगा।

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल के पीछे सरकार का बड़ा पैसा खर्च होता है। इस के बारे में कुछ सोचना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को स्वयं समझना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं।

आचार्य भगवान देव : इसके बारे में तो आपको ही सोचना चाहिए।

यात्री सुविधा-व्यवस्था में सुधार करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स का उच्च शक्ति-प्राप्त कृतिक बल

*502. **श्री के० मालन्ना :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर लाइनों की विमान सेवाओं में दिये जाने वाले भोजन की किस्म में सुधार करने के उपायों पर विचार करने के लिए कोई पेनल नियुक्त किया है ;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने विभिन्न हवाई-अड्डों पर एयरलाइनों की यात्री-सुविधा-व्यवस्था का पर्यवेक्षण करने और उसमें सुधार करने के लिए उच्च शक्ति-प्राप्त कृतिक बल गठित किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइंस ने प्रमुख विमानक्षेत्रों पर यात्री सुविधाओं का अध्ययन व सुधार करने के लिए एक दो-सदस्यीय टास्क फोर्स स्थापित की है। टास्क फोर्स को अधिक अच्छी संचार व्यवस्था करने के लिए और अधिक टेलिफोन कनेक्शनों की व्यवस्था करने तथा यात्रियों को अधिक सुचारू रूप से हैंडल करने और उनके सामान की सुविधा-

पूर्वक क्लीयरेंस के लिए और अधिक पदों का सृजन करने आदि जैसी यात्री सुविधाओं से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार है ।

श्री के० मालन्ना : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इंडियन एअरलाइन्स यात्रियों को घटिया खाने का समान सप्लाई करता है। यदि हां, तो सरकार इंडियन एयरलाइन्स के यात्रियों को अच्छा खाना सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वे खाना देते हैं ?

श्री के० मालन्ना : यही मैं उनसे जानना चाहता हूं । मैं उनसे यही जानना चाहता हूं कि क्या वे यात्रियों को घटिया खाना सप्लाई कर रहे हैं। यदि हां, तो खाने की कोटि सुधारने के लिए क्या कायवाही की जा रही है।

श्री चन्द्रूलाल चन्द्राकर : श्रीमान्, यह सच है कि इस बारे में शिकायतें मिली हैं कि इंडियन एयरलाइन्स द्वारा घटिया खाना दिया जाता है । खाने की कोटि सुधारने तथा सभी सेवाओं में सुधार के लिए गंभीरता पूर्वक यत्न किया जा रहा है। हाल ही में एयरबस में हमने रात्रि का भोजन भी शुरू किया है।

एक माननीय सदस्य : लंच की क्या स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : दिन भर में एक खाना दिया जाना पर्याप्त नहीं है।

श्री चन्द्रूलाल चद्राकर : इतना ही नहीं। कुछ समय पहले तक खाना आई टी० डी० सी० के होटलों द्वारा ही सप्लाई किया जाता था परन्तु अब यह व्यवस्था की गई है कि खाना न केवल सरकारी होटलों द्वारा अपितु गैर सरकारी होटलों द्वारा भी सप्लाई किया जायेगा। इसके साथ ही हमने यह प्रतिबन्ध लगाये हैं कि केवल अच्छी कोटि का खाना ही दिया जाय । मात्रा कितनी भी हो कोटि प्रथम श्रेणी की होनी चाहिए, यही हमारा इरादा है तथा हम कोटि सुधार का यत्न कर रहे हैं।

श्री के० मालन्ना : दूसरा प्रश्न : क्या इंडियन एयरलाइन्स द्वारा सप्लाई किये जाने वाला खाना सरकारी प्रतिष्ठानों से लिया जाता है अथवा निजी प्रतिष्ठानों से ? यदि हां, तो कितनी मात्रा में खाना निजी प्रतिष्ठानों द्वारा सप्लाई किया जाता है ?

श्री चन्द्रूलाल चन्द्राकर : मैंने अभी उसका उत्तर दिया है, न केवल सरकारी होटलों अपितु गैर-सरकारी होटलों से भी हम खाना लतें हैं । खाना निजी होटलों से भी लिया जाता है। उनका प्रतिशत भी पर्याप्त है। मैं गैर-सरकारी होटलों के आंकड़े अभी नहीं दे सकता परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि हमें पर्याप्त मात्रा में खाने के पैकट उनसे मिल रहे हैं ।

डा० कर्ण सिंह : एक समय था जब इंडियन एयरलाइंन्स के ऊपर अच्छा खासा भोजन मिलता था। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब किराया तो बढ़ता जा रहा है और भोजन घटता जा रहा है और निमित्त मात्र रह गया है । इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथोरिटी आफ इंडिया ने फ्लाइट किचंज बनाए हैं इस वास्ते कि उन से अच्छा भोजन एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंन्स को वे देंगे। लेकिन लग रहा है कि फ्लाइट किचंज अभी तक चल नहीं रहे हैं। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि फ्लाइट किचंज के विस्तार की भी कोई योजना है ?

भोजन देना ही है तो इतना तो दें जिससे थोड़ा सा पेट तो भरे और कम से कम आधा तो भरे और वह निमित्त मात्र न हो ।

श्री चन्द्रूलाल चन्द्राकर : फ्लाइट किचंज से जो सर्व होता है उस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम ने कुछ नार्म्ज़ सैट किए हैं। किस तरह से क्वालिटी कंट्रोल हो और किस तरह का खाना मिले, इसके बारे में कुछ नार्म्ज़ सैट किए हैं। इसके साथ साथ और भी जो प्राइवेट केटरर सर्व करते हैं उसके बारे में भी यही चीज लागू होती है।

जहां तक विस्तार का सवाल है, धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों में हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं ताकि कहीं ऐसा न हो कि क्वालिटी गिर जाए। विस्तार जो कर रहे हैं उसकी रफ्तार धीमी अवश्य है लेकिन निरंतर इस बात को ध्यान में रख कर हम उसका विस्तार करते जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : खुराक की ज्यादा बात करना ठीक नहीं रहेगा ।

श्री सत्य नारायण राव : मंत्री महोदय ने प्रश्न के क भाग के उत्तर में बताया है कि कोई पैनल नियुक्त नहीं किया है। जहां तक मेरा खयाल है मंत्री महोदय ने इससे पहले एक पैनल एप्वाइंट किया था जिस के हमारे लकप्पा साहब भी

मैम्बर थे । उन्होंने दो साल तक पूरा हिन्दुस्तान घूमा था और बताया था कि इम्प्रूवमेंट किस तरह से हो सकता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है और अगर नहीं तो उनको कैसे मैम्बर बनाया गया था और कैसे वह घूमे फिरे थे ?

डा० कर्ण सिंह ने कहा है कि आप किराया तो ज्यादा करते जा रहे हैं लेकिन आपकी फूड की क्वालिटी बहुत खराब है। जो रस्क है इसको खाने से आदमी बीमार हो जाता है। क्या आप लोगों को बीमार करना चाहते हैं ? इस चीज पर गौर करके क्या आप कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे या पैसेंजर्ज इसी तरह से सफर करते रहेंगे ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : जैसा कि पहले ही सदस्य ने कहा कि एक कमेटी थी जिसमें लकप्पा साहब थे, तो मैं उनको एक चीज बता दूं कि अभी भी ऐसी 3 कमेटीज हैं । यह कमेटियां भोजन, कैटरिंग के सिलसिले में नहीं हैं । एक हाई लैवल कमेटी है जो कि मिनिस्टर लैवल पर है। दूसरी मैनेजर्स लैवल पर है और तीसरी डी० जी० सी० ए० लैवल पर है। जैसा मैंने पहले बताया फूड को इम्प्रूव करने के लिये पैनल कमेटी नहीं है, लेकिन यह जो तीन कमेटियां चल रही हैं, इनके जरिये हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि खाने के सिलसिले में शिकायतें हैं, उनको दूर किया जाये। हर लैवल पर, हर संस्थान से, होटल से हम इस चीज पर जोर दे रहे हैं कि अच्छे से अच्छा भोजन दिया जा सके । जैसा हमारे दोस्त ने बताया कि पेय जल से भी बीमार हो जाते हैं, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि अच्छे से अच्छा भोजन और साथ ही साथ पेय जल मिले, इस बारे में विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं 503, श्री मनफूल सिंह ।. . .

मैं यह बताने जा रहा था कि मैं सब के नाम नोट कर के रख रहा हूं, जो गैर-हाजिर हैं ।

पर्यटन सुविधाओं के लिए मेवाड़ काम्प्लेक्स हेतु वृहत योजना

*503. **श्री मनफूल सिंह चौधरी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए मेवाड़ काम्प्लेक्स हेतु वृहत् योजना तैयार करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ख) मेवाड़ काम्पलैक्स की एक महायोजना (भूमि प्रयोग योजना) तैयार की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस क्षेत्र में जो भी विकास कार्य किया जाए, वह नियमित तरीक से किया जाए और अव्यवस्थित विकास द्वारा क्षेत्र का प्राकृतिक पर्यावरण खराब न हो । यह महायोजना (भूमि प्रयोग योजना) केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा निर्माण तथा आवास मंत्रालय के नगर-व-ग्राम आयोजन संगठन के माध्यम से तैयार की जा रही है। महायोजना (भूमि प्रयोग योजना) के अंतर्गत जो स्थान शामिल किए गए हैं, वे हैं—हल्दीघाटी, रक्त तलायी, कुम्भलगढ़, चावण्ड और गोगुण्डा। मेवाड़ काम्पलैक्स की महायोजना (भूमि प्रयोग योजना) के 1980-81 में तैयार हो जाने की आशा है।

इस क्षेत्र में महायोजना (भूमि प्रयोग योजना) के आधार पर प्रदान की जाने वाली पर्यटक सुविधाएं राज्य सरकार से परामर्श करके निर्धारित की जाएंगी, परन्तु ऐसा करना परस्पर प्राथमिकताओं और धन-राशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

श्री मनफूल सिंह चौधरी : इस कम्पलैक्स में 1980-81 में कितना खर्च किये जाने का प्रावधान है ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : अभी तो इस कम्लैक्स के बारे में वर्क्स हाउसिंग मिनिस्ट्री के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन को काम सौंपा है, उनको 3 लाख 50 हजार रुपये भी दिया गया है। उसके साथ साथ कुछ समय पहले इस इलाके में मेवाड़ कम्पलैक्स के लिये 1 लाख रुपया अभी तक रिलीज किया गया है। आगे चलकर जैसे ही रिपोर्ट आयगी, जो हमने काम सौंपा है मास्टर प्लान बनाने का जो कि टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन को दिया है, वह जो नक्शा पेश करेंगे, उसके पश्चात् ही स्टेट गवर्नमेंट से सलाह लेकर उसके पैसे के सम्बन्ध में तय किया जायेगा ।

श्री राम सिंह यादव : क्या रणकपुर टैम्पिल को भी इसमें शामिल करेंगे ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : वह भी इसमें शामिल करेंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : आपने इस प्लान के लिये कब तक तारीख मुकर्रर की है, यह कब तक आ जायेगी, यह बता दें । आपने जो उत्तर दिया है, यह जनरल उत्तर है ।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मैंने बताया कि जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन को काम दिया है, वह बहुत जल्दी ही अपनी रिपोर्ट देगी, ऐसा मैंने बहुत साफ़-साफ़ कहा है, शायद सुनने में नहीं आया। मैंने कहा है कि मेवाड़ कम्पलैक्स हेतु वृहत योजना (भूमि प्रयोग योजना) 1980-81 के दौरान पूरी की जाने की आशा है।

श्री झारखण्डे राय : मेवाड़ कम्प्लैक्स में जिन स्थानों की चर्चा मंत्री महोदय ने की है, क्या उनमें नाथद्वारा, जो मंदिरों का बहुत बड़ा समूह है, और एकलिंग महादेव, जो सिसोदिया वंश के इष्टदेव रहे हैं, इन दो स्थानों को भी शामिल किया जायगा ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : हम माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : चित्तौड़गढ़ राजपूत शूरवीरों का गढ़ है। यद्यपि मेवाड़ कम्पलैक्स की वृहत योजना में चित्तौड़-गढ़ को सम्मिलित नहीं किया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ को इस वृहत योजना में शामिल किया जायगा या नहीं।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : इस सुझाव को मैंने नोट कर लिया है।

डा० कर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब नहीं आया है। चित्तौड़ के विना मेवाड़ की क्या शोभा होगी ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने नोट कर लिया है।

इलायची का विपणन

*504. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलायची बोर्ड के गठन के बावजूद भी देश और विदेशों में इलायची का विपणन इसके माध्यम से नहीं हो रहा है जैसा कि काफी के मामले में होता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्नाटक के इलायची उत्पादकों को बहुत कम मूल्य मिल रहा है यद्यपि मंत्रालय के विवरणों में बहुत ऊंचे आंकड़े दिखाये गये हैं ;

(ग) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि वर्तमान विपणन से केवल कुछ उन लोगों को ही सहायता मिली है जो इलायची का सीधे निर्यात करते हैं और जो कर से बचने के लिए सौदों को छिपाना चाहते हैं ; और

(घ) सरकार का विचार उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने, इलायची की विभिन्न किस्मों का मानकीकरण करन, बीमारी से बचाव और अधिक उत्पादन वाली इलायची के पौधों के बारे में अनुसंधान के लिए क्या उपाय करने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां। इलायची बोर्ड इलायची की बिक्री तथा निर्यात विनियमित करता है और इलायची की किमतों को स्थिर करने में सहायता करता है।

(ख) इलायची की कीमतें निम्नोक्त प्रकार है जो अखिल भारतीय केरल तथा तमिलनाडु में इलायची की कीमतों की तुलना में पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में इलायची नीलामी केन्द्रों पर प्रचलित थी :

रु०/ कि० ग्रा०

वर्ष	कर्नाटक	अखिल भारत	केरल	तमिलनाडु
1977-78 . .	105	134	143	117
1978-79 . .	134	166	179	137
1979-80 . . (अब तक उपलब्ध)	123	136	142	116

कर्नाटक इलायची के लिए कीमतों की कुछ कम वसूली इस तथ्य के कारण हुई कि केरल तथा तमिलनाडू में उत्पादित इलायची अधिकांश रूप से निर्यात की गई और कर्नाटक इलायची की खपत अधिकांश रूप से आन्तरिक बाजार में हुई।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपजकर्ताओं को उचित लाभ प्राप्त कराना सुनिश्चित करने के लिए इलायची बोर्ड द्वारा किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) भारत में निर्बाध व्यापार तथा निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए इलायची (लाइसेंसिंग तथा विपणन) नियम, 1977 को लागू किया जाना।
(2) विदेशी बाजारों में बाजार सर्वेक्षण तथा उपभोक्ता गवेषणा करना।
(3) विदेशों को व्यापार प्रतिनिधिमण्डल भेजना।
(4) उत्पाद का विविधीकरण तथा इलायची के लिए नये-अन्तिम प्रयोगों का पता लगाना।
(5) निर्यात परामर्शी सेवाएं प्रदान करना।
(6) तकनीकी परामर्श, जानकारी का प्रसार आदि।
(7) मुख्य बाजार अर्थात् मध्यपूर्व में बोर्ड का विपणन जानकारी-सह-संवर्धनात्मक कार्यालय खोलना।

2. इलायची की विभिन्न किस्मों के लिए ग्रेड मानक निर्धारित करके इलायची ग्रेडिंग तथा विपणन नियम, 1962 का प्रवर्तन ताकि निर्यात के लिए इलायची की क्वालिटी सुनिश्चित हो सके।

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद इलायची के लिए रोग अवरोधी तथा अधिक पैदावार वाले पौधों को विकसित करने के लिए मौलिक तथा व्यावहारिक गवेषणा कर रहा है। इलायची के रोग तथा नाशिकीट के नियंत्रण के साथ साथ अधिक उपज तथा रोग अवरोधी/सहन करने वाले पौधों का चुनाव करने तथा एकत्र करने के लिए इलायची बोर्ड के गवेषणा विभाग में क्षेत्र अध्ययन किए जा रहे हैं।

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा : मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि इलायची बोर्ड इलायची का विपणन नहीं कर रहा है, परन्तु यह इसकी बिक्री और निर्यात का विनियमित कर रहा है और एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। विवरण में जो मूल्य दिखाया गया है वह मूल्य केवल व्यापारियों द्वारा लिया गया है छोटे उत्पादकों द्वारा नहीं। निर्यात विक्रय मूल्यों को नहीं दर्शाया गया है। मैं इलायची के छोटे उत्पादक के रूप में यह बताना चाहता हूं कि कर्नाटक में इस वर्ष भाव प्रति किलोग्राम केवल 70 रुपये से लेकर 100 रुपये तक ही चल रहा है जबकि जो मूल्य बताये गये हैं वे उससे बहुत अधिक हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि इलायची निर्यात करने का काम कुछ लोगों के हाथों में हैं जो छोटे उत्पादकों का शोषण कर रहे हैं और वे इलायची के बहुत बड़े उत्पादक एवं बड़े निर्यातक भी हैं। इसके अतिरिक्त क्या सरकार के लिये यह उचित नहीं है कि वह काफी की तरह इलायची के विपणन को भी अपने हाथ ले, क्योंकि पांच किलोग्राम काफी का उत्पादन करनेवाला एक छोटा उत्पादक भी देश में बेचने और निर्यात करने पर भी सही मूल्य प्राप्त करता है। इलायची को काफी से अधिक समय तक रखा जा सकता है।

श्री प्रणव मुखर्जी (वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री) : माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि इलायची और काफी के विपणन में अंतर है। काफी की बिक्री अधिक है परन्तु जहां तक इलायची का सम्बन्ध है इसकी बिक्री कम है।

निर्यात के सम्बन्ध में जैसा कि प्रावधान है किसी भी निर्यातक को निर्यात की अनुमति दी जाती है और वह निर्यात करना शुरू कर देता है। इलायची के मूल्य के सम्बन्ध में, 1979-80 के लिये मार्च, 1980 तक जो भी आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं उनका उल्लेख विवरण में किया गया है और आंकड़ों से पता चलता है कि कर्नाटक के इलायची नीलामी केन्द्र में इस का मूल्य प्रतिकिलो 123 रुपये था।

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा : माननीय मंत्री ने यह बताया है कि कर्नाटक की इस वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता है और इसका उपयोग आन्तरिक बाजार में होता है। परन्तु छोटे उत्पादक को, जो सभी समस्याओं का सामना करते हुए इलायची पैदा करता है, निर्यात करने पर उचित मूल्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए क्या यह आवश्यक नहीं है कि इलायची बोर्ड ही इसके विपणन को छोटे उत्पादकों के हित में अपने हाथ ले?

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक इसको बढ़ावा देने सम्बन्धी कार्यों का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि उन्हें ऐसे कार्य करने चाहिए। परन्तु मैंने जो उत्तर में बताया है वह तथ्यात्मक विवरण है। अगर बात यह है कि कर्नाटक की इलायची के कुल उत्पादन का केवल 1 % का निर्यात होता है तो मैं नहीं कह सकता कि वह उससे अधिक है।

श्री एच० एन०नन्जे गौड़ा : महोदय, उन्होंने जो उत्तर दिया है वह स्वतः विरोधात्मक एवं भ्रामक है । मुझे नहीं मालूम कि इस ओर माननीय मंत्रीने ध्यान दिया है या नहीं । उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में उत्पादित अधिकांश इलायची की खपत देश में होती है और इसीलिए इसे अधिक कीमतें मिल रही है । परन्तु उन्होंने अपने ही उत्तर में कहा है कि... तमिलनाडु को कर्नाटक से कम मूल्य प्राप्त हुआ है । मैं यह जानना चाहूंगा कि बोर्ड पर क्या केवल एक तरह के लोगों का एकाधिकार है । इन राज्यों का प्रतिनिधित्व उसमें नहीं है । मुझ मालूम है कि पूरे देश के उत्पादन का 25% योगदान अकेले मेरे चुनाव क्षेत्र से होता है ।

बोर्ड में कभी भी कर्नाटक से कोई सदस्य नहीं रहा है । यहां तक कि व्यापार शिष्टमंडल में भी कर्नाटक का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था । अतः यह एक गिरोह की तरह मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या वह इसकी जांच करने के लिए तैयार हैं...

श्री प्रणव मुखर्जी : किसलिए ?

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : बहुत सारी चीजें हो रही हैं (व्यवधान) जी हां, निश्चित रूप से । कुछ मिनटों के प्रश्न में उन्हें बताया नहीं जा सकता । अतः, मैं मंत्री महोदय से इस संबंध में स्पष्ट आश्वासन देने के लिए अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की जांच करेंगे तथा इन मामलों में नए सिरे से विचार करेंगे एवं काफी बोर्ड की तरह इलायची बोर्ड के कार्य को नियमित करेंगे ।

श्री प्रणव मुखर्जी : अगर कोई विशेष दोषारोपण है और यदि वह इसकी ओर मेरा ध्यान दिलाते हैं जैसा कि उन्होंने किया है, तो मैं अवश्य इसकी जांच करूंगा । प्रतिनिधित्व के बारे में मुझे इसकी जांच करनी होगी । मैं एकाएक यह नहीं कह सकता कि कौन किस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है ।

तस्करी के माल का निपटान

*506 **श्री चिन्तामणि जेना :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तस्करी के माल के निपटान के लिए सरकार इस समय क्या प्रक्रिया अपना रही है ;

(ख) क्या सरकार तस्करी के माल को बेचने के लिए किसी नई योजना पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो इस नई योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) ऐसे तस्करी के माल का मूल्य कितना है जो निपटान के लिए तैयार है ?

वित्त मंत्री (श्री आर वेंकटरामन) : (क) एक विवरण पत्र सदन-पटल पर रखा गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) 31 मार्च, 1980 की स्थिति के अनुसार निपटान हेतु तैयार पड़े जब्तशुदा माल का मूल्य 10.75 करोड़ रुपये था ।

विवरण

विभिन्न वर्गों के माल के निपटान का तरीका

विवरण	निपटान का तारीख
1. व्यापारिक माल .	रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक कच्चा माल, मशीनों के पुर्जे, मोटर गाड़ियों के पुर्जे आदि जैसे व्यापारिक माल का निपटान नीलामी द्वारा किया जाता है ।
2. यान . .	जलपोत और वहान जैसे यान सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचे जाते हैं । सरकारी विभाग के लिये उपयुक्त जलपोतों और भारतीय गाड़ियों को विभागीय इस्तेमाल के लिये रख लिया जाता है ।
3. सोना और चांदी .	सोना और चान्दी सरकारी टकसालों में जमा कर दिये जाते हैं ।

विवरण—जारी

विवरण	निपटान का तरीख
4. भारतीय और विदेशी मुद्रा	भारतीय और विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक में सरकार के खाते में जमा कर दी जाती है।
5 बन्दूकें, पिस्तौलें आदि और गोला बारुद ।	0.38 और 0.32 बोर रिवाल्वरों/पिस्तौलों और उनके गोला बारूद से भिन्न बन्दूकों/पिस्तौलों आदि का और गोला बारूद का निपटान नीचे दिये गये तरीक के अनुसार किया जाता है :— (क) स्टेनगनें गृह मंत्रालय को लेने के लिए कहा जाता है और जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, वे रक्षा मंत्रालय को बेची जाती हैं। (ख) निषिद्ध बोर के सभी हथियारों और उनके गोला बारूद का निपटान आयुध निर्माण कारखानों (रक्षा मंत्रालय) को किया जाता है। (ग) देशी मेक के क्रूड हथियार केन्द्रीय जांच ब्यूरो को, उनके संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए, दिये जाते हैं। (घ) अन्य सभी हथियारों का निपटान, जिनके लायसेंस जनता को जारी किये जाते हैं, सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जाता है। 0.38 और 0.32 बोर के रिवाल्वर/पिस्तौलों और उनके गोला बारूद विभागीय उपयोग के लिए रख लिये जाते हैं।
6 प्राचीन वस्तुएं	प्राचीन वस्तुएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को मुफ्त दे दी जाती है, जिससे वह उनको विभिन्न संग्रहालयों अथवा संस्थाओं को उपहार के रूप में दे दें अथवा यदि आवश्यक समझे तो उनका अन्य तरीके से निपटान कर दे।
7 वन्य जीव-उत्पाद .	शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं, संग्रहालयों आदि को नाममात्र मूल्य पर बेचे जाने होते हैं।
8 संश्लिष्ट और धातु सूत	संश्लिष्ट और धातु सूत बुनकर सहकारी समितियों/संघों को और वास्तविक प्रयोक्ताओं को बेचे जाते हैं।
9 शराब . .	शराब भारत पर्यटन विकास बिन निगम को, उसके आयात कोटे के प्रति अथवा अन्य हकदार होटलों के कोटे के प्रति, सामान्य शर्तों पर बेची जाती हैं और कंटीन स्टोर विभाग (भारत) को राज्य व्यापार निगम के जरिए बेची जाती है।
10 हीरे	बिना पालिश किए और बिना तराशे हीरे आयात/लाइसेंसधारियों को नीलामी अथवा निविदा द्वारा बेचे जाते हैं और उनके लाइसेंसों में मुजरे दिए जाते हैं। तराशे हुए और पालिश किए हीरे केवल निर्यात के लिए बेचे जाते हैं।
11 हीरों से भिन्न रत्न और उपरत्न	बिना पालिश किए और बिना तराशे रत्नों और उपरत्नों की बिक्री देशी बाजार में आयात लाइसेंसधारियों को नीलामी अथवा निविदा द्वारा उनके लाइसेंसो में मुजरे देकर की जाती है। हीरों से भिन्न तराशे और पालिश किए रत्न और उपरत्न नीलामी अथवा निविदा द्वारा देश में ही बेचे जाते हैं।
12 घड़ियां . .	घड़ियां एच० एम० टी० को सौंपी जाती हैं। यदि एच० एम० टी० उन्हें उठाने में अपनी अनिच्छा प्रकट करे अथवा उसे तीन माह की अवधि में नहीं उठा सके तो उनकी बिक्री हेतु निम्नलिखित को पेश-कश की जा सकती है :— (क) सैनिक और अर्ध-सैनिक संगठनों को उनके कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए ; और (ख) उपभोक्ता सहकारी समितियों, सुपरबाजारों, सहकारी भण्डारों आदि के जरिए वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघों को।

विवरण—जारी

विवरण	निपटान का तारीख
13 इलैक्ट्रानिकी का माल	गणित्रों और टेपरिकार्डरों आदि जैसी इलैक्ट्रानिकी की वस्तुएं और टाइपराइटर तथा फोटोग्राफी का सामान सरकारी प्रयोग के लिए सरकारी विभागों को और शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को बेची जाती हैं ।
14 संश्लिष्ट टैक्सटाइल	संश्लिष्ट टेक्सटाइल निर्यात किया जाना होता है । **अतिरिक्त उपाय :** संश्लिष्ट टैक्सटाइल और इलैक्ट्रानिकी का सामान जैसी अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का निपटान जिनमें अन्य फुटकर चीजें भी शामिल हैं, नीचे दिए अनुसार किया जाता है : (1) उन तरह-तरह की वस्तुओं (घड़ियों को छोड़कर) का, जो छोटी-छोटी मात्रा में पकड़ी जाती हैं, निपटान सीमाशुल्क गृहों द्वारा खुदरा बिक्री के जरिए किया जाता है । (2) सैनिक और अर्द्ध-सैनिक संगठनों को, उनके कर्मचारियों के प्रयोग के लिए, बेची जाती हैं ; और (3) उपभोक्ता सहकारी समितियों, सुपर बाजारों, सहकारी भण्डारों आदि के माध्यम से वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचने के लिए राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ को बेची जाती हैं ।

श्री चिन्तामणि जेना : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या माल को सार्वजनिक नीलामी में बेचने के पूर्व पर्याप्त रूप से विज्ञापन किया गया है, और क्या सरकार को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से माल बेचने के बारे में शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो सरकार यह निश्चित करने के लिये कि जनता से कोई शिकायत न मिले, कौन सी कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री आर० वेंकटरामन : प्रत्येक तरह के माल की बिक्री विशेष ढंग से कीजाती है । उदाहरण के लिए व्यापारिक माल की बिक्री सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से की जाती है, जबकि वाहनों को विभाग में भेज दिया जाता है। सोना और चांदी सरकारी टकसाल में भेज दिया जाता है। यदि वह विदेशी मुद्रा है, तो सरकार के द्वारा ले ली जाती है । इसी तरह से प्रत्येक मद के लिए निपटारा करने का एक ढंग है । उन चीजों के सम्बन्ध में, जिन्हें सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचा जाता है, ऐसे नीलामी का प्रचार किया जाता है। लोग आकर बोली लगाते हैं। यही सामान्य प्रक्रिया है।

श्री चिन्तामणि जेना : हाथ की घड़ियों, कृत्रिम वस्तुओं, आदि, जिन्हें उपभोक्ताओं को सहकारी समितियों एवं सुपर बाजार के माध्यम से बेचा जाता है का मूल्य क्या वित्त विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है या सम्बन्धित पार्टियों अर्थात् खरीददार, सहकारी समिति, या सुपर बाजार द्वारा निर्धारित किया जाता है जो इन वस्तुओं को उपभोक्ताओं को बेचते हैं ।

श्री आर० वेंकटरामन : जब इनमें से कुछ वस्तुओं को उपभोक्ताओं में वितरण के लिए सुपर बाजार के पास बेचा जाता है तब विभाग इनके मूल्य निर्धारित करता है और उस मूल्य पर उन्हें सुपर बाजार एवं सहकारी समितियों को बेचेगा । तत्पश्चात् खुदरा बिक्री के लिए मूल्य का निर्धारण सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। विभाग से पहली बार सुपर बाजार एवं सहकारी समितियों को बेचने के लिए मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कालेज आफ अकाउन्टेन्सी एण्ड मैनेजमेंट स्टडीज कटक उड़ीसा के स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारियों को मान्यता प्रदान करना

*492. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार आयकर निरीक्षकों के पदों की भर्ती के लिए कालेज आफ अकाउन्टेनसी एण्ड मैनेजमेंट स्टडीज, कटक (उड़ीसा) से टैक्सेशन लाज, मैनेजमेंट अकाउन्टेन्सी और बैंक मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करने तथा उन्हें टैक्स-प्रैक्टीशनर के रूप में अनुमति प्रदान करने से सम्बन्धित किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इस प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय को लिखा है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, हां। मामला विचाराधीन है।

(ख) जी, हां ।

राजस्थान आयकर कर्मचारी संघ की सदस्यता का सत्यापन

*494. श्री० एम० अरुणाचलम : क्या वित्त मंत्री आयकर विभाग में कार्यरत कर्मचारी संघों/संगठनों को मान्यता के बारे में 21 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1390 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर आयुक्त, जयपुर से राजस्थान आयकर कर्मचारी संघों की सदस्यता का सत्यापन करने के लिये कहा है ;

(ख) क्या आयकर आयुक्त, जयपुर ने सदस्यता का सत्यापन कर लिया है और बोर्ड को दो बार सूचित कर दिया है और मान्यता देने की सिफारिश की है ;

(ग) क्या बोर्ड ने आयकर कर्मचारी संघ के आग्रह पर पुनः सत्यापन करने का आदेश दिया है ; और

(घ) क्या बोर्ड ने सदस्यता के सत्यापन के लिये किसी प्रक्रिया का सुझाव दिया है और यदि हां, तो प्रस्तावित प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रारम्भ में, आयकर आयुक्त ने स्वयं ही, राजस्थान आयकर कर्मचारी संघ के सदस्यों द्वारा भरे गये सदस्यता फार्मों के आधार पर जांच-पड़ताल करने के बाद, उक्त संघ को मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की थी। बाद में, आयुक्त को सलाह दी गई कि वह पहले ही मान्यता-प्राप्त एसोसिएशन अर्थात्, राजस्थान आयकर कर्मचारी एसोसिएशन और मान्यता की मांग करने वाले नवगठित संघ अर्थात्, राजस्थान आयकर कर्मचारी संघ के सदस्यों की सूची प्राप्त करें और दोनों सूचियों में शामिल सदस्यों से कहें कि वे अपने हस्ताक्षर करके दोनों में से किसी भी एक एसोसिएशन के पक्ष में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करें। ऐसा, राजस्थान आयकर कर्मचारी संघ की सही सदस्यता का पता लगाने की दृष्टि से किया गया। आयकर आयुक्त, जयपुर ने जांच-पड़ताल का कार्य अपने हाथ में लिया और अपनी रिपोर्ट उपयुक्त समझी जाने वाली अग्रेत्तर कार्यवाही के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को भेजी।

(ग) जी, नहीं। तथापि, आयकर कर्मचारी फेडरेशन ने लिखा कि राजस्थान आयकर कर्मचारी संघ की सदस्यता दबाव डालकर हासिल करायी गई और राजस्थान आयकर कर्मचारी संघ के बहुत से सदस्यों ने राजस्थान आयकर कर्मचारी संघ की अपनी सदस्यता का लिखित रूप में खण्डन किया है और मान्यता प्राप्त एसोसिएशन अर्थात् राजस्थान आयकर कर्मचारी एसोसिएशन के प्रति निष्ठावान होने की घोषणा की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त (ख) में यथा-निर्दिष्ट सदस्यता की जांच-पड़ताल करना अपरिहार्य हो गया।

(घ) कृपया, उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर देखें।

आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर बोइंग विमान के उतरने की सुविधाएं

*497. श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव :
श्री एस० आर० ए० एस० अप्पाला नायडू :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में स्थापित हो रहे इस्पात संयंत्र को देखते हुए, वहां पर बोइंग विमानों के उतरने की तथा विमानों की रात को उतरने की सुविधाएं उपलब्ध कराने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पारादीप पत्तन से लोह अयस्क के निर्यात में वृद्धि के उपाय

*498. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

पारादीप पत्तन से लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने के लिये और इस सन्दर्भ में बांसपानी सेक्टर के विभिन्न रेल शीर्षों में पडे हुए लौह-अयस्क के विशाल भंडार को खत्म करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

3—357 LSS/ND/80

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : 1980-81 के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम का पारादीप पत्तन से 2.3 मिलियन मे टन लौह अयस्क निर्यात करने का लक्ष्य है। इस मात्रा में से लगभग 1.3 मिलियन मे० टन लौह अयस्क बांसपानी क्षेत्र से रेल द्वारा लाया जाना है। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिये ये प्रयास किये जा रहे हैं :

(1) बांसपानी क्षेत्र से पारादीप पत्तन तक रेलों का पर्याप्त आवागमन सुनिश्चित करना ; और

(2) पारादीप पर माल लदान की अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के काम में तेजी लाना।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि आवश्यक सुविधाओं की जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो जाए, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, रेलवे तथा पत्तन अधिकारी अपने प्रयासों को समन्वित कर रहे है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को बैंक द्वारा उधार दिया जाना

*499. **श्री नवीन रवाणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक द्वारा 1 लाख रुपये तक ऋण कम दरों पर दिए जाने के लिए संपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में लघु औद्योगिक क्षेत्र को शामिल किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राथमिता प्राप्त क्षेत्र में जिन सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है, उनमें से लघु औद्योगिक क्षेत्र को अलग करने का प्रस्ताव है और उसकी प्रगति के लिए विशेष प्रतिशत में धन का आवंटन किया जायेगा, क्योंकि यह एक उपेक्षित क्षेत्र है ; और

(ग) वर्ष 1978-79 और 1979-80 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को 1 लाख रुपये से कम और 50 हजार रुपये से कम के जो ऋण दिये गये थे उनकी प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री वेंकटरामन) : (क) छोटे पैमाने के उद्योग सम्पूर्ण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में शामिल है। इस क्षेत्र पर लागू ब्याज की दरें विवरण 1 में दी गई है।

(ख) जी, नहीं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो के अंतर्गत छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये ऋण कुल ऋणों का लगभग 39 प्रतिशत बैठते हैं और इसलिए इसे उपेक्षित क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है।

(ग) बैंको द्वारा पालन की जा रही आंकड़े इकट्ठा करने की प्रणाली में मौजूदा वर्गीकरण के अनुसार ऋण सीमा के आधार पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो को दिये गये कुल ऋणों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। दिसम्बर, 1977 तक की उपलब्ध सूचना विवरण-2 में दी गई है। 1978-79 तथा 1979-80 के लिये इसी प्रकार की सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है।

विवरण 1

छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये ऋणों पर ब्याज की उच्चतम दरें

	अधिकतम वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत)
(क) तीन वर्ष से अधिक के सावधिक ऋण :	
(1) पिछड़े जिले	9.5
(2) अन्य जिले	11.0
(ख) कारीगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों तथा अत्यंत छोटे उद्योगों को 25,000 रु० तक के मिश्रित सावधिक ऋण† :	
(1) पिछड़े जिले	9.5
(2) अन्य जिले	11.0
(ग) अत्यंत छोटे उद्योगों को दिये गये 1 लाख रुपये तक के कायकारी पूंजी ऋण	12.5*
(घ) अन्य छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये कायकारी पुंजी	15.0*

*25 करोड रुपये तक की कुल मांग और मीयादी देयताओं वाले छोटे बैंक, निर्धारित की गई ब्याज की दरों से एक प्रतिशत तक अधिक वसूल कर सकते हैं।

†मिश्रित सावधिक ऋणों में सावधिक ऋण और कार्यकारी पूंजी ऋण शामिल है।

विवरण 2

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अर्ध-उप क्षेत्रों के लिए एक लाख रुपये तक की ऋण सीमा तक के ऋणों की बकाया राशि (दिसम्बर, 1977 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार)

उप-क्षेत्र	10,000 रुपये और इससे कम की ऋण सीमा		10,000 रुपये से अधिक और 1 लाख रुपये तक की ऋण सीमा	
	बकाया राशि (करोड़ रु० में)	उप-क्षेत्र को दिये गये ऋणों की कुल ऋणो से प्रतिशतता	बकाया राशि (करोड़ रु० में)	उप-क्षेत्र को दिये गये ऋणों की कुल ऋणों से प्रतिशतता
1. कृषि (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों)	779.70	46.8	390.41	23.4
2. छोटे पैमाने के उद्योग . .	59.73	3.4	481.38	27.6
3. परिवहन चालक . .	37.04	8.5	261.67	59.8
4. खुदरा व्यापार . .	133.58	31.7	177.31	42.1

चन्दन की लकड़ी के निर्यात पर रोक

*500. श्री के० टी० कोसलराम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तमिलनाडु में चन्दन की लकड़ी का अंबार जमा हो गया है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने चन्दन की लकड़ी के निर्यात पर लगी रोक हटाने के लिये केन्द्र को लिखा है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) तथा (ख) तमिलनाडु के वन विभाग के पास चंदन की लकड़ी के भारी स्टाक जमा होने और उसकी नीलामी कीमतों में गिरावट आने के कारण चंदन की लकड़ी के कुछ निर्यातकों और साथ ही तमिलनाडु सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि चंदन की लकड़ी के निर्यात पर लगी रोक में छूट दी जाए।

(ग) अन्य बातों के साथ साथ, कच्चे माल की बजाय तैयार उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय के परामर्श से पहली अप्रैल, 1980 से लट्ठों की शक्ल में, चिरे हुए आकारों में और छडों की शकल में चंदन की लकड़ी के निर्यात पर रोक लगाई गई है।

चुंगी की समाप्ति

*501. श्री डी० पी० जदेजा :
श्री अहमद एम० पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त अनेक समितियों और अध्ययन दलों ने सर्वांगीण अध्ययन करने के बाद यह सिफारिश की है कि देश में चुंगी समाप्त की जाए ;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार व्यापार और उद्योग की उन्नति के लिए देश में चुंगी समाप्त करने का है?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ऐसी राज्य सरकारों से, जिनमें चुंगी लगी हुई थी, मार्च, 1978 में चुंगी को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करने तथा राजस्व के वैकल्पिक संसाधन खोजने का अनुरोध किया गया था। संबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श भी किया गया। जबकि, राज्य सरकारों ने चुंगी को समाप्त करने की वांछनीयता को पसंद किया परन्तु उन्होंने राजस्व की होने वाली हानि को पूरा करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के प्रति कठिनाइयां व्यक्त कीं।

अगस्त, 1979 में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सूचित किया कि चुंगी को समाप्त करना कितना भी वांछनीय क्यों न हो विद्यमान वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्र अथवा राज्यों द्वारा राजस्व का कोई त्याग उचित नहीं होगा और यह कि कुछ समय के लिए चुंगी को समाप्त करना आस्थगित कर दिया जाए।

वर्तमान सरकार को चुंगी के नकारात्मक पहलुओं की पूर्ण जानकारी है। चुंगी को समाप्त करना राज्यों के क्षेत्राधिकार के भीतर एक राजकोषीय सुधार है। संबंधित राज्यों को, चरणों में चुंगी को प्रतिस्थापित करने तथा वैकल्पिक उपायों द्वारा राजस्व की हानियों को पूरा करने के संबंध में उपयुक्त कदम उठाने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता होगी।

सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन केन्द्र

*505. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित प्रमुख पर्यटन केन्द्र कौन-कौन से हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अन्य पर्यटन केन्द्रों की अपेक्षा दार्जिलिंग में विदेशी पर्यटकों के आने पर अधिक प्रतिबन्ध लगे हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो यह भेदभाव क्यों है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) सीमावर्ती क्षेत्रों में अभिरुचि के वे स्थान जिनकी पर्यटक यात्रा करते हैं, वे हैं—दार्जिलिंग और इसके आस-पास का क्षेत्र, गंगतोक और पश्चिमी सिक्किम के ट्रैक मार्ग, लद्दाख में लेह और इसके आस-पास का परिवेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, हेमकुण्ड, फूलों की घाटी, पिण्डारी ग्लैशियर, लाहोल और स्पिटी।

(ख) जी, नहीं। यद्यपि दार्जिलिंग प्रतिबंधित क्षेत्र में पड़ता है, तथापि 15 दिन तक दार्जिलिंग की यात्रा करने के लिए विदेशी पर्यटकों को परमिट प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शर्त यह होगी कि वे कलकत्ता और बागडोगरा के बीच की यात्रा वायु-मार्ग से करें। ऐसे पर्यटकों के लिए, जो स्थल-परिवहन द्वारा यात्रा करना चाहते हों, विदेश स्थित भारतीय मिशनों और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास स्थित फारेनर्स रिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्यालयों को दार्जिलिंग की 7 दिन तक यात्रा करने हेतु पासपोर्ट को पृष्ठांकित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् की गलतियां

507. श्री आर० के० महालगी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् मिस्र अरब गणराज्य की नेशनल स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी द्वारा प्रायोजित लगभग 7 करोड़ डालर मूल्य की कपड़े की एक बड़ी परियोजना के बारे में निर्धारित समय पर अपेक्षित जानकारी एकत्रित करने और उसे प्रसारित करने में असफल रही थी ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप भारतीय निर्यात उद्योग विशेषकर कपड़ा मशीनरी निर्माताओं और सिविल निर्माण संगठनों ने इस ठेके के लिये बोली देने का अवसर खो दिया ;

(ग) क्या कुछ समय पूर्व एक कपड़ा मिल परियोजना के लिए इराक का 30 करोड़ रुपये मूल्य के एक टेंडर के मामले में इसी प्रकार का अवसर खो दिया गया था ;

(घ) क्या सरकार का विचार मिस्र अरब गणराज्य के ठेके के लिए बोली लगाने का अवसर दिलाने में भारतीय उद्योग की सहायता करने का है क्योंकि वास्तविक बोली के लिए अभी लगभग दो महीने बाकी हैं ; और

(ङ) ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् को 17 मार्च, 1980 के "डेवलपमेन्ट फोरम" नामक प्रकाशन की प्रति प्राप्त हुई जिसमें वस्त्र परियोजना के बारे में सूचना प्रकाशित हुई थी, लेकिन नेशनल स्पिनिंग एंड वीविंग कम्पनी, एलेक्जेंड्रिया ने काहिरा स्थित हमारे दूतावास को 1 अप्रैल, 1980 को दस्तावेज जारी किये, जिन्होंने उन्हें प्रथम उपलब्ध डिप्लोमेटिक बैग द्वारा इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् को भेज दिया। चूंकि पूर्व अर्हता के संबंध में कार्यवाही करने के लिए समय कम था इसलिए समय मांगा गया और 15 जुलाई, 1980 तक का समय मिल गया।

(ख) जी नहीं, समय सीमा के बढ़ाये जाने के कारण भारतीय निर्यातकों के पास 15 जुलाई, 1980 तक का समय है ।

(ग) जी नहीं। इराकी संगठन ने केवल उन सप्लायरों को सीधे ही दस्तावेज भेजे थे जो उनके यहां दर्ज हैं।

(घ) भारतीय निर्यातक बोली लगाने के लिये पूर्व अर्हता हेतु आवेदन कर सकें इसके लिए आवश्यक कदम पहले ही उठाये जा चुके हैं।

(ङ) निविदाओं के बारे में जानकारी के सभी उपलब्ध साधनों का लाभ उठाया जाता है और उपलब्ध जानकारी इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा निर्यातकों को दे दी जाती है।

बड़ी कंपनियों द्वारा जनता से सावधि जमा राशि मांगा जाना

*508. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक बड़ी कंपनियां आकर्षक ब्याज पर सावधि जमा राशि मांग रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि धन वापसी का उनका रिकार्ड अक्सर अच्छा नहीं रहता है ;

(ग) क्या यह सच है कि वे जनता की बचत के एक बड़े भाग को आकर्षित कर रही हैं और राष्ट्रीयकृत बैंकों को उससे वंचित कर रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री वेंकटरामन) : (क) कुछ गैर-बैंकिंग कंपनियां, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी जा रही ब्याज की दरों से ऊंची दरों पर सावधिक जमा राशियां आमंत्रित कर रही हैं ।

(ख) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को जमाकर्त्ताओं से कुछ गैर-बैंकिंग कम्पनियों के विरुद्ध, परिपक्व होने पर जमाराशियों के अदा न किये जाने और उन पर ब्याज के अदा न किये जाने के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं ।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, गैर-बैंकिंग कम्पनियों के पास कुल जमा राशियों का आकार इतना अधिक नहीं है कि वे राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशियों को किसी खास रूप में प्रभावित कर सकें। अलबता, कम्पनियों द्वारा स्वीकृत की जा सकने वाली जमाराशियों की ऊपरी सीमा निश्चित कर दी गई है । यह कार्य गैर-बैंकिंग विविध और वित्तीय कम्पनियों के सम्बंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और गैर-बैंकिंग, गैर-वित्तीय कम्पनियों के संबंध में कम्पनियां (जमा राशियां स्वीकार करना) नियम, 1975 के अधीन कम्पनी कार्य विभाग द्वारा जारी किये गये निदेशों के माध्यम से किया गया है ।

हथकरघा के निर्यात में गिरावट

*509. श्री दोराई सेबस्तियन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी सीमा शुल्क से हथकरघा वस्त्रों के निर्यात में गिरावट आई है ; और

(ख) यदि हां, तो हथकरघा वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) तथा (ख) : ऐसा कोई प्रभाव नहीं है कि हथकरघा वस्त्रों के और उस विषय के लिए हथकरघा की अन्य वस्तुओं के निर्यात उत्पादन शुल्क के भारी भार के कारण घटे हैं। हथकरघा के 11 प्रकार के वस्त्रों पर उत्पादन शुल्क नहीं लगता। कोरे वस्त्र पूरी तरह से मुक्त है। हर स्थिति में निर्यात उत्पादों पर लगने वाले उत्पादन शुल्क वापसी योजना के अन्तर्गत वापस कर दिये जाते हैं।

1975-76 से हथकरघा माल (वस्त्र तैयार माल और परिधान) के निर्यात इस प्रकार रहे हैं :—

वर्ष	निर्यात का मूल्य (करोड़ रु० में)
1975-76	195.06
1976-77	272.14
1977-78	258.43
1978-79	302.91
1979-80 (अनन्तिम)	287.72

हथकरघा निर्यात, संवर्धन की सभी वर्तमान योजनाओं अर्थात् नकद मुआवजा सहायता आयात प्रतिपूर्ति निर्यात सदन प्रमाणपत्र आदि की योजनाओं के अन्तर्गत आते हैं। विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेने, प्रचार सामग्री का वितरण करने, उत्पाद विकास और बाजार अभिविन्यास सम्बन्धी सेमिनारों में भाग लेने तथा वस्त्र डिजाइनरों की यात्राओं पर व्यय करने के लिये हथकरघा निर्यातकों को हथकरघा निर्यात संवर्धन और परिधान निर्यात संवर्धन परिषद की मार्फत भी सहायता दी जाती है। बाजार अध्ययन करने के लिए भी सहायता दी जाती है।

हथकरघा वस्त्रों को यथा संभव द्विपक्षीय करारों के अन्तर्गत कोटा प्रतिबंधों के क्षेत्र से अलग रखने की कोशिश की जाती है। तथापि, जहां कहीं यह संभव नहीं है और संयुक्त स्तरों के लिए भी सहमति हुई है वहां हथकरघा वस्तुओं के लिए अलग से आबंटन किया जाता है।

आयकर कार्यालय को कोचीन से त्रिवेन्द्रम ले जाना

3805. **श्री इ० के० इम्बीचीबावा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, आयकर, केरल-दो कार्यालय को कोचीन से त्रिवेन्द्रम ले जाने पर केरल के उत्तरी जिलों (मालाबार) के विभिन्न व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार को मालाबार क्षेत्र के कर-दाताओं को कोचीन में आयकर केरल-दो कार्यालय के स्थित होने के कारण पेश आने वाली कठिनाइयों के बारे में पता है ; और

(ग) क्या सरकार का मालाबार के लोगों की सुविधा के लिये इन कार्यालयों में से एक कार्यालय कालिकट में स्थापित करने के शीघ्र उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभा बारोत) : (क) जी, हां। आयुक्त कार्यालय, केरल-II को कोचीन से त्रिवेन्द्रम स्थानान्तरित करने के संबंध में मालाबार तथा पालघाट चैम्बर्स आफ कामर्स से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। केरल में केवल दो प्रशासनिक आयकर आयुक्त हैं। त्रिवेन्द्रम के आपेक्षिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, उक्त अधिकारियों में से एक के मुख्यालय को कोचीन से त्रिवेन्द्रम स्थानान्तरित करने का निर्णय किया गया है।

विदेशों में उद्योगों की स्थापना करने वाले औद्योगिक गृहों के नाम

3806. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे औद्योगिक गृहों के नाम क्या हैं जिन्होंने विदेशों में इस समय औद्योगिक उद्यम स्थापित किये हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनकी तकनीकी जानकारी तथा संयंत्र और मशीनरी की स्थापना के तरीकों के माध्यम से तथा साम्य पूंजी द्वारा भागीदारी क्या है ; और

(ख) ऐसे औद्योगिक गृहों के नाम क्या हैं जिनके आवेदनपत्र, ऐसे उद्यमों की स्थापना के लिये, उनके मंत्रालय में अनिर्णीत पड़े हुए हैं और चालू वर्ष के दौरान कितने मामलों में स्वीकृति दिये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1058/80**]

(ख) विदेशों में औद्योगिक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए सभी आवेदन पत्रों पर, जो अनिर्णीत पड़े हुए हैं, कार्यवाही की जा रही है और उन्हें निर्णय के लिए शीघ्र ही विदेशों में संयुक्त उद्यमों संबंधी अंतःमंत्रालय समिति के समक्ष रख दिया जाएगा। ऐसे अनिर्णीत पड़े हुए आवेदन पत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विदेशों में मंत्रालय के वाणिज्य अनुभागों के नाम और स्थान

3807. **श्री राम विलास पासवान :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में मंत्रालय के वाणिज्यिक अनुभागों के नाम क्या हैं और वे कहां पर स्थित हैं ;

(ख) इन अनुभागों में अनुभागवार और पदवार राजपत्रित अधिकारियों का क्या ब्यौरा है ;

(ग) उनमें कितने अनुभाग अधिकारी/भूतपूर्व अनभाग अधिकारी/स्टेनोग्राफर/निजी सचिव हैं और वे किन-किन पदों पर कार्य कर रहे हैं ;

(घ) आर्थिक पहलुओं से सम्बन्धित अनुसंधान आंकड़े और सामग्री एकत्रित करने और रिपोर्ट भेजने से संबंधित कार्य के लिये कितने पद हैं ; और

(ङ) इनमें से कितने पदों पर भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी कार्य कर रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारतीय दूतावास, बैंकांक में गवेषणा अधिकारी के एक पद को छोड़कर, इन पदों में से किसी पर भी वाणिज्य मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी/भूतपूर्व अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक/निजी सचिव काम नहीं कर रहे हैं।

(घ) विदेश स्थित मिशनों में इस मंत्रालय के वाणिज्यिक अनुभागों में सभी पद किसी न किसी रूप में ऐसे कार्य से सम्बन्धित हैं।

(ङ) कोई नहीं।

विवरण

क्रमांक	नाम तथा स्थान	मंत्री	परामर्शदाता	प्रथम सचिव/ द्वितीय सचिव	रजिस्ट्रार
1	2	3	4	5	6
	दुतावास :				
1	अदीस अबाबा (इथोपिया)	..	..	द्वितीय सचिव-1	..
2	अदन (दक्षिणी यमन गणराज्य)	..	..	..	1
3	अल्जीयर्स (अल्जीरिया)	..	...	..	..
4	अमान (जोर्डन)	..	..	द्वितीय सचिव-1	..
5	बगदाद (इराक)	..	...	प्रथम सचिव-1	अनुसंधान अधिकारी-1
6	बैंकाक (थाईलैंड)	..	....	प्रथम सचिव-1	रजिस्ट्रार-1
7	बेलग्रैड (यूगोस्लाविया)	..	....	द्वितीय सचिव-1	..
8	बुकारेस्ट (रुमानिया)	..	...	प्रथम सचिव-1	1
9	बूडापेस्ट (हंगरी)	..	..	प्रथम सचिव-1	..
10	बर्न (स्विटजरलैंड)	..	....	द्वितीय सचिव-1	..
11	ब्रुसेल्स (बेल्जियम)	..	..	प्रथम सचिव-1	..
12	कोहिरा (मिस्र)	..	...	द्वितीय सचिव-1	1
13	जाकार्ता (इंडोनेशिया)	..	...	प्रथम सचिव-2	..
14	डाकार (सेनेगल)	..	...	द्वितीय सचिव-1	..
15	डैमेसकस (सीरियाई अरब गणराज्य)	..	..	प्रथम सचिव-1	..
16	जेद्दा (सऊदी अरब)	..	..	द्वितीय सचिव-1	..
17	खार्तुम (सूडान)	..	..	द्वितीय सचिव-1	..
18	काठमांडू (नेपाल)	..	..	प्रथम सचिव-1	..
19	मनीला (फिलीपीन)	..	..	प्रथम सचिव-1	..
20	मास्को (सोवियत संघ)	1	1	..	1
21	पैरिस (फ्रांस)	..	..	प्रथम सचिव-1	1
22	रंगून (बर्मा)	..	...	प्रथम सचिव-1	1
23	प्राग (चैकोस्लोवाकिया)	..	...	प्रथम सचिव-1	..
24	रोम (इटली)	..	....	प्रथम सचिव-1	1
25	रबत (मोरोक्को)	..	..	..	तृतीय सचिव-1

विवरण—जारी

1	2	3	4	5	6
26	स्टाकहोम (स्वीडन)	..	..	प्रथम सचिव-1	..
27	ट्यूनिस (ट्यूनसिया)	..	..	द्वितीय सचिव-1	..
28	टोक्यो (जापान)	..	..	प्रथम सचिव-1	2
29	तेहरान (इरान)	..	..	प्रथम सचिव-1	..
30	त्रिपोली (लीबिया)	..	1	..	..
31	वाशिंग्टन (सं० रा० अमरीका)	..	..	..	1
32	वार्शा (पोलैंड)	..	..	प्रथम सचिव-1	1
33	आबूधाबी (सं० अरब अमीरात)	..	..	द्वितीय सचिव-1	..
34	बर्लिन (जी० डी० आर०)	..	..	द्वितीय सचिव-1	..
35	सोफिया (बुल्गारिया)	..	..	प्रथम सचिव-1	.
36	कुवैत (कुवैत)	..	..	प्रथम सचिव-1	..
37	मस्कत (ओमन)	..	..	प्रथम सचिव-1	..
38	इस्लामाबाद (पाकिस्तान)	..	..	प्रथम सचिव-1	..
39	साना (यमन अरब गणराज्य)	..	..	..	1
	हाई कमीशन/कमीशन :			..	
40	आकरा (घाना)	..	..	प्रथम सचिव-1	..
41	कोलम्बो (श्रीलंका)	..	1	..	..
42	दार एस्लाम (तंजानिया)	..	....	द्वितीय सचिव-1	..
43	ढाका (बंगला देश)	..	....	द्वितीय सचिव-1	..
44	हांगकांग	..	....	प्रथम सचिव-1	..
45	कम्पाला (युगांडा)	..	....	..	तृतीय सचिव-1
46	लागोस (नाइजेरिया)	..	1	..	..
47	लन्दन (ब्रिटेन)	1	....	प्रथम सचिव-1 द्वितीय सचिव-1	रजिस्ट्रार-2 अनुसंधान अधिकारी-1
48	लुसाका (जाम्बिया)	..	....	द्वितीय सचिव-1	..
49	नैरोबी (कीनिया)	..	....	..	तृतीय सचिव-1
50	सिंगापुर	..	....	द्वितीय सचिव-1	..
	कांसुलेट जनरल :		..	..	
51	फ्रैंकफर्ट (जर्मनी का संघीय गणराज्य)	..	..	कांसुल जनरल-1	वाइस कांसुल-1
52	हैम्बर्ग (जर्मनी का संघीय गणराज्य)	..	..	कांसुल जनरल-1	..
53	न्यूयार्क (सं० रा० अमरीका)	..	....	डिप्टी कांसुल जनरल-1 कांसुल-1	.. ..
54	टोरंटो (कनाडा)	..	..	कांसुल जनरल-1	वाइस कांसुल-1
55	सेनफ्रांसिस्को (सं० रा० अमरीका)	..	....	कांसुल-1	..
56	सिडनी (आस्ट्रेलिया)	..	....	कांसुल जनरल-1	वाइस कांसुल-1
57	वैनक्यूवर (कनाडा)	..	....	कांसुल जनरल-1	..
58	जेनेवा (स्विटजरलैंड)	रेजीडेंट प्रतिनिधि-1	..	प्रथम सचिव-1 द्वितीय सचिव-1	.. ..

लैवी तथा गैर-लैवी वाले चीनी का निर्यात

3808. श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :
श्री बाला साहेब विखे पाटिल :
श्री नारायण चौबे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक चीनी कारखाने द्वारा 1977–78, 1978–79 तथा 1979–80 के उत्पादन में से लेवी तथा गैर लैवी की चीनी का अलग अलग कितना निर्यात किया गया;

(ख) वित्तीय वर्ष 1977–78, 1978–79 और 1979–80 के दौरान चीनी के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ;

(ग) इन निर्यातों पर प्रति वर्ष कितनी लाभ/हानि हुई;

(घ) क्या पुरानी वचन आबद्धताओं को पूरा करने के लिये चीनी का अभी भी निर्यात किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो 1980 और 1981 में कितनी मात्रा का निर्यात किया जाना है ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) प्रत्यक चीनी मिल द्वारा निर्यात की गई लेवी और गैर लेवी चीनी की मात्रा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 1059/80]

(ख) तथा (ग) निर्यातो का एफ० ओ० बी० मूल्य और उन निर्यातो पर लाभ/हानि का ब्यौरा इस प्रकार है:—

करोड़ रु०

वर्ष	एफ० ओ० बी० मूल्य	लाभ/हानी + —
1977–78	19.48	—0.57
1978–79	131.93	—21.43
1979–80	135.30	+ 3.89 (अनन्तिम)

(घ) देश में चीनी की कमी को देखते हुए फिलहाल चीनी के निर्यात की अनुमति नहीं है ।

(ङ) 1980 और 1981 के दौरान निर्यात की मात्रा अक्तूबर, 1980 से आरम्भ होने वाले अगले चीनी वर्ष के दौरान चीनी की उत्पादन सम्भाव्यताओं पर निर्भर करेगी ।

कपास के मूल्यों में गिरावट

3809. श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या वाणिज्य मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपास का मूल्य गिर गया है और कपास उत्पादकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) 1979–80 सीजन में कपास की बाजार कीमतें समर्थन कीमतों से काफी ऊंची चलती रही हैं। भारतीय रुई निगम सभी मंडियों से चल रही बाजार कीमतों पर बड़े पैमाने में रुई की खरीद करता रहा है। वर्तमान सीजन के दौरान

सरकार ने निर्यात के लिये भी 5.60 लाख गाठें रिलिज की हैं। यह सुनिश्चित करने के लिये कि रुई उपजकर्ताओं के हितों की पर्याप्त रूप से सुरक्षा हो, सरकार कपास की कीमतों पर बराबर नजर रखे हुए है।

साबून निर्माताओं द्वारा साबून के मूल्यों में वृद्धि

3810. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साबून निर्माता जनता साबुन का पर्याप्त मात्रा में उचित दरों पर विपणन करने के अपने वायदे को पूरा करने में असफल रहे हैं ;

(ख) क्या इन निर्माताओं ने हाल ही में अच्छी किस्म के साबुन के दामों में मनमाने ढंग से वृद्धि कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) भारतीय साबुन एवं प्रसाधन विनिर्माता एसोसिएशन (इण्डियन सोप एण्ड टाइलेटरीज मैनूफैक्चरर्स एसोसिएशन) के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये नहाने के विशेष साबुनों के विभिन्न ब्रांडों की सप्लाई हेतु जो व्यवस्था की गयी थी वह अधिक संतोषजनक ढंग से कार्य नही कर सकी है। जब तक विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्र को 230 मीटरी टन नहाने के साबून की आपुर्ति की जा चुकी है ।

(ख) तथा (ग) पहली मार्च, 1980 से 14 जून, 1980 तक साबुन के थोक मूल्य सूचकांकों में उतार चढ़ाव दर्शाने वाला विवरण में दिया गया है, जिससे थोक मूल्य में हुई वृद्धि का पता चलता है ।

विवरण

साबून के थोक मूल्य सूचकांकों में साप्ताहिक उतार चढ़ाव

को समाप्त सप्ताह	(आधार 1970-71=100) सूचकांक
1-3-80	213.5
8-3-80	213.5
15-3-80	213.5
22-3-80	213.5
29-3-80	220.4
5-4-80	220.4
12-4-80	220.4
19-4-80	220.4
26-4-80	213.5
3-5-80	213.5
10-5-80	213.5
17-5-80	213.5
24-5-80	229.4
31-5-80	229.4
7-6-80	229.4
14-6-80	229.4

1. 1-3-80 से 19-4-80 तक के आंकड़े अन्तिम हैं।
2. 26-4-80 से 14-6-80 तक के आंकड़े अनन्तिम हैं ।

बड़ीलाल दागली समिति के निष्कर्ष

3811. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को यह जानकारी है कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों को अब तक दी गई आर्थिक सहायता के बारे में बडीलाल दागली समिति के क्या निष्कर्ष हैं;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या समस्यायें उठाई गई हैं और उन समस्याओं के निराकरण के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना की वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत जिन मंत्रालयों/विभागों को अब तक आर्थिक सहायता मिली है उनके क्या नाम हैं और सहायता की राशि कितनी है; और

(घ) आर्थिक सहायताओं का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है और अब तक क्या कदम उठाने के प्रस्ताव किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हां।

(ख) नियंत्रण और आर्थिक सहायता विषयक वाडिलाल डगली समिति ने मंतव्य प्रकट किया है कि आर्थिक सहायता की मात्रा काफी जादा बढ़ गई है। समिति ने यह भी कहा है कि अनेक आर्थिक सहायताएं इस प्रकार की है कि जिन्हें आर्थिक सहायता कहा ही नहीं जा सकता। सभी प्रकार की आर्थिक सहायताओं की लागत और इनसे होने वाले लाभों की समय समय पर पुरी तरह से समीक्षा करना आवश्यक है क्योंकि इनमें जारी रहने और आकार में बढ़ने की प्रवृत्ति है। समिति ने महसुस किया कि सामान्यतः आर्थिक सहायताएं कम आय वर्ग के उपभोग, लघु और सीमांतक ग्रामीण उत्पादन और श्रम प्रधान लघु एककों के औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए दी जानी चाहिए। जो आर्थिक सहायताएं इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए। समिति की यह भी राय थी कि आय और धन तथा भारत की बाजार प्रणाली में व्याप्त कमियों के संदर्भ में, कुछ किस्मों के उत्पादन को प्रोत्साहन दने अथवा निरुत्साहित करने तथा उत्पादकों के कुछ वर्गों को और जनता के कुछ वर्गों के उपभोग को प्रोत्साहन देने के लिए नियंत्रण रखना तथा आर्थिक सहायताएं प्रदान करना आवश्यक है।

(ग) क्योंकि ये आर्थिक सहायताएं आयोजना भिन्न व्ययके अंतर्गत आते हैं इसलिए उन्हें वार्षिक आयोजना में शामिल करने का प्रश्न नही उठता।

(घ) ये आर्थिक सहायताएं नकारात्मक कर है और इस प्रकार सरकार को उपलब्ध राजकोषीय उपायों के अंग के रूप में हैं। इन पर लगातार निगरानी रखी जाती है तथा सरकार की बजट संबंधी स्थिति और इनसे प्राप्त किए जाने वाले सामाजिक तथा आर्थिक उददेश्यों को ध्यान में रखते हुए इनमें आवश्यक समायोजन किए जाते हैं।

सिले-सिलाए वस्त्रों पर उत्पादन शुल्क में राहत

3812. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में निर्यात हेतु सिले–सिलाए वस्त्रों पर उत्पादन शूल्क में कोई राहत दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन

3813. **श्री आस्कर फर्नांडीस :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया लोगों की प्रभावी एवं सुधरे ढंग से सेवा करने के लिये कुछ अधिक सर्किल कार्यालयों की स्थापना करके अपने संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना क्या है; और

(ग) क्या यह निकट भविष्य में बंगलौर में कर्नाटक सर्किल के लिये एक सर्किल कार्यालय स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है जिससे कि जनता को अनुवर्ती कार्यों में दिक्कते न हों और ऐसे क्षेत्रों में शाखाएं खोलने को प्रोत्साहन दिया जा सके जहां पर शाखाएं नहीं हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

राज्यों को विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकताएं, उनका आबंटन एवं सप्लाई

3814. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से मई, 1980 तक राज्यवार, वस्तु-वार तथा महीना वार चीनी, डीजल, मिट्टी के तेल, खाद्य तेल, हाई स्पीड डीजल तथा सीमेंट की आवश्यकता, उनके आबंटन एवं सप्लाई संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को प्रति मास प्रत्येक वस्तु की कितनी मात्रा सप्लाई की गई ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों को उपरोक्त वस्तुओं के आवंटित कोटे की नियमित सप्लाई नहीं मिल रही है; और

(घ) यदि हां,तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) संचलन संबंधी बाधाओं के कारण कुछ राज्यों द्वारा लेवी चीनी कम मात्रा में उठायी गयी है। इसी प्रकार, कई कारणों से विशेषकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ राज्यों द्वारा, आबंटित खाद्य तेलों का पूरा कोटा नहीं उठाया गया है। लेवी चीनी के आवंटन आदेशों की वैधता की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया जाता है ताकि राज्य, आबंटित कोटे की पूरी मात्रा को उठा सकें। इसी तरह खाद्य तेलों के संचलन में तेजी लाने के लिये रेलवे बोर्ड के साथ लगातार संपर्क बनाये रखा जाता है।

विवरण

राज्य	चीनी	मिट्टी का तेल		डीजल		सीमेंट	
	4/80 व 5/80 मीटरी टन की दर से	4.80	5/80	4/80	5/80	4/80	5/80
		(मीटरी टन)		(मीटरी टन)			
1. आन्ध्र प्रदेश	20,882	22,395	25,000	55,900	60,000		
2 अरुणाचल प्रदेश	228	142	100	500	600		
3 अंडमान निकोबार	190	79	100	600	600		
4 असम .	7,541	10,025	10,700	15,400	13,000	सूचना एकत्र की जा	
5 बिहार .	26,929	23,000	23,000	40,000	43,000	रही है और सभा-	
6 चंडीगढ़ .	243	800	800	1,600	1,600	पटल पर रख दी	
7 दिल्ली .	5,304	9,900	9,900	31,500	31,500	जायेगी ।	

विवरण—जारी

राज्य	चीनी 4/80 व 5/80 मीटरी टन की दर से	मिट्टी का तेल 4/80 (मीटरी टन)	मिट्टी का तेल 5/80 (मीटरी टन)	डीजल 4/80 (मीटरी टन)	डीजल 5/80 (मीटरी टन)	सीमेंट 4/80 5/80
8 गुजरात	14,031	32,820	32,900	61,900	61,900	
9 गोआ दमण व दीव	470	1,262	1,100	8,600	64,000	
10 हरियाणा	4,916	4,687	5,200	21,700	26,000	
11 हिमाचल प्रदेश	1,588	1,210	1,210	3,900	3,200	
12 जम्मू व कश्मीर	2,250	1,936	1,935	7,000	7,000	
13 कर्नाटक	14,215	20,000	19,400	51,000	46,000	
14 केरल	10,495	10,826	10,700	29,300	29,000	
15 मध्य प्रदेश	20,825	15,889	16,500	38,000	38,000	
16 महाराष्ट्र	24,743	66,029	64,500	1,30,800	1,20,700	
17 मणिपुर	524	604	600	500	500	
18 मेघालय	493	715	700	1,300	1,300	
19 मिजोरम	171	199	100	1,300	1,300	
20 नागालैण्ड	340	440	400	600	600	
21 उड़ीसा	10,723	8,500	8,500	15,700	15,700	
22 पंजाब	6,564	9,300	12,500	45,000	59,000	
23 पांडिचेरी	230	1,950	1,900	564	600	सूचना एकत्र की
24 राजस्थान	12,757	39,000	39,000	11,291	9,800	जा रही है और
25 सिक्कीम	1,075	400	500	427	400	सभा पटल पर
26 तमिलनाडु	19,783	78,300	85,000	26,959	27,900	रख दी जायेगी।
27 त्रिपुरा	759	1,300	1,300	932	600	
28 उत्तर प्रदेश	41,761	90,000	1,00,000	42,270	34,757	
29 पश्चिम बंगाल	21,994	63,400	63,400	32,270	34,000	
30 लक्षद्वीप	65	..	..	34,450	34,500	
31 दादरा व नागर हवेली	36	..	..	..	..	

नोट :

1. मिट्टी के तेल और डीजल के बारे में राज्यों की मांग के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, गत अवधि के दौरान राज्यों में हुई इसकी खपत के आधार पर आबंटन किया जाता है।

2. 17-12-79 से चीनी पर आंशिक नियंत्रण फिरसे लागू किये जाने के साथ लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटेको फिर से चालू कर दिया गया है। राज्यों को यह कोटा 16-8-78 को चीनी पर से नियंत्रण हटाने के तुरंत पूर्व आंशिक नियंत्रण के समय दिये जा रहे उनके कोटे के आधार पर दिया जाता है।

विवरण—जारी

खाद्य तेल

राज्यों की मांग

(मीटरी टनों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पामोलिन		आर० बी० डी० पाम आयल		रेपसीड आयल (कच्चा)		रेपसीड आयल (परिष्कृत)	
	4/80	5/80	4/80	5/80	4/80	5/80	4/80	5/80
आन्ध्र प्रदेश	8,000	9,000	..	..	..	..	..	..
आसाम	..	..	..	..	..	..	..	..
बिहार	..	..	..	..	..	..	..	..
चण्डीगढ़	..	..	..	..	..	..	..	.
दिल्ली	..	..	..	..	300	300	..	..
महाराष्ट्र	3,330	3,400	..	..	..	..	..	..
तमिलनाडु	1,000	1,000	..	..	..	..	..	..
उत्तर प्रदेश	..	..	1,500	1,500	..	..	2,000	2,000
पश्चिम बंगाल	..	..	2,000	2,000	..	..	5,000	5,000

बाकी के राज्यों/संघशासित क्षेत्रों ने अपनी मांगी सूचित नहीं की है।

आवंटन

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पामोलिन 4/80	पामोलिन 5/80	आर० बी० डी० पाम आयल 4/80	आर० बी० डी० पाम आयल 5/80	रेपसीड आयल (कच्चा) 4/80	रेपसीड आयल (कच्चा) 5/80	रेपसीड आयल (परिष्कृत) 4/80	रेपसीड आयल (परिष्कृत) 5/80
आन्ध्र प्रदेश	8,000	1,000	..	..	4,000	1,000	..	1,000
असम	..	.	..	..	..	..	..	500
बिहार	..	..	..	2,000	..	..	500	500
दिल्ली	700	..	1,000	1,500	600	1,100	..	..
गुजरात	15,000	2,000	..	..	..	..	..	..
हरियाणा	..	..	..	..	..	250	..	..
हिमाचल प्रदेश	..	..	..	..	..	..	..	200
जम्मू व कश्मीर	..	..	..	..	..	..	..	200
कर्नाटक	..	500	..	..	..	..	..	..
केरल	..	300	..	..	..	..	..	..
मध्य प्रदेश	..	..	500	1,000	..	3,000	..	..
महाराष्ट्र	15,000	8,000	..	..	..	..	..	..
मणिपुर	..	..	400	500	..	..	500	200
मेघालय	..	..	100	..	..	..	400	200
मिजोरम	..	..	..	..	..	..	100	..
नागालैण्ड	..	..	1,000	500	1,500	..	800	1,200
उड़ीसा	..	..	..	..	..	..	200	300
पांडेचेरी	..	50	..	..	..	..	..	..
पंजाब	..	..	..	3,000	..	..	.	125
राजस्थान	..	..	100	500	..	..		.
सिक्किम	..	..	..	..	..	..	100	100
तमिलनाडु	3,000	2,000	..	..	..	..	.	..
त्रिपुरा	..	..	..	..	..	..	..	..
उत्तर प्रदेश	..	..	1,500	2,000	..	..		..
पश्चिम बंगाल	..	..	2,000	2,000	..	..	5,000	7,000

राज्यों को अग्रिम योजना सहायता

3815. **श्री भीखा भाई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई संसद सदस्यों ने मांग की है कि राज्यों को दी गई अग्रिम योजना सहायता को सीधा अनुदान माना जाए;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है अथवा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त मांग किन राज्यों ने की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) और (ग) 24 और 25 जनवरी, 1980 को लोक सभा में सूखा के संबंध में हुई बहस के दौरान यह सुझाव दिया गया कि सूखा संबंधी राहत के लिए केन्द्रीय सहायता अग्रिम आयोजनागत सहायता के रूप में देने की बजाए आयोजना से बाहर दी जानी चाहिए। इसी प्रकार का अनुरोध उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान से प्राप्त हुआ था।

(ख) सूखे के कारण आवश्यक हुए व्यय का वित्त पोषण करने के लिए विद्यमान नीति और व्यवस्थाओं को सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपनाया गया है। ये व्यवस्थाएं पहले की व्यवस्थाओं से काफी उदार हैं और इनमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण बैंकों की शाखायें खोलना

3816. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडी (हिमाचल प्रदेश) के ग्रामीण बैंक ने कांगडा तथा मण्डी जिलों में अपनी शाखायें खोलने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों में कहां कहां पर उक्त शाखायें खोली जायेंगी।

(ग) क्या हमीरपुर, ऊना तथा विलासपुर जिलों में भी शाखायें खोलने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त तीनों जिलों, में से कौन–कौन से स्थान इसके लिये चुने गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) और (ख) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मंडी को मंडी जिले के 17 तथा कांगडा जिले के 8 स्थानों पर शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लायसेंस प्राप्त हो गया है। इन स्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) से(ङ) युनाइडेड कमर्शियल बैंक तथा स्टेट बैंक आफ पटियाला के पास हमीरपुर तथा विलासपुर में क्रमशः एक एक ग्रामीण शाखा खोलने के लायसेंस है। राज्य सरकार ने भी हाल ही में, इन जिलों के निम्नलिखित स्थानों पर बैंक शाखाएं खोलने का सुझाव दिया है:—

जिले का नाम	स्थान का नाम	खंड
हमीरपुर . .	रंगास	नदौन
	अवाहादेवी	हमीरपुर
	लवरोर	भोरज
ऊना . . .	हरोली	ऊना
	नहरियान	आमले
	लठयानी	धुंडले
	चौकी मन्यार	वेगाना
विलासपुर .	नमहोल	सदर(विलासपुर)
	कुंथेरा	घुमार विन
	हटवार	तदैव

जिले का नाम	स्थान का नाम
कांगड़ा	1. लुज
	2. दौलतपुर
	3. ठाकुरद्वारा
	4 रानीताल
	5. चाडी
	6. बीर
	7. चोबिन
	8. आलमपुर
मंडी	1. महादेव
	2. आहजू
	3. लेंडा
	4. कठौला
	5. बरोट
	6 सेरी
	7 भाम्वला
	8 सालापुर
	9. मच्छियाल
	10. करसोग
	11. वाली चौक
	12. मोहिन
	13. चुराग
	14. एमालिया
	15. गड़ा गुंसाई
	16. तिहरा
	17. थुनाग

महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में काजू परिष्करण कारखाने

3817. **प्रो मधु दण्डवते :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में काजू परिष्करण कारखानों को कच्चे काजुओं की पर्याप्त सप्लाई के अभाव में काम चलाने में कठिनाई हो रही है जिससे उत्पादन तथा रोजगार की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि तत्कालिन काजू परिष्करण कारखानों की ओर से उनको पर्याप्त मात्रा में आयातित काजू देने के बारे में अभ्यावेदन किया गया है ताकि उत्पादन और रोजगार पर बुरा प्रभाव न पड़े; और

(ग) यदि हां, तो इस बार में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): देश में काजू परिष्करण एकक जिसमें महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिलें में स्थित एकक भी शामिल हैं, कच्चे काजू की कमी होने के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

(ख) तथा (ग) जी हां। किन्तु आयातित कच्चे काजू संबंधी किमान वितरण नीति के अंतर्गत रत्नागिरी जिले में केवल एक ही काजू परिष्करण एकक है जो भारतीय काजू निगम द्वारा आयात किये गये कच्चे काजू के आवंटन का पात्र है तथा उस एकक को गत आवंटनों से सम्बद्ध निर्यात दायित्वों को पूरा न कर सकने के कारण इस समय ऐसे आवंटन नहीं मिल रहे हैं।

केन्द्रीय वित्त संस्थाओं द्वारा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को मंजूर किए गए ऋण

3818. श्री बाला साहिब विखे पाटिल :
श्री चंद्रभान आठरे पाटिल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान केन्द्रीय वित्त संस्थाओं द्वारा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों अथवा एककों को कुल कितनी राशि के ऋण मंजूर किए गए ;

(ख) चीनी, कपड़ा, कागज, रसायन, इस्पात आदि प्रत्येक उद्योग के संबंध में अलग-अलग कितनी राशि की बाकीदारी है और उसके क्या कारण ;

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है;

(घ) क्या यह सच है कि औद्योगिक एककों द्वारा ऋण की वसूली न किए जान के कारण, केन्द्रीय वित्त संस्थाएं औद्योगिक एककों को आगे ऋण नहीं दे रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) अखिल भारतीय सांवधिक ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा पिछले 4 वित्तीय वर्षों के दौरान विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों को स्वीकृत और वितरित किये गये ऋणों की कुल राशि क्रमश: 2184.00 करोड़ रुपए और 1304.08 करोड़ रुपए थी ।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रतिष्ठानों की बकाया राशियों का उद्योगवार वितरण संलग्न विवरण में दिया गया है । ये बाकीदारी मुख्यत: इन सहायताप्राप्त प्रतिष्ठानों के असंतोषजनक कायकारी परिणाम के कारण हैं । इन प्रतिष्ठानों के परिचालन के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने के और भी कई कारण हैं जैसे भयंकर रूप से बिजली की कटौती, कच्चे माल का न मिलना, परियोजना क कार्यान्वयन में विलम्ब, प्रतिकूल नकदी परिस्थिति, उत्पादन की मांग में कमी, अकुशल प्रबंध, तनावपूर्ण श्रम सम्बन्ध, आदि ।

(ग) वित्तीय संस्थायें उन एककों से अपने देयों की वसूली के लिये सक्रियता से कार्यवाही कर रही है जिन्होंने अदायगी में गडबड़ी की है। अलबता, वास्तविक कठिनाइयों से जूझते एककों के साथ सहानुभूतिपर्ण व्यवहार किया जा रहा है । प्रत्येक मामले के गुणावगुण की जांच की जाती है और अतिदेयों की वसूली के लिये उपयुक्त उपाय किये जाते हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

उद्योग	भा०औ०वि०बैं० (31-3-80 की स्थिति के अनुसार)	भा०औ०वि०नि० (31-12-79 की स्थिति के अनुसार)	भा०औ०ऋ०मि०नि० (31-3-80 की स्थिति के अनुसार)
1. चीनी	10.59	18.49	2.26
2. सूतीवस्त्र	3.64	7.31	0.28
3. कागज और कागज उत्पाद	10.80	2.50	1.79
4. मूल औद्योगिक रसायन	12.79	1.28	2.39
5. मूल धातु उत्पाद (उद्योग लोहा और इस्पात)	7.02	5.04	5.53
6. खाद्य उत्पाद	0.43	5.73	0.32
7. रबर उत्पाद	1.72	3.67	0.66
8. सीमेंट	1.70	1.87	0.02
9. परिवहन उपकरण	3.77	2.26	1.00
10. अन्य	9.96	13.04	5.55
जोड़	62.42	61.19	19.20

विदेशी बैंकों द्वारा पूंजी निवेश

3819. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी बैंकों को अनुमति है कि वे अपनी जमा राशियों का जिस क्षेत्र में चाहे 61 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं जबकि भारतीय बैंकों पर इस संबंध में 27 प्रतिशत की सीमा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विदेशी बैंकों को यह निदेश देने का है कि वे अपनी धनराशियों के अधिक भाग को कृषि, लघु उद्योग आदि के विकास जैसे प्राथमिकता प्रयोजनों के लिये दें; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) विदेशी बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे भारत में मांग और मीयादी देयताओं की 6 प्रतिशत की दर से एवं 14-1-1977 के बाद से प्रोद्भूत वृद्धिगत मांग और मीयादी देयताओं की 10 प्रतिशत की दर से नकद प्रारक्षित कोष बनाये रखें। इसके अलावा, विदेशी बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे भारत में कुल मांग और मीयादी देयताओं के 34 प्रतिशत की दर से (यह 1-12-1978 से 33 प्रतिशत से बढ़ा कर 34 प्रतिशत की गई है) पात्र परिसम्पत्तियों के रूप में सांविधिक नकदी अनुपात बनाये रखें।

(ख) और (ग) कृषि, छोटे पैमाने के उद्योगों और अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को उदार शर्तों पर ऋण प्रदान करने के बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दिये गये निदेश/मार्गदर्शी सिद्धांत विदेशी बैंकों को भी भेजे गये हैं। परन्तु, विदेशी बैंक मुख्यतः आयात और निर्यात व्यापार में लगे हुए हैं। इसे देखते हुए, उन्हें भारतीय सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के समान ही प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले अपने ऋणों में वृद्धि करने के लिये विशिष्ट रूप से नहीं कहा गया है।

प्रतिरक्षा लेखा विभाग में बारी-बारी से स्थानान्तरण

3820. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा लेखा विभाग में बारी-बारी से स्थानान्तरण करने पर रोक लगा दी गई है;

(ख) क्या प्रतिरक्षा लेखा नियंत्रक, पटना के संगठन में अननुपातिक ढंग से कर्मचारियों को राज्य से बाहर विभिन्न राज्यों में स्थानान्तरण किया जाना अभी जारी है; और

(ग) क्या सरकार कर्मचारियों को उनके अपने राज्य में रखने की नीति पर विचार कर रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना का क्षेत्राधिकार कई राज्यों और संघ राज्यों में फैला हुआ है। रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना के कार्यालयों को ऐसे स्थानों पर रखा गया है, जिससे रक्षा संगठनों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना के ही नहीं, किन्तु संपूर्ण रक्षा लेखा विभाग के सभी कर्मचारियों पर क्षेत्रीय सेवा सहित अखिल भारतीय सेवा का दायित्व है। इसलिए, रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना के कर्मचारियों को राज्यवार तैनात करने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, प्रशासनिक दृष्टि से संभव होने पर कर्मचारियों को उनके राज्य में रखने के सभी प्रयास किये जाते हैं।

दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के हवाई अड्डों में आग से क्षति

3821. **श्री रामकुमार मीणा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पालम में चार वर्षों से सहायक अग्निशमन अधिकारी के चार पद रिक्त पड़े हुए हैं और यदि हा, तो इन आपात पदों को न भरने के क्या कारण हैं;

(ख) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण में अग्निशमन कर्मचारियों की संख्या कितनी है और कितने अधिकारियों ने नागपुर फायर कालेज से यह पाठ्यक्रम पास किया है; और

(ग) 1978 से 1980 की अवधि के दौरान प्राधिकरण के दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के हवाई अड्डों में आग लगने से कितने मूल्य की हानि हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अग्निशमन कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 717 है । इनमें से, 5 श्रेणी I के अधिकारी वर्ग के हैं तथा 19 श्रेणी II के अधिकारी वर्ग के हैं । नौ अधिकारियों ने नेशनल फायर कालेज, नागपुर से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पास किए हैं ।

(ग) केवल बम्बई विमानक्षेत्र को सितम्बर, 1979 में लगी आग के परिणामस्वरूप लगभग 21.00 लाख रुपए की हानि हुई ।

राजकोट शहर का दर्जा बढ़ाना

3822. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट शहर में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के परिसंघ ने राजकोट शहर का दर्जा बढ़ाकर उसे बी-2 शहर घोषित करने के लिये अनुरोध किया है ; और

(ख) उक्त प्रश्न पर विचार किस चरण में है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोत) : (क) जी, हां ।

(ख) किसी नगर को ख-2 श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए 1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उस नगर की जनसंख्या कम से कम 4 लाख से अधिक होनी चाहिए । चूंकि 1971 की जनगणना के अनुसार राजकोट की जनसंख्या 3,00,612 थी इसलिए ये नगर ऐसे वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं है । पिछले वर्ष कुछ नगरों के वर्गीकरण का दर्जा बढ़ाने के प्रश्न पर जिनकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार कम से कम आवश्यक जनसंख्या से सीमान्तिक कम पड़ती थी, अर्थात् 10 प्रतिशत कम थी, पर विचार किया गया था । चूंकि इस नगर की 1971 की जनगणना की जनसंख्या न्यूनतम से बहुत कम थी इसलिए अर्ध-जनगणना की जनसंख्या के अनुमानों के आधार पर राजकोट नगर को ख-2 श्रेणी नगर के रुप में वर्गीकृत करने के मामले पर विचार नहीं किया जा सका । परन्तु राजकोट में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को असाधारण जीवन निर्वाह लागत के आधार पर 1-8-79 से ख-2 श्रेणी की दरों पर प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता दिया जा रहा है ।

गोवा के समुद्र तट पर्यटन स्थल का सर्वेक्षण

3823. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से पर्यटन स्थल के रूप में गोवा के समुद्र तट का सर्वेक्षण किया गया था ताकि पर्यटन स्थल का विकास और उसका संरक्षण किया जा सके ; और

(ख) इस योजना की क्रियान्विति के बारे में ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दल द्वारा समुद्र-तट विहार स्थल सर्वेक्षण पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसरण में, निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :—

(1) गोवा, दमन और दीव के बारे में नगर व ग्राम आयोजन विधेयक तैयार करने में संघ शासित क्षेत्र प्रशासन को सहायता प्रदान की गयी थी । इस विधेयक को राज्य विधानमंडल ने एक अधिनियम का रूप दे दिया है ।

(2) पर्यटक अभिरूचि के स्थानों और समुद्र-तट क्षेत्र को लूट-पाट से बचाने के लिए और साथ ही इन केन्द्रों/क्षेत्रों में विकासपरक गतिविधियों की अभिवृद्धि को नियमित करने के लिए नगर व ग्राम आयोजन अधिनियम के आधार पर संघ शासित क्षेत्र प्रशासन से गोवा की क्षेत्रीय आयोजना तैयार करने का आग्रह किया गया है । इसे तैयार किया जा रहा है ।

(3) होटल आवास में बढ़ोतरी करने के लिए गोवा में होटल निर्माणहेतु गैर-सरकारी उद्यमियों को 147 लाख रुपए के ऋण दिए हैं । गोवा में होटल स्थापित करने के लिए और अधिक उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

(4) एयरबस के संचालन के लिए डबोलिक हवाई अड्डे की हवाई पट्टी की लम्बाई बढ़ायी जा रही है और उसे मजबूत बनाया जा रहा है । इस एयरबस द्वारा और अधिक संख्या में पर्यटकों को गोवा लाया जा सकेगा ।

(5) एक नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन के निर्माण की भी योजना तैयार की गई है।

(6) भारत पर्यटन विकास निगम का गोवा के एक समुद्र-तट पर एक होटल का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(7) युवा पर्यटन का संवर्धन करने के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पणजी में एक युवा होस्टल का निर्माण किया है और मनोरंजन-प्रधान गतिविधियां प्रदान करने के लिए और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य के लिए तटवर्ती क्षेत्र का जलसर्वेक्षण पहले ही प्रारंभ किया जा चुका है।

(8) संघ शासित क्षेत्र प्रशासन का एक पर्यटन विकास निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि गोवा में पर्यटन का एकीकृत विकास किया जा सके।

समुद्र-तट विहार स्थल सर्वेक्षण की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को केन्द्र और राज्य स्तर पर कार्यान्वित करने हेतु उपलब्ध धनराशि की सीमा के अन्तर्गत रहते हुए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं ताकि गोवा में पर्यटन का संवर्धन किया जा सके।

सरकार के पास अफीम का रक्षित भण्डार

3824. **श्री चतुर्भुज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास 15 जून, 1980 तक अफीम के रक्षित भण्डार की कुल मात्रा कितनी थी ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के पास अफीम के पिछले भण्डार का निपटान कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अगले वर्ष अफीम की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो जहां तक नए खेतों वाले किसानों, पुराने पट्टा धारियों, जिनके पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है अथवा पट्टे के आधार पर खेती करने वाले किसानों का संबंध है, क्षेत्र में किस प्रकार वृद्धि की जायेगी और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) 15 जून, 1980 को, सरकारी अफीम कारखानों के स्टाक में 90° गाढ़ता वाली कुल लगभग 2017 मी० टन अफीम थी।

(ख) जी, नहीं। चालू वर्ष में अफीम के पिछले सारे स्टाक का निपटान नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) भारतीय अफीम की मांग में गिरावट आने और बहुत अधिक स्टाक जमा हो जाने की स्थिति को देखते हुए फसल वर्ष 1980-81 में पोस्त की काश्त के रकबे में वृद्धि करने का कोई विचार नहीं है।

पेंशन आयोग की स्थापना

3825. **श्री भगवान देव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक पेंशन आयोग की स्थापना करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ; और

(ग) इस आयोग की स्थापना कब तक हो जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गाजीपुर के बुनकरों को यूनियन बैंक आफ इंडिया द्वारा ऋण सहायता

3826. **श्री जैनुल बशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजीपुर के कितने बुनकरों ने ऋण सहायता के लिए यूनियन बैंक आफ इण्डिया को आवेदन दिए हैं ; और

(ख) तत्संबन्धी शाखावार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री : (श्री मगनभाई बारोत) (क) और (ख) वर्ष 1979 के दौरान, गाजीपुर जिले में यूनियन बैंक आफ इंडिया की 8 शाखाओं में बुनकरों से वित्तीय सहायता सम्बंधी 40 आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे । शाखा-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

शाखा का नाम	वर्ष 1979 के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
मोहम्मदाबाद . . .	18
मरदाह	8
सैदपुर	2
करांडा	1
मलिकपुर	1
शादियाबाद	3
जाखनिया	4
औरिहर	3
जोड़ .	40

घौड़ों के लिये घोड़ों का आयात

3827. **श्री एन० ड़ेनिस :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में घोड़ों की दौड़ में उपयोग लाये जाने के लिये घोड़ों का आयात किया जा रहा है ;

(ख) 1977-78 से 1979-80 के वित्तीय वर्षों के दौरान कितने घोड़े आयात किये गये ;

(ग) उन घोड़ों का मूल्य क्या है ;

(घ) क्या इन घोड़ों की इस देश में बिक्री की अनुमति है ; और

(ङ) क्या घुड़दौड़ के लिये घोड़ों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ?

वणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) 1. (क) घुड़दौड़ के लिये घोड़े आयात करने की अनुमति देने की नीति में कोई व्यवस्था नहीं है । इस सम्बन्ध में आयात नीति के उपबन्धों के अध्यधीन केवल प्रजनन के प्रयोजनार्थ घोड़ों के आयात की अनुमति है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया सीतापुर में अनियमित तायें

3828. **श्री राम लाल राही :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया सीतापुर के मैनेजर और अन्य व्यक्तियों द्वारा अनियमिततायें बरतने और भ्रष्ट आचरण करने की कितनी शिकायतें 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) क्या इन शिकायतों की उच्च अधिकारियों द्वारा जांच की जायेगी और क्या उनके खिलाफ की गई कार्यवाही का ब्यौरा सभा पटल पर रखा जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि इसके पास सीतापुर शाखा के प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध 12 शिकायतें आई हैं । इन शिकायतों की जांच की जा रही है । जांच पड़ताल चलने तक, शाखा प्रबंधक और कृषि सहायक को शाखा से बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया है । जांच पड़ताल के निष्कर्षों के आधार पर अंतर्गस्त कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कारवाई के बारे में सूचना सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

स्टील एण्ड एलाईड प्रोडक्टस लिमिटेड को वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये गये ऋण/अग्रिम

3829. **श्री सुनील मैत्रा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील एण्ड एलाईड प्राडक्टस् लिमिटेड, कलकत्ता को सार्वजनिक क्षेत्र को वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण/अग्रिम दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे प्रत्येक वित्तीय संस्थान द्वारा कितनी धनराशि दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत): (क) और (ख) दीर्घकालीन ऋण देने वाली सरकारी क्षेत्र की अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं में से केवल भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने वी मैसर्स स्टील एण्ड एलाइड प्रोडक्टस् लिमिटेड को कुल 189.33 लाख रुपये के सावधिक ऋण (रुपये और विदेशी मुद्रा दोनों में) स्वीकृत किये हैं।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए विश्व बैंक से सुझाव

3830. **श्री के० पी० सिंह देव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने अपने नवीनतम प्रतिवेदन में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशों का व्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है और कार्यान्वियन के लिए किन सुझावों को स्वीकार किया है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) माननीय सदस्य द्वारा जिस प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया है वह विश्व बैंक का एक अन्दरूनी दस्तावेज है। यह प्रतिवेदन सीमित लोगों में बांटा गया है और इसे प्राप्त करने वालों को इसका सार बताने का अधिकार नहीं है। अतः मैं इस प्रतिवेदन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं ।

भारत में तम्बाकू व्यापार में विदेशी कम्पनियों द्वारा अर्जित मुनाफा

3831. **श्री चिन्तामणि जैना :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कुछ विदेशी कम्पनियां तम्बाकू का व्यापार कर रही हैं तथा भारी मुनाफा कमा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों संबंधी व्यौरा क्या है और उन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान कितना मुनाफा कमाया है ; और

(ग) ये कम्पनियां गत तीन वर्षों से सरकार को कितना आयकर अदा कर रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) देश में विदेशी शेयरधारिता वाली निम्नलिखित कम्पनियां तम्बाकू का व्यवसाय कर रही हैं :

कम्पनी का नाम	विदेशी शेयरधारिता
1. आई०टी०सी० लिमिटेड	39.9 प्रतिशत
2. वजीर सुल्तान टोबेको कं० लि०	32.3 ,,
3. गोडफ्रे फिलिप्स इं० लि०	40.0 ,,
4. इन्टरनेशनल टोबेको कं० लि०	गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड की 100 प्रतिशत अधीनस्थ समवाय ।

सबसे हाल के उपलब्ध लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा के अनुसार इन कम्पनियों के कर से पूर्व के लाभों, कराधान के लिए व्यवस्था तथा कर के बाद के नामों का व्यौरा संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है।

अनुबंध

	वजीर सुल्तान टोबेको कम्पनी लि०			ग्रोडफ्रे फिलिप्स इं० लि०		
	(लाख रुपए)					
	30-9-77	30-9-78	30-9-79	31-12-77	31-12-78	31-12-79
कर से पूर्व के लाभ .	498.81	495.70	300.57	4.81	54.44	54.14
कराधान के लिए व्यवस्था	323.94	313.54	150.36	..	25.76	29.80
कर के बाद के लाभ .	174.87	182.16	150.21	4.81	28.68	24.34

	इन्टरनेशनल टोबेको कं० लि०			आई०टी०सी० लिमिटेड		
	31-12-77	31-12-78	31-12-79	31-3-77	31-3-78	31-3-79
	(लाख रुपए)					
कर से पूर्व के लाभ .	(−) 12.53	0.08	11.24	873.73	844.74	1246.36
कराधान के लिए व्यवस्था	..	..	..	479.24	432.63	783.69
कर के बाद के लाभ .	(−) 12.53	0.08	11.24	394.49	412.11	462.67

खेल के सामान का निर्यात

3832. **श्री आर० के० महालगी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान भारत से कुल कितने मूल्य का विभिन्न किस्मों का खेल का सामान निर्यात किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि इस खेल के सामान को सम्बन्धित मार्केट के खरीदार की ब्रांड-नाम का मोहर लगाकर भेजा गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह विदेशी बाजार में भारतीय खेल सामान के उचित विज्ञापन की कमी का दोष है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत से विभिन्न किस्मों के खेलकूद के सामान के निर्यात का कुल मूल्य निम्नोक्त प्रकार है :

(मूल्य करोड़ रु० में)

1975-76 . . .	11.06
1976-77 . . .	16.22
1977-78 . . .	18.11
1978-79 . . .	23.47
1979-80 . . .	24.34 (अनन्तिम)

(स्रोत : खेलकूद के सामान की निर्यात संवर्धन परिषद)

(ख) जी हां, बहुत से मामलों में ।

(ग) तथा (घ) जी नहीं । ऐसा भारतीय खेलकूद के सामान के विपणन के लिये खरीदार की ब्रांड प्रतिष्ठा का उपयोग करने की दृष्टि से किया जाता है ।

11 जुलाई, 1980 को उत्तर दिये जाने के लिये मत्स्य खाद्य का निर्यात

3833. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमित मात्रा की अधिकतम सीमा के अधीन खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत 50 प्रतिशत और इससे अधिक प्रोटीन वाले मत्स्य खाद्य के निर्यात की अनुमति दी गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि निर्यात नीति की घोषणा के बाद दो महीने हो जाने के बावजूद इसकी अधिकतम मात्रा घोषित नहीं की गई ;

(ग) क्या यह सच है कि केवल 50 प्रतिशत प्रोटीन से कम मत्स्य खाद्य ही घरेलू बाजार में खपाया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 50 प्रतिशत और इससे अधिक प्रोटीन वाले मत्स्य खाद्य के निर्यात के लिये अनावश्यक मात्रा की अधिकतम सीमा को हटाने का है ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) (1) 50 प्रतिशत या अधिक लेकिन 60 प्रतिशत से कम प्रोटीन वाले मत्स्य खाद्य की सीमित मात्रा में अनुमति हैं ।

(2) 60 प्रतिशत या अधिक प्रोटीन वाले मत्स्य खाद्य के निर्यात की अनुमति बिना किसी मात्रा सम्बन्धी पाबंदी के सामान्य रूप से है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) भारत म जिस मत्स्य खाद्य की खपत होती है उसमें से अधिकांश मत्स्य खाद्य 50 प्रतिशत से कम प्रोटीन वाला है । तथापि, 50 प्रतिशत और 60 प्रतिशत के बीच प्रोटीन वाले मत्स्य खाद्य की भी कुछ मात्रा में खपत होती है ।

(घ) मत्स्य खाद्य की विद्यमान निर्यात नीति में कोई परिवर्तन विचाराधीन नहीं है ।

जम्मू तथा कश्मीर के किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण

3834. **श्री गुलाम रसूल कोचक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा कश्मीर राज्य के किसानों को अन्य राज्य सरकारों की तुलना में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पूरे ऋण नहीं दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से अनुरोध किया है कि विशेषकर निचली श्रेणी के किसानों को पर्याप्त ऋण दिए जाएं और वे भी रियायती दरों पर ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष और छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान जम्मू तथा काश्मीर राज्य के किसानों को और क्या सुविधाएं देने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) निम्न सारणी (ताजा उपलब्ध) देखने से पता चलता है कि जम्मू और कश्मीर में मंजूर किये गये कृषि ऋणों की बकाया राशि तथा उसके अंतर्गत व्याप्त खातों की संख्या निरंतर बढ़ रही है :—

	कृषि ऋण	
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार :	खातों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रु० में)
दिसम्बर, 1976 . .	17,367	1.74
दिसम्बर, 1977 . .	34,100	2.72
दिसम्बर, 1978 . .	38,720	4.22

तीन वर्षों में ये ऋण 2½ गुणा बढ़ गये हैं जो अन्य राज्यों की तुलना में किसी भी सूरत में कम नहीं हैं ।

(ख) जम्मू और कश्मीर में संस्थागत अभिकरणों से कृषि सहित अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों को प्राप्त करने वाले ऋणों की गति में गतिरोध के कारणों का पता लगाने के लिये भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एक समिति नियुक्त की गई है । समिति की रिपोर्ट अभी नहीं आयी है । अलबत्ता, सामान्य नीति के रूप में बैंकों से कहा गया है कि वे छोटे और सीमांतिक किसानों को अपने कृषि ऋणों की मात्रा को बढ़ाकर 1982-83 तक उसे अपने कुल कृषि ऋणों के 50 प्रतिशत तक कर दें । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से जिसमें कृषि भी शामिल है वसूल की जाने वाली व्याज की दरों का जहां तक सवाल है, उन्हें अन्य क्षेत्रों की व्याज दरों की अपेक्षा पहले ही कम कर दिया गया है । इसके अलावा छोटे किसानों से वसूल की जाने वाली व्याज की दरों में भी अन्य किसानों से वसूल की जाने वाली व्याज की दरों के मुकाबले रियायत दी गई है ।

(ग) जहां तक वाणिज्यिक बैंकों का संबन्ध है किसी खास राज्य में उनका कार्य निष्पादन बहुत सी बातों पर निर्भर होता है, जैसे ऋण की आवश्यकता, ऋण उपभोग करने की क्षमता और मूल ढांचे सम्बन्धी सुविधाओं का होना। जम्मू और कश्मीर में बैंकों का ऋण जमा अनुपात मुख्यतः उपर्युक्त कारणों से बहुत ही कम है (जून 1979 की स्थिति के अनुसार 35.4 प्रतिशत) व्याज की रियायती दर, जमानत के रियायती सिद्धांत, सरलीकृत आवेदन पत्रों आदि के रूप में अन्य राज्यों के किसानों को दिये गये विशेष लाभों को, जम्मू और कश्मीर के किसानों के लिये भी लागू कर दिया गया है। राज्य में जिलों के लिये बनाई गई जिला ऋण योजनाओं के कार्यान्वियन से, जिनमें वर्तमान विकास, भावी विकास की संभावनाओं आदि पर विचार किया जाता है, विशेष रूप से कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा और इस राज्य में ऋण जमा अनुपात में भी वृद्धि होगी।

किसानों और अन्य व्यक्तियों को ऋण देने के लिये बंधक रखने में भेदभाव

3835. **श्री अनवर अहमद :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नलकूपों आदि के लिये बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये ऋणों पर उनकी समस्त भूमि बंधक रखी जाती है जबकि ट्रकों, कारखानों आदि के लिये ऋणों के मामले में केवल वही वस्तु बंधक रखी जाती है जिसके लिये ऋण दिया गया है ; और यदि हां, तो सरकार की इस नीति में इस प्रकार के भेदभाव के कारण क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस नीति में संशोधन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) सामान्यतः चल परिसम्पत्तियों के वास्ते स्वीकार किये गये ऋण को उक्त सम्पत्तियों के दृष्टि बंधक (हाइपोथेकेशन) के द्वारा सुरक्षित कर लिया जाता है। जहां ऋण भूमि विकास अथवा अन्य अचल सम्पत्तियों के लिये दिया जाता है, वहां भूमि सहित ऐसी परिसम्पत्तियों को गिरवी रखा जाता है। ट्यूबवेलों के लिये दिये गये ऋणों को बैंक के विवेकाधिकार पर, भूमि को गिरवी रखकर सुरक्षित किया जाता है। ट्रकों के वास्ते दिये गये ऋणों का भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये इसके वास्ते भूमि का बंधक रखा जाना कोई जरूरी नहीं है। कारखानों के मामले में जो संयंत्र और मशीनों जैसी अचल सम्पत्तियों को अर्जित करते हैं, उन सम्बन्ध में ऋणों को भूमि सहित अचल सम्पत्तियों को बंधक के रूप में रख कर सुरक्षित किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आयातित कोकिंग कोयले का मूल्य

3836. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में आयातित कोकिंग कोल का डिलीवरी मूल्य प्रति टन 800 रुपये से अधिक होने की संभावना है जबकि देश में उत्पादित कोल का मूल्य 220–240 प्रति टन है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में उत्पादित कोकिंग कोल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और कोकिंग कोल के मामले में भारत कब तक आत्म निर्भर हो जाएगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान कोककर कोयला आयात करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इस बारे में निर्णय ले लिये जाने तथा सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाने के पश्चात् ही मूल्य के बारे में ब्यौरा उपलब्ध हो सकेगा।

(ख) खानों को बिजली तथा अन्य आवश्यक आदानों की अधिक सप्लाई करने, वर्तमान खानों का पुनर्निर्माण करने तथा नई खाने खोलने जैसे उपाय किये जा रहे हैं जिससे देशीय कोककर कोयले का उत्पादन बढ़ सके। कोयला विभाग द्वारा हाल में लगाए गए अनुमानों के अनुसार बढ़िया किस्म के कोककर कोयले की कमी 1988-89 तक पूरी की जा सकेगी।

नियंत्रित कपड़े के उत्पादन का मानकीकरण

3837. श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़े के उत्पादन का मानकीकरण कर दिया है ;

(ख) क्या देश के कपड़ा मिलों को एक विशेष प्रकार के कपड़े का उत्पादन करने के लिये बनाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न मिलों द्वारा बनाये जाने वाले कपड़ों की कौन सी भिन्न भिन्न किस्में हैं ;

(घ) क्या जनसाधारण के उपभोग के कपड़ों का उत्पादन करने के लिये मिलों पर कोई प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ;

(ङ) क्या किसी कपड़ा मिल ने इन मानदंडों का उल्लंघन करके केवल निर्यात के लिये कपड़े का उत्पादन किया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं । तथापि, नियंत्रित कपड़े के रूप में धोतियों, साड़ियों, लट्ठा, कमीजों का कपड़ा और ड्रिल/टसर जैसे आम उपभोक्ता कपड़े की वर्गीकृत किस्मों की सप्लाई क लिय योजना चलाई जा रही है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं । तथापि, मिल उद्योग प्रति ने वर्ष 1000 मिलियन मीटर कम कीमत का कपड़ा उपलब्ध कराने के लिये स्वैच्छिक रूप से सहमति दे दी है, जिसकी अधिकतम उपभोक्ता कीमत 6.36 रु० प्रति मीटर से अधिक नहीं होगी (जिसमें व्यापार लाभ, उत्पादन शुल्क, चुंगी आदि शामिल है) ।

(ङ) तथा (च) प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के कर्मचारियों को इनाम

3838. श्री निहाल सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कौन-कौन सी मिलों द्वारा अन्य मिलों के समान अपने कर्मचारियों को ईनाम स्वरूप 45 रु० की धनराशि दी जाती है ; और

(ख) यदि ऐसी राशि अदा नहीं की जा रही तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1979 में विभिन्न पंचाट/समझौते किये गये थे जिसके आधार पर मजदूरी में वृद्धि दी गई थी । राष्ट्रीय वस्त्र निगम की सभी मिलों ने इन पंचाटों/समझोतों को लागू कर दिया है । राष्ट्रीय वस्त्र निगम के मिलों का एक विवरण संलग्न है जिन्होंने ऐसे पंचाटों/समझौतों के परिणाम-स्वरूप 45 रु० प्रति माह की मजदूरी में वृद्धि दी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

वर्ष 1979 के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम की निम्नलिखित मिलों ने अपने कर्मचारियों को इन पंचाटों/समझौतों के अनुसार 45 रु० प्रति माह की वृद्धि दी :—

1. दिग्विजय स्पि० एण्ड वी० मिल्स, बम्बई ।
2. जुपिटर टैक्सटाईल्स मिल्स, बम्बई ।
3. एपोलो मिल्स, बम्बई ।
4. भारत टैक्सटाईल मिल्स, बम्बई ।

विवरण—जारी

5. न्यू हिंद टैक्सटाईल मिल्स, बम्बई।
6. मुम्बई टैक्सटाईल मिल्स, बम्बई।
7. इंडिया युनाईटेड मिल्स, मिल नं० 1, बम्बई।
8. इंडिया युनाईटेड मिल्स, मिल नं० 2, बम्बई।
9. इंडिया युनाईटेड मिल्स, मिल नं० 3, बम्बई।
10. इंडिया युनाईटेड मिल्स, मिल नं० 4, बम्बई।
11. इंडिया युनाईटड मिल्स, मिल नं० 5, बम्बई।
12. इंडिया युनाईटेड मिल्स, डाई वर्क्स, बम्बई।
13. बंगाल नागपुर काटन मिल्स, राजनंदगांव।
14. न्यू भोपाल टैक्सटाईल मिल्स, भोपाल।
15. हीरा मिल्स, उज्जैन।
16. स्वदेशी काटन एण्ड फ्लोअर मिल्स, इंदोर।
17. बुरहानपुर ताप्ती मिल्स, बुरहानपुर।
18. कल्याणमल मिल्स, इंदौर।
19. इन्दौर माल्वा युनाईटेड मिल्स, इन्दौर।
20. ओम पराशक्ति मिल्स, कोयम्बटूर।
21. कम्बोडिया मिल्स, कोयम्बटूर।
22. कृष्णवाणी टैक्सटाईल मिल्स, कोयम्बटूर।
23. श्री रंगा विलास जिनिंग, स्पि० एण्ड वीविंग मिल्स, कोयम्बटूर।
24. कोयम्बटूर मुरूगन मिल्स, कोयम्बटूर।
25. सोमासुन्दरम मिल्स, कोयम्बटूर।
26. क्लेश्वरर मिल्स 'ए' यूनिट, कोयम्बटूर।
27. पंकज मिल्स, कोयम्बटूर।
28. पायनीर स्पिनर्स, पायनीर नगर।
29. कोयम्बटूर स्पि० एण्ड वीविंग मिल्स, कोयम्बटूर।
30. बलराम वर्मा टैक्सटाईल मिल्स, शेनकोटाह्।
31. श्री शारदा मिल्स, पोडानूर।
32. क्लेश्वरर मिल्स, 'बी' यूनिट, कल्यानरकोयल।
33. श्री भारती मिल्स, पाण्डिचेरी।
34. म्यूर मिल्स, कानपुर।
35. न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर।

विवरण—जारी

36. बिजली काटन मिल्स, हाथरस।

37. लार्ड कृष्ण टैक्सटाईल मिल्स, सहारनपुर।

38. श्री विक्रम काटन मिल्स, लखनऊ।

39. मैसूर स्पि० एण्ड मैन्यू० मिल्स, बंगलौर।

40. मिनर्वा मिल्स, बंगलौर।

41. अजुध्या टैक्सटाईल मिल्स, दिल्ली।

बैंकाक में इन्जीनियरी सामान की प्रदर्शनी

3839. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इंजीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद इंजीनियरी उत्पादनों का एशियाई देशों को निर्यात के संवर्धन के संबंध में अगले वर्ष बैंकाक में इंजीनियरी सामान की एक प्रदर्शनी आयोजित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रदर्शनी में कितनी फर्मों के भाग लेने की संभावना है; और

(घ) इस प्रदर्शनी के आयोजन पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद 12 से 17 जनवरी 81 तक सुआन एम्पोर्न गार्डेन्स, बैंकाक में पूर्णत: भारतीय इंजीनियरिंग प्रदर्शनी-इंडी 81 आयोजित करेगी। परिषद ने 10,500 वर्ग मीटर का क्षेत्र बुक किया है जिसमें 6000 वर्ग मीटर का छता हुआ और 1500 वर्ग मीटर का खुला हुआ प्रदर्शन क्षेत्र शामिल है।

(ग) ऐसी आशा है कि सरकारी और गैर-सरकारी दोनो क्षेत्रों की लगभग 250 भारतीय फर्में प्रदर्शनी में भाग लेंगी।

(घ) इस प्रदर्शनी के आयोजन पर 80 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

सोवियत संघ द्वारा चावल के बदले अशोधित तेल की सप्लाई

3840. **श्री गदाधर साहा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष के दौरान सोवियत संघ चावल और अन्य वस्तुओं के बदले दो लाख मीट्रिक टन अशोधित तेल और पांच लाख मीट्रिक टन 'एच० एस० डी०' तेल की अतिरिक्त मात्रा सप्लाई करने के लिये सहमत हो गया है;

(ख) दो लाख मीट्रिक टन अशोधित तेल और पांच लाख मीट्रिक टन 'एच० एस० डी०' तेल के आयात के बदले सोवियत संघ को सप्लाई की जाने वाली वस्तुयें और उनकी मात्रा क्या है; और

(ग) अन्तराष्ट्रीय मंडियों/घरेलू मंडियों में इन वस्तुओं के वर्तमान प्रचलित मूल्य क्या है?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सोवियत संघ के साथ उस देश से दो लाख मे० टन कच्चा तेल तथा 5 लाख मे० टन हाई स्पीड डीजल तेल का आयात करने के लिए एक करार सम्पन्न किया गया है। इसका डिलीवरी कार्यक्रम बातचीत द्वारा तय किया जायेगा इसके बदले भारत से जून 1981 के अन्त तक 5 लाख मे० टन चावल का निर्यात किया जायगा। कच्चे तेल तथा हाई स्पीड डीजल की यह सप्लाई वर्ष 1980 तथा 1981 के वार्षिक व्यापार कोटे के अतिरिक्त होगी।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय / घरेलू बाजारों में कच्चे तेल तथा हाई स्पीड डीजल की विद्यमान प्रचलित कीमतें निम्नोक्त प्रकार है :—

	कच्चा तेल	हाई स्पीड डीजल
अन्तर्राष्ट्रीय	31.96 अमरीकी डालर/बैरल एफ ओ बी (1-7-80 से प्रभावी कीमतें)	306.50 अमरीकी डालर प्रति मे० टन एफओबी इटली (7-7-80 को कीमत)
घरेलू	310 रु० / मे० टन (तट पर) 475 रु०/ मे० टन (तट से दूर)	1960 रू० प्रति किलो लीटर

सप्लाई किये जाने वाले चावल की किस्मों तथा क्वालिटि विशिष्टियों के ब्योरों पर अभी बातचीत की जानी है और अन्तिम रुप से तय किये जाने है। अतः इस अवस्था में यह बताना संभव नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय/घरेलू बाजारों में कीमतें क्या होंगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सड़क परिवहन

3841. **श्री गुफरान आजम :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यटन के संवर्धण के लिये आस्ट्रेलिया, यू० के०, मध्यपूर्व आदि देशों को जोड़ने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सड़क परिवहन चलाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संवध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गयें है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा को आवश्यक वस्तुओं का आवंटन

3842. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगें कि :—

(क) जनवरी से जून, 1979 की अवधि की तुलना में उड़ीसा की जनवरी से जून, 1980 की अवधि के दौरान कितने मीटिरिक टन/लिटर सीमेंट, कोयला, चीनी, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, रेपसीड तेल, चावल तथा गेहूं आदि आवंटित किया गया ;

(ख) उड़ीसा की इन आवश्यक वस्तुओं की वास्तविक मांग क्या थी;

(ग) कमी की पूर्ति के लिये क्या कदम उठाये गये ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) चावल, गेहूं और रेपसीड तेल के मामले में आबंटन राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार, जिसमें उड़ीसा भी शामिल है, किया गया है । हाई स्पीड डीजल का मासिक आबंटन करने की प्रणाली सरकार द्वारा 1-10-79 से शुरु की गई थी और यह प्रणाली पिछली खपत तथा अन्य संबंधित बातों पर आधारित है । इसी प्रकार मिट्टी के तेल का मासिक आवंटन भी पिछली खपत के पैटर्न पर आधारित होता है । जहां तक चीनी का प्रश्न है, उड़ीसा सरकार ने लेवी-चीनी का कोटा बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया है और यह समझा जाता है कि इस समय आबंटित मात्रा राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त है ।

उड़ीसा की सीमेंट की तिमाही मांग 2.5 लाख मीटरी टन और साफ्ट् कोक की 4.7 हजार मीटरी टन प्रतिमास है ।

(ग) कमी कोयले और सीमेंट के बारे में है । जहां तक कोयले का संबंध है, इसके उत्पादन में 2.80 लाख मीटरी टन प्रतिमास की वृद्धि हुई है और पिट-हेड पर पड़े 2.72 लाख मीटरी टन के स्टाक के राज्य की मांग की पूर्ति हो जाएगी । रेलवे मंत्रालय के परामर्श से कोयले की ढुलाई में तेजी लाई जा रही है ।

देश में सीमेंट की आम कमी है और सरकार मौजूदा क्षमता के बेहतर उपयोग, नई क्षमताओं के लिए मंजूरी तथा आयात द्वारा सीमेंट की उपलभ्यता बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है ।

विवरण

सीमेंट		कोयला		चीनी		डीजल		मिट्टी का तेल		रेपसीड तेल		चावल		गेहूं	
जनवरी से जून, 1979	जनवरी से जून, 1980	जनवरी से जून, 1979	जनवरी से जून, 1980	जनवरी से जून, 1979	जनवरी से जून, 1980	जनवरी से जून, 1979	जनवरी से जून, 1980	जनवरी से जून, 1979	जनवरी से जून, 1980	जनवरी से जून, 1979	जनवरी से जून, 1980	जनवरी से जून 1979	जनवरी से जून, 1980	जनवरी से जून, 1979	जनवरी से जून, 1980
2,05,300'	2,27,682	10.6	7.8		*64,345	72,296	84,510	36,801	42,960	**	700	..	180	149.65	207.71
(मीटरी टनों में)		(हजार मीटरी टन)		(मीटरी टन)		(मीटरी टन)		(मीटरी टन)		(मीटरी टन)		(हजार मीटरी टन)		(हजार मीटरी टन)	

*16-8-78 से 16-12-1979 तक चीनी पर नियंत्रण नहीं था और इसलिये उपर्युक्त अवधि में उड़ीसा सरकार को लेवी चीनी आवंटित नहीं की गयी।

**जनवरी से जून, 1979 के दौरान उड़ीसा को रेप सीड तेल का आवंटन नहीं किया गया, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इसकी मांग नहीं की गयी थी।

चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकास के लिये राशि

3843. **श्री आनन्द पाठक :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें की गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, और हवाई अड्डेवार, चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों—दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास—के विकास के लिये कितनी राशि दी गई हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : दी गयी निधियों की राशि निम्न प्रकार है :—

(लाखों रुपयों में)

विमान क्षेत्र का नाम	1977–78	1978–79	1979–80
बम्बई . . .	460.28	459.35	857.88
कलकत्ता . . .	54.13	67.64	151.51
दिल्ली . . .	421.17	362.44	466.95
मद्रास . . .	107.17	77.79	88.97
योग	1,042.75	967.22	1,565.31

सरकारी उपक्रमों के उच्च अधिकारियों द्वारा फाइव स्टार होटलों में ठहरना

3844. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रचलित नियमों के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उच्च अधिकारी फाइव स्टार होटलों में ठहरने के विशेषाधिकार का लाभ उठाते हैं और इसका व्यय संबंधित उपक्रमों के कोष से किया जाता है; और

(ख) इस प्रकार के विशेषाधिकार से उपरि व्यय में कितनी वृद्धि होती है तथा क्या इन से बचा जा सकता?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) वित्त मंत्रालय, सरकारी उद्यम कार्यालय ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को यह सलाह दी है कि वे सामान्यतः अपने उद्यमों के अतिथि गृहों में ही ठहरा करें। यदि उन्हें इस प्रकार ठहरने को जगह न मिल सके तो, उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों, पत्तन न्यासों आदि के अतिथि गृहों के साथ-साथ अन्य सरकारी उद्यमों के अतिथि गृहों में ठहरने का स्थान पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। यदि किसी भी सरकारी उद्यम के अतिथि गृह में ठहरने की जगह न मिल सके तो सरकारी क्षेत्र के कार्यकारी अधिकारी होटल में ठहर सकते हैं। इस प्रकार की आवास सुविधा प्राप्त करने में सरकारी क्षेत्र के होटलों को तरजीह दी जानी चाहिए। तदनुसार सरकारी क्षेत्र के कुछ कार्यकारी अधिकारियों को जब कभी अतिथि गृह में सुविधा पूर्ण जगह प्राप्त न हो सके तो वे उद्यम के खर्चे पर फाइव स्टार होटलों में ठहरते हैं।

(ख) उपर्युक्त होटलों में ठहरने से यात्रा व्यय की कुल रकम कुछ बढ़ जाती है। किन्तु सरकारी उद्यमों के कुल ऊपरी खर्चों के अनुपात में यात्रा व्यय को कुल रकम बहुत थोड़ी बैठती है।

बिहार के नालन्दा जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा ऋण दिया जाना

3845. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार के नालन्दा जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की सभी शाखाएं बड़े व्यापारियों और धनी लोगों को ऋण देने में विशेष रूचि दिखाती हैं और शिक्षित बेरोजगार युवकों, श्रमिक वर्ग तथा निर्धन लोगों की उपेक्षा करती हैं ;

(ख) क्या बैंकों के उपरोक्त रवैये, जो सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध है, से नालन्दा जिले के विकास को भारी धक्का लगा है; और

(ग) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में कार्यवाही करने और स्थिति में सुधार करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र का वित्तीय प्रशासनिक सुधार

3846. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की क्या केन्द्र में वित्तीय प्रशासनिक सुधार संबंधी कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : वित्तीय प्रशासन में सुधार एक सतत प्रक्रिया है परन्तु फिलहाल कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

भारत की स्वतंत्रता के बाद चीनी का आयात

3847. श्री नारायण चौबे : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के स्वतन्त्र होने के बाद कितने अवसरों पर चीनी का आयात करना पड़ा था ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : अगस्त 1947 से जून 1980 की अवधि के दौरान चीनी का आयात निम्नलिखित वर्षों में किया गया :—

1947—48†	1954—55	1967—68†
1948—49	1955—56	1968—69
1949—50†	अप्रैल-दिसम्बर 1956	1969—70
1950—51	1957	1971—72
1951—52	1964—65†	1973—74
1952—53†	1965—66†	1980—81
1953—54	1966—67†	(जून 1980 तक)

†चिन्हित वर्षों के दौरान आयात न के बराबर थे क्योंकि उनका मूल्य 100,000 रु० से कम था ।

वर्ष 1980-81 के दौरान काजू का आयात

3848. श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 के दौरान कुल कितनी मात्रा में काजू आयात करने का विचार है और उक्त व्यापार करने के लिए विदेशी मुद्रा के रूप में कितने धन की आवश्यकता होगी ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान भारतीय काजू निगम का कच्चे काजू के आयात का अनन्तिम लक्ष्य 25,000 मे० टन है । ऐसी संभावना है कि इस आयात का अनुमानित मूल्य विदेशी मुद्रा में 13.13 करोड़ रु० होगा ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाना

3849. श्री पीयुष तिरकी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को राहत देने के लिए समय-समय पर मंहगाई भत्ता दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह शत प्रतिशत राहत है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जीवन निर्वाह लागत में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति करने के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत में सूचकांक औसत 200 से ऊपर प्रत्येक 8 अंकों की वृद्धि के लिए मंहगाई भत्ता मंजूर किया जा रहा है ।

(ख) 400 रुपये प्रति मास तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में, अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की किस्तों की विद्यमान दरों में, जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि के लिए 100 प्रतिशत निराकरण की व्यवस्था है । इस वेतन स्तर से ऊपर निराकरण की मात्रा उत्तरोत्तर अपेक्षाकृत कम है ।

(ग) सरकार ने 400/ रुपये प्रति मास तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के संबंध में 100 प्रतिशत निराकरण की मात्रा की अनुमति दी है ताकि कीमतों में वृद्धि होने से उनके उपभोग के स्तर में होने वाले ह्रास से उन्हें पूर्णरूप से संरक्षण दिया जा सके । उच्चतर वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में जीवन-निर्वाह लागत में वृद्धि के लिए कवल आंशिक प्रतिपूर्ति की ही व्यवस्था की गई है ।

श्रीनगर हवाई अड्डे में टर्मिनल सुविधाओं का विस्तार

3850. **डा० कर्ण सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर हवाई ग्रड्डे में नया निर्मित टर्मिनल वहां बढ़ते हुए यातायात को सम्भालने में पहले ही छोटा साबित हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वहां टर्मिनल सुविधाओं का विस्तार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कर्नाटक में हसन में हवाई अड्डे का निर्माण

3851. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक में हसन में एक हवाई ग्रड्डे का निर्माण किया जा रहा है ताकि उसे ग्रन्य हवाई ग्रड्डों के साथ जोड़ा जा सके ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्माण कार्य कब ग्रारम्भ हुग्रा था ;

(ग) इसके पूरा होने पर इस पर ग्रनुमानतः कुल कितनी लागत ग्रायेगी ।

(घ) क्या यह भी सच है कि यह निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया है ग्रौर यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; ग्रौर

(ङ) यह निर्माण कार्य कब तक पूरा होने ग्रौर हवाई ग्रड्डे का यातायात के लिए कब तक खुलने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ङ) हसन में 1970 में 6.78 लाख रुपये की लागत से डकोटा विमानों के परिचालन के लिये उपयुक्त एक ग्रच्छे मौसम की हवाई पट्टी बनायी गयी थी । हसन की हवाई पट्टी का ग्रौर ग्रागे विकास करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि न तो इंडियन एयरलाइन्स ने ग्रौर न किसी गैर-ग्रनुसूचित परिचालक ने ही हसन के लिये विमान सेवा परिचालित करने में कोई रूचि दिखायी है ।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर नये अन्तर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय यात्री टर्मिनल

3852. **श्री सैफूद्दीन चौधरी : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता ग्रौर मद्रास के चारों ग्रन्तर्राष्ट्रीय हवाई ग्रड्डों पर नये ग्रन्तर्राष्ट्रीय ग्रौर ग्रन्तर्देशीय यात्री टर्मिनल बनाने का विचार कर रही है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) ग्रौर (ख) चार ग्रंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर नये टर्मिनलों के निर्माण का कार्यक्रम निम्न प्रकार है :—

बम्बई

नये ग्रंतर्राष्ट्रीय यात्री टर्मिनल काम्प्लेक्स (चरण I) का 16.79 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हो रहा है ग्रौर इसके इस वर्ष चालू हो जाने की ग्राशा है । इसमें 40,000 वर्ग मीटर का क्षेत्र होगा तथा प्रति वर्ष 25 लाख यात्रियों के हैंडल करने की क्षमता होगी । नया टर्मिनल चालू हो जाने पर, वर्तमान टर्मिनल का केवलमात्र ग्रंतर्देशीय यातायात के लिए प्रयोग किया जाएगा ।

टर्मिनल काम्प्लेक्स के दूसरे चरण पर 22.49 करोड़ रुपए की लागत ग्राने का ग्रनुमान है ग्रौर यह पहले काम्प्लेक्स जैसा ही होगा । प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

दिल्ली

दिल्ली विमानक्षेत्र पर 63.95 करोड़ रुपए की ग्रनुमानित लागत से निर्माण किए जाने वाले प्रस्तावित नये ग्रंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो टर्मिनल काम्प्लेक्स पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है । इसमें 60,000 वर्ग मीटर क्षेत्र का एक यात्री टर्मिनल भवन होगा जो प्रति वर्ष 33 लाख यात्रियों को हैंडल कर सकेगा । कार्गो टर्मिनल

5—357—L S S (N.D.)/80

में 14,000 वर्ग मीटर क्षेत्र होगा जिसमें प्रति वर्ष 70,000 टन माल रखने की क्षमता होगी। टर्मिनल के 1985 तक चालू हो जाने की आशा है।

मद्रास

मद्रास में एक नया अंतर्देशीय टर्मिनल चालू करने का प्रस्ताव है। इसमें 13,000 वर्ग मीटर का फ्लोर एरिया होगा तथा प्रति वर्ष 12 लाख यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता होगी। प्रस्ताव पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड द्वारा शीघ्र ही विचार किया जाएगा।

कलकत्ता

कलकत्ता टर्मिनल की वर्तमान सुविधाओं का यातायात की मांगों की यथासंभव पूर्ति करने के लिए विस्तार किया जाएगा। एक नये अंतर्देशीय टर्मिनल के निर्माण की व्यवहार्यता की भी जांच की जा रही है।

उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयों का खोला जाना

3853. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्राहकों और उद्यमियों को उड़ीसा राज्य में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयों के न होने के कारण कुशल सेवा में कठिनाइयां हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और आंध्र बैंक के क्षेत्रीय (रीजनल) कार्यालय, भुवनेश्वर में स्थित हैं। इसके अलावा, बैंक आफ इंडिया का एक क्षेत्र प्रबन्धक (एरिया मैनेजर) भुवनेश्वर में है जिसे व्यापक अधिकार सौंपे गये हैं। तथापि, केवल क्षेत्रीय कार्यालय के अभाव से ग्राहकों को अविलम्ब सेवा उपलब्ध होने में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि बैंकों को यह सुनिश्चित करने के निदेश दे दिये गये हैं कि ऋणों के बारे में अधिकांश निर्णय शाखा स्तर पर ही कर लिये जायें। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, बैंकों ने शाखाओं को काफी हद तक अधिकारों का प्रत्यायोजन कर दिया है और विशेष रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋण आवेदन पत्रों के निपटान के लिये समय सीमा निर्धारित कर दी गई है।

जीवन बीमा निगम द्वारा राजस्थान को ऋण दिया जाना

3854. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने राजस्थान की ग्रामीण क्षेत्र जल पूर्ति योजना के लिये, राजस्थान सरकार द्वारा कई अनुरोध किये जाने के बावजूद कोई ऋण नहीं दिया है; और

(ख) क्या मंत्रालय का विचार उपरोक्त उल्लिखित योजनाओं के लिये निगम से ऋण लेने में सहयोग देने का है और यदि हां, तो किस प्रकार?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) (क) और (ख) : भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि उन्हें राजस्थान सरकार से किसी ग्रामीण जलपूर्ति योजना के वास्ते ऋण के लिए अभी तक कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। पता चला है कि शहरी और ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं की देखभाल करने के लिए हाल में राजस्थान जलपूर्ति एवं जलमल निकासी निगम बनाया गया है। इस सम्बन्ध में जब भी आवेदन पत्र प्राप्त होंगे, जीवन बीमा निगम द्वारा उन पर उचित रूप से विचार किया जाएगा।

लौह-अयस्क के उत्पादन का लक्ष्य

3855. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान लौह अयस्क के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) लौह अयस्क का उत्पादन अब तक कितना हुआ है और इसका उत्पादन कहां तक हो जाने की संभावना है?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 1980–85 की पंचवर्षीय योजना के लिए विभिन्न वस्तुओं (लौह–अयस्क भी शामिल है) के उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने का काम अभी चल रहा है।

(ख) वर्ष 1978, 1979 और जनवरी–मई, 1980 में लोह अयस्क का उत्पादन क्रमशः 388 लाख टन, 395 लाख टन और 196 लाख टन हुआ था। वर्ष 1980 में लोह-अयस्क का उत्पादन लगभग 400 लाख टन होने की संभावना है।

भारतीय समुद्र तट के साथ-साथ भारी खनिजों का सर्वेक्षण

3856. **श्री बृज मोहन महन्ती :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्कल विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर और आन्ध्र विश्वविद्यालय के सहयोग से भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा भारतीय समुद्रतट के साथ–साथ भारी खनिजों के लिए किए गए सर्वेक्षण के विस्तृत परिणाम क्या रहे; और

(ख) सर्वेक्षण-कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा उत्कल विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर और आन्ध्र विश्वविद्यालय के सहयोग से भारतीय समुद्री-तट पर भारी खनिजों के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

सोडा राख की चोरबाजारी रोकने के लिए आयकर छापे

3857. **श्री हरिकेश बहादुर :** क्या वित्त मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोडा राख की चोरबाजारी रोकने के लिए सरकार ने वर्ष 1978 में पूरे देश में बड़े पैमाने पर आयकर छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि के कर अपवंचन का पता चला था; कितना काला धन बरामद किया गया था और अपराधियों को क्या दण्ड दिया गया था ;

(ग) उन गैर-सरकारी व्यक्तियों को किस प्रकार पुरस्कृत किया गया था जिन्होंने इन छापों को मारने के लिये महत्वपूर्ण जानकारी दी थी ; और

(घ) क्या मुखबिरों के नाम और पते उद्योगपतियों को बताये गये है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) तथा (ख) जी हां, सोडा ऐश की चोर-बाजारी की शिकायतें प्राप्त होने पर, आयकर विभाग ने सारे देश में विभिन्न सोडा ऐश के व्यापारियों के व्यापारिक तथा रिहायशी परिसरों पर छापे मारे। इन तलाशियों में अनेक व्यक्ति तथा कम्पनियां अन्तर्ग्रस्त थी। इन सभी मामलों की सम्यक् जांच चल रही है।

(ग) कर-निर्धारण कार्यवाहीं को अन्तिमरुप दे दिये जाने तथा करों की वसूली हो जाने पर, मुखबिरो को पुरस्कार सम्बन्धी नियमों के अनुसार पुरस्कार दिये जायेंगे।

(घ) मुखबिरों की पहचान को गुप्त रखा जाता है और इसलिए उद्योगपतियों को उनके बारे में किसी प्रकार की सूचना देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशों में एअर इंडिया के कार्यालयों का रख-रखाव

3859. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के ऐसे किन नगरों में एयर इंडिया के अपने कार्यालय हैं जहां के लिए एयर इंडिया की विमान सेवा नहीं है; और

(ख) निम्नलिखित कार्यालयों में कितना वार्षिक व्यय आता है :—

(एक) कार्यालय प्रांगन ;

(दो) अधिकारियों के निवास ;

(तीन) किराये पर ली गई अथवा अपनी गाडियों से परिवहन

(चार) प्रत्येक केन्द्र पर कर्मचारियों के वेतन ; और

(पांच) अन्य कार्य संचालन व्यय ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) जिन शहरों में एयर इंडिया द्वारा अपने आफ लाइन स्टेशन रखे जा रहे हैं उनके नाम तथा वर्ष 1978-79 के दौरान इनमें से प्रत्येक कार्यालय पर किया गया व्यय विवरण में दिए गए है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1060/80]

आयकर की बकाया राशि की वसूली

3860. **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) आयकर के दोषी व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है जिन पर एक लाख रुपये और इससे अधिक की राशि बकाया है ; और

(ख) बकाया राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) 31 मार्च 1980 की स्थिति के अनुसार, जिन व्यक्तियों की ओर कर की बकाया रकमें एक लाख रु० अथवा इससे अधिक है, उनकी संख्या अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 8291 थी।

(ख) आयकर अधिनियम 1961 में, कर की बकाया रकमों, की वसूली और उगाही करने के लिए अर्थ-दण्ड लगाने, चूंककर्ता को देय रकमों की कुर्की, चल सम्पत्ति का अभिग्रहण और बिक्री, अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री आदि जैसे बहुत से उपायों की व्यवस्था है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, कर की बकाया रकमों की शीघ्र वसूली के लिए संबंधित आयकर प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त उपाय किये जाते है। कर की बकाया रकमों की वसूली के लिए हाल ही में जो प्रशासनिक उपाय किये गये है उनमें से कुछ उपाय विवरण में बताये गये है।

विवरण

कर की बकाया को कम करने और काफी लम्बे समय से बकाया पड़े करों की वसूली के लिए, हाल ही में किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित है:—

(1) गत वर्ष की तरह ही, आयकर विभाग के चालू वित्तीय वर्ष की 'कार्ययोजना' में सर्वोच्च प्राथमिकता कर की बकाया की वसूली को दी गयी है।

(2) मई 1980 में हुए आयुक्तों के सम्मेलन में, कर की बकाया की समस्या पर व्यापक रुप से विचार किया गया। सम्मेलन के परिणामत: लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार है:—

(क) बकाया मांग में 55 प्रतिशत तथा चालू मांग में 85 प्रतिशत की कमी करना;

(ख) 1979–80 में जारी की गयी मांग की बकाया प्रविष्टियों में 85 प्रतिशत की कमी करना;

(ग) आयकर की बकाया की वसूली के जटिल मामलों में अलग आयकर अधिकारियों को नियुक्त करने की व्यवस्था की समीक्षा की जायगी। तथा जहां कहीं भी व्यवहार्य होगा उनकी संख्या बढ़ाई जायगी।

(3) कर की बकाया की वसूली की प्रगति पर मासिक निगरानी रखी जा रही है। इस संबंध में आंकड़ें, आयुक्तों से तार द्वारा मंगवाए जाते है और बोर्ड इस संबंध मे उपयुक्त उपचारी कार्रवाई करता है।

(4) कुछ आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में बकाया पड़ी अपीलों के निपटान के लिए अपीलीय तंत्र को सुदृढ किया जायेगा।

(5) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में विचाराधीन पड़ी ऐसी अपीलों की एक सूची, प्राथमिकता के आधार पर निपटान के लिए वर्ष 1979–80 में विधि मंत्रालय के माध्यम से न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को भेजी गयी थी जिनमें बकाया की बड़ी रकमें अन्तर्ग्रस्त थीं। आयकर आयुक्तों से निवेदन किया गया कि वे न्यायाधिकरण के स्थानीय पीठों के उपाध्यक्षों/सदस्यों के साथ सम्पर्क बनाये रखें। उनसे यह भी निवेदन किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से मिले तथा उच्च मांग वाले अनिर्णीत मामलों के निपटान के लिए शीघ्र ही तिथि निर्धारित करने को निवेदन करें। चालू वित्तीय वर्ष में भी इसी तरह की कार्रवाई करने का निश्चय किया गया है।

(6) आयकर आयुक्त के ओहदे का एक वसूली निदेशक, कर की बकाया की वसूली, विशेषत: 10 लाख रुपये और उससे अधिक के बकाया के मामलों में वसूली की प्रगति पर कड़ी निगरानी रख रहा है। उसके कार्य की प्रगति पर बोर्ड द्वारा निगरानी रखी जाती है।

(7) परिसमापनाधीन कम्पनियों की ओर बकाया पड़ी कर की रकमो की वसूली में तेजी लाने के लिए कम्पनी कार्य विभाग ने बोर्ड के निवेदन पर 1979 में सभी सरकारी परिसमापकों के नाम अनुदेश जारी किया था जिसमें उनसे आयकर प्राधिकारियों से निकट सम्पर्क स्थापित करने और आयकर अधिकारियों को अपेक्षित सूचना भेजने के लिए कहा गया था। इस संबंध में आयकर अधिकारियों को भी उपयुक्त अनुदेश जारी किए जा चुके है।

(8) जनवरी, 1981 के दूसरे पखवाड़े में एक "कर की बकाया और वापसी निपटान पखवाड़ा" मनाया जाएगा जिसमें कर की बकाया को कम करने पर विशेष जोर दिया जाएगा ।

(9) बढ़ा-चढ़ा कर किये गए कर-निर्धारणों तथा उसके परिणामतः जमा हो गई कर की निरर्थक बकाया का निवारण करने की दृष्टि से, आयकर अधिकारियों को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144 क के अधीन किसी निश्चित आय-सीमा से अधिक, एक तरफा कर-निर्धारण पूरा करने से पहले अपने निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा ।

सार्वजनिक ऋण लेने के कार्यक्रम का आरम्भ किया जाना

3861. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार चालू वित्तीय वर्ष के लिए सार्वजनिक ऋण लेने का कार्यक्रम आरम्भ करेगी; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) 1980-81 के केन्द्रीय बजट में बाजार से लिये जाने वाले उधारो से 2499.66 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है (2765 करोड़ रुपय की सकल रकम में से वापसी अदायगियों के 265.34 करोड़ रुपए घटा दिए गए है)।

600 करोड़ रुपए की अधिसूचित रकम के लिए केन्द्रीय ऋणों की पहली किस्त 12 मई 1980 को जारी की गई थी । जिसमें अभिदान की 10 प्रतिशत तक की अतिरिक्त रकम रख लेने का अधिकार था। तीन ऋण अर्थात 6 प्रतिशत ऋण 1986 7 प्रतिशत ऋण 1998 तथा $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत ऋण 2010 जारी किए थे। 9 जून 1980 को लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा गया था। जिसमें जारी किए गए ऋणों तथा अभिदत्त रकमों का ब्यौरा दिया गया था। 650 करोड़ रुपए की अधिसूचित रकमों के लिए ऋणों की दूसरी किस्त के लिए अभिदान की रकमें 18 जुलाई 1980 से ली जायेगीं और इसमें भी हमेशा की तरह अभिदान को 10 प्रतिशत तक की अतिरिक्त रकमों को रख लेने का अधिकार होगा। तीन ऋण अर्थात $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत ऋण 1990, 7 प्रतिशत ऋण 1998 तथा $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत ऋण 2010 दिए जाने वाले है । इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना [संख्या एफ० 4(5)-डब्ल्यू० एण्ड एम/80, दिनांक 3 जुलाई 1980] की प्रति सदन के सभा पटल पर 4 जुलाई, 1980 को रखी गई थी ।

विशाखापत्तनम स्टील प्लांट

3862. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के लिए भारत सरकार द्वारा दिये जा रहे उपयुक्त अंशदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भित और बन रहे बुनयादी ढांचे के संदर्भ में दिए जा रहे उपयुक्त अंशदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी त्रिपक्षीय समन्वय की संभावना है, और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) विशाखापत्तनम इस्पात कारखाना केन्द्रीय क्षेत्र की एक परियोजना है और इसके निर्माण की अनुमानित लागत (2256 करोड़ रुपए) भारत सरकार द्वारा पुरी की जायेगी। इस अनुमान में संयंत्र, बस्ती और चूना पत्थर और डोलोमाइट की रक्षित खानों की लागत भी शामिल है। रेलवें तथा पत्तन सुविधाएं, लौह अयस्क और मैंगनीज की खानें, कोयले की खाने इत्यादी जिनकी आवश्यकता विशेष रूप से इस्पात कारखाने के लिए होगी, के विकास की अनुमानित लागत 421 करोड़ रुपए होगी जो उपर्युक्त अनुमान के अलावा होगी। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के निर्माण तथा परिचालन के लिए आवश्यक जल तथा बिजली की व्यवस्था करना स्वीकार कर लिया है । जब इस परियोजना के लिए स्वीकृति दी गई थी उस समय राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले इन कार्यो पर पूंजी निवेश का अनुमान 16.48 करोड़ रुपए लगाया गया था ।

(ग) और (घ) इस परियोजना के कार्यान्वयन के समन्वय कार्य के लिये राज्य सरकार के साथ निकट सम्पर्क रखा जा रहा है । राज्य सरकार ने इस परियोजना से सम्बन्धित सभी मामलों पर परियोजना पदाधिकारियों तथा भारत सरकार के साथ सम्पर्क बनाये रखने के लिये एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया है ।

जालन्धर शहर में कोयला-तस्करों के यहां आयकर अधिकारियों द्वारा छापे

3863. **श्री सुन्दर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोई दो वर्ष पूर्व आयकर विभाग ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से जलन्धर शहर के कुछ कोयला तस्करों आदि के यहां छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन फर्मों पर छापे मारे गये थे और उक्त छापों के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, नहीं। आयकर विभाग ने जालन्धर शहर में कोयले के तस्करों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से कोई छापा नहीं मारा। तथापि, कर अपवंचन की शिकायतें मिलने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133-क के अन्तर्गत कुछ कोयला-व्यापारियों के मामले में कार्यवाही की गई थी।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि जैसा कि ऊपर मद (क) के उत्तर में बताया गया है, ऐसे कोई छापे नहीं मारे गये थे।

(ग) जांच पड़ताल चल रही है।

विदेशी निवेश

3864. **श्री निरेन घोष :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मार्च, 1980 तक कुल कितनी गैर-सरकारी विदेशी पूंजी लगी थी ;

(ख) गैर-सरकारी विदेशी निवेशकर्ताओं द्वारा विभिन्न तरीकों, जैसे लाभांश, ब्याज, तकनीकी, जानकारी आदि के माध्यम से वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान भारत से कुल कितना धन स्वदेशों को ले जाया गया है ; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान कुल कितनी पूंजी पुनः लगाई गई ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) तथा (ख) माननीय सदस्य का ध्यान दिनांक 21-3-1980 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1433 के उत्तर की ओर दिलाया जाता है, जिसमें आवश्यक जानकारी दी गई है।

(ग) किसी भी कम्पनी की प्रारक्षित निधियों का पुनः निवेश, बोनस शेयर जारी करके, उस प्रारक्षित निधि को पूंजी के रूप में परिवर्तित करके किया जाता है। पिछले दो वर्षों से 40 प्रतिशत या इससे अधिक अनिवासी सामान्य शेयरों वाली कंपनियों द्वारा जारी किए गए बोनस शेयरों का मूल्य इस प्रकार है :—

1978 .	53.95 करोड़ रुपए
1979 .	20.28 करोड़ रुपए

भारत में विदेशी बैंकों की संख्या

3865. **श्री चित्त बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अब तक कितने विदेशी बैंक कार्य कर रहे है ;

(ख) इन बैंकों में जमा राशि कितनी है ;

(ग) राज्यवार इनकी कितनी शाखायें हैं ; और

(घ) इन बैंकों का वार्षिक लाभ कितना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) इस समय भारत में 12 विदेशी बैंक कार्यरत हैं।

(ख) और (घ) वर्ष 1976-1977 और 1978 के दौरान देश में कार्यरत विदेशी बैंकों की कुल जमा राशियां और उनके लाभों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	जमाराशियां (अंतः बैंक जमाराशियों सहित)	लाभ (लाख रुपयों में)
1976	95,362.32	736.53
1977	102,831.00	529.58
1978	1,14,678.93	579.54

वर्ष 1979 के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) विदेशी बैंकों की शाखाओं की संख्या (राज्यवार) नीचे दी गई है :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शाखाओं की संख्या
आंध्र प्रदेश	2
असम	1
दिल्ली	18
गोवा	1
हिमाचल प्रदेश . . .	1
जम्मू और कश्मीर . . .	1
कर्नाटक	1
केरल	4
महाराष्ट्र	36
पंजाब	3
तमिलनाडू . . .	11
उत्तर प्रदेश . . .	2
पश्चिम बंगाल . . .	46
जोड़ .	127

बड़ी परियोजनाओं के लिए रुमानिया से सहायता

3866. **श्री गदाधर साहा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 20 जून, 1980 के "इकानामिक टाइम्स" में "रूमानियन एंड फर बिग प्रोजक्टस" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो हमारे देश में कौन-कौन सी परियोजनाएं रुमानिया की सहायता से बनाई जा रही हैं और उनमें से कुछ परियोजनाएं कहा-कहा स्थित हैं ;

(ग) क्या उनमें इंजन बनाने, डिब्बे बनाने और उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के क्षेत्र की भी कोई परियोजनाएं शामिल हैं, यदि हां, तो ये प्रस्ताव किस संदर्भ में हैं और किस प्रकार के हैं ; और

(घ) क्या जाम्बिया में लगाई जा रही रोलिंग मिल जैसे गैर-सरकारी और सरकारी सैक्टर की कोई भारतीय रुमानी संयुक्त परियोजना का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ; यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय रुमानी सहयोग प्रबंध के अंतर्गत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 10 परियोजनाओं/यूनिटों की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। यद्यपि भारत में इंजन बनाने, डिब्बे बनाने और उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने के लिये कोई प्रस्ताव अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) विदेश में भारतीय-रूमानी संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विमानों के उड़ान कार्यक्रम के बारे में शिकायतें और सुझाव

3867. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) उड़ान कार्यक्रम पिछली बार किस तारीख को तैयार किया गया था ;

(ख) नई समय सारणी तैयार किये जाने के पश्चात् किस प्रकार की शिकायतें और सुझाव प्राप्त हुए हैं और सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान समय सारणी में कुछ परिवर्तन करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया के परिचालनों की वर्तमान समयावलियां क्रमशः 15 अप्रैल, 1980 तथा 1 जून, 1980 से लागू हैं।

(ख) और (ग) नयी समय-सारणी तैयार करने के बाद इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया द्वारा प्राप्त शिकायतें और सुझाव इस प्रकृति के हैं :—

(1) कुछ अधिक सघन यातायात वाले मार्गों पर क्षमता में वृद्धि करने के सुझाव ।

(2) कुछ उड़ानों की वर्तमान समय-सारणी में सुधार करने के अनुरोध ।

(3) कुछ महत्वपूर्ण शहरों के बीच नयी विमान सेवाओं के अनुरोध ।

उड़ानों की वर्तमान समय-सारणी में सुधार करने और कुछ अधिक सघन यातायात वाले मार्गों पर क्षमता में वृद्धि करने की व्यवहार्यता पर शीतकालीन समय-सारणी में विचार किया जा रहा है, जो 1 नवम्बर, 1980 से लागू होगी। उस समय तक इंडियन एयरलाइंस के विमान-बेड़े में कुछ अतिरिक्त विमान शामिल हो जाएंगे । एयर इंडिया के विमान-बेड़े में पहले ही वृद्धि की जा चुकी है ।

सूरत जिले (गुजरात) में कम्पनियों और व्यक्तियों की ओर धनकर और निगम-कर की बकाया राशि

3868. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के सूरत जिले में किन-किन कम्पनियों और व्यक्तियों का धन कर और निगम कर के लिए मूल्यांकन किया गया है ; और

(ख) इन व्यक्तियों और कम्पनियों की तरफ कितनी राशि बकाया है और इसकी वसूली के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है, उसे एकत्र किया जा रहा है और यथासंभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दिया जायगा ।

उत्पादन शुल्क की वसूली के लिये उत्पादन पर आधारित नियंत्रण

3869. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माताओं द्वारा उत्पादित उत्पादन शुल्क योग्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क की वसूली के लिए उत्पादन पर आधारित नियंत्रण की पद्धति लागू किये जाने के उपरान्त इसके कार्यकरण का कोई पुनरीक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे होने वाला लाभ उत्पादन पर आधारित नियंत्रण की पद्धति लागू करने में सरकार के अतिरिक्त व्यय और उक्त नियंत्रण संबंधी अपेक्षाओं का पालन करने पर निर्माताओं के अतिरिक्त व्यय के अनुरूप है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हां ।

(ख) समीक्षा से पता चला है कि उत्पादन आधारित नियंत्रण लागू करने के बाद से अनेक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई । लेकिन यह निर्धारित करना मुमकिन नहीं हो पाया है कि राजस्व में ठीक-ठीक कितनी वृद्धि हुई और यह भी कि उक्त वृद्धि, एक ओर सरकार को पड़ने वाली अतिरिक्त लागत के तथा दूसरी ओर निर्माता को पड़ने वाली अतिरिक्त लागत के, यदि कोई है, अनुरूप है या नहीं ।

इण्डोनेशिया को पैलेट का निर्यात

3870. **श्री नवीन रवाणी :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडोनेशिया को पैलेट का निर्यात करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा प्रस्ताव किस तरह स्वीकार किया गया ;

(ग) क्या ईरान को सरप्लस "कन्सन्टेट" की सप्लाई के दूसरे प्रस्ताव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) किस तरह और किस यूनिट में पैलेट का उत्पादन किया जायेगा और किन शर्तों के अधीन किया जायेगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) उद्योग राज्य मंत्री क हाल के इंडोनेशिया के दौरे के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर भी सहमति थी कि भारत इंडोनेशिया को पैलेट सप्लाई करेगा। ऐसा भारत और इंडोनेशिया के बीच 7 मार्च, 1979 को जकार्ता में हुए समझौता ज्ञापन के क्रम में किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अभी इस मामले में अन्तिम रूप से निर्णय लिया जाना है।

बंगला देश में संयुक्त उद्यम

3871. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बंगलादेश में कुछ संयुक्त उद्यमों की स्थापना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित भारत-बंगलादेश उद्यमों का मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन उद्यमों के कब शुद्ध होने की संभावना है ;

(घ) क्या बंगलादेश सरकार अपने देश में संयुक्त परियोजनाओं की स्थापना के लिये भारतीय निजी पूंजीपतियों से प्राप्त कुछ प्रस्तावों का अनुमोदन कर चुकी है ; और

(ङ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का मुख्य ब्यौरा क्या है और संबंधित पार्टियों के नाम क्या हैं और पूंजी निवेश तकनीकी जानकारी संयंत्र और मशीनरी आदि की सप्लाई के जरिये उनकी भागीदारी क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) भारत तथा बंगलादेश के बीच विभिन्न उच्च स्तरीय बैठकों में इस पर आपसी सहमति हुई कि दोनों पक्षों को अन्य बातों के साथ साथ व्यापार सजित करने वाले संयुक्त उद्यमों की स्थापना करनी चाहिए जोकि दोनों देशों के बीच व्यापार के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। दोनों देशों के बीच व्यापारिक कारोबार बढ़ाने तथा आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से ऐसी निर्यात अभिमुख परियोजनाओं का, यथा स्पंज लौह, यूरिया उर्वरक, अखबारी कागज, कागज तथा लुग्दी बनाने के लिए, पता लगाया गया है जिनकी भारत को निर्यातों की संभाव्यताएं हैं। औद्योगिक सहयोग के लिए जिन अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाया गया है वे मशीनी औजार, कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों तथा अन्य लघु क्षेत्र उद्योगों के विकास से सम्बन्धित है। दोनों पक्ष उपरोक्त क्षेत्रों में संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए सहमत हैं।

तथापि, भारत सरकार ने अब तक ढाका, बंगला देश के मिस्टर अब्दुल अजीज मोहम्मद भाई के सहयोग से हाई-फैशन परिधान बनाने के लिए बंगला देश में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए जुलाई, 1979 में मैसर्स मोहन होल्डिंग्स प्रा० लि० को स्वीकृति दी है।

(घ) तथा (ङ) बंगल देश में संयुक्त परियोजनाएं स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी भारतीय उद्योगपतियों से प्राप्त प्रस्तावों पर बंगला देश सरकार द्वारा दी गई स्वीकृतियों के सम्बन्ध में सरकार ब्यौरा नहीं रखती है।

अधिक समय तक उपयोग में लायी गयी तथा पुरानी मशीनरी के कारण सूती धागे की हानि

3872. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिक समय तक उपयोग में लाई गई तथा पुरानी हो चुकी मशीनरी के कारण सूती धागे की कोई वार्षिक हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और इस संबंध में क्या कठिनाइयां अनुभव की जा रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) दिसम्बर, 1976 में राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद द्वारा किए गये येअध्ययन में बताया गया कि विश्लेषण के अन्तर्गत अवधि के दौरान क्षमता के कम उपयोग के कारण उत्पादन में लगभग 184 मिलियन कि० ग्रा० काटन यार्न की हानि होगी। यह हानि केवल मशीनरी के अधिक इस्तेमाल तथा पुरानी मशीनरी के कारण ही नहीं हुई है।

अधिकांश मिलों ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की आसान शर्तों पर ऋण योजना की सहायता से अपने यूनिटों का आधुनिकीकरण करने के कार्यक्रम आरंभ किए हैं।

यमुनापार क्षेत्र शाहदरा, दिल्ली में सुपर बाजार

3873. **श्री चिन्तामणि जैना:** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना पार क्षेत्र शाहदरा दिल्ली में सुपर बाजार का निर्माण करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में सुपर बाजार खोलने की नई योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समय यमुना-पार क्षेत्र में सुपर बाजार की निम्नांकित शाखाएं कार्य कर रही हैं :—

1. खिचड़ीपुर 2. विवेक विहार
3. मानसरोवर पार्क 4. कान्ति नगर

उपयुक्त स्थान तथा व्यापार सुलभ होने पर यमुना पार क्षेत्र में सुपर बाजार की और शाखायें खोली जायेंगी ।

निरर्थक सरकारी खर्च की रोकथाम के लिए किए गए उपाय

3874. **श्री गिरिधर गोमांगो:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों के निरर्थक सरकारी खर्च की रोकथाम करने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या उपाय किए हैं;

(ख) आवंटित निधि को व्ययगत होने से बचाने और उसका ठीक समय पर उपयोग करने के लिए केन्द्र और राज्यों ने क्या उपाय किए हैं ; और

(ग) संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने और निधि को व्ययगत होने से बचाने के उद्देश्य से क्या वित्तीय वर्ष को 31 मार्च से 15 जून में परिवर्तित करने का कोई विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) केन्द्रीय मंत्रालयों के फजूल के सरकारी खर्चे की रोकथाम के लिए किए गए उपायों में पदों को बनाने/भरने पर रोक, यात्रा भत्ता और समयोपरि भत्ता जैसे भत्तों को नियमित करने और फुटकर व्यय, स्टाफ कारों, टेलीफोनों और अन्य मदें जैसे फर्नीचर की खरीद, सम्मेलनों का आयोजन, सरकारी आतिथ्य सत्कार, पैट्रोल, पेपर, बिजली आदि की खपत, पर खर्च में कटौती जैसे उपाय शामिल हैं ।

जबकि ये उपाय अपने आप में वांछनीय हैं, परन्तु ऐसा हो सकता है कि ये उपाय काफी बचत न दे पायें । इसलिए सरकार का ये विचार है कि सही अर्थों में किफायत को केवल स्कीमों/परियोजनाओं के ठीक चयन और उनके कुशल क्रियान्वयन द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है । एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार परियोजनाओं का ठीक चयन, मूल्यांकन और क्रियान्वयन द्वारा ही केवल ये सुनिश्चित हो सकेगा कि हम अपने निवेशों से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें । सरकार का यह प्रयास होगा कि परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर नजदीकी निरीक्षण द्वारा सरकारी खर्च पर प्रभावकारी उपायों में उत्तरोत्तर सुधार होता रहे । आर्थिक सहायता, जो कि सरकारी खर्च का एक बहुत बड़ा अंश होती हैं, को भी समीक्षाधीन रखा जाए ।

(ख) परियोजनाओं पर व्यय के संभावित स्तरों में गिरावट का एक कारण, जिसके परिणामस्वरूप बजट अनुमानों और वास्तविक व्यय के बीच अंतर होता है, वह यह है कि परियोजनाओं के लिए अपेक्षित जन-शक्ति तथा सामग्री पर्याप्त भावी आयोजन से अपेक्षाकृत कम है । इससे बजट अनुमान अवास्तविक हो जाते हैं और शुरू में निर्धारित लक्ष्य भी पूरे नहीं होते । इसलिए, वित्त मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर ये हिदायतें जारी की है कि कुछ वर्षों के लिए जन-शक्ति और साज-सम्मान के अनुसार "फार्वड लुकिंग बजट" तैयार करें और इसकी सामयिक समीक्षा करें ताकि प्रशासनिक प्राधिकरणों को वास्तविक बजट तैयार करने में सहायता मिले तथा प्रत्येक वर्ष इसके निष्पादन को नियंत्रित किया जा सकें । इसके अलावा, एकीकृत वित्तीय सलाहकार स्कीम शुरू हो जाने से एकीकृत वित्तीय सलाहकार को मंत्रालय द्वारा बजट बनाने, वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के लिए परियोजनाओं और कार्यक्रमों की संवीक्षा करने और बजट के बाद सतर्कता करने जैसे कार्यों में सहायता करनी पड़ती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि न तो खर्च में काफी गिरावट आयी है और न ही कोई ऐसा अप्रत्याशित व्यय किया गया है जिसके लिए न तो मूल बजट में अथवा संशोधित अनुमानों में व्यवस्था नहीं की गई हो । व्यय संबंधी सभी प्रस्तावों को तैयार करने और उनके क्रियान्वयन के साथ

एकीकृत वित्तीय सलाहकार और उसके कर्मचारियों के निकट संपर्क से, आवंटित निधियों के समाप्त होने पर नियंत्रण रखने और उनके समय पर उपयोग किए जाने में सहायता मिलती है ।

(ग) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दुर्घटना बीमा के दावे

3875. **श्री ओस्कर फर्नान्डीस** - क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी वर्ष हुई दुर्घटनाओं की कुल संख्या की तुलना में दुर्घटना बीमा के कुल कितने दावे प्राप्त हुए हैं और किसी वर्ष होने वाली दुर्घटनाओं की कुल संख्या की तुलना में दुर्घटना के दावों का प्रतिशत अनुपात क्या है ;

(ख) पिछले एक वर्ष में प्राप्त ऐसे दावों के संबंध में दुर्घटना के कुल कितने दावों का निपटान किया गया और प्राप्त दावों की तुलना में दुर्घटना के निपटाये गए दावों का प्रतिशत अनुपात क्या है ; और

(ग) इस संबंध में प्राप्त दावों के संबंध में दुर्घटना बीमा के कुल कितने दावों को अस्वीकृत किया गया और एक वर्ष में प्राप्त ऐसे दावों की तुलना में अस्वीकृत किए गए दावों का प्रतिशत अनुपात क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) माननीय सदस्य ने जिस ढंग से सूचना मांगी है वह असानी से उपलब्ध नहीं है फिर भी भारत में बीमा कंपनियों के पास दर्ज कराए गए मोटर दुर्घटना बीमा दावों के संबंध में उपलब्ध सब से हाल की सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	वर्ष के आरंभ तक बकाया दावों की संख्या	सूचित किए गए नए दावों की संख्या	जोड़ (2+3)	वर्ष के दौरान निपटाए गए तथा/अथवा बन्द कर दिए गए दावों के मामलों की संख्या	प्रतिशत (5)/(4)
1	2	3	4	5	6
1978 . .	1,04,887	1,60,724	2,65,611	1,43,782	54.1
1979 . .	1,21,829	1,82,286	3,04,115	1,59,273	52.4

बीमा कंपनियां दावों को उचित समय सीमा के अन्दर अन्दर निपटाने का हर सम्भव प्रयास करती हैं। रद्द कर दिए गए दावों के संबंध में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन इन्हें निपटाये गए दावों की "संख्या" वाले कालम के अन्तर्गत आंकड़ों में शामिल किया गया है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की आन्ध्र प्रदेश में नई शाखाएं खोला जाना

3876. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की अगले तीन वर्षों में आन्ध्र प्रदेश में नई शाखाएं खोलने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो किस किस बैंक की शाखाएं किस किस स्थान पर खोली जानी हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) 1979-81 की अवधि के लिये भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा लायसेंसिंग नीति में यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है कि इस अवधि के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के शाखा विस्तार प्रयासों में उन जिलों के बैंक रहित ग्रामीण और अर्ध-शहरी स्थानों में शाखायें खोलने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाये जहां कि बैंकिंग व्याप्ति प्रति 20,000 लोगों के लिये एक ग्रामीण/अर्धशहरी शाखा से कम है। आंध्र प्रदेश राज्य में जिलावार सूचना विवरण में इस तरह दिखाई गई है : (1) उपर्युक्त निर्दिष्ट मानदण्ड के अनुसार अपेक्षित ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाओं की कुल संख्या (2) दिसम्बर, 1979 के अंत की स्थिति के अनुसार कार्यरत ग्रामीण/अर्धशहरी शाखाओं की संख्या और (3) दिसम्बर, 1979 के अंत की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिये गये और उन बैंकों के पास अनिष्पादित पड़े लायसेंसों/आवंटनों की संख्या रिजर्व बैंक, राज्य सरकार और बैंकों के परामर्श से कमी वाले जिलों में शाखायें खोलने के लिये और अधिक आवंटन करने की प्रक्रिया को जारी रख रहा है।

उन स्थानों के नाम, जिनके लायसेंस/श्राबंटन ग्रनिष्पादित है, लोकसभा के 1 फरवरी, 1980 के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 226 के उत्तर में दिये गये आश्वासन को पूरा करने के संदर्भ में 12 जून, 1980 को सदन के पटल पर रख दिये गये हैं।

विवरण

राज्य : आंध्र प्रदेश

जिला	मानदण्ड के ग्रनुसार ग्रपेक्षित ग्रामीण/ग्रर्ध-शहरी शाखाग्रों की संख्या	दिसम्बर, 1979 के ग्रंत की स्थिति के ग्रनुसार कार्यरत ग्रामीण/ग्रर्धशहरी शाखाग्रों की संख्या	दिसम्बर, 1979 के ग्रंत की स्थिति के ग्रनुसार ग्रामीण/ग्रर्धशहरी स्थानों के लिये लाइसेंस/ग्राबंटनों की ग्रनिष्पादित संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
ग्रादिलाबाद . . .	64	43	8
ग्रनन्तपुर . . .	105	96	19
चित्तूर . . .	114	111	14
कुडाप्पा . . .	79	85	5
पूर्वी गोदावरी . .	138	121	24
गुंटूर . . .	124	117	16
करीमनगर . . .	98	74	27
खमाम . . .	69	72	8
कृष्णा . . .	103	106	..
कुरूनूल . . .	92	101	4
महबूब नगर . . .	96	73	17
मेडक . . .	74	47	7
नलगोंडा . . .	91	94	15
नेल्लोर . . .	74	63	7
निजामाबाद . . .	60	54	11
प्रकासम . . .	96	98	2
वारंगल . . .	83	56	6
पश्चिम गोदावरी . .	112	125	..
हैदराबाद } . . .	54	12	..
रंगारेड्डी } . . .		43	20
श्रीकाकुलम } . .		68	14
विशाखापटनम } . .	252	79	14
विजयनगरम } . .		62	1
जोड़ .	1,978	1,820	239

दीर्घावधि नीति का प्रतिपालन

3877. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि-आशंका को दृष्टि में रखते हुए सरकार से दीर्घावधि बैंक नीति को प्रतिपादित करने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत): (क) और (ख) जी, हां । यह सुझाव सरकार ने नोट कर लिया है । किन्तु यह उल्लेखनीय है कि दीर्घकालीन नीति की व्यापक सीमाए जिनका सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अनुपालन करने की आशा की जाती है वही हैं जिन्हें 19 जुलाई, 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद 21 जुलाई, 1969 को प्रधान मंत्री द्वारा दोनों सदनों में अपने बयान में बताया था । ये सीमाएं बैंकों की उसी भूमिका के संदर्भ में अभी भी वैध हैं, जिसकी उनसे, सामान्य रूप से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों में और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को और ग्रामीण इलाकों में, ऋण सहायता बढ़ाकर आर्थिक विकास के संवर्द्धन में निभाने की आशा की जाती है । इन लक्ष्यों और अनिवार्यताओं के व्यापक ढांचे के भीतर, सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बदलती हुई परिस्थितियों की आपात आवश्यकताओं के संदर्भ में समय समय पर विशिष्ट निदेश/मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये जाते हैं ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का प्रशासनिक व्यय

3878. **श्री राम विलास पासवान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के "गैर-विनिर्माता" उद्यमों का गत तीन वर्षों के दौरान कुल उत्पादन, शुध्द लाभ तथा प्रशासकीय खर्च कितना कितना रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह प्रशासकीय खर्च अत्यधिक है तथा उसका कोई औचित्य नहीं है ;

(ग) इस प्रशासकीय खर्च में किन-किन मदों को सम्मिलित किया गया है ; और

(घ) इस खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए क्या उपाय किये गये हैं और उनके फलस्वरूप खर्च में किस हद तक कमी की जा सकी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) अनुमान है कि माननीय सदस्य उन गैर-विनिर्माता उद्यमों की कुल बिक्री की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जिनमें से अधिकांश उद्यम सेवाएं प्रदान करते हैं । उन उद्यमो की गत तीन वर्ष की कुल बिक्री एवं कर पश्चात् निवल लाभ का ब्यौरा इस प्रकार है :--

(करोड़ रुपयो में)

	1978-79	1977-78	1976-77
कुल बिक्री	6,695	6,875	5,510
कर पश्चात् निवल लाभ . . .	55	79	96

सरकारी उद्यमों द्वारा प्रशासनिक व्यय का लेखा अलग से नहीं रखा जाता क्योंकि कम्पनी अधिनियम के अधीन ऐसा करना आवश्यक नहीं है । अतः सरकारी क्षेत्र के गैर-विनिर्माणकारी उद्यमो के प्रशासनिक व्यय का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

(ख) सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन को समय-समय पर की जाने वाली समीक्षा सम्बन्धी बैठकों और अन्य गहन अध्ययनों से सरकार को इस बात की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि उन का प्रशासनिक व्यय, खासकर कारोबार में हुई वृद्धि एवं मुद्रा स्फीति के रुख के कारण काम में आने वाली सामग्री की लागत में हुई वृद्धि को देखते हुए, अनुचित रूप से बहुत अधिक या अनौचित्य पूर्ण है ।

(ग) सामान्यतः प्रशासनिक व्यय में प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन एवं मजूरी, विपणन, प्रचार, अतिथि सत्कार, अतिथि गृहों के अनुरक्षण सम्बन्धी खर्च तथा विभिन्न उपान्त लाभ शामिल हैं ।

(घ) सरकार ने हाल ही में प्रशासनिक व्यय, खासकर अतिथि सत्कार, कार-सुविधाओं, अतिथि गृहों, होटल आवास आदि पर किए जाने वाले खर्चों पर कड़ा नियन्त्रण रखने के लिए सरकारी उद्यमों को अनुदेश जारी किए हैं । किन्तु यह अलग से नहीं बताया जा सकता है कि इन अनुदेशों के कारण प्रशासनिक व्यय में कितनी कमी हुई है ।

दिल्ली में बहु-मंजिली इमारतों का आय-कर विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य

3879. **श्री राम विलास पासवान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बनाई गई और निर्माणाधीन उन इमारतों की संख्या कितनी है जो आय-कर विभाग के ध्यान में है;

(ख) इनमें से प्रत्येक इमारत का आय-कर विभाग द्वारा आंका गया मूल्य क्या है और आय-सम्पत्ति के विवरणों में दिखाया गया मूल्य क्या है तथा इन दोनो में कितना अन्तर है ;

(ग) क्या इस बारे में आवश्यक जांच करके इस अन्तर पर देय कर की वसूली के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक इमारत के सम्बन्ध में वसूल किए जा रहे अतिरिक्त कर पेनल्टी और ब्याज की राशि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन-पटल पर रख दी जायगी।

सरकारी उपक्रमों के स्वामित्व में अतिथि गृहों पर व्यय

3880. **श्री राम विलास पासवान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक सरकारी उपक्रम के कितने अतिथि गृह हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति मास उनमें कितने-कितने अतिथि ठहरे और उन अतिथि गृहो पर कितना व्यय हुआ ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) तथा (ख) यथासुलभ जानकारी विवरण में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी० 1061/80]

अहमदाबाद हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल भवन

3881. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद हवाई अड्डे पर नये टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य रुक गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त भवन के निर्माण कार्य को अविलम्ब पूरा कराने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कपड़ा मिलों का बन्द होना

3882. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कपड़ा मिलों के राज्यवार और वर्ष-वार नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान और वर्ष वार (एक) वित्तीय कठिनाइयों (दो) श्रमिक अशान्ति (तीन) साझीदारों के बीच मतभेदों के कारण बन्द कर दिया गया है ;

(ख) क्या इनमें से कुछ को फिर से चालू किया गया है ; और

(ग) शेष मिलों को चालू कराए जाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) मिलो के बंद होने की बात अकसर वित्तीय कठिनाइयों या श्रमिक अशान्ति या दोनो के कारण पैदा होती है। गत तीन वर्षों के दौरान जो मिलें बंद हुई उनकी सूची संलग्न है जिसमें उनके पुनः खलने के ब्यौरे भी दिए गए हैं। किन्तु भागीदारों के बीच विवाद हो जाने पर मिलों के बंद होने के कोई समाचार नहीं मिले हैं।]

(ख) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) बंद मिलों को पुनः खोलने का निर्णय मामले के गुणावगुणो के आधार पर लिया जाता है। जो मिलें अन्यथा जीवनक्षम होती हैं, उन्हें संबंधित वित्तीय संस्थाओं तथा बैंको के प्रयास से अथवा स्वस्थ एककों के साथ उनका विलय करके या केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन प्रबंध का अधिग्रहण करके पुनः खोला जाता है।]

विवरण

सूती वस्त्र मिलें, जो वित्तीय कठिनाइयों के कारण बंद हुई

मिल का नाम	30-4-78	30-4-79	30-4-80	10-6-80
	की स्थिति			
गुजरात				
1. मानकचौक एंड अहमदाबाद मन्युफक्चरिंग कं० लि०, अहमदाबाद ।	14-12-76 से बन्द पड़ी है ।	बन्द पड़ी है	बन्द पड़ी है	बन्द पड़ी है
2. नवज्योत मिल्स, काडी	25-1-77 से बंद पड़ी है ।	—वही—	—वही—	—वही—
3. अहमदाबाद लक्ष्मी काटन मिल्स, अहमदाबाद ।	12-8-79 से बंद पड़ी है ।	—वही—	17-5-79 से पुनः खोली गई है ।	कार्य कर रही है ।
4. सिद्धपुर मिल्स, सिद्धपुर	काय कर रही है	23-2-79 से बंद पड़ी है ।	17-1-80 से पुनः खोली गई ।	—वही—
कर्नाटक				
5. महासेवा टैक्सटाईल्स, हुबली	1-12-77 से बंद पड़ी है ।	बंद पड़ी है	13-6-79 से पुनः खोली गई है ।	—वही—
केरल				
6. मालाबार स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, कालीकट ।	1-10-76 से बंद पड़ी है ।	29-6-78 से पुनः खोली गई है ।	कार्य कर रही है	—वही—
उत्तर प्रदेश				
7. जे० के० मन्युफक्चरर्स, लि० कानपुर ।	1-10-76 से बंद पड़ी है ।	बंद पड़ी है	बंद पड़ी है	बंद पड़ी है

सूती वस्त्र मिलें जो श्रमिक अशान्ति से बंद हुई

मिल का नाम	30-4-78	30-4-79	30-4-80	10-6-80
	की स्थिति			
आन्ध्र प्रदेश				
1. दिवान बहादुर रामगोपाल मिल्स लि०, सिकन्दराबाद ।	चल रही है	चल रही है	21-4-80 से बंद पड़ी है ।	बंद पड़ी है
उत्तर प्रदेश				
2. स्वदेशी काटन मिल्स लि०, कानपुर ।	6-12-77 से बंद पड़ी है ।	चल रही है 1-5-78 से पुनः खोली गई है ।	चल रही है	चल रही है
3. मोदी स्पि० एण्ड वीविंग मिल्स, मोदीनगर ।	चल रही है	चल रही है	चल रही है	17-5-80 से बंद पड़ी है ।

विवरण—जारी

मिल का नाम	30-4-78	30-4-79	30-4-80 की स्थिती	10-6-80
प० बंगाल				
4. श्री दुर्गा काटन मिल्स लि०, कोनानगर।	25-11-76 से बंद पड़ी है।	चल रही है 1-8-78 से पुनः खोली गई है।	चल रही है	चल रही है
5. केसोराम इंडस्ट्रिज एंड काटन मिल्स लि०, कलकत्ता।	चल रही है	चल रही है	13-1-80 से बंद पड़ी है।	चल रही है 5-6-80 से पुनः खोली गई है।
6. मोहिनी मिल्स लि०, वेलधारिया, कलकत्ता।	चल रही है	चल रही है	28-2-80 से बंद पड़ी है।	बंद पड़ी है
7. जयश्री टेक्सटाइल्ज एंड इंडस्ट्रीज लि०, रिशरा।	चल रही है	चल रही है	चल रही है	20-5-80 से बंद पड़ी है।
पाण्डिचेरी				
8. एंग्लो-फ्रेंच टैक्सटाइल्ज, पाण्डिचेरी।	14-3-78 से बंद पड़ी है।	चल रही है जून, 78 से पुनः खोली गई है।	चल रही है	चल रही है

भागीदारों में विवाद होने के कारण किसी भी मिल के बंद होन के कोई समाचार नही मिले हैं।

मंत्रियों के दौरों और उनके साथ जाने वाले कर्मचारियों पर व्यय

3883. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या वित्त मंत्री यह बत ने की कृपा क रेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान कन्द्रीय सरकार के अनेक मंत्रियों द्वारा किये गये विदेशो के दौरो पर और उनके साथ जाने वाले स्टाफ पर कुल कितनी राशि व्यय की गयी ; और

(ख) उन्होंने किन देशों का दौरा किया और क्या सौदे किये गये ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) पहली अप्रेल, 1977 से 31 मार्च, 1980 तक की अवधि के लिए मंत्रियों और उनके वयक्तिक कर्मचारियों के संबंध में अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और ज्योंहि उपलब्ध होगी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विज्लिंगम् कोवलम् पत्तन को सीमाशुल्क पत्तन घोषित करना

3884. **श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को यह जानकारी है कि उनके पास विजलिंगम कोवलम् पत्तन को सीमाशुल्क पत्तन घोषित करने से संबंधित एक प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां तो सरकार ने इस बारे में क्या कर्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) इन दोनों स्थानों को सीमाशुल्क पत्तनों के रूप में घोषित करने के संबंध में एक प्रस्ताव प्रात हुआ था। इन स्थानों से विदेश व्यापार की दिशा और वास्तविक अथवा संभावित मात्रा को देखते हुए सरकार के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नहीं हो पाया है। तथापि कोवालम्, तटीय व्यापार के प्रयोजनार्थ एक पत्तन है।

विदेशी ऋणों पर व्याज की अदायगी

3885. **श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार** : क्या वित्त मंत्री यह जनकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि पिछले वित्ताय वर्ष के दौरन ऐसे प्रत्येक देश को व्याज के रूप में कितनी रशि अदा की गई जिससे भारत सरकार ने ऋण ले रखा है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : विदेशों से प्राप्त ऋणों पर, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1979-80 के दौरान देय ब्याज की अनुमानित राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

देश का नाम	रकम (करोड़ रुपए)	देश का नाम	रकम (करोड़ रुपए)
1. आस्ट्रिया	0.81	14. हंगरी	0.28
2. बेल्जियम	0.75	15. पोलैंड	0.21
3. कनाडा	1.93	16. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	9.78
4. डेनमार्क	0.05	17. यगोस्लाविया	नगण्य
5. जर्मन संघीय गणराज्य	35.56	18. संयुक्त अरब अमीरात	1.42
6. फ्रांस	16.47	19. आबू-धाबी निधि	0.36
7. इटली	1.14	20. कुवैत निधि	1.81
8 जापान	35.41	21. सऊदी निधि	0.42
9. नीदरलैंड	9.73	22. इराक	3.22
10. स्विट्जरलैंड	1.24	23. ईरान	20.31
11. ब्रिटेन	9.43		
12. संयुक्त राज्य अमेरिका	52.67	जोड़	203.83
13. चेकोस्लोवाकिया	0.83		

केन्द्रीय राजस्वों में वेतन और भत्तों पर व्यय का प्रतिशत

3886. **श्री ए० नीलालोहितदासन नाडार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के राजस्वों में वेतन और भत्ते संबंधी व्यय की प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : असैनिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के राजस्व में वर्ष 1978-79 के दौरान वेतन और भत्ते संबंधी व्यय की प्रतिशतता 15.6 है।

गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा कदाचार

3887 **श्री के० मालना** : क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रिजर्व बैंक से इन आरोपों की जांच करने को कहा है कि अनेक गैर बैंकिंग कम्पनियां धन वापसी के मामले में कदाचार कर रही हैं और मूल धन तथा ब्याज का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इन कम्पनियों के प्रति जमाकर्ताओं के आकर्षण का एक मुख्य कारण यह है कि ये 16 या 17 प्रतिशत की दर से ब्याज देती हैं जबकि बैंक पांच वर्षों या इससे अधिक समय के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत की दर से ब्याज देते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से इस मामले में किसी किस्म की आम जांच करने के लिये नहीं कहा है। अलबत्ता, जब व्यक्तियों से, गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा मूलधन को वापस न किये जाने और/अथवा ब्याज की गैर-अदायगी के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उन्हें उचित कार्यवाही के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में लाया जाता है।

(ख) बहुत सी गैर बैंकिंग कम्पनियां, बैंकों द्वारा दी जा रही ब्याज दरों से सामान्यत: ऊंची ब्याज दरों पर सावधिक जमा-राशियां आमंत्रित कर रही हैं।]

(ग) कम्पनियों द्वारा स्वीकृत की जा सकने वाली जमा राशियों की ऊपरी सीमा निश्चित कर दी गई है। यह कार्य गैर-बैंकिंग विविध और वित्तीय कम्पनियों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और गैर-बैंकिंग, गैर-वित्तीय कम्पनियों के संबंध में कम्पनियां (जमा राशियां स्वीकार करना) नियम 1975 के अधीन कम्पनी कार्य विभाग द्वारा जारी किये गये निदेशों के माध्यम से किया गया है।

पालिसीधारियों की शिकायतों पर सरकार की प्रतिक्रिया

3888. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के पालिसीधारियों को अप्रैल 1980 में इस संस्था द्वारा घोषित उपायों से वास्तविक रूप में हानि हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एजेंटों ने सरकार को यह ज्ञापन दिया है कि 'लाभ रहित' पालिसियों के मामले में जबकि किश्तदरों में की गई कमी मुख्यतः भ्रमिक और सीमान्त है, जीवन बीमा निगम की अत्यधिक लोकप्रिय ऋण की सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो पालिसाधारियों की शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, नहीं। जीवन बीमा निगम ने अपने प्रीमियम की चालू दरों की जांच करने और उन में संशोधन करने के लिए बीमांकिक आधारों का सुझाव देने के लिए बीमांककों की एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा निगम द्वारा प्रीमियमों की दरों में किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप अधिकांश आयोजनाओं के अंतगत प्रीमियमों की दरों में कमी और मनी बैंक प्लान के अंतर्गत प्रीमियमों की दरों में मामूली सी वृद्धि की गई है। प्रीमियम की दरों में किए गए संशोधनों से अलग अलग पालिसी-होल्डर को होने वाला लाभ अथवा हानि बीमा आयोजना के चुनाव के और पालिसी की अवधि पर निर्भर करती है।

(ख) जी, हां।

(ग) ज्ञापन में कहा गया है कि जबकि एक ओर प्रत्याशित बंदोबस्त बीमा आयोजनाओं को समाप्त कर दिया गया है, मनी बैंक प्लान के अंतर्गत प्रीमीयम की दरें बढ़ा दी गई है और मती बैंक प्लान के अंतर्गत ऋण की सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रत्याशित बंदोबस्त आयोजनाएं मनी बैंक प्लान के साथ साथ दोहरकम में को खत्म करन के लिए समाप्त की गई हैं। इसके अलावा, मनी बैंक प्लान के अंतगत प्रामियमों की दरों में मामूली सी बढ़ौतरी उन बीमांकिक आधारों में परिवर्तन किए जाने के परिणामस्वरूप हुई है, जिन पर प्रीमियम की दरों में समचित संशोधन किया गया है। मनी बैंक प्लान में ऋण की सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि प्रत्याशित बंदोबस्त आयोजनाओं की तुलना में इसके अंतर्गत बीमाकृत राशि की बड़ी और अधिक बारंबार किस्तों की अदायगी की व्यवस्था है और इसी वजह से मनी बैंक पालिसियों के अंतर्गत प्रारक्षित राशि अपेक्षाकृत कम होती है।

चूंकि प्रीमियम की दरों में संशोधन और जीवन बीमा निगम द्वारा शुरू किए गए परिवर्तन बीमांकिक दृष्टिकोण के आधार पर किए गए हैं और इनमें सभी वास्तविक तथ्यों पर सोच विचार कर लिया गया है, इसलिए सरकार का इस मामले में हस्तक्षेप करने का विचार नहीं है।

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

3889. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्राधिकरण लिमिटेड के प्रबंधकों ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि गत चार वर्षों के दौरान लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिये इस्पात के मूल्यों में वृद्धि की जाय ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में राष्ट्रीयकृत बैंकों में रोजगार के अवसर

3890. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के राष्ट्रीयकृत बैंकों में, बैंक-वार, आगामी तीन वर्षों में रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) कर्नाटक में, जिला-वार और बैंक-वार राष्ट्रीयकृत बैंकों में अब तक कुल कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ; और

(ग) राज्य में, बैंक-वार और जिला-वार इन बैंकों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों की काफी बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए, जिनकी कर्नाटक राज्य में बहुत बड़ी तादाद में शाखायें हैं जिलावार और शाखावार सूचना एकट्ठी करने का कार्य बहुत समय साध्य होगा और वह इस में लगने वाले समय एवं श्रम के अनुरूप नहीं होगा । अलबत्ता इस पूरे राज्य में बैंकवार सूचना इकट्ठी की जायेगी और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) कारोबार बढ़ने के साथ साथ, बैंक अभी तक बैंक विहीन क्षेत्रों में अधिकाधिक शाखायें खोल रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप बैंकिंग उद्योग में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है ।

सी० डी० ए० पटना में भर्ती की पद्धति

3891. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोन के आधार पर भर्ती की वर्तमान पद्धति से रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना में स्वीकृत पदों की तुलना में कर्मचारियों की कुल संख्या असंतुलित हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार स्थानान्तरण और यात्रा भत्ते पर होने वाले खर्च से बचने के लिये राज्य आधार पर भर्ती की नीति को अपनाने के बारे में विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के सराय डाला स्थित केन्द्रीय कार्यालय की कर्मचारी कैन्टीन के लिए राज सहायता

3893. **श्री ए० के० राय :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के सराय डाला स्थित केन्द्रीय कार्यालय की कर्मचारी कैंटीन में प्रबंधकों द्वारा राज सहायता मंजूर न किये जाने के कारण आरम्भ नहीं किया जा सका ; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारी कैंटीन के लिय राज सहायता न मंजूर किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय बैंकों के प्रबन्ध निदेशकों और अन्य निदेशकों के चयन की प्रक्रिया

3894. **श्री एन० डेनिस :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के (1) प्रबन्ध निदेशकों और (2) अन्य निदेशकों के चयन के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति जोकि उसका मुख्य कार्यपालक भी होता है, रिजर्व बैंक के परामर्श से "राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970" के खंड 3(क) के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है । प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक के पद के वास्ते, किसी व्यक्ति के चयन के लिए कसौटी यह है कि वह या तो बैंक/बैंकिंग उद्योग के भीतर का व्यक्ति हो अथवा बैंकिंग उद्योग से बाहर का कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे वित्तीय, आर्थिक अथवा व्यावसायिक प्रबंध का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो । विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव के अतिरिक्त उस चुने जाने वाले व्यक्ति में नेतृत्व के गुण भी होने चाहिएं और वह, सरकार की विवेक बुद्धि में बैंक के शीर्ष स्थान के लिए अत्यंत उपयुक्त होना चाहिए ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में अन्य निदेशकों की नियुक्तियां उपर्युक्त स्कीम के खण्ड 3(ख) से (घ) तक (देखिए विवरण) के उपबंधों के अनुसार की जाती हैं ।

विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 3 का उद्धरण

3. **बोर्ड का गठन** :--इस स्कीम के प्रारंभ के यथासम्भव शीघ्र पश्चात् केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक का निदेशक बोर्ड गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :--

(क) दो से अनधिक पूर्णकालिक निदेशक, जिनमें से एक प्रबंध निदेशक होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किए जाएंगे ।

(ख) (1) राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मचारियों में से, जो कर्मकार हो, एक निदेशक, केन्द्रीय सरकार द्वारा, प्रतिनिधि संघ द्वारा उसे प्रस्तुत ऐसे तीन कर्मचारियों के पेनल में से, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर नियुक्त किया जाएगा और यह तारीख केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी संसूचना की तारीख से, जिसमें प्रतिनिधि संघ से नामों का पेनल प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी है, छः सप्ताह से अधिक की नहीं होगी :

परन्तु जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि प्रतिनिधि संघ के रूप में किसी संघ या परिसंघ के सत्यापन और प्रमाणन में संभावित विलम्ब के कारण राष्ट्रीयकृत बैंक के हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी कर्मचारी को, जो कर्मकार है ; उस बैंक का निदेशक नियुक्त कर सकती है ।

(2) (क) जहां राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई प्रतिनिधि संघ नहीं है, या

(ख) जहां ऐसा प्रतिनिधि संघ विद्यमान होते हुए भी, विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर नामों का पेनल नहीं देता या देने में असफल रहता है, या

(ग) जहां प्रतिनिधि संघ द्वारा दिए गए पेनल; विनिर्दिष्ट सभी व्यक्ति चाहे इस खंड की मद (1) के अधीन या खण्ड 10 के अधीन निरर्हित है ; वहां केन्द्रीय सरकार, अपने विवेकानुसार, राष्ट्रीयकृत बैंक के ऐसे कर्मकार को जैसा वह उचित समझे, ऐसे बैंक का निदेशक नियुक्त कर सकती है ;

(3) राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई कर्मकार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से निरर्हित होगा, यदि :--

(क) वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में या विद्यमान बैंक में, जिसका कि वह राष्ट्रीयकृत बैंक तत्स्थानी नया बैंक है, या भागतः एक में और भागतः दूसरे में, लगातार पांच वर्ष से अन्यून की कालावधि से सेवा न कर रहा हो ; और

(ख) वह ऐसी आय का है कि इसकी सम्भावना नहीं है कि वह निदेशक के रूप में अपनी पदावधि के दौरान् ही अपनी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करेगा ;

(ग) एक निदेशक, जो राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारियों में से, जो कर्मकार नहीं है, केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किया जाएगा ;

(घ) एक निदेशक, जो केन्द्रीय सरकार की राय में निक्षेपकर्त्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है, बैंक के निक्षेपकर्त्ताओं में से, केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किए जाएगा ;

(ङ) तीन निदेशक, जो केन्द्रीय सरकार की राय में क्रमशः कृषकों, कर्मकारों और शिल्पियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है, केन्द्रीय सरकार द्वारा और रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किए जाएंगे ;

(च) पांच से अनधिक निदेशक, जो ऐसे किसी एक या अधिक विषयों की बाबत जिनकी राष्ट्रीयकृत बैंक के कार्यकरण में लाभदायक होने की संभावना है, विशेष ज्ञान या प्रयोगात्मक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से, कन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किए जाएंगे ;

(छ) एक निदेशक, जो रिजर्व बैंक का पदाधिकारी है, केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण

इस उप खण्ड के प्रयोजनों के लिए 'रिजर्व बैंक का 'पदाधिकारी' में रिजर्व बैंक का ऐसा पदाधिकारी शामिल है जिसे उक्त बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 54 क के अध्यधीन, उसमें उल्लिखित किसी संस्था में प्रतिनियुक्त किया हो ।

(ज) एक निदेशक, जो केन्द्रीय सरकार का पदाधिकारी है, उस सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

मध्य प्रदेश में डल्ली राझरा लौह अयस्क खानों में काम करने वाले श्रमिक

3895. **श्री ए० के० राय** : क्या इस्पात और खान मंत्री मध्य प्रदेश के डल्ली राझरा में रक्षित लौह अयस्क खानों में कार्य संचालन के संबंध में 21 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1426 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि कर्मचारियों का विभागीकरण के बजाय उन्हें काम से रोक दिया गया है जिससे उनमें गरीबी और भुखमरी व्याप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम के अंतर्गत सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके 10 मई, 1980 से (1) ऊपरी भार हटाने (2) वेधन तथा विस्फोटन और (3) लौह अयस्क की खानों में प्लोट और आपरेशन के लिये ठेका श्रमिक रखने पर रोक लगा दी है । उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार भिलाई इस्पात कारखाने की दल्ली राजहरा की लौह अयस्क की रक्षित खानों में वेधन और विस्फोटन क्षेत्र ही ऐसे क्षेत्र हैं जिनका विभागीयकरण किया जाना है । विस्फोटन कार्य का विभागीयकरण कर दिया गया है तथा वेधन कार्य का विभागीयकरण करने का काम चल रहा है । अस्थायी तौर पर ठेका श्रमिकों में से 113 लोगों को नियुक्ति-पत्र जारी किए गये थे लेकिन छत्तीसगढ़ माइन्स श्रमिक संघ इस बात पर अड़ा हुआ था कि प्रबंधको को श्रमिकों में से किसी को लेने अथवा न लेने का अधिकार नहीं है और प्रबन्धकों को सभी श्रमिकों को विभागीय श्रमिकों के रूप में रखना चाहिये । अभी बातचीत चल ही रही थी कि श्रमिको ने 16 मई, 1980 से हड़ताल कर दी । औद्योगिक सम्पर्क अधिकारी इस मामले पर विचार कर रहे है और प्रबन्धक भी सभी विवादास्पद मांगों को आपसी बातचीत तथा मेलमिलाप से सुलझाने के लिये सभी संभव प्रयास कर रहे हैं । श्रमिकों के एक गिरोह द्वारा हड़ताल और गैर कानूनी गतिविधियां जारी रखने के कारण ही प्रबंधक अब तक वेधन कार्य का विभागीयकरण नहीं कर पाए हैं ।

झालावाड़ (राजस्थान) के निकट बेन्टोनाईट के निक्षेप

3896. **श्री चतुर्भुज** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वे आफ इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार जिला झालावाड़ (राजस्थान) के निकट बेन्टोनाईट के निक्षेपों का पता लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कब एवं कहां पर किया गया था और यह धातु किस-किस स्थान पर और कितनी माला में पाया गया है तथा इस धातु से युक्त पट्टी की लम्बाई क्या है ;

(ग) इस धातु का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है और उसका महत्व क्या है ;

(घ) क्या इस धातु की उपयोगिता को देखते हुए सहकार का विचार इसके खनन के गंभीर प्रयास करने का है ; और

(ङ) क्या इस धातु का उपयोग करने के लिए सरकारी क्षेत्र में किसी संयंत्र की स्थापना का विचार है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारतीय भुवैज्ञानिक सर्वेक्षण को जिला झालावाड़ (राजस्थान) में बेन्टोनाइट के किसी निक्षेप का पता नहीं चला है । परन्तु वर्ष 1978 में राज्य के खान तथा भूतत्व विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के दौरान इस जिले में बेन्टोनाइट के होने का पता चला था ।

(ख) बेन्टोनाइट कोई धातु न होकर एक प्रकार की मिट्टी है । यह मिट्टी जिला झालावाड़ में चौकी, चांडी खेडी डोबरा, जिंगरिया, मथनिया, खेटा खेदा आदि स्थानों पर पाई गई है । राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर, 1979 में चांडी खेड़ी के समीप बेन्टोनाइट के लिए विस्तृत पूर्वेक्षण शुरु किया गया था और अब तक लगभग 1 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में लगभग 40 लाख टन भंडार होने की पुष्टि हुई है । भंडारों की समग्र स्थिति का पता समन्वेषी कार्य पूरा हो जाने पर ही चल सकेगा।

(ग) बेन्टोनाइट का इस्तेमाल मुख्यत: तेल-कूपो की ड्रिलिंग, कच्चे लोहे की गोलियां बनाने, फाउंड्री, तैलाक्त रंग घोलों, चीनी मिट्टी उद्योग, रबड़ और सीमेंट आदि उद्योगों में होता है । चूंकि इसका उपयोग तेल-कूपा की ड्रिलिंग में होता है, अतः इस खनिज की मांग खाड़ी के देशों में है ।

(घ) और (ङ) इस मिट्टी के बारे में पूर्वेक्षण हो जाने तथा उसके विभिन्न गुणों का निर्धारण हो जाने के बाद ही उसके खनन के बारे में विचार किया जाएगा ।

राजस्थान में अफीम की खेती कम करने वाले किसानों के लाइसेंसों का नवीकरण

3897. **श्री चतुर्भुज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिकूल मौसम के कारण झालावाड़ और कोटा जिले (राजस्थान) में अफीम का कम उत्पादन होने के कारण अफीम की खेती के लिये जो लाइसेंस रद्द कर दिये गये थे, उनका नवीकरण नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उन अधिक उत्पादकों के लाइसेंस पुनः जारी करने का है जिन के लाइसेंस उपरोक्त कारणों से रद्द कर दिये गये थे और प्रतिकूल मौसम अथवा प्राकृतिक विपदाओं के कारण जिन्हें नुकसान हुआ है अथवा जिन्होंने अफीम की खेती का क्षेत्र कम कर दिया है ताकि उन्हें कुछ राहत दी जा सके ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) सरकार को मिली रिपोर्ट से पता चलता है कि फसल-वर्ष 1978-79 के दौरान राजस्थान यूनिट के कोटा और झालावाड़ जिलों में प्राकृतिक प्रकोपों के कारण जिन काश्तकारों की फसल को आंशिक नुकसान पहुंचा था उन्हें, वर्ष 1979-80 के लिए लाइसेंस देने संबंधी सिद्धांतों के अनुसार, अर्हता-प्रदायी उपज घटाकर प्रति हेक्टेयर 12 किलोग्राम करके 1979-80 की फसल के लिए लाइसेंस दिए गए थे। जिन मामलों में तसदीक करने के बाद यह पाया गया कि नुकसान काफी भारी तथा बड़ी मात्रा में हुआ है उनमें इस बात पर ध्यान दिए बिना ही कि काश्तकारों ने कितनी उपजदी, लाइसेंस प्रदान किए गए थे।

(ख) जैसा कि उपर्युक्त (क) के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है, प्राकृतिक प्रकोपों के कारण फसल क्षतिग्रस्त हो जाने के मामलों में उपयुक्त राहत प्रदान की जाती है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल डिवीजन में काम कर रहे उप मैनजर

3898. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल डिवीजन में कितने सहायक तथा उप मैनजर काम कर रहे हैं ;

(ख) उनमें से कितनों की भर्ती अथवा पदोन्नति विगत पांच वर्षों के दौरान हुई ; और

(ग) उनमें से कितने मद्रास केटरिंग कालेज से अर्हता प्राप्त हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) 30-6-1980 की स्थिति के अनुसार, भारत पर्यटन विकास निगम के होटल डिवीजन में जिन वरिष्ठ सहायक प्रवंधकों, सहायक प्रवंधकों और उप प्रवंधकों की गत 5 वर्षों के दौरान भर्ती की गयी तथा पदोन्नति की गयी और इस समय कार्यरत है, के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं :—

	गत 5 वर्षों के दौरान भर्ती किए गए	गत 5 वर्षों के दौरान पदोन्नत किए गए	30-6-80 को कुल संख्या
1. सहायक प्रवंधक . . .	66	11	81
2. वरिष्ठ सहायक प्रवंधक . . .	3	43	51
3. उप प्रवंधक	3	12	16

(ग) उपर्युक्त में से, दो सहायक प्रवंधक और 2 उप प्रवंधक मद्रास केटरिंग कालेज, मद्रास से अर्हता प्राप्त हैं।

राज्य पटसन निगम

3899. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार को राज्य सरकार उपक्रम के रूप में अपना एक अलग 'राज्य कपास निगम' स्थापित करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसी प्रकार पश्चिम बंगाल सरकार को भी अपना एक अवग "राज्यपटसन निगम" स्थापित करने की अनुमति दी जायगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

3900. श्री के० पी० सिंह देव : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत चार महीनो के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मूलभूत सुधार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान कितनी उचित दर की दुकानें खोली गई हैं ;

(ग) क्या इन दुकानों के लिये केन्द्रीय पूल से उठाये जाने वाले माल में वृद्धि हुई है ; और

(घ) क्या छुपाये गये सामान का पता लगाने के लिये दुकानों पर छापे मारने के प्रयास किये गये हैं और यदि हां, तो उक्त अवधि में कितने छापे मारे गये हैं और कितने अनाज का पता लगाया गया है तथा कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) उचित दर की दुकानों की संख्या जो मार्च, 1980 में 2.40 लाख थी, जून, 1980 में बढ़कर 2.55 लाख हो गई। इस प्रकार इस अवधि के दौरान 15,000 उचित दर की दुकानें खोली गई।

(ग) जी नहीं। प्रत्येक वर्ष मार्च से जून तक की अवधि के दौरान खुले बाजार में नई फसल के आने से केन्द्रीय पूल से उठाई जाने वाली खाद्यान्नों की मात्रा में कमी आ जाती है।

(घ) राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत चार महीनों के दौरान भण्डारण नियंत्रण आदेशों को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर छापे मारे गये/जांच की गई। छापों की सही सही संख्या, खाद्यान्नों की बरामद की गई मात्रा तथा दंडित व्यक्तियों की संख्या के बारे में पता लगाया जा रहा है।

कृषि विकास बैंक

3901. श्री अमर सिंह वी० राठवा :
कुमारी कमला कुमारी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों के लाभार्थ देश में कृषि विकास बैंक की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) कौन-कौन से राज्य इस प्रस्ताव की क्रियान्विति चाहते हैं ; और

(ग) प्रस्ताव में इसके अन्तर्गत किस क्षेत्र को लाया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हां। सरकार सिद्धान्ततः एक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना करने के लिये सहमत हो गई है। इस प्रस्ताव का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रस्तावित बैंक के कार्यक्षेत्र में देश के सभी राज्य शामिल होंगे।

कोयले का आयात

3902. श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला आयात करने की योजना के बारे में सहमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि आयातित कोकिंग कोयले की लागत 800 रुपये प्रति टन से अधिक आयेगी ;

(ग) मई-जून, 1980 के दौरान किन किन देशों से कोकिंग कोयले का आयात किया गया था और भविष्य में कहां कहां से आयात किया जायेगा ;

(घ) क्या जापान, आस्ट्रेलिया, सोवियत संघ से इस संबंध में करारों को अंतिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सभी करार कब तक कर लिये जायेंगे ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ) वर्ष 1980-81 के दौरान कोककर कोयला आयात करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इस बारे में निर्णय ले लिए जाने तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी कर लिए जाने के पश्चात् ही मूल्य, वे देश जिनसे आयात किया जायेगा तथा समझौते को अंतिम रूप देने के बारे में विवरण तैयार किए जा सकेंगे।

पांच विमानों को खरीदने के लिये "एयर इंडिया प्रेशर्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3903. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पांच विमानों को खरीदने के लिये "एयर इंडिया प्रेशर्ड" शीर्षक से दिनांक 6 जून, 1980 के अपने संस्करण में न्यूयार्क से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक समाचार-पत्र "इंडिया एवराड" द्वारा प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां।

(ख) एयर इंडिया पाच बोइंग-747 विमानों की खरीद के आफर को पहले ही अस्वीकार कर चुके हैं और संबद्ध पक्ष को इसकी सूचना दे दी गयी है।

सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र तथा दूसरे संगठनों में ऊर्जा और ईंधन की बचत करने के लिए कदम उठाना

3904. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य संगठनों में ऊर्जा और ईंधन को बचाने के लिए क्या सक्रिय कदम उठाए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि वित्त मंत्री ने विभिन्न विभागों तथा राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं, मंत्रियों तथा समस्त सरकारी अधिकारियों द्वारा ऊर्जा और ईंधन की खपत में प्रभावी कमी की जाए ; और

(ग) यदि हां, तो इससे ईंधन और ऊर्जा की कुल कितनी मात्रा की बचत होगी और फलस्वरूप कितना वित्तीय लाभ होगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) सरकार देश में पैट्रोल की खपत में बचत करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संगठनों में ईंधन और ऊर्जा बचाने के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :—

(1) सुधार किया गया कैरोसीन विक स्टोव का प्रचलन जिसमें लगभग 60 प्रतिशत उष्मीय दक्षता है जबकि बाजार में सामान्यता बेचे जा रहे अन्य कैरोसिन विक स्टोवों में उष्मीय दक्षता 40 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक थी।

(2) केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों को अपनी स्टाफ कारों में मोटर स्पिरिट (पैट्रोल) की खपत में बचत करने के लिए सलाह देना।

(3) परिवहन क्षेत्र में हाई स्पीड डिजल आयल के उपयोग में दक्षता बढ़ाने के लिए ऐसे राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों में, जिनके पास भारी संख्या में वाहन हैं, अध्ययन शुरु किया जाना।

(4) डिजल की खपत में कुशलता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों को यह सलाह देना कि वे शहरों और नगरों के भीतर यात्री परिवहन वाहनों के लिए और स्थानीय वाहनों पर विधिक रूप से गति सीमा लागू करें तथा माल और यात्री वाहनो को उच्च वाष्प विकास नली के साथ नियंत्रित करें।

(5) भट्ठी तेल का कोयले से प्रतिस्थापन जहां भी यह प्रौद्योगिक रूप से संभाव्य हो।

(6) भट्ठी तेल के प्रयोग में कुशलता प्राप्त करने के उद्देश्य से उपाय अपनाने के लिए उद्योगों को सलाहकार सेवा प्रदान करना।

(7) ऊर्जा की बचत के लिए विस्तृत रूप से मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करना।

(8) ऊर्जा क्षेत्र के विकास में परिदृश्य का विकास करने के लिए तथा उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए उपयुक्त नीति उपायों की सिफारिश करने के लिए सरकार ने ऊर्जा विषयक एक कार्यकारी दल भी स्थापित किया। कार्यकारी दल ने औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा की मांग का प्रबंध करने के लिए किफायती उपाय के रूप में ऊर्जा के उपयोग में संरक्षण का पता लगाने और कुशलता का सुधार करने के संबंध में नवम्बर, 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

(9) कोयला क्षेत्र में भी रिकवरी को अधिकतम करने और खानों के गिर जाने और भूमिगत अग्नि के कारण हुई हानि को कम करने के लिए सुधार की हुई खनन प्रौद्योगिकी को मुख्य रूप से अपनाकर संरक्षण संबंधी उपायों को किया जा रहा है। मिडलिंग का ग्रेड बढ़ाने के लिए तकनीकों का विकास किए जाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उन्हें भी इस्पात उद्योग में उपयोग में लाया जा सके। नान-कोकिंग तथा सेमी-कोकिंग

कोयले से कोक तैयार करने संबंधी तकनीकों का भी विकास किया जा रहा है। तलचर में फौर्म कोक के उत्पादन के लिए एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

(10) बिजली के क्षेत्र में, देश में बिजली उत्पादन की लगभग 60 प्रतिशत बिजली, मुख्यतः, कोयले के ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाले थर्मल पावर प्लांटों से ली जाती है। अपेक्षाकृत बड़े यूनिटों को अपनाने तथा विद्युत प्रणाली के क्रमिक एकीकरण से, संभाव्य विद्युत संयंत्रों के उपयोग में सुधार होने के परिणामस्वरूप थर्मल पावर प्लांटों में ईंधन के उपयोग में उत्तरोत्तर कमी हो गई है। थर्मल पावर प्लांटों की कुल कार्यकुशलता जो 1955 में लगभग 17 प्रतिशत थी वह क्रमिक रूप से बढ़कर इस समय लगभग 27% हो गई। वर्तमान में स्थापित किए जाने वाले अपेक्षाकृत बड़े आकार वाले यूनिटों में वृद्धि होने तथा उनके स्थिरीकरण से कार्यकुशलता में आगे और सुधार होगा।

(11) रेलवे में डीजल के प्रयोग तथा विद्युतीकरण की प्रक्रिया ने ऊर्जा की पर्याप्त बचत करने में योगदान किया है।

(12) वित्त मंत्रालय ने 22 मई, 1979 को केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि को कुछ मानक निर्धारित करते हुए, तथा सरकारी उपक्रमों और विभिन्न सरकारी कार्यालयों द्वारा अनुरक्षित स्टाफकारों, सेवा वाहनों और फील्ड वाहनों के संबंध में पैट्रोल की वास्तविक खपत को कम करने के लिए प्रभावशाली किफायती उपाय लागू करने के संबंध में अनुदेश जारी किए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह अपेक्षा की गई कि स्टाफकारों द्वारा खपाए जाने वाले पैट्रोल को, 1978-79 के दौरान गैर-परिचालन वाहनों के संबंध में में खपत की गई मात्रा के 66-2/3% तक और परिचालन वाहनों के संबंध में 85% तक प्रतिबंधित किया जाए। मंत्रियों तथा उनके वैयक्तिक कर्मचारियों द्वारा विभिन्न अवसरों पर प्रयोग की जाने वाली कारों के संबंध में अक्तूबर, 1973 में निर्धारित 900 लीटर प्रति तिमाही की अधिकतम सीमा को 22-5-79 से घटाकर 750 लिटर प्रति तिमाही कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से केवल नए संगठनों के मामले को छोड़कर नई स्टाफकार की खरीद पर रोक लगा दी गयी है। मंत्रालयों से यह भी पता लगाने के लिए कहा गया है कि क्या उनकी आवश्यकताओं को स्टाफकार के स्थान पर "थ्री-व्हीलर" द्वारा पूरा किया जा सकता है। गैर-ड्यूटी यात्रा के लिए स्टाफकारों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। मंत्रालयों में, स्टाफकारों को कार्यालय भवन या निकटवर्ती भवनों के बंद गैरजों में सरकारी कारों को खड़ा करके, "डैड माईलेज" की अधिकतम संभव मात्रा को समाप्त करने के लिए कहा गया है।

अब तक उठाए गए कदमों से होने वाली संभावित बचतों की लागत का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

सहकारी किसान चीनी मिल महमूदाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता

3905. **श्री राम लाल राही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संम्पत्ति सम्पति की सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश में सहकारी किसान चीनी मिल, महमूदाबाद, सीतापुर ने मशीनरी आदि की स्थापना और अधिप्राप्ति के लिये भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से लगभग चार करोड़ रुपयें मूल्य की केन्द्रीय वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सहायता अब तक न दिये जाने के क्या कारण हैं, इस प्रकार से कितनी राशि मांगी गई है और इस बारे में पूरे तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) 24 जनवरी, 1980 को, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) को किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, महमूदाबाद, जिला-सीतापुर (उ० प्र०) से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें कि एक नई चीनी की फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, इस परियोजना की पूंजी लागत के एक अंश के रूप में, 490 लाख रुपय की वित्तीय सहायता मांगी गई थी।

अगस्त, 1980 में चीनी पर से नियंत्रण हटने तक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, नयी चीनी मिलों तथा विस्तृत परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही थीं जो कि सम्पत समिति की सिफारिशों पर आधारित "प्रोत्साहन योजना" के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा दिये जा रहे प्रोत्साहनों पर मुख्यतः निर्भर थीं। अगस्त, 1978 में चीनी पर से नियंत्रण हट जाने के फलस्वरूप, उक्त प्रोत्साहन योजना समाप्त हो गई। इसलिए नयी चीनी परियोजनाओं की वित्तीय क्षमता का मूल्यांकन, चीनी उद्योग में व्याप्त वर्तमान शर्तों के अनुसार किया जाता है। चीनी उद्योग के लिए प्रोत्साहन की योजना में संशोधन तथा समीक्षा करने के लिए, भारत सरकार द्वारा एक अन्य मंत्रालय दल का गठन किया गया था। सरकार को, मई, 1980 में इस दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इस रिपोर्ट पर की जाने वाली कार्रवाई तथा सरकार के निर्णय की घोषणा के बारे में, कृषि मंत्रालय में प्राथमिकता के आधार पर कार्य शुरू कर दिया गया है। कृषि मंत्रालय

द्वारा प्रोत्साहन की योजना की घोषणा के बाद ही भारतीय औद्योगिक विकास निगम, किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, महमूदाबाद सहित अन्य नयी चीनी मिलों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करने की स्थिति में होगा ।

पश्चिमी बंगाल लघु उद्योग निगम के माध्यम से इस्पात सप्लाई

3906. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के उद्योग मंत्री ने उनको हाल ही में लिखे एक पत्र में बताया है कि छोटे एककों को पश्चिम बंगाल लघू उद्योग निगम के माध्यम से इस्पात सप्लाई किया जाता है ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी बताया है कि राज्य निगम को केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये नियतन के आधार पर इस्पात तथा दुर्लभ वस्तुओं का कोटा दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि केन्द्र ने इस आशय के आदेश जारी किये हैं कि अब से दुर्गापुर आसनसोल क्षेत्र में आवेदन पत्र देने पर छोटे उद्यमकर्ताओं को इस्पात सीधे स्टाकयार्डों से मिलेगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) इस बारे में हाल ही में पश्चिम बंगाल के कुटीर तथा लघु उद्योग मंत्री का एक पत्र उद्योग राज्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ।

(ग) और (घ) यद्यपि लघु उद्योग इकाइयों को लोहे और इस्पात की आपूर्ति सामान्यतः लघु उद्योग निगमों की मार्फत की जाती है तथापि इस बात की व्यवस्था है कि यदि किसी समय कोई मद लघु उद्योग निगम के पास उपलब्ध न हो तो लघु उद्योग निगम द्वारा यह प्रमाणित करने पर कि अमुक मद उनके पास उपलब्ध नहीं है और यदि वह उपलब्ध होती तो वह इकाई को सप्लाई कर दी जाती, तो स्टाकयार्ड उस मद की आपूर्ति इकाई को कर सकता है । यह व्यवस्था लघु उद्योग इकाइयों की कठिनाई कम करने के लिए की गई है और यह व्यवस्था केवल पश्चिम बंगाल पर ही नहीं बल्कि सब राज्यों पर लागू होती है । यह व्यवस्था वर्ष 1979-80 में लागू थी तथा वर्ष 1980-81 में भी लागू रहेगी ।

बिजली की कमी का रेल की पटरियों के निर्माण पर प्रभाव

3907. **श्री आर० के० महालगी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में बिजली की कमी का रेल की पटरियों के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो गत छह महीनों में रेल की पटरियों का उत्पादन कितना रहा है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस में वृद्धि करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) रेल की पटरियों का उत्पादन कम हो रहा है । इसके कई कारण हैं जिनमें बिजली की कमी भी शामिल है । जनवरी-जून, 1980 की अवधि में रेल की पटरी का उत्पादन इस प्रकार हुआ है ।

कारखाने का नाम	जनवरी-जून, 1980
1. भिलाई . . .	102,100 टन
2. इस्को . . .	9,500 टन
3. टिस्को . . .	5,073 टन

(ग) इस्पात (रेल की पटरी भी शामिल है) का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय किये गये हैं जिनमें कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं —ऊर्जा मंत्रालय, दामोदर घाटी निगम, राज्य विद्युत बोर्ड, कोयला सप्लाई करने वाले अभिकरणों तथा रेलवे के साथ निकट तथा सतत संपर्क रखा जा रहा है ताकि इस्पात कारखानों को अधिकाधिक कोककर कोयला और बिजली मिल सके । बिजली और कोककर कोयले तथा अन्य आवश्यक आदानों की वास्तविक आपूर्ति पर दैनिक आधार पर विभिन्न स्तरों पर निगरानी रखी जा रही है । वर्तमान रक्षित विद्युत संयंत्रों से अधिक बिजली पैदा करने तथा उनकी सक्षमता में वृद्धि करने के लिए भी कदम उठाये गये हैं जिससे फेरो-सिलिकन तथा अच्छी किस्म के कोककर कोयले की अत्यधिक कमी को पूरा किया जा सके । सेल को कोककर कोयला और फैरो-सिलिकन का आयात करने की भी अनुमति दे दी गई है ।

सरकारी उपक्रमों को हुई वृद्धि

3908. **श्री निहाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री सरकारी उपक्रम ब्यूरो के अन्तर्गत बीमार एककों के बारे में 20 अप्रैल, 1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 822 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हानि में चलने वाले 13 एककों में से किस किस एकक में प्रतिष्ठान/प्रशासन तथा प्रबंध को अकुशल पाया गया और इस संबंध में उत्तरदायी प्रत्येक अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(ख) प्रत्येक एकक को विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी हानि हुई और किस किस एकक को अपनी आवश्यकता के अनुरूप कच्चा माल नहीं प्राप्त हुआ ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) 20 अप्रैल, 1979 के प्रश्न संख्या 822 के उत्तर में उल्लिखित 13 एककों में जिन अनेक बातों के समन्वित परिणामस्वरूप घाटा रहा, उनमें "प्रचालन एवं प्रबन्धकीय कार्यकुशलता" में गिरावट आना भी एक कारण है, किन्तु यही एकमात्र ऐसा कारण नहीं है जिससे कार्यनिष्पादन में गिरावट आई। अतः इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह बताना अप्रासंगिक न होगा कि इन 13 में से 7 उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में 1978-79 के दौरान इनके घाटे में कमी हुई है।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान इन 13 उद्यमों द्वारा उठाए गए घाटे का विवरण संलग्न है। इनमें से किसी उद्यम ने भी यह सूचित नहीं किया कि उन्होंने 1978-79 में अपेक्षित कच्चे माल की अत्यधिक तंगी उठाई।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रमांक	उद्यम का नाम	1976-77	1977-78	1978-79
1	भारतीय उर्वरक निगम	3,445	6,720	1,524
2	फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स, त्रावणकोर	1,396	886	554
3	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि०	546	672	573
4	भारत गोल्ड माइन्स लि०	124	191	55
5	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि०	54	211	197
6	भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेशर्स लि०	121	148	65
7	भारत आप्थालिमक ग्लास लि०	78	101	98
8	उद्योग पुनर्स्थापन निगम	161	183	183
9	भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लि०	66	60	538
10	भारत अल्यूमिनियम कं० लि०.	361	391	551
11	कोल इंडिया लि०	100	143	226
12	टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन	218	280	294
13	बोको लारो कं० लि०	38	138	159

आन्ध्र प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले पटसन कारखाने की क्षमता

3909 **श्री वी० किशोरचन्द्र एस० देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के विजय-नगरम जिले में सलूर में स्थापित किये जाने वाले पटसन कारखाने की क्षमता राज्य सरकार द्वारा कम की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उद्योग के लिए अपेक्षित राज्य सरकार को आई० एफ० जी० आई० के जरिये ऋण रीलीज न किये जाने के क्या कारण हैं जो मुख्य रूप से आदिवासी और पिछड़े जिलों के लाभ के लिये हैं ; और

(घ) यह कारखाना कब स्थापित किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऋण अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है क्योंकि आंध्र प्रदेश फाइबर्स लिमिटेड द्वारा परियोजना में संशोधन किया जा रहा है।

(घ) आंध्र प्रदेश फाइबर्स लिमिटेड अभी भी किसी सहयोगी की खोज कर रहे हैं और इसलिए अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जा सकती कि किस तारीख को कारखाना स्थापित होगा।

मध्य प्रदेश के जन जातीय क्षेत्रों में पर्यटक

3910. **श्री के० पी० सिंह देव :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के जन जातीय क्षेत्रों में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार को उक्त पर्यटकों की राष्ट्रीयता का पता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के जन जातीय क्षेत्रों में पर्यटन आकर्षण के कोई स्थल हैं और उक्त पर्यटक दौरों को प्रोत्साहन देने वाली भारतीय ट्रेवल एजेंन्सियां कौन कौन सी हैं ; और

(घ) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) यद्यपि मध्य प्रदेश में जन जातीय क्षेत्रों की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों के बारे में राष्ट्रिकता-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तथापि कुछ विदेशी पर्यटकों द्वारा मध्य प्रदेश में बस्तर जिले की यात्रा की गई थी जिनमें चीनी, कनडियन, जर्मन, जापानी, स्विस, डच और रुसी शामिल थे।

(ग) मध्य प्रदेश के जन जातीय क्षेत्रों में पर्यटक आकर्षण के स्थल ये हैं :—कान्हा नेशनल पार्क, मांडु, बस्तर, अमरकंटक और महेश्वर। अधिकतर विदेशी पर्यटक वन्य जीवों के अवलोकनार्थ कान्हा नेशनल पार्क की यात्रा करते हैं। मात्र कान्हा नेशनल पार्क तक के लिए जो यात्रा अभिकरण यात्रा-संवर्धन का कार्य करते हैं उनमें दिल्ली के माउंटेन ट्रेवल्स, एलविन कूपर, वाइल्डलाइफ एडवेंचर टूर्स, ओरिएन्ट एक्सप्रेस, ट्रेड विंग्स और साह एण्ड राय और बम्बई के ट्रेवल कारपोरेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, थॉमस कुक और ब्ल्यू स्काइज़ हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तस्कर और विदेशी मुद्रा छल-साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अपीलीय न्यायाधिकरण पर व्यय

3911. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अपीलीय न्यायाधिकरण पर कुल व्यय कितना हुआ है और वेतन तथा यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ते के रूप में कितना धन दिया गया ; और

(ख) न्यायाधिकरण में कुल कितने कर्मचारी हैं तथा उनके पदों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक कर्मचारी का वेतन कितना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

भाग 'क'

वेतन तथा भत्ते

	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81 (30-6-1980 तक)
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपय
1 वेतन . . .	2,20,909	2,56,114	2,51,013	67,011
2 महंगाई भत्ता . .	48,801	70,582	88,646	35,985
3 नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता .	10,523	13,127	13,141	4,101
4 मकान किराया भत्ता . .	11,577	16,686	18,880	4,758
5 प्रतिनियुक्ति भत्ता . .	7,812	15,698	12,919	3,654
6 सवारी भत्ता . .	3,699	3,712	3,600	395
7 व्यय सम्बन्धी भत्ता . .	3,600	..	..	..
8 यात्रा भत्ता . . .	21,925	5,570	27,317	*(आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)
. कुल .	3,28,846	3,81,489	4,15,516	

*जून, 1980 के दूसरे पखवाड़े में ही एक दौरा किया गया था।

भाग 'ख'

न्यायाधिकरण में फिलहाल कार्य कर रहे कर्मचारियों का ब्यौरा, प्रत्येक कर्मचारी द्वारा धारित पद और जून 1980 में प्रत्येक कर्मचारी द्वारा लिया गया मासिक वेतन

क्रम सं०	नाम तथा पदनाम	वेतनमान	इस समय लिया गया भत्ते सहित वेतन (बिना कटौती के) (रुपयों में)
1	न्यायमूर्ति श्री एफ० एस० गिल, अध्यक्ष	3,500 रुपये निश्चित, इसमें से पेंशन संबंधी लाभ घटाए जाने हैं।	2,538.95
2	श्री कैलाश नारायण, सदस्य	3,000 रुपये निश्चित, इसमें से पेंशन संबंधी लाभ घटाये जाने हैं।	1,711.00
3	श्री प्रेम नाथ, सदस्य	3,000 रुपये निश्चित, इसमें से पेंशन संबंधी लाभ घटाये जाने हैं।	1,711.00
4	श्री एस० बी० माथुर, स्थानापन्न रजिस्ट्रार	रुपये 1,100—1,600	1,626.00
5	श्री जी० कृष्णन्, निजी सचिव	रुपये 775—1,200	1,719.30
6	श्री आर० के० पुरी, निजी सचिव	रुपये 775—1,200	1,831.80
7	श्री टी० वी० आर० वीराघवन्, वरिष्ठ निजी सहायक	रुपये 650—1,040	1,455.60
8	श्री एम० पी० सेठ, अधीक्षक (तकनीकी)	रुपये 700—900	1,219.80
9	श्री पी० के० जैन, कोर्ट मास्टर	रुपये 550—900	1,053.00
10	श्री सुन्दर कुमार, आशुलिपिक ग्रेड-II	रुपये 425—800	1,284.00
11	श्री टी० यू० के० नैयर, आशुलिपिक ग्रेड-II	रुपये 425—800	1,147.60
12	श्री बलदेव कृष्ण, आशुलिपिक ग्रेड-II	रुपये 425—800	882.20
13	श्री टी० एन० शर्मा, सहायक	रुपये 425—800	856.20
14	श्री आर० सी० नारंग, सहायक	रुपये 425—800	936.20
15	श्री बलजीत सिंह, उच्च श्रेणी लिपिक	रुपये 330—560	790.70
16	श्री सी० एस० नेगी, उच्च श्रेणी लिपिक	रुपये 330—560	801.60
17	श्री सी० पी० कटारिया, आशुलिपिक ग्रेड-III	रुपये 330—560	768.95
18	श्री गुरमीत सिंह, आशुलिपिक ग्रेड-III	रुपये 330—560	812.20
19	श्री रोशन लाल, अ० श्रे० लि०	रुपये 260—400	694.75
20	श्री डी० डी० अरोड़ा, अ० श्रे० लि०	रुपये 260—400	643.60
21	श्री ओम प्रकाश, स्टाफ कार ड्राइवर	रुपये 260—400	510.30
22	श्री मस्त राम, सुरक्षा गार्ड	रुपये 260—400	510.30
23	श्री जिले राम, सुरक्षा गार्ड	रुपये 260—400	510.30
24	श्री एम० पी० बिष्ट, दफ्तरी	रुपये 200—250	475.95
25	श्री प्रसन्न सिंह, कोर्ट अटैन्डेंट	रुपये 200—250	405.70
26	श्री एस० पी० वशिष्ठ, सन्देश-वाहक	रुपये 196—232	397.95
27	श्री जसवंत सिंह, सन्देशवाहक	रुपये 196—232	397.95
28	श्री शिव स्वामी, सन्देशवाहक	रुपये 196—232	391.90
29	श्री हरि दास, फराश एवं झाड़ूकश	रुपये 196—232	403.80

तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत सम्पत्ति पर कब्जा किया जाना

3912. श्री मूलचन्द डागा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अन्तर्गत किन लोगों की संपत्ति पर अब तक वास्तविक कब्जा किया गया है; ऐसी संपत्ति का मूल्य और ब्यौरा क्या है और किन तारीखों को इन पर कब्जा किया गया ;

(ख) क्या वर्ष 1976, 1977, 1978, 1979 और 1980 में इस अधिनियम के अन्तर्गत संपत्ति पर कब्जा करने के लिये नोटिस जारी किये गये थे, यदि हां, तो वर्षवार, उनकी संख्या कितनी है और उनमें से कितने मामले गलत साबित हुये थें; और

(ग) इस अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत कितने व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया तथा उन पर मुकदमा चलाया गया तथा क्या उसकी एक सूची सभा पटल पर रखी जायगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) 31 मई, 1980 तक, 56 मामलों में लगभग 26.66 लाख रुपये मूल्य की सम्पत्ति पर वास्तविक कब्जा किया गया इसका ब्यौरा विवरण 1 में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी०-1062/80]

(ख) तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति संपमपहरण) अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन नोटिस नीचे दिये अनुसार जारी किय गये :—

1976	561
1977	493
1978	746
1979	393
31 मई 1980 तक	117

कोई भी नोटिस गलत साबित नहीं हुआ। लेकिन जांच और सुनवायी के बाद समपहरण कार्यवाही, नीचे दिये अनुसार समाप्त कर दी गई :—

1976	कुछ नहीं
1977	46
1978	123
1979	473
31 मई 1980 तक	43

इन आंकड़ों में, पिछले वर्षों से आगे लाये गये वे मामले भी शामिल हैं जिन में धारा 6 के अधीन नोटिस जारी किये गये थे परन्तु नोटिस जारी किये जाने वाले वर्ष के दौरान इन मामलों का निपटान नहीं किया गया।

(ग) अधिनियम की धारा 9 के अधीन 62 मामलों में लगभग 10.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है जैसा कि विवरण 2 में [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1062/80] दिखाया गया है। तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम के अधीन मुकदमा चलाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क कानूनों के अंतर्गत न्याय निर्णय आदेशों या अपीलीय आदेशों की क्रियान्वि त पर रोक

3913. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन–शुल्क तथा सीमा शुल्क कानूनों के अन्तर्गत न्याय निर्णय आदेशों या अपीलीय आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगाने के आवेदनों पर अधिकांश मामलों में विचार नहीं किया जाता है और जिनमें विचार किया जाता है, उनमें बिना किसी सुनवाई के उन्हें रद्द कर दिया जाता है; और

(ख) कुछ निर्धारितियों के मामलों में इन आदेशों के विरुद्ध रोकादेश देने और बाकी मामलों में रोकादेश न देने में होने वाले भेदभाव से बचने के लिये यदि कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त अपनाये जाते हैं तो वे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) जी, नहीं। जिस मामले में भी अपीलकर्ता स्थगन की मंजूरी हेतु व्यक्तिगत सुनवाई की मांग करते हैं, समुचित अधिकारी द्वारा निश्चित रूप से उसकी मंजूरी दी जाती है। स्थगन संबंधी ऐसी दरख्वास्तों पर, अपीलकर्ता की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर, प्रत्येक मामले के तथ्यों और ऐसी दरख्वास्तों के शीघ्र निपटान हेतु इस मंत्रालय द्वारा जारी किये गये किन्हीं मार्गदर्शी सिद्धान्तों के सन्दर्भ में विचार किया जाता है। इसलिए, इन मामलों में किसी प्रकार के पक्षपात का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस संबंध में मंत्रालय को कोई शिकायत भी नहीं मिली है।

सब्जियों का निर्यात

3914. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब्जियों का अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इनका निर्यात किन देशों को किया जा रहा है?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रमुख आयातक देश हैं: कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मस्कत।

एस्बेस्टास की खोज

3915. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस्बेस्टास का पता लगाने के लिए देश में कोई खोज कार्य किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के चालू वार्षिक कार्यक्रम में आन्ध्र प्रदेश में वैमपल्ली भू–बनावट का बड़े पैमाने पर मानचित्रण करने के साथ–साथ एस्बेस्टास और अन्य खनिजों के लिए खोज की जाएगी।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा अन्य एजेंसियों द्वारा पहले किए गए समन्वेषी कार्य के फल-स्वरूप विभिन्न किस्म के एस्बेस्टास के 770047 टन भंडारों का आकलन किया गया है।

कपड़े पर निर्यात शुल्क

3916. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भिन्न–भिन्न देशों को निर्यात किये जाने वाले कपड़े पर किस दर से निर्यात शुल्क लगाया जाता है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कुल कितना शुल्क वसूल किया गया ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : "कपड़ा" अर्थात् रूई, रेशम, ऊन अथवा संश्लिष्ट तंतु की बुनी हुई सामग्री, या ऐसे एक से अधिक तंतुओं का संयोजन, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट मदों में शामिल नहीं है और इस प्रकार इसके निर्यात पर शुल्क नहीं लगता।

शुष्क पत्तन

3917. **श्री अमर सिंहवी राठवा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शुष्क पत्तन बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या अगली पंचवर्षीय योजना में कोई प्रावधान किया गया है; और

(ग) शुष्क पत्तन के लिए देश में कौन से स्थान चुने गए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार ने, 1974 में सिद्धान्त रूप में भारत के उत्तरी क्षेत्र में शुष्क पत्तन स्थापित करने का विनिश्चय किया था। तथापि, जुलाई 1977 में सरकार ने परियोजना को तत्काल अमल में न लाने का विनिश्चय किया था। प्राप्त अभ्यावेदनों को देखते हुए, कुछ समय पहले यह विचार किया गया कि एक संशोधित योजना बनाई जाए जो कि निर्यातकों को शुष्क पत्तन सुविधाएं उपलब्ध करा सके और साथ ही कन्टेनरीकरण की सुविधाएं दे सके। तदनुसार, संशोधित योजना बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवस्था में कोई ब्यौरा देना कठिन है ।

बिहार के धनबाद जिले में कार्यरत अनुसूचित बैंकों की शाखाएं

3918. **श्री ए० के० राय** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के धनबाद जिले में सभी अनसूचित बैंकों की कुल कितनी शाखायें काम कर रही हैं, उनकी बैंक–वार संख्या तथा अन्य तथ्यों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्र द्वारा प्रत्येक शाखा को वर्ष 1978–79 तथा 1979–80 के दौरान कुल कितना ऋण दिया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि अंत्योदय कार्यक्रम प्रगति नहीं कर सका क्योंकि स्टेट बैंक ने चास खण्ड के पिडराजोरा, मिर्धा तथा जयतारा पंचायतों को तथा धनवाद जिले में चन्दनकेजरी की अधिकांश पंचायतों को, जिला प्रशासन द्वारा अनुरोध किये जाने तथा गारंटी दिये जाने के बावजूद भी, ऋण देने से इन्कार कर दिया ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरे तथ्य क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) मार्च, 1980 के अंत की स्थिति के अनुसार बिहार के धनबाद जिले में कार्यरत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का बैंकवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) ऋण प्रसार के शाखावार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता, धनवाद जिले में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा जून, 1977 और जून 1979 की स्थिति के अनुसार दिये गये ऋणों के आंकड़े जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किये हैं, नीचे दिये गये हैं :—

बिहार के धनबाद जिले में अनुसचित वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिये गये ऋणों की बकाया राशि

	(लाख रु० में)
जून, 1977	27
जून, 1979	57

(ग) और (घ) "अंत्योदय कार्यक्रम" बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था और इसके कार्यान्वियन की निगरानी भी इसी के द्वारा की जा रही है। फरवरी, 1979 के अन्त तक रिजर्व बैंक क पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत धनवाद जिले में 477 ऋण खातों में 3,50,615 रुपये की राशि वितरित की थी।

विवरण

बैंक का नाम	कार्यालयों की संख्या
1 भारतीय स्टेट बैंक	22
2 स्टेट बैंक ग्राफ बीकानेर एण्ड जयपुर	1
3 इलाहाबाद बैंक	10
4 बैंक ग्रॉफ बड़ौदा	2
5 बैंक ग्रॉफ इंडिया	18
6 केनरा बैंक	5
7 सेंट्रल बैंक ग्रॉफ इंडिया	5
8 देना बैंक	1
9 इंडियन बैंक	1
10 इंडियन ग्रोवरसीज बैंक	1
11 पंजाब नेशनल बैंक	3
12 सिंडिकेट बैंक	2
13 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	7
14 यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	11
15 न्यू बैंक ग्रॉफ इंडिया	1
16 पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1
17 यूनाइटेड इंडस्ट्रीयल बैंक लि०	2
18 विजया बैंक	1
जोड़	94

शहतूत के कच्चे रेशम के लिए मूल्य स्थिरता योजना

3919 **श्री एम चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री गुलाम रसूल कोचक :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने शहतूत के कच्चे रेशम के लिए मूल्य स्थिरता योजना पुनः लागू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ;

(ग) क्या यह योजना प्रारम्भिक उत्पादक को उचित मूल्य दिलाने और उपभोक्ता को उचित मूल्य पर माल उपलब्ध कराने के लिए 1978-79 में लागू की गई थी;

(घ) यदि हां, तो यह योजना किस सीमा तक ठीक चली और उसका समर्थन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना के जरिए रेशम के निर्यात में कहां तक वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) जिसके सीमित रूप में यह योजना चलाई गई है, उसको देखते हुए यह योजना ठीक साबित हुई है। यह कहना सही नहीं है कि योजना का समर्थन नहीं किया जा रहा है।

7—357 LSS (ND)/80

(ङ) निर्यात में वृद्धि का एक कारण इस योजना का चलाया जाना भी है । गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक रेशम की वस्तुओं के निर्यातों का विवरण निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	निर्यात करोड़ रुपये
(1) 1977-78	33.06
(2) 1978-79	43.67
(3) 1979-80	48.83

इस्पात की वितरण नीति

3920. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री पी० एम० सईद :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस्पात की वितरण नीति के मामले में संकटग्रस्तों एककों पर विशेष ध्यान देने के लिये निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई नये परिवर्तन समाविष्ट किये गये हैं और वितरण योजना के गठन में कुछ प्रमुख परिवर्तन भी किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संकटग्रस्त एककों को क्या विशेष रियायतें दी गई हैं/देने का विचार है?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) इस समय लोहे और इस्पात के वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है । इनका वितरण संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में व्यवस्था है कि कच्चे लोहे, तार छड़/राउन्ड और गर्म बेलित क्वायल/स्केल्प के लिए हकदारी की मात्रा निश्चित करते समय अन्य इकाइयों की तुलना में "रुग्ण" इकाइयों के मामले में अधिक अवधि के उपक्रम को ध्यान में रखा जाये।

हैसियन पर निर्यात शुल्क का समाप्त किया जाना

3921. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि हैसियन पर निर्यात शुल्क लगे रहने से सजावटी कपड़ों और नैरो कार्पेट बैकिंग की अल्पावधि तथा दीर्घावधि व्यापार सम्भावनाओं पर दुष्प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है और सिफारिश की है कि हैसियन पर लगे नियति शुल्क को तुरन्त समाप्त किया जाये ;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध मे अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (घ) हैशियन पर लगाए गए निर्यात शुल्क की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जब भी आवश्यक होता है शुल्क की दरों मे परिवर्तन किये जाते है। हाल ही में की गई एक समीक्षा के परिणामतः हैशियन आधारित सजावटी कपडों पर, 5 जुलाई, 1980 से, निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया है।

स्वदेश भेजे गये धन से की गई वचत को उत्पादक पूंजी निवेश का रूप दिया जाना

3922. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री पी० एम० सईद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विदेशों से,स्वदेशी भेजी जाने वाली राशि के संबंध में किये गये अध्ययन के अनुसार भारत ऐसी नीति बनाने में असफल रहा है, जिससे स्वदेश भेजे गए धन से बचत को उत्पादक पूंजी निवेश के लिए बढ़ावा दिया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने अध्ययन रिपोर्ट में की गयी टिप्पणियों की जांच कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विदेशों से स्वदेशी भेजी जाने वाली राशि के संबंध में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है। किन्तु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की त्रैमासिक पत्रिका 'वित्त तथा विकास' (फाइनान्स एण्ड डेवलपमेंट) के जून, 1980 के संस्करण में "श्रम निर्यातक देशों में विदेशों से भेजी गई रकमों का उपयोग" (यूस ऑफ माइग्रेंट्स रिमेटेंसेज इन लेवर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज) शीर्षक से एक लेख छपा था, जिसमें व्यक्त किए गए विचार लेखक के थे न कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के।

(ख) और (ग) : इस लेख में यह बात नोट की गई है कि भारत विदेशों में काम कर रहे भारतीयों से प्राप्त होने वाली प्रेषणाओं के रूप में उत्तरोत्तर ज्यादा रकमें आकर्षित करने में सफल रहा है लेकिन इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया गया है कि इन प्रेषणाओं की अधिकांश राशि का उपयोग भूमि की खरीद, मकानों के निर्माण तथा पुराने ऋण चुकाने के लिए किया जाता है। लेख में इस बात का सुझाव दिया गया है कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिये कि विदेशों से स्वदेश भेजी जाने वाली राशि की मात्रा उद्योग जैसे उत्पादनकारी निवेशों में बढ़ती जायें।

सरकार का यह विचार है कि ऋण समापन भवन निर्माण और पहले के निम्न स्तरों पर उपभोग में कुछ वृद्धि के लिये इस प्रकार स्वदेश भेजी जाने वाली राशि का उपयोग कुछ सीमा तक वांछनीय है। उद्योग के लिये भेजी जाने वाली राशि का उपयोग काफी सीमा तक धन भेजने वालो के परिवार की परिस्थितियों एवं उनकी विभागीय निवेशों की उत्सुकता पर निर्भर करता है। सरकार ने गैर-आवासी भारतीयों द्वारा उद्योग में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के हेतु पहले ही पग उठाए हैं और इस दिशा में और उपाय भी विचाराधीन हैं। उदाहरणार्थ गैर आवासी भारतीय निवेश की गयी पूंजी और अर्जित आय के देश-प्रत्यावर्तन अधिकारों के बिना किसी भी उद्योग क्षेत्र में लगी किसी कंपनी में पूंजी निवेश कर सकते हैं। एक अन्य सुविधा भी उपलब्ध है जिसके द्वारा चुनींदा उद्योगों नें नयी कंपनियो के नये हिस्सों में 20 प्रतिशत तक देय प्रत्यावर्तन अधिकारों सहित पूंजी निवेश करने की अनुमति दी गयी है। वे उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों तथा निर्यातोत्मुख उद्यमों में लगी कंपनियों में 74 प्रतिशत तक देश-प्रत्यावर्तन अधिकारों सहित पुंजी निवेश भी कर सकते हैं।

अखिल भारतीय संस्थानों द्वारा आंध्र प्रदेश के लिये मंजूर की गई वित्तीय सहायता

3923. **श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न अखिल भारतीय संस्थानों ने वर्ष 1979-80 में आंन्ध्र प्रदेश के लिये कितनी वित्तीय सहायता मंजूर की और वर्ष 1978-79 के दौरान तत्संबंधी संस्थानवार आंकड़े क्या रहे; और

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान देश में उपलब्ध कराये गये कुल ऋण में आन्ध्र प्रदेश का भाग कितना है और विभिन्न राज्यों को किस आधार पर ऋण मंजूर किये जाते हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) अखिल भारतीय सांवधिक ऋण प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आइ०) तथा भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई० सी० आई० सी० आई०) द्वारा वित्तीय वर्ष 1979-80 तथा 1978-79 के दौरान पूरे देश में तथा आंन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक एककों को स्वीकृत वित्तीय सहायता की राशि से संबंधित आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

वित्तीय संस्था	स्वीकृत वित्तीय सहायता			
	अखिल भारतीय		आन्ध्र प्रदेश	
	1979-80	1978-79	1979-80	1978-79
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	1230.40	791.70	58.85	49.81
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	138.50	141.74	3.39	12.81
भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश	212.39	182.76	4.79	13.53

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता उन सभी उपयुक्त परियोजनाओं के लिए सुलभ होती है जो कि आर्थिक तथा वित्तीय दृष्टि से सक्षम और तकनीकी रूप से व्यावहारिक तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हों। वित्तीय सहायता स्वीकृत करते समय वित्तीय संस्थाएं, विभिन्न राज्यों के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों/क्षेत्रों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विशेष रूप से विचार करती हैं। वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसी विशेष राज्य को स्वीकृत की जाने वाली सहायता, ऐसे राज्य से प्राप्त, अर्थात् प्रस्तावों के लिए दी जाती है। संस्थाएं, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि कोई भी उपयुक्त परियोजना संस्थागत वित्त की कमी के कारण खटाई में न पड़ जाये।

कालाबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखना अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

3924. **श्री नवीन रवाणी :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकारों द्वारा काला बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखना अधिनियम 1980 के अंतर्गत राज्यवार कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए ;

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 के अंतर्गत नजरबंदी व्यक्तियों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है :—

बिहार	15
गुजरात	11
कर्नाटक	17
मध्य प्रदेश	14
महाराष्ट्र	22
उड़ीसा	3
पंजाब	5
उत्तर प्रदेश	18
दिल्ली	15
कुल	120

ऊपर दी गई संख्या में उत्तर प्रदेश के 6 व्यक्ति जिन्हें वास्तव में नजरबंद नहीं किया गया और जिनके नजरबंदी के आदेश बाद में रद्द कर दिये गये थे, शामिल नहीं है तथा 4 अन्य व्यक्ति (बिहार का एक व्यक्ति, उड़ीसा के दो और पंजाब का एक) फरार हैं।

गुजरात में प्राथमिकता वाले सेक्टर के लिए बैंकों द्वारा दी गई धनराशि

3925. **श्री नवीन रवाणी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में प्राथमिकता वाले सेक्टर के लिए गत दो वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) इन ऋणों से कौन-कौन सी लघु तथा छोटी और कुटीर औद्योगिक यूनिटों को लाभ हुआ है;

(ग) छोटे व्यापार तथा उद्यमों के कितने व्यक्तियों को यह लाभ मिला है और लघू तथा छोटी यूनिटों क कितने व्यक्तियों को यह लाभ मिला है; और

(घ) क्या सरकार के पास प्राथमिकता सेक्टर के भीतर ही उपेक्षित और समृद्ध सेक्टरों को अलग-अलग करने की कोई योजना है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) दिसम्बर 1977 और 1978 तथा मार्च 1979 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये ऋण क्रमशः 304.6 करोड़ रुपये, 381.5 करोड़ रुपये और 393.4 करोड़ रुपये के थे।

(ख) और (ग). आंकड़ा सूचना प्रणाली में हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधन किया गया है ताकि अत्यंत छोटे और कुटीर उद्योगों के राज्य स्तर के आंकड़ों का अलग से पता चल सके। पहले इन श्रेणियों के उद्योगों को "छोटे पैमाने क उद्योगों" में शामिल किया जाता था। मार्च, 1979 के अंत की स्थिति के अनुसार, गुजरात में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को दिये गये ऋण 36.22 करोड़ रुपये के थे जिनमें 8073 खाते अंतर्ग्रस्थ थे और अत्यंत छोटे (टाइनी) उद्योगों को दिये गये ऋण 14.52 करोड़ रुपये के थे जिनमें 7881 खाते अंतर्गस्थ थे।

दिसम्बर, 1977, दिसम्बर, 1978 और मार्च, 1979 की अवधि के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गुजरात राज्य में छोटे उद्योगों (कारीगरों, कुटीर/ग्राम और अत्यंत छोटे उद्योगों सहित) और खुदरा व्यापार तथा छोटे कारोबार के वास्ते दिये गये ऋण नीचे लिखे अनुसार हैं:—

(राशि करोड़ रुपयों में)

	दिसम्बर 1977	दिसम्बर 1978	मार्च 1979
छोटे पैमाने के उद्योग			
खातों की संख्या	23453	27629	29028
बकाया राशि	151.3	178.5	190.0
खुदरा व्यापार और छोटे कारोबार			
खातों की संख्या	58641	73972	77107
बकाया राशि	17.04	21.33	23.82

(घ) हाल ही में 6 मार्च, 1980 को बैंकों के मुख्य कार्यपालकों की वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक में यह तय किया गया है कि बैंक 1985 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये ऋणों के भाग को बढ़ाकर अपने कुल ऋणों के 40 प्रतिशत तक पहुंचा देंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि बढ़े हुए ऋणों का अधिकाधिक हिस्सा समाज के कमजोर वर्गों को और विशेष रूप से 20-सूत्री कार्यक्रम के लाभान्वितों को ही दिया जाय। इस निर्णय के कार्यान्वियन के नमूने को तैयार करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है। इस दल के कार्य करने की शर्तों में 20 सूत्री कार्यक्रम के लाभान्वितों के लिये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत उप-लक्ष्य निर्धारित करने के प्रश्न की जांच करना भी शामिल है। इस दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उस पर विचार किया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वित्तीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में मांगी गई जानकारी

3926. **श्री नवीन रवाणी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अधिकारी हमारे वित्तीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में सरकार से सामान्यतया गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के प्रयास करते रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसने सरकार से क्या प्रश्न पूछे हैं और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को अधिक मुआवजा

3927. **श्री के मालन्ना :**
श्री के० प्रधानी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्देशिय विमानों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों को दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप मृत्यु होने पर अथवा स्थायी रूप से अपंग होने पर अधिक मुआवजें का हक होगा; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा लिये गये निर्णय का ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री . चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां।

(ख) यदि किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है, अथवा किसी यात्री को ऐसी शारीरिक चोट या घाव आ जाता है, जिससे उसे सदा के लिये ऐसी असमर्थता उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण वह अपने सामान्य कर्तव्य या कारोबार या व्यवसाय का निर्वाह करने के अयोग्य हो जाता है तो ऐसे प्रत्येक यात्री के मामले में, यदि उसकी आयु 12 वर्ष या अधिक है, विमान वाहक की देयता जो अब तक 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) थी अब बढ़कर 2,00,000 रुपये (दो लाख रुपये) कर दी गयी है। उसी प्रकार से 12 वर्ष से कम आयु के यात्रियों के लिये भी उक्त सीमा 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये) से बढ़कर 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) कर दी गयी है।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए दीर्घकालिक योजना

3928. **श्री चन्द्र भान आठरे पाटिल** :
श्री अहमद एम० पटल :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और इस संदर्भ में उन्हें दी जाने वाली प्रस्तावित विशेष रियायतों और सुविधाओं का उल्लेख करते हुए कोई दीर्घकालिक योजना बनाई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटक यातायात क्या रहा है और प्रति वर्ष यदि इससे कोई विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है तो वह कितनी है;

(ग) देश में पर्यटकों के लिये होटलों आदि की कुल क्षमता कितनी है और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस सुविधा में कितनी वृद्धि की जायेगी; और

(घ) भारतीय पत्तन हवाई अड्डों में अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों को दी जाने वाली सुविधायें आधुनिक बनाने और इनमें सुधार लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (घ) पर्यटक यातायात को अधिक मात्रा में आकर्षित करने हेतु, सुविधाएं जुटाने/उनमें वृद्धि करने के लिए संबंधित विभागों/मंत्रालयों और सरकार के अधीन सार्वजनिक सेक्टर के उपक्रमों द्वारा पंचवर्षीय योजना 1980–85 में सम्मिलित करने के लिए जो प्रस्तावित उपाय प्रतिपादित किये जा रहे हैं उनमें आवास, वायु तथा स्थल परिवहन, हवाई अड्डों का सुधार/विस्तार शामिल है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन हो जाने पर ही इन उपायों का कार्यान्वयन प्रारंभ किया जायेगा।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन और अर्जित की गई विदेशी मुद्रा नीचे दर्शाये गये हैं :—

वर्ष	पर्यटक आगमन	अर्जित की गई विदेशी मुद्रा (1976–77) के मूल्य के अनुसार)
1977 . . .	640,422	283 करोड़ रुपए
1978 . . .	747,995	330 करोड़ रुपए
1979 . . .	764,781	338 करोड़ रुपए

(ग) 30–6–1980 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची में शामिल होटलों की संख्या 337 थी और उनकी कुल क्षमता 20,814 कमरे थी। इस समय देश-भर में 101 अनुमोदित परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं: जब ये चालू हो जाएंगी तब इन से वर्तमान क्षमता में कुल 6732 कमरों की वृद्धि हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, भारत पर्यटन विकास निगम और भारतीय होटल निगम जो एयर इंडिया की सबसिड्येरी है, दोनों मिल कर देश के विभिन्न भागों में कुल 2605 कक्ष क्षमता वाले 25 होटलों का निर्माण करने की योजनाएं रखते हैं। आवास सेक्टर में विस्तार को गति प्रदान करने हेतु 1985 तक 15,550 कमरों की वृद्धि करने की दृष्टि से पर्यटन योजना 1980–85 पर पुनर्विचार भी किया जा रहा है ताकि पर्यटक यातायात के प्रत्याशित प्रवाह की जरुरत को पूरा किया जा सके।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा नियन्त्रित पर्यटन केन्द्र

3929. **श्री हन्नान मोल्लाह :**
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्मित रखरखाव किए जा रहे और नियन्त्रित किये जा रहे पर्यटन केन्द्रों की कुल संख्या क्या है;

(ख) उक्त केन्द्रों की राज्य-वार संख्या क्या है ;

(ग) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम का पश्चिम बंगाल में नए केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) उन केन्द्रों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम इस समय 78 स्थानों पर अवस्थित 43 केन्द्रों के संबंध में आवास, परिवहन, शापिंग, मनोरंजन, आदि के रूप में पर्यटक सुविधाएं प्रदान कर रहा है। राज्य-वार/केन्द्र-वार यूनिटों, जिनका भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा विकास किया गया है और प्रबंध किया जा रहा है, को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) : निगम की पंचवर्षीय योजना (1980-85) तैयार की जा रही है और शीघ्र ही इसे अंतिम रूप दिए जानेकी संभावना है । अतः भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पश्चिम बंगाल के राज्य में प्रारम्भ की जाने वाली स्कीमों के बारे में स्थिति उनके पंचवर्षीय योजना (1980-85) कार्यक्रमों को अंतिम रूप प्रदान किए जाने के पश्चात् ही स्पष्ट हो सकेगी ।

विवरण

भारत पर्यटन विकास निगम की राज्य-वार/केन्द्र-वार यूनिटें जिनका निगम द्वारा विकास किया गया है और प्रबन्ध किया जा रहा है, को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	यूनिट का नाम
1	आन्ध्र प्रदेश	
	(1) हैदराबाद	(1) ट्रान्सपोर्ट यूनिट
2	असम	
	(1) काजीरंगा	(1) *वन गृह
3	बिहार	
	(1) पटना	(1) होटल पाटलिपुत्र अशोक
		(2) ट्रान्सपोर्ट यूनिट
	(2) बोधगया	(1) यात्री गृह
4	गुजरात	
	(1) अहमदाबाद	(1) **होटल करनावती अशोक
		(2) *एसईएल शो, साबरमती आश्रम
	(2) ससनगीर	(1) *वन गृह
5	हिमाचल प्रदेश	
	(1) कुल्लु	(1) यात्री गृह
	(2) मनाली	(1) यात्री गृह
6	हरयाणा	
	(1) सूरज कुण्ड	(1) यात्री रेस्तरां

विवरण—जारी

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	यूनिट का नाम
7	जम्मू और कश्मीर	
	(1) जम्मू	(1) होटल जम्मू अशोक
	(2) श्रीनगर	(1) *शालीमार गार्डन में एसईएल शो
8	कर्नाटक	
	(1) बंगलौर	(1) होटल अशोक बंगलौर
		(2) ट्रान्सपोर्ट यूनिट
		(3) एयरपोर्ट रेस्तरां
	(2) मैसूर	(1) एल० एम० पी० होटल मैसूर
	(3) हसन	(1) होटल हसन अशोक
	(4) बीजापुर	(1) यात्री गृह
	(5) हम्पी	(1) यात्री रेस्तरां
9	केरल	
	(1) कोवलम	(1) कोवलम अशोक बीच रिसॉर्ट
		(2) ट्रान्सपोर्ट यूनिट
10	मध्य प्रदेश	
	(1) खजुराहो	(1) होटल खजुराहो अशोक
		(2) ट्रान्सपोर्ट यूनिट
	(2) माण्डू	(1) यात्री गृह
	(3) सांची	(1) यात्री गृह
	(4) इन्दौर	(1) ट्रान्सपोर्ट यूनिट
	(5) जबलपुर	(1) ट्रान्सपोर्ट यूनिट
11	महाराष्ट्र	
	(1) औरंगाबाद	(1) होटल औरंगाबाद अशोक
		(2) एयरपोर्ट रेस्तरां
		(3) ट्रान्सपोर्ट यूनिट
	(2) बम्बई	(1) ट्रान्सपोर्ट यूनिट
		(2) ड्यूटी फ्री शॉप
	(3) अजन्ता	(1) यात्री रेस्तरां
	(4) एलोरा	(1) यात्री रेस्तरां
12	उड़ीसा	
	(1) भुवनेश्वर	(1) होटल कलिंग अशोक
		(2) ट्रान्सपोर्ट यूनिट
	(2) कोणार्क	(1) यात्री गृह
13	राजस्थान	
	(1) जयपुर	(1) होटल जयपुर अशोक
		(2) ट्रान्सपोर्ट यूनिट
	(2) उदयपुर	(1) एल० बी० पी० होटल उदयपुर
	(3) भरतपुर	(1) *वन गृह

विवरण—जारी

क्रम सं० राज्य/संघशासित क्षेत्र	यूनिट का नाम
14 तमिलनाडु	
(1) मद्रास	(1) ड्यूटी फ्री शाप (2) ट्रान्सपोर्ट यूनिट
(2) महाबलिपुरम्	(1) टेम्पल वे अशोक बीच रिसॉर्ट (2) यात्री रेस्तरां
(3) मदुरै	(1) यात्री रेस्तरां
(4) तिरुचिरापल्ली	(1) यात्री गृह (2) एयरपोर्ट रेस्तरां (3) ड्यूटी फ्री शॉप
(5) तंजावुर	(1) यात्री गृह
(6) कांचीपुरम	(1) यात्री गृह
15 उत्तर प्रदेश	
(1) आगरा	(1) **होटल मुमताज अशोक (2) ट्रान्सपोर्ट यूनिट (3) यात्री रेस्तरां (4) एयरपोर्ट रेंस्तरां
(2) वाराणसी	(1) होटल वाराणसी अशोक (2) ट्रान्सपोर्ट यूनिट (3) एयरपोर्ट रेस्तरां
(3) कुशीनगर	(1) यात्री गृह
(4) कोसी	(1) *यात्री रेस्तरां
16 पश्चिम बंगाल	
(1) कलकत्ता	(1) होटल एयरपोर्ट अशोक (2) ट्रान्सपोर्ट यूनिट (3) एयरपोर्ट रेस्तरां (4) ड्यूटी फ्री शॉप
17 संघ शासित क्षेत्र	
(1) दिल्ली	(1) अशोक होटल नई दिल्ली (2) अकबर होटल नई दिल्ली (3) कुतुब होटल नई दिल्ली (4) होटल जनपथ नई दिल्ली (5) लोदी होटल नई दिल्ली (6) होटल रणजीत नई दिल्ली (7) कुतुब रेस्तरां नई दिल्ली (8) अशोक मयूर रेस्तरां विज्ञान भवन (9) ट्रान्सपोर्ट यूनिट (10) ड्यूटी फ्री शॉप (11) एस० ई० एल० लाल किला नई दिल्ली (12) *राज्य अतिथि गृह और अतिथ्य केन्द्र हैदराबाद हाउस (13) *वेस्टर्न कोर्ट केटरिंग सर्विस

*पर्यटन विभाग/अन्य सरकारी विभागों की ओर से निगम द्वारा प्रबन्ध किया जा रहा है।
**प्राइवेट सेक्टर पार्टी की ओर से प्रबन्ध किया जा रहा है।

आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

3930. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत छः महीनों के दौरान आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग के कुछ मामले पकड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों और कंपनियों के नाम क्या हैं जिनपर आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग का आरोप है और संबंधित पार्टियों के खिलाफ क्या स्पष्ट आरोप हैं तथा प्रत्येक मामले में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्थ है; और

(ग) उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

भारत में तम्बाकू व्यापार में विदेशी कम्पनियों द्वारा अर्जित मुनाफा

3931. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कुछ विदेशी कम्पनियां तम्बाकू का व्यापार कर रही हैं तथा भारी मुनाफा कमा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान कितना मुनाफा कमाया है; और

(ग) ये कम्पनियां गत तीन वर्षों से सरकार को कितना आयकर अदा कर रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) : देश में विदेशी शेयरधारिता वाली निम्नलिखित कम्पनियां तम्बाकू का व्यवसाय कर रही हैं:—

कम्पनी का नाम	विदेशी शेयरधारिता
1. आई० टी० सी० लिमिटेड	39.9 प्रतिशत
2. वजीर सुल्तान टोबेको कं० लि०	32.3 प्रतिशत
3. गोडफ्रे फिलिप्स इं० लि०	40.0 प्रतिशत
4. इन्टरनेशनल टोबेको कं० लि०	गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड की 100 प्रतिशत अधीनस्थ समवाय

सबसे हाल के उपलब्ध लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा के अनुसार इन कम्पनियों के कर से पूर्व लाभों, कराधान के लिए व्यवस्था तथा कर के बाद के नामों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

	वजीर सुल्तान टोबेको कम्पनी लि०			ग्रोडफ्रे फिलिप्स इं० लि०		
	30—9—77	30—9—78	30—9—79	31-12-77	31-12-78	31-12-79
			(लाख रुपये)			
कर से पूर्व के लाभ	498.81	495.70	300.57	4.81	54.44	54.14
कराधान के लिए व्यवस्था	323.94	313.54	150.36	..	25.76	29.80
कर के बाद के लाभ	174.87	182.16	150.21	4.81	28.68	24.34

	इन्टरनेशनल टोबेको कं० लि०			आई० टी० सी० लिमिटेड		
	31-12-77	31-12-78	31-12-79	31-3-77	31-3-78	31-3-79
				(लाख रुपए)		
कर से पूर्व के लाभ	(—)12.53	0.08	11.24	873.73	844.74	1246.36
कराधान के लिए व्यवस्था	..	..	..	479.24	432.63	783.69
कर के बाद के लाभ	(—)12.53	0.08	11.24	394.49	412.11	462.67

स्टेट . बैंक आफ इंडिया द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

3932. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा वित्त पोषित समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये राज्यवार, किन-किन गांवों का चयन किया गया है और

(ख) उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिये स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा राज्यवार, दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) सरकार द्वारा सन् 1978 में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरु-शुरु में 2000 खण्डों (ब्लाकों) में प्रारम्भ किया गया था और बाद में इसमें हर वर्ष 300 अतिरिक्त खण्ड और जोड़े जायेंगे। इन खण्डो द्वारा व्याप्त ग्रामों के नाम तत्काल उपलब्ध नहीं है। लेकिन, भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी "ग्रामोदय योजना" अलग से प्रायोजित की है जिसके अन्तर्गत 248 ग्रामो को अंगीकृत किया गया है। इन ग्रामो में, यह बैंक 32,394 ऋण खातों का परिचालन कर रहा है और 7.42 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किये हैं।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपनी "उद्यमी योजना" के अधीन दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एकको की संख्या	बकाया राशि
आंन्ध्र प्रदेश	203	191.00
असम	64	17.91
बिहार	248	206.00
गुजरात	175	259.00
हरयाणा	43	89.84
हिमाचल प्रदेश	21	8.60
जम्मू व कश्मीर	30	1.95
कर्नाटक	162	196.61
केरल	88	17.00
मध्य प्रदेश	376	292.00
महाराष्ट्र	544	422.20
मेघालय	2	0.11
नागालैण्ड	22	..
उड़ीसा	73	46.00
पंजाब	133	131.27
राजस्थान	42	21.00
तमिलनाडु	255	196.00
उत्तर प्रदेश	183	162.85
पश्चिम बंगाल	443	371.53
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	..	..
चंडीगढ़	5	7.84
दिल्ली	177	215.16
गोआ, दमन और दीव	4	13.00
मणिपुर	..	..
पांडिचेरी	12	21.00
त्रिपुरा	3	2.26
मिजोरम/सिक्किम/अरुणाचल प्रदेश	..	..
	3308	2890.13

इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा महाराष्ट्र में विभिन्न योजनाओं पर किया गया व्यय

3933. **श्री आर० के० महालगी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स का चालू वित्तीय वर्ष 1979-80 के दौरान महाराष्ट्र में विभिन्न योजनाओं पर 210.66 लाख रुपये व्यय करने का विचार है ;

(ख) उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक कुल कितनी राशि व्यय की गई ;

(ग) योजना-वार अब तक क्या वास्तविक लक्ष्य प्राप्त किये गये हैं; और

(घ) यदि निर्धारित राशि को पूर्णतया उपयोग में नहीं लाया गया तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 72 लाख रुपये।

(ग) स्कीमवार प्रस्तावित राशि तथा वास्तव में खर्च की गयी राशि नीचे दी गयी हैं:—

स्कीम	प्रस्तावित	वास्तविक
	(लाख रुपयों में)	
1. वर्कशाप तथा अन्य ओपरेशनल बिल्डिगें	82.51	14.19
2. स्टाफ क्वार्टर	33.20	17.83
3. बुकिंग कार्यालयों का निर्माण/नवीकरण	5.90	0.81
4. मोटर वाहन	34.65	27.95
5. ग्राउंड सपोर्ट उपकरण	43.75	4.05
6. विविध परिसम्पत्तियां	10.65	7.45
	212.66	72.28

(घ) कारण निम्न प्रकार हैं :—

—वर्ष 1979-80 के दौरान सीमेंट तथा अन्य भवन निर्माण सामग्री की अत्यधिक कमी रही है जिसके परिणामस्वरूप स्कीमो में विलम्ब हुआ/कार्यान्वयन नहीं हुआ।

—कुछ स्कीमो के लिए आरंभ किए गए अथवा चल रहे निर्माणकार्यों के लिए पहले ही वायदे किए जा चुके हैं, परन्तु भुगतान का प्रश्न चालू वित्तीय वर्ष (1980-81) के दौरान निर्माण-कार्यों को प्रमाण-पत्र दे दिये जाने तथा बिलो की तसदीक आदि हो जाने के बाद उठेगा।

विदेशी कंपनियों की शाखाओं और सहायक कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का पालन न किया जाना

3934. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कंपनी की अनेक शाखाएं और सहायक कंपनियों लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक उत्पादन करने और विदेश मुद्रा विनियमन अधिनियमन का पालन न करने की दोषी पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या है; और

(ग) सरकार नें उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) : यद्यपि यह मालूम है कि कुछ विदेशी कंपनियों ने लाइसेंस प्राप्त क्षमता से ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया है फिर भी इन कंपनियो का दोष सिद्ध करने के लिए इनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकना संभव नहीं हो सका है, क्योंकि इस प्रकार की कार्यवाही मुख्य रूप से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के उपबंधों के अधीन, जिनके द्वारा लाइसेंस प्राप्त क्षमता की मंजूरी दी जाती है, ही की जा सकती है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के उपबंधों के अधीन कदाचित नहीं।

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले द्वारा दी गई धनराशि

3935. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में औद्योगिक विकास के लिये कुल कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) इन बैंकों द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान इस जिले में हथकरघा उत्पादकों तथा अन्य लघु एकको, 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों, कृषि श्रमिको, बरगादारों, चटाई बनाने वालों तथा रिक्शा चलाने वालों को कुल कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) आंकड़ें जिस रूप में मांगे गये हैं, रिजर्व बैंक की सांख्यकीय सूचना प्रणाली द्वारा वे उस रूप में प्राप्त नहीं होते। दिसम्बर, 1974 और दिसम्बर 1977 के अन्त की स्थिति के अनुसार (तीन वर्षों की अवधि को व्याप्त करते हुए) मिदनापुर जिलें म अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों की बकाया राशि के क्षेत्रवार प्रसार के बारे में उपलब्ध आंकड़े विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में अनुसुचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों की बकाया राशि का क्षेत्रवार प्रसार

(हजार रुपयों में)

क्रम सं०	मद	दिसम्बर 1974	दिसम्बर 1977
1	कृषि	16,370	31,159
	(क) प्रत्यक्ष	12,228	28,322
	(ख) अप्रत्यक्ष	4,142	2,837
2	उद्योग	15,670	32,007
	जिसमें से		
	(क) खाद्य निर्माण	1,151	8,622
	(ख) सूती वस्त्र	15	4,782
	(ग) रसायन	3,091	3,817
	(घ) धातु	1,108	1,748
	(ङ) इंजीनियरी	138	2,855
	(च) अन्य	10,167	10,183
3	परिवहन	10,055	23,124
4	व्यापार	6,726	12,467
5	सेवायें	3,690	4,195
6	अन्य	11,420	20,911
	कुल ऋण	63,931	1,23,863
	जिसमें से छोटे उद्योगों के लिये	9,271	19,956

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु औद्योगिक एककों को सुविधाएं

3936. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पुंजी की कमी के कारण लघु औद्योगिक एककों पर प्रायः अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे एककों को सुविधाएं देने में प्राथमिकता देने और उन पर ब्याज की कम दरें वसूल करने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंको को कोई निदेश दिया है; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा 1979-80 सहित पिछले तीन वर्षों में इस क्षेत्र को उनके द्वारा दिय गये कुल ऋण का कितना प्रतिशत ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) सरकारी नीति तथा छोटे पैमाने के उद्योग को उदार शर्तों पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता में तेजी लाने की दृष्टि से, छोटे पैमाने के उद्योगो को बैंक द्वारा दी जाने वाली ऋण सुविधाओं का लाभ पाने के लिए, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया है। छोटे पैमाने के उद्योगो को, बैंको से वित्तीय सहायता देने के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर बैंको को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं। इनमें-ब्याज की कम दरें, परियोजना के प्राथमिक चरण के समय पूरी साम्या पूंजी (इक्विटी) के लिए बाध्य न करना, कुछ शर्तों तथा निबन्धनो के अंतर्गत मार्जिन या सीड मनी सहायता, सरलीकृत आवेदनपत्रों/मूल्यांकन फार्मों को लागू करना, छोटे एककों के मामले म प्रतिभूति/गारंटी के लिए बाध्य न करना और सहायताप्राप्त एकक की उत्पादन क्षमता के अधिशेष (सरप्लस) को ध्यान मे रखते हुए, सावधिक ऋणों की अदायगी के कार्यक्रमों को नियत करना आदि शामिल है। शिल्पियों, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों तथा अति लघु (टाइनी) क्षेत्र को विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी, मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिये गये हैं। बैंको से कहा गया है कि वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को, जिनमें कि छोटे पैमान के उद्योग भी शामिल हैं, दिये जाने वाले ऋणों को बढाकर, 1985 तक, अपने कुल ऋणों के 40 प्रतिशत तक पहुंचा दे।

(ग) पिछल तीन वर्षो के दौरान, सरकारी क्षेत्र के बैंको द्वारा छोठे पैमान के उद्योगो को दिए गए ऋणों का प्रतिशत नीचे लिखे अनुसार है :--

के अंत की स्थिति के अनुसार	कुल ऋणो में से छोटे पैमाने के उद्योगो को दी गई सहायता का प्रतिशत
जून, 1977	11.3
जून, 1978	12.3
जून, 1979	13.0

कोल्ड-रोल्ड स्टैनलैस स्टील शीटों का आयात

3937. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्तनों को बनाने के लिये कोल्ड-रोल्ड स्टेनलैस शीटों के अप्रतिबंधित आयात से दुर्गापुर में मिश्र धातु संयंत्र के लिये गंभीर विपणन की समस्या उत्पन्न हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम के जरिए सरणीबद्ध आयात से पुनर्वेतन (रि-रोतर) जो अधिकांश लघु क्षेत्र में है, संकट की स्थिति में पहुंच गया है ;

(ग) यदि हां, तो उनकी सहायता करने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ;

(घ) क्या सरकार ने रि-रोलरों और मिश्र-धातु संयंत्र द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार किया है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने "कोल्ड-रोल्ड स्टैनलैस शीटों" के व्यापक आयात पर पुनर्विचार करने का निर्णय किया है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) वेदाग इस्पात की चादरों पर अधिक आयात शुल्क लगाकर तथा आयातित माल के लिए रिलीज मूल्य निश्चित करने की प्रक्रिया में फेर बदल करके देश में उत्पादित वेदाग इस्पात को पर्याप्त संरक्षण दिया गया है। आयात की मात्रा निश्चित करते समय देशीय उपलब्धि को ध्यान में रखा जाता है। अतः आयात नीती में इस समय कोई फेर-बदल करने की आवश्यकता नहीं है।

लन्दन में भारतीय बैंकों का कार्य रुकना

3938. **श्री नारायण चौबे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हड़ताल के कारण लन्दन में भारतीय बैंकों को कार्य रोकना पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इस हड़ताल के क्या कारण हैं और हड़तालियों की मांगें क्या हैं ; और

(ग) इन बैंकों में कार्य के रुकने से कितने धन की हानि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) यह सही नहीं है कि लंदन में स्थित भारतीय बैंकों को हड़ताल के कारण कारोबार रोक देना पड़ा। अलबत्ता, पांच बैंकों अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ बडोदा, सैंट्रल बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ इंडिया और यूनाइटेड कर्माशियल बैंक के स्थानीय रूप से भरती किये गये कर्मचारियों ने 11 जून, 1980 को 12.00 बजे दोपहर को काम रोक कर अनधिकारिक औद्योगिक कार्यवाही की थी। परन्तु, वे अगले दिन प्रातःकाल काम पर लौट आये।

(ख) काम रोक देने का कारण कर्मचारियों का अपने वेतन में 28 प्रतिशत वृद्धि (यह मांग बाद में घटाकर 23 प्रतिशत कर दी गई) की मांग पर जोर देना था जबकि बैंकों ने 19.5 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव किया था। अब कर्मचारी यूनियन और लंदन में भारतीय बैंकों की संयुक्त बातचीत समिति के बीच एक करार हो चुका है जिसके अनुसार 1 अप्रैल, 1980 से वेतन में 21.5 प्रतिशत वृद्धि करने की बात मान ली गई है।

(ग) क्योंकि बैंकों का कारोबार पूरी तरह ठप्प नहीं हुआ था और काम रुकने से 11 जून, 1980 को दोपहर 12.00 बजे के बाद से कारोबार में केवल कुछ अस्त-व्यस्तता ही आई थी, इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात उद्योग के विकास के लिए नियतन में भारी कटौती

3939. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में इस्पात उद्योग के विकास के लिये नियतन मे भारी कटौती की है ; और

(ख) यदि हां, तो मूल प्रस्तावित परिव्यय क्या था, प्रस्तावित कटौती कितनी है और इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निम्न तथा मध्यम वर्गीय मकान बनाने वाले लोगों के लिए इस्पात उपलब्ध कराना

3940. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मकान बनाने वाले निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के अधिकांश लोगों को इस्पात की कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या इस्पात न मिल पाने के कारण निर्माणाधीन ऐसे कई मकानों पर निर्माण कार्य ठप्प हो गया है ;

(ग) क्या दिल्ली में परमिट जारी करने वाला सरकारी तंत्र भविष्य में अपने मकान बनाने वालों (छोटे तथा मध्यम श्रेणी के) को परमिट देने में असफल रहा है ;

(घ) दिल्ली में जनवरी 1980 से अबतक इस्पात प्राप्त करने के लिए विचाराधीन पड़े हुए आवेदनों की संख्या कितनी है ; और

(ङ) दो महीने की प्रतीक्षा के बाद भी परमिट न दिए जाने के क्या कारण है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि इस्पात की अनुपलब्धि के कारण मकान बनाने का काम बड़े पैमाने पर ठप्प हो गया है । लेकिन यह सच है कि बहुत से मकान निर्माताओं ने इस्पात के आवंटन के लिए मुख्य उत्पादकों को आवेदन भेजे हैं ।

(ग) मकान निर्माताओं को इस्पात का वितरण करने के लिए कोई सरकारी संस्था नहीं है । संयुक्त संयंत्र समिति प्रणाली के अधीन उत्पादकों की एक समिति का गठन किया गया है जो उन मकान निर्माताओं को उपलब्ध इस्पात का वितरण करती है जिन्होंने अपनी मांगें समिति के पास पंजीकृत करा रखी है ।

(घ) 1-7-80 को शेष पड़े आवेदनों की संख्या 2776 थी । इनमें से 1749 आवदन 2 महीन से ऊपर के हैं ।

(ङ) सप्लाई न किए जाने का मुख्य कारण यह है कि मांग की तुलना में उपलब्धि पर्याप्त नहीं है

सरकारी/गैर सरकारी लिमिटेड कम्पनियों द्वारा एकत्र की गई जमा राशियों पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण

3941. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी लिमिटेड/गैर सरकारी लिमिटेड कम्पनियों द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से एकत्र की गई जमा-राशियों पर भारतीय रिजर्व बैंक का कोई नियंत्रण है ;

(ख) क्या रिजर्व बैंक ने ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध कोई मुकद्दमें चलाये हैं जो रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) वित्तीय और विविध गैर-बैंकिग कम्पनियों द्वारा जमा-राशियों की स्वीकृति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अध्याय-III ख के अंतर्गत जारी किये गये निदेशों द्वारा शासित होती है । अन्य बातों के साथ-साथ ये निदेश उन कम्पनियों को उनकी शुद्ध स्वामित्व वाली निधियों के 40 प्रतिशत की समग्र (ओवरआल) सीमा से अधिक मात्रा में और 6 माह से कम और 36 माह से अधिक अवधि के लिये जमाराशियों स्वीकार करने पर रोक लगाते हैं । उन्हें अपने पास रखी हुई जमा-राशियों के बारे में अर्ध-वार्षिक विवरणियां भेजनी होती हैं और अपने प्रबंधक वर्ग, कार्यकारी परिणामों आदि के बारे में उस विज्ञापन में सूचना प्रकट करनी पड़ती है जिसमें जनता से जमा-राशियां आमंत्रित की गई हों ।

(ख) जी, हां ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने इन निदेशों का उल्लंघन करने के लिये अभी तक 80 वित्तीय और विविध गैर-बैंकिग कम्पनियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की है ।

दिल्ली में जाली राशन कार्डों की जांच का अभियान

3942. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में जाली राशन कार्डों की बुराई को रोकथाम के लिए हाल ही में कोई अभियान चलाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो अभियान के क्या परिणाम रहे ;

(ग) क्या इस बुराई के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को कोई दण्ड दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस अभियान के शुरू किए जाने से लेकर अबतक इस गलती के लिए महीने-वार कितने व्यक्तियों को दण्डित किया गया है और क्या दण्ड दिया गया है ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) जी हां, दिल्ली प्रशासन ने 28-2-80 से 25-4-80 तक एक अभियान चलाया था जिसमें 1,14,627 राशन कार्डों की जांच की गई थी । इस अभियान के परिणाम स्वरूप एक ऐसे मामले का पता चला जिसमें एक व्यक्ति अपने पिते का राशन ले रहा था जो विदेश गये हुये थे । इसके अलावा 2917 ऐसे कार्डों का पता चला जिसमें कार्डधारियों ने अपना मकान बदल लिया था, परन्तु अपने कार्डों को नये पते पर नहीं बदलवाया था ।

(ग) तथा (घ) दोषी व्यक्तियों के राशन कार्डों को, दिल्ली स्पेसिफाइड फूड आर्टिकल्स (रेग्युलेशन आफ डिस्ट्रीब्युशन) आदेश, 1968 के उपबन्धों के अनुसार या तो स्थगित कर दिया गया है या रद्द कर दिय गया है । एक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को ऋण दिया जाना

3943. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसा कोई मूल्यांकन किया है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में से कौनसा राष्ट्रीयकृत बैंक स्व-नियोजन के लिये अथवा लघु औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये शिक्षित बेरोजगारों को ऋण देने सहित समाज के कमजोर वर्गों को ऋण देने के कार्य में सर्वोत्तम रहा है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यों में जहां इस की शाखाएं ह, इस बैंक द्वारा किय गय कार्य का ब्यौरा क्या है तथा इस क्षेत्र में अगले चार स्थान प्राप्त करने वाले बैंकों के कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस क्षेत्र में और अधिक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए बैंकों को कोई प्रोत्साहन देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये ऋणों का गठन और उनका राज्यवार वितरण न केवल उनकी विभिन्न राज्यों में स्थित शाखाओं के आकार पर बल्कि इन शाखाओं की अवस्थिति पर और उनके ऋण प्रदान करने के कार्यक्रमों के विशिष्ट क्षेत्रों के अलग-अलग महत्वों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग हैं । इसलिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन सामान्यतः प्रत्येक बैंक क ऐसे ऋणों की मात्रा एवं उस बैंक के कुल ऋणों में से इस प्रकार के ऋणों के अनुपात से किया जाता है ।

दिसम्बर, 1979 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक समूह और 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिये गये ऋणों के उपलब्ध अनन्तिम बैन्कवार आंकड़े विवरण में दिये गये हैं। यह देखा जा सकता है कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिये गये ऋणों की सम्पूर्ण मात्रा के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक अन्य सरकारी क्षेत के बैंकों से आगे है और इसके बाद बैंक आफ बड़ोदा, सैंट्रल बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक आफ इंडिया आते हैं। अलबत्ता, कुल ऋणों में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिये गये ऋणों के अंश के अनुसार, बैंक आफ महाराष्ट्र सबसे आगे है और उसके बाद सिंडीकेट बैंक, भारतीय स्टट बैंक और इसके सहयोगी बैंक, बैंक आफ बड़ौदा तथा देना बैंक आते हैं।

(ग) 6 मार्च, 1980 को हुई बैंकों के मुख्य कार्यपालकों की बैठक में यह तय किया गया है कि बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों में दिये जाने वाले ऋणों के अंश को बढ़ाकर सन 1985 तक अपने कुल ऋणों के 40 प्रतिशत तक पहुंचा देंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिये जाने वाले बढ़े हुए ऋणों का महत्वपूर्ण भाग समाज क कमजोर वर्गों को और विशेष रूप से 20-सूत्री कार्यक्रम के लाभान्वितों को ही दिया जाय ।

8—357 LSS ND/80

विवरण

दिसम्बर 1979 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बैंकवार कुल ऋण और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये ऋण

(करोड़ रुपयों में)

बैंको का नाम	कुल ऋण	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये ऋण	कुल ऋणों में से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये ऋणों के अंश की प्रतिशतता
क. भारतीय स्टेट बैंक . .	5041	1890	37.50
ख. भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक	1278	492	38.50
ग. राष्ट्रीयकृत बैंक			
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया .	1303	404	31.04
बैंक आफ इंडिया . .	1183	370	31.28
पंजाब नेशनल बैंक . .	1142	385	33.71
बैंक आफ बड़ौदा . .	1154	419	36.35
यूनाइटेड कमर्शियल बैंक .	758	234	30.83
केनरा बैंक . . .	975	326	33.49
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया .	702	186	26.47
देना बैंक . . .	424	149	35.02
सिंडीकेट बैंक . . .	764	294	38.49
यूनियन बैंक आफ इंडिया .	700	239	34.09
इलाहाबाद बैंक . .	402	120	29.85
इंडियन बैंक . . .	505	155	30.62
बैंक आफ महाराष्ट्र . .	411	159	38.64
इंडियन ओवरसीज बैंक .	545	185	33.98
जोड़ ग . . .	10968	3625	33.05
जोड़ क+ख+ग . .	17287	6007	34.67

आंकड़ें अन्तिम हैं।

योजना और गैर-योजना व्यय का अनुपात

3944. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष संघ सरकार के योजना का गैर-योजना व्यय से अनुपात कितना था ; और

(ख) गैर-योजना व्यय में वृद्धि का देश में आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के संबंध मे जानकारी चाहते हैं । एक विवरण संलग्न है ।

(ख) योजना-भिन्न व्यय के मुख्य क्षेत्र हैं; रक्षा, ब्याज की अदायगी, आर्थिक सहायता, कर संग्रहण प्रभार, पुलिस और अन्य प्रशासनिक व्यय तथा राज्य सरकारों को अनुदान और ऋण । इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर किए जाने वाले ऐसे व्यय भी शामिल हैं जो कि पिछली योजना अवधियों के समाप्त हो जाने पर, "वचनबद्ध' अथवा योजना भिन्न व्यय माने जाते हैं। इन सभी प्रकार के व्ययो का प्रयोजन जनता को अनिवार्य सेवाएं उपलब्ध कराना तथा साथ ही अर्थव्यवस्था म अधिक आय और रोजगार उत्पन्न करना है ।

विवरण

केन्द्रीय बजट में योजनागत और योजना-भिन्न व्यय का हिस्सा

	कुल व्यय का प्रतिशत	
	योजनागत व्यय	योजना-भिन्न व्यय
1978-79 (संशोधित अनुमान)	37.68	62.32
1979-80 (संशोधित अनुमान)	37.62	62.38
1980-81 (बजट अनुमान)	37.20	60.80

राज्य व्यापार निगम द्वारा अन्य देशों के साथ वस्तु विनियम प्रबन्ध

3945. **श्री० गुफरान आजम :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा किन-किन देशों के साथ वस्तु विनिमय प्रबन्ध किए गए हैं ; और

(ख) प्रत्येक देश के साथ किस किस वस्तु की कितनी कितनी मात्रा एवं मूल्य के लिए समझौत है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री० प्रणब मुखर्जी) : (क) राज्य व्यपर निगम के किसी देश के साथ वस्तु विनिमय प्रबन्ध नहीं हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तान के साथ व्यापार

3946. **श्री० गुफरान आजम :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाय हैं ; और

(ख) वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान किन किन मदों का तथा कितने मूल्य की मदों का आयात तथा निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री० प्रणब मुखर्जी) : (क) दोनो देशो के बीच और आगे व्यापार की गुंजाईश और पद्धतियो के बारे मे पाकिस्तान के साथ वार्ताओं के कई दौर हुए हैं । राजनयिक माध्यमों के जरिए वार्ता जारी है ।

(ख) 1978-79 तथा 1979-80 (अप्रल–जून 1979) के निर्यात/आयात आंकड़, मूल्य सहित, संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

1978-79 के दौरान पाकिस्तान के साथ भारत के व्यापार के आंकड़े दर्शाने वाला विवरण

(मूल्य लाख रु० में)

प्रमुख वस्तुएं	मात्रा की इकाई	मात्रा	मूल्य
क-निर्यात			
गेहूं	हजार मे० टन	1,433	1.30
अनाज तथा अनाज से बनी चीजें	हजार कि०ग्रा०	81	3
ताजी इमली तथा सूखी इमली	हजार कि० ग्रा०	1,726	32
चाय	हजार कि० ग्रा०	29	5
मसाले	हजार कि० ग्रा०	1,174	36
अन्य हार्ड वुड तथा टीक वुड	क्यूबिक मीटर	9,654	1,54
कच्ची वनस्पति सामग्री	..	..	1,81
रासायनिक तथा सम्बन्ध उत्पाद	..	..	1,04
रबड़ निर्मित माल	..	..	2,28
पतसन टाट के थैले	संख्या	1,173	50
अधात्विक खनिज निर्मित माल	..	..	1,65
लोहा तथा इस्पात	मे० टन	1,075	53
धातु निर्मित माल	..	..	4,38
मशीनें तथा परिवहन उपस्कर	..	..	2,01
बनी हुई विविध वस्तुएं	..	..	46
विशष सौदे	..	..	87
अन्य वस्तुएं	..	..	32
निर्यातों का योग	..	..	19,45
ख-आयात			
अन्य कच्चे खनिज पदार्थ	..	..	8
कच्ची वनस्पति सामग्री	..	..	2
छपी हुई सामग्री	..	..	2
अन्य वस्तुएं	..	..	12,65*
आयातों का योग	..	..	12,77

अप्रैल-जून 1979 के दौरान पाकिस्तान के साथ भारत के व्यापार के आंकड़े दर्शाने वाला विवरण

क-निर्यात			
लकड़ी, टिम्बर आदि	..	..	63
प्लास्टिक की परतदार चादरें	हजार कि०ग्रा०	78	6
इस्पात प्रबलित सीमेंट के पाइप	मे० टन	1300	13
लोहा तथा इस्पात	*	51	3
धातु निर्मित माल	..	..	52
अन्य	..	..	8
कुल निर्यात	..	..	1,45
ख-आयात			
मसाल	कि०ग्रा०	853	1
अन्य	..	..	5,51*
कुल आयात	..	..	5,52

*पेट्रोलियम उत्पादो के सम्बन्ध में आंकड़ें शामिल हैं।

आयात लाइसेंस

3947. **श्री गुफरान आजम :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1979-80 में (एक) पूंजीगत वस्तुओं (दो) उपभोक्ता वस्तुओं के सम्बन्ध में जारी किए गए आयात लाइसेंसों का कुल कितना मूल्य है;

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान दोनों वर्गों के इस्तेमाल न किए गए वकाया आयात लाइसेंसों के बारे में क्या अनुमान है;

(ग) दोषियों के (राज्य-वार) क्या नाम हैं; और

(घ) इन दोषियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1979-80 के दौरान भारी विद्युत संयंत्रों सहित पूंजीगत माल के लिए जारी किए गए आयात लाइसेंसों का मूल्य 737 करोड़ रु० था। आयात नीति के अन्तर्गत उपभोक्ता वस्तुओं को रोक लगी हुई मदों में रखा गया है और ऐसी मदों के आयात के लिए सामान्यत: लाइसेंस जारी नहीं होते हैं।

(ख) पूंजीगत माल लाइसेंस की वैधता की आरंभिक अवधि के अन्तर्गत वैधता अवधि के पहले इसे उपयोग करना अपेक्षित है। तदनुसार 1979-80 के दौरान जहां तक पूंजीगत माल के लए लाइसेंस जारी किए गए थे, उस दिन तक, कोई दोषी नहीं हो सकता।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते।

चाय का निर्यात

3948. **श्री गुफरान आजम :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत चाय के निर्यात के मामले में अब पहले स्थान की बजाय दूसरे स्थान पर आ गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और चाय का व्यापार बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) हालांकि, 1978 में भारत से चाय के निर्यातों में मामूली सी गिरावट आई थी, किन्तु 1979 में समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में भारत के निर्यात निष्पादन को देखते हुए वह अभी भी विश्व में चाय का अग्रणी निर्यातक है।

(ख) 1978 के दौरान हमारे चाय के निर्यातों में इन मुख्य कारणों से मामूली सी गिरावट आई : (i) पिछले वर्ष में बड़े चाय आयातक देशों द्वारा चाय का अति संचय किया जाना, (ii) 1977 में चाय पर निर्यात शुल्क लग जाने के कारण अन्य निर्यातक देशों की चाय के मुकाबले में हमारी चाय में प्रतियोगिता करने की क्षमता का न होना, (iii) निर्यात व्यापार में समग्र रूप से तीव्रता की कमी।

1978 में गिरते हुए निर्यातों को देखते हुए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनमें ये शामिल हैं : (i) 14-2-1979 से चाय पर से निर्यात शुल्क समाप्त करना, (ii) जनवरी 1979 में डिब्बाबंद चाय के निर्यातों पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क वापस करने की पद्धति को पुनः लागू करना, (iii) चाय कथेले बनाने वाली मशीनों के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखना, (iv) 18-1-79 से चाय के थैले बनाने वाली मशीनरी पर आयात शुल्क को 75% से कम करके 25% करना, और (v) अप्रैल 1979 से डिब्बा बन्द चाय और चाय के थैलों पर नकद प्रतिपूर्ति सहायता की दर को 10% से बढ़ा कर $12\frac{1}{2}$% करना। इसके अतिरिक्त, चाय बोर्ड के विदेशों में स्थित कार्यालय अनेक संवर्धन उपाय कर रहे हैं, जैसे कि सामान्य संवर्धन, एक राष्ट्रीय संवर्धन, व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों में भाग लेना, आदि।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन रुग्ण कपड़ा एककों का कार्यकरण

3949. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन आजकल चल रहे विभिन्न रुग्ण कपड़ा एककों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) कपड़ा उद्योग के वर्तमान रुख को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने इन मिलों में से कुछ मिलों में टैरिकाट, टेरीन और मिश्रित वस्त्रों की अन्य किस्मों के हस्तउत्पादित कपड़ों के निर्माण को शुरू करने की सम्भावनाओं पर विचार किया है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(घ) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कार्यकरण की लाभप्रदता को सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए सरकार का इस मामले में क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (घ): राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों के कार्यचालन में सुधार लाने और उन्हें जीवनक्षम बनाने के लिए उठाये गए/उठाये जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कदम ये हैं :—

(i) मशीनरी का आधुनिकीकरण/नवीकरण;

(ii) कार्यभार और श्रमिक शक्ति का सुव्यवस्थीकरण ;

(iii) केन्द्रीकृत आधार पर कच्चे माल की बड़े पैमाने पर खरीद;

(iv) उत्पादन के स्वरूप में विविधीकरण; और

(v) बिजली की कमी को दूर करने के लिए कुछ एककों में डीजल जैनेरटिंग सटों का लगा या जाना ।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कुछ मिलों में, जहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं; टेरिकाट और मिश्रित कपड़ा पहले ही बनाया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोलार सोना खानों से सोने का निकाला जाना

3950. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलार सोना खानों से आजकल कितना सोना निकाला जाता है;

(ख) क्या किसी स्तर पर यह पता लगाया गया है कि खानों से निम्न ग्रेड अयस्क का निकाला जाना अधिक लाभकारी रहेगा, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अधिक सोना निकाले जाने और उन स्थानीय खनिकों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने हेतु, जिनको कुछ समय पहले काम से हटा दिया गया था, और क्या अन्य उपाय किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मखर्जी) : (क) 1979-80 में 1560 कि०ग्रा०स्वर्ण का उत्पादन हुआ था । 1980-81 की प्रथम तिमाही में लगभग 375 कि०ग्रा० स्वर्ण का उत्पादन हुआ ।

(ख) वर्तमान खानों और कोलार शिस्ट पट्टी में अयस्क विस्तार की खोज के लिए गहन समन्वेषी-कार्य चल रहा है। स्वर्ण मूल्य में हाल की वृद्धि के फलस्वरूप निवल ग्रेड अयस्क का दोहन आर्थिक दृष्टि से उपादेय हो गया है। इसका लाभ उठाने के लिए कंपनी ने निवल ग्रेड अयस्क का उत्तरोत्तर अधिक उपयोग करने की योजनाएं तैयार की है ।

(ग) वर्ष 1959 में खानों के कुछ अलाभकारी खंडों में काम बन्द हो जाने के फलस्वरूप कुछ श्रमिकों की सेवाएं स्वेच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के अंतर्गत समाप्त कर दी गई थीं । निवल अयस्कों के दोहन, शीलाइट प्राप्ति प्रोजेक्ट के कार्यान्वियन और खान ठेका प्रभाग के कार्यों के विस्तार से रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होने की आशा है ।

इस्पात का आयात

3951. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस्पात आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां तो आयात किए जाने वाले इस्पात का ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है; और

(ग) इस्पात का आयात करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : देशीय उपलब्धि और मांग के अन्तर को पूरा करने के लिए वर्ष 1980-81 में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) को 6.9 लाख टन इस्पात का वफर आयात करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है । इसके अलावा वर्तमान आयात नीति के अधीन सेल अलग-अलग ग्राहकों की मांग के आधार पर "बैक-टू-बक" आयात करने का कार्य भी करेगी । सेल वफर तथा बैक-टू-बैक आधार पर फिर जो आयात करेगी उसकी लागत लगभग 550 करोड़ रुपए होगी लेकिन यह उसके पास पंजीकृत मांग पर निर्भर करेगा । आयात की वर्तमान नीति के अन्तर्गत वास्तविक उपयोक्ताओं, पंजीकृत निर्यातकों तथा निर्यात घरानों को भी आयात करने की अनुमति दी गई है ।

लघु उद्योगों में बनी वस्तुओं का निर्यात

3952. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लघु उद्योगों में बनी वस्तुओं के निर्यात के लिये कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को लागू करने के फलस्वरूप कितना लाभ होने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) : लघु उद्योग उत्पादों को देश के निर्यात ढांचे के पहले ही एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और 1978-79 में इनके निर्यात कुल निर्यातों का लगभग 16.44% रहे। लघु उद्योग विकास निगम अपने लघु उद्योग सेवा संस्थान व्यवस्था के माध्यम से लघु उद्योगों के निर्यातों के संवर्धन के लिए अनेक कार्यक्रम चलाता है। इनमें शामिल हैं : प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, गोष्ठियों व कायशालाओं आदि का आयोजन; सूचना तथा परामर्शी सेवाओं की व्यवस्था; निर्यात विपणन समूहों/सार्थसंघ का संवर्धन; व्यापार विकास प्राधिकरण तथा अन्य निर्यात संवर्धन संगठनों के पास सूचीबद्ध किये जाने के लिये निर्यात योग्य एककों का पता लगाना; और निर्यात संवर्धन संगठन के सहयोग से व्यापार मेलों व प्रदर्शनियों तथा अन्य बाजार तथा बिक्री संवर्धन गतिविधियों में माल लेने के लिये निर्यात अभिमुक्त लघु एककों की सहायता तथा उसका मार्गदर्शन।

लघु उद्योग विकास संगठन के अलावा लघु उद्योगो के निर्यातों का संवर्धन करने के लिए अन्य अनेक संगठनों जैसे कि व्यापार विकास प्राधिकरण, भारतीय राज्य व्यापार निगम, परियोजना तथा उपस्कर निगम, निर्यात संवर्धन परिषदों के भी अपने कार्यक्रम हैं।

वाणिज्य मंत्रालय में केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर विभिन्न निर्यात संवर्धन संगठनों के बीच कारगर संपर्क स्थापित करने तथा लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यातों के विकास के लिए एक उपयुक्त नीति तैयार करने के उद्देश्य से अपनी संकल्प सं० 17(20)/80-ई० पी० एल० दिनांक 4-6-1980 के अन्तर्गत विकास आयुक्त (लघु उद्योग) की अध्यक्षता में लघु उद्योग क्षेत्र में निर्यात संवर्धन हेतु एक संचालन समिति का गठन किया है।

(ग) लघु उद्योगों के निर्यात कार्यक्रम सामान्य तौर पर संवर्धनात्मक स्वरूप के हैं जिन्हें निर्यात प्रयास में श्रम प्रधान क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है।

तीसरे स्तर की विमान सेवा के लिए छोटे विमानों का निर्माण

3953. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तीसरे स्तर की विमान सेवा के लिये छोट विमानों के निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में तीसरे स्तर की विमान सेवा के लिये ऐसे छोटे विमानों के निर्माण के लिये कोई प्रावधान करने का है ;

(घ) यदि है, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस बारे में किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने लघु विमान और तीसरी वायु सेवा के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। लाइसेंस प्राप्त उत्पादन का कार्यक्रम सरकार द्वारा इस संबध में कोई निर्णय ले लिये जाने के बाद ही बनाया जा सकता है।

(घ) और (ङ) : प्रश्न नहीं उठते।

जयपुर के निकट छोटे विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

3954. **श्री फूल चन्द वर्मा:** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर के निकट हाल में एक पुराने छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होन का समाचार मिला है ;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकारी और गैर-सरकारी सैक्टर के पास अलग-अलग कितने ऐसे छोटे विमान हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे विमानों को पुराने घोषित करने का है ताकि भविष्य में जान और माल की क्षति को बचाया जा सके ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में, तत्संबंधी पूरा ब्यौरा बताते हुए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चन्द्राकर): (क) और (ख) : फाल्कन एयर का ट्विन-बीच विमान वी०टी०सी०जैड०एक्स० उदयपुर से जयपुर की एक प्राइवेट (गैर-अनुसूचित) उड़ान करते समय 31 मार्च, 1980 को भरतपुर जिले (राजस्थान) में नादबाई गाँव के निकट नष्ट हो गया जिसके परिणामस्वरूप विमान पर सवार सभी व्यक्तियों (विमानचालक सहित पांच व्यक्तियों) की मृत्यु हो गयी। विमान आघात (impact) तथा आघात के बाद लगी आग के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गया।

(ग) सरकारी तथा निजी क्षेत्र के पास क्रमश: 252 तथा 269 छोटे विमान हैं जिनमें कार्मिकों सहित 7 व्यक्तियों तक बैठने की क्षमता है।

(घ) और (ङ) : सभी छोटे विमानों की, विशेषत: ऐसे विमानों की जो कि गैर दाबानुकूलित (unpressurised) होते हैं, कार्यकाल की समाप्ति की कोई निर्धारित अवधि नहीं है। जब तक सामान्य अवधिक निरीक्षण के दौरान उनकी संरचना (structure) संतोषजनक पाई जाती है, विमान को उड़ान के योग्य एवं सुरक्षित समझा जाता है।

क्षेत्रीय असंतुलन कम करने के लिए की गई कार्यवाही

3955. श्री श्री बृजमोहन महन्ती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने बढ़ते हुए क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या संघीय वित्त के वितरण में नीति और सिद्धांतों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या सरकार ने 7 वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन में दिए गए विमत्त टिप्पण पर विचार किया है और यदि हां, तो क्या कोई उपयुक्त कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना विकासात्मक नीति के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। नीति को समय-समय पर योजना संबंधी कागजातों में प्रदर्शित किया जाता है। छठी पंच वर्षीय योजना (1980-85) अब वर्तमान सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के आलोक में तैयार की जा रही है।

(ख) राज्यों के राजस्व को केन्द्रीय करों तथा शुल्कों और अनुदान सहायता का अंतरण संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार स्थापित वित्त आयोगों की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों के आधार पर किया जाता है। 7 वें वित्त आयोग ने, जिसकी सिफारिशें 1979-84 की अवधि के लिए प्रभावी है, संतुलित क्षेत्रीय विकास के मामले में अपनी भूमिका को महसूस करते हुए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि वित्तीय अंतरण विषयक स्कीम के परिणामस्वरूप संभवत: जितने भी कम संपन्न राज्य में उनके राजस्व खाते में अधिशेष रहे। संसाधनों के निर्धारण और आयोग द्वारा सिफारिश की गई वित्तीय अंतरण की स्कीम के परिणामस्वरूप 22 राज्यों में से 14 राज्यों के पास राजस्व खाते में अधिशेष रहा जो कि 13,582 करोड़ रुपए बैठता है। भारत सरकार ने आयोग द्वारा सिफारिश की गई वित्तीय अंतरण की स्कीम को पहले ही स्वीकार कर लिया है तथा इसे कार्यन्वित कर दिया है। सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित आयोग की रिपोर्ट नवम्बर, 1978 में संसद के दोनों सदनों के पटलों पर रख दी गई थी। फिलहाल वितरण की स्कीम में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आयोग द्वारा सिफारिश की गई निधियों के अंतरण के अतिरिक्त, भारत सरकार राज्यों को उनकी आयोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भी सहायता देती है। राज्यों को उनकी आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का वितरण गाडगिल फार्मूला नामक एक फार्मूला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। केन्द्र प्रयोजित स्कीम के लिए सहायता आई ए०टी०पी० (आय समायोजित कुल जनसंख्या फार्मूला) के अंतर्गत दी जाती है। इन दोनों फार्मूलों को अपेक्षाकृत कम उन्नत राज्यों के पक्ष में महत्व दिया जाता है।

(ग) आयोग के अधिकांश सदस्य असहमति नोट में प्रस्तावित अंतरण की योजना से सहमत नहीं हुए। भारत सरकार, असहमति नोट पर तथा आयोग के अधिकांश सदस्यों के मत पर ध्यान पूर्वक विचार करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि संसाधनों के अंतरण के संबंध में, जिनमें केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों के नाजुक मामले अंतर्ग्रस्त हैं बहुमत की सिफारिशों को स्वीकार करना उचित होगा। इस संबंध में आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन में उल्लेख किया गया था जिसे आयोग की रिपोर्ट की प्रति के साथ नवम्बर, 1978 में संसद के दोनों सदनों के पटलों पर रख दिया गया था।

रुपए का मूल्य

3956. श्री सी० चिन्नास्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आल इंडिया इन्डस्ट्रियल वर्कर्स कन्ज्यूमर प्राइस इंडेक्स (आधार 1949=100) के अनुसार वर्ष 1957 से जून, 1980 तक रुपये का वर्षवार वास्तविक मूल्य क्या रहा है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : अखिल भारतीय औद्योगिक कामगार उपभोक्ता कीमत सूचक-अंक (1949=100) के आधार पर रुपए का मूल्य नीचे दिया गया है।

वर्ष	पैसे में रुपए का मूल्य (1949=100)
1957	90.09
1958	86.21
1959	82.64
1960	80.65
1961	79.37
1962	76.92
1963	74.63
1964	65.79
1965	60.24
1966	54.35
1967	47.85
1968	46.51
1969	46.95
1970	44.64
1971	43.48
1972	40.82
1973	34.84
1974	27.10
1975	25.64
1976	27.78
1977	25.64
1978	25.00
1979	23.53
1980*	22.12

*अप्रैल, 1980 तक पहले चार महीनों का औसत जो अद्यतन उपलब्ध है।

लौह अयस्क के निर्यात के लिए किए गए करारों की अवधि

3957. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लौह अयस्क का निर्यात करने के लिए किन-किन देशों के साथ करार किए गए हैं ; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है और ये करार कितनी अवधि तक के लिए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जापान, ताइवान, कोरिया गणराज्य, कोरिया के लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य, मलेशिया, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, सोवियत संघ, रोमानिया, जर्मन जनवादी गणराज्य, यूगोस्लाविया, चैकोस्लोवाकिया, हंगेरी तथा कुछ पश्चिम यूरोपीय देशों को भारतीय लौह अयस्क के निर्यात के लिए संविदाएं की गई हैं।

(ख) इन संविदाओं के वितरण और अवधि बताना देश के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

डिवीजनल मुख्यालयों के लिये विमान सेवाएं

3958. **श्री हरिकेश बहादुर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी डिविजनल मुख्यालयों को विमान सेवायें उपलब्ध कराने का है ;

(ख) यदि हों, तो इस योजना के तथ्य क्या है और यह कब आरंभ की जायेगी ; और

(ग) बिहार के भागलपूर डिविजनल मुख्यालय को विमान सेवायें कब तक उपलब्ध हो जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भागलपुर को विमान सेवा से जोड़ने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भारत में चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल

3959. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय को पेश किये गये एक नोट में इस तात्कालिक आवश्यकता पर बल दिया गया है कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित चारों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर नये अन्तर्राष्ट्रीय तथा आंतरिक यात्री टर्मिनल बनाये जायें क्योंकि उक्त चारों हवाई अड्डे जितने यात्रियों को ध्यान में रखकर बनाये गये थे उससे कहीं अधिक यात्रियों के आने के कारण वे अपनी क्षमता के चरम-बिन्दू पर पहुंच गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख): बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्देशीय यातायात के लिए दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के विमान क्षेत्रों के विकास की तत्काल आवश्यकता को भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों के माध्यम से सरकार के नोटिस में ला दिया गया है । सरकार द्वारा अनुमोदित भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 1978-83 की योजना में, दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास विमान क्षेत्रों पर नये टर्मीनलों के निर्माण का प्रावधान है ।

बम्बई विमानक्षेत्र पर एक पृथक् अंतराष्ट्रीय यात्री तथा कार्गो टर्मीनल के प्रथम चरण का पहले ही निर्माण किया जा रहा है और इसके अक्तूबर, 1980 में आज़माइशी तौर पर चालू किये जाने की आशा है ।

दिल्ली में कार्ड धारियों के लिए नियंत्रित कपड़े की सप्लाई

3960. **श्री निहाल सिंह :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे गैर सरकारी दुकानदार, जिन्होंने राजधानी में नियंत्रित कपड़े का कोटा लिया हुआ है, तीन महीने में केवल 50 प्रतिशत कार्डधारियों को ही नियंत्रित कपड़ा देते हैं और शेष 50 प्रतिशत कार्ड धारियों को अगले तीन महीने में ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच पड़ताल की है ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) : नियंत्रित कपड़ा वितरण के लिए निजी दुकानदारों को आवंटित नहीं किया जाता है । इसका वितरण केवल सहकारी भण्डारों के माध्यम से किया जाता है । प्रत्येक खाद्य कार्डधारी, जिसकी मासिक पारिवारिक आय 800 रु० प्रति माह से कम है, तीन महीनें में एक बार 10 मीटर नियंत्रित कपड़ा खरीद सकता है । इसके वितरण की पद्धति दिल्ली में नियंत्रित कपड़ें का आवंटन तथा उपलभ्यता को ध्यान में रखते हुये दिल्ली प्रशासन द्वारा तय की जाती है ।

खानों से हीरों का निकाला जाना

3961. **श्री निहाल सिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान खानों से कितने हीरे निकाले गये तथा प्रत्येक देश को कितने-कितने मूल्य के हीरे और आभूषण बेचे गये ; और

(ख) आजकल कौन-कौन सी फर्में हीरे तैयार करने का काम कर रही है और अब तक विदेशों को कितने मूल्य के तैयार और गैर-तैयार किस्म के हीरों का निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख)। जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा टैरिफ के मामले में कदाचार

3962. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत आने वाली और भारत से जाने वाली उड़ानों में टैरिफ के मामले में कदाचार पाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के नाम क्या है जिन्होंने टैरिफ के मामले में ओपरेशन क्लीन मार्किट को नामन्जूर कर दिया है ;

(ग) टैरिफ कम करने के ऐसे अवांछनीय कदाचार के कारण इंडियन एयरलाईन के कारोबार को अनुमानतया कितनी वार्षिक हानि हुई है ; और

(घ) इस समस्या को हल करन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विमान परिवहन व्यवसाय में "अंडर-कटिंग" (किरायों में चोरी से कटौती करने) की समस्या विश्व भर में विभिन्न अंशों में मौजूद है और भारत भी इस बात में कोई अपवाद नहीं है। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के कदाचार को लिखित प्रमाण के साथ साबित करना, यदि असंभव नहीं तो कठिन जरूर है, विशेषत: उस समय जबकि सम्बधित एयर-लाइन्स तथा यात्री माल भेजने वाले दोनों ही इससे लाभ उठा रहे हों। सभी एयरलाइनें जनता की सामान्य सूचना के लिए अमने दस्तावेजों में मुद्रित प्रकाशित/फाइल किए गए सामान्य किरायों को ही टिकटों पर भी दर्शाते हैं। अतः ऐसी एयर-लाइनों को दंडित कर सकना कठिन होगा जो ऐसे कदाचार के कार्यों में लगी हुई हैं। एयरलाइनों द्वारा किए जा रहे कदाचारों के परिणामस्वरूप विमानवाहकों को राजस्व में होने वाली हानि की मात्रा का बाद में पता लगाना संभव नहीं होगा।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स न अपने द्वारा परिचालित अंतराष्ट्रीय सैक्टर पर विदेशी एयरलाइनों द्वारा टैरिफों में किए जा रहे कदाचार के कारण हुई किसी हानि का अनुमान नहीं लगाया है।

(घ) नागर विमानन के महानिदेशक ने भारत के लिए/से होते हुए परिचालन करने वाली समस्त एयरलाइनों को एक सामान्य परिपत्र जारी किया है कि वे ऐसे अवांछनीय कार्य करना बंद करें। एयरलाइनों से अनुरोध किया गया हैं कि वे अनुमोदित किरायों/दरों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए समिति/समितियां बनायें। राष्ट्रीय वाहक होने के नाते एयर इंडिया को परामर्श दिया गया है कि वह समिति/समितियां बनाने एवं अपने कार्यचालन में इस दिशा में पहल करें। एयर इंडिया इस समय उक्त निर्देशों के क्रियान्वयन में रत है।

स्वर्ण प्रतिपूर्ति योजना स्थगित किया जाना

3963. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अचानक ही स्वर्ण प्रतिपूर्ति योजना स्थगित कर दी है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) उपरोक्त निर्यात के कारण सीमा शुल्क विभाग में कुल कितने मूल्य के स्वर्ण आभूषण जमा हो गये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने स्वर्ण प्रतिपूर्ति योजना के स्थान पर नया कोटा व्यवस्था की घोषणा नहीं की है यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ; और

(घ) क्या स्वर्ण आभूषण निर्यातक एसोसिएशन ने सरकार को दिये गए आश्वासन पूरा करने का और इसके सदस्यों को होने वाली हानि रोकने की अपील की है और यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) इस बात को देखते हुए कि सोने की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में व्यापक रूप से उतार चढ़ाव होता रहा था और सोने की घरेलू कीमत अन्तर्राष्ट्रीय कीमत से कम थी सरकार ने जनवरी 1980 में स्वर्ण प्रतिपूर्ति योजना को स्थगित कर दिया था।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ग) 18 जून, 1980 को भारतीय रिजर्व बैंक ने आभूषणों और कीमती पत्थरों के निर्यात के लिये पहले ही एक संशोधित योजना की घोषणा कर दी है जहां भारत से निर्यात किये जाने वाले आभूषणों एवं चीजों में सोने का भाग 10% से अधिक नहीं होता ।

(घ) जी हां । स्वर्ण प्रतिपूर्ति योजना के अनुसार सरकार केवल अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर सोना देने को वचनवद्ध थी और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कीमत घरेलू कीमत से अधिक रही है अतः निर्यातकों को उनके द्वारा पहले की गई वचनवद्धताओं को पूरा करने के लिये सोना देना कठिन होगा ।

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ द्वारा नियंत्रित कपड़े का वितरण

3964. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के मिलों द्वारा बनाये गये नियंत्रित कपड़े का प्रमुख भाग वितरण के लिये राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ (एन०सी०सी०एफ०) को दे दिया जाता है; यदि हां, तो किस मूल्य पर ;

(ख) उक्त परिसंघ नियंत्रित कपड़े के वितरण के लिये क्या प्रणाली तथा तरीके अपनाता है और यह कपड़ा सामान्य व्यक्ति को किस मूल्य पर मिलता है ; और

(ग) बिचौलिया एजैन्सियों को बीच से हटाने के लिये जो कि ऊंची दरों पर कमीशन लेती है तथा मुनाफा कमाती है, क्या कदम उठाने की योजना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) नियंत्रित कपड़े का अधिकांश उत्पादन राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों द्वारा किया जाता है और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता फैडरेशन को लागत पर उपलब्ध कराया जाता है।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघीय क्षेत्रों के लिए नियंत्रित कपड़े के कोटे, एक वर्ष में 400 मिलियन वर्ग मीटर के उत्पादन स्तर के संदर्भ में, जनसंख्या के आधार पर तय किए गए हैं। प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले/क्षेत्र में आवंटन राज्य सरकारों द्वारा उनकी वितरण नीति के अनुसार किया जाता है । नियंत्रित कपड़े का विपणन राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता फेडरेशन द्वारा, देश के सभी भागों में इसके 57,140 खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। वितरण को और अधिक प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए, नियंत्रित कपड़े की बिक्री को विनियमित करने के लिए राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्रों को विशेष मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे । तथापि, एक राज्य में नियंत्रित कपड़े के वितरण की जिम्मेदारी उस विशेष राज्य सरकार की है ।

कमीजों के कपड़े की औसत उपभोक्ता कीमत 1.97 रु० से 2.55 रु० प्रति वर्ग मीटर के बीच है और लट्ठे की 1.89 रु० से 1.92 रु० के बीच, साड़ी की 8 रु० से 12.50 रु० प्रति साड़ी के बीच है । ब्लीचड ड्रिल की औसत कीमत 2.39 रु० प्रति वर्ग मीटर रखी गई है ।

(ग) चूंकि नियंत्रित कपड़े का वितरण सरकारी एजेन्सियों द्वारा किया जाता है बिचौलिया एजेन्सियों का हटाने का प्रश्न नहीं उठता ।

मुजफ्फरपुर के रास्ते दिल्ली-कलकत्ता उड़ान

3965. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स की बरास्ता मुजफ्फरपुर होकर जाने वाली दिल्ली कलकत्ता दैनिक उड़ान को फिरसे आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसको आरम्भ करने सम्बन्धी समयावलि क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) : मुजफ्फरपुर से होते हुए एक विमान सेवा का परिचालन करने के प्रस्ताव पर इंडियन एयरलाइंस सक्रिय रूप से विचार कर रही है । इस संबंध में इंडियन एयरलाइंस द्वारा कोई अंतिम निर्णय शीघ्र ही ले लिए जाने की आशा है ।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा चीनी उद्योग को दिए गए ऋण की वसूली

3966. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल**
श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी उद्योग को समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप प्रोत्साहन देने के अभाव में केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं के लिए चीनी उद्योग को दिए गए ऋणों की वसूली करना असम्भव हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋण की किस-किस अवधि की कितनी-कितनी राशि, किस किस चीनी फैक्ट्री की ओर बकाया है;

(ग) इस गम्भीर समस्या को सुलझाने तथा बकाया राशि की वसूली करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य-वाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार को ऐसी फक्ट्रियों को वित्तीय सहायता देने का विचार है, जो वास्तव में कठिनाई में हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री० मगनभाई बारोत) : (क) से (घ) : सावधिक ऋण प्रदान करने वाली अखिल-भारतीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई० सी० आई० सी० आई०) के अनुसार चीनी परियोजनाओं को दिये गये ऋणों की वापसी अदायगी में व्यतिक्रमो के कारणों में से एक यह है कि अगस्त 1978 में चीनी पर से कंट्रोल हटाने क बाद चीनी उद्योग को भारत सरकार द्वारा सम्यत कमेटी की सिफारिशों पर आधारित प्रोत्साहन योजना के अधीन दिये जा रहे प्रोत्साहन समाप्त हो गये और इस प्रकार उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चीनी परियोजनाओं से हुई अतिदेय राशियां नीचे लिखे अनुसार हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

संस्था का नाम	परियोजनाओं की संख्या	मूलधन की किस्त	व्याज	जोड़
1. आई० डी० बी० आई० (31-12-79 की स्थिति)	42	10.67	4.74	15.41
2. आई० एफ० सी० आई० (31-3-80 की स्थिति)	78	8.73	7.16	15.89
3. आई० सी० आई० सी० आई० (30-6-80 की स्थिति)	36	1.39	1.45	2.84

उपर्युक्त संस्थाएं निम्नलिखित उपाए करके प्रतिदेय राशियों की वसूली के भी प्रयत्न कर रही हैं : निरन्तर अनुवर्ती कार्रवाई करना, सावधिक निरीक्षणों की आवृत्ति बढाना, बाकीदारी वाले प्रतिष्ठानों के मुख्य कार्यपालकों से निरंतर व्यक्तिगत चर्चाएं करना आदि । सरकार ने चीनी उद्योग को प्रोत्साहन की योजना की समीक्षा और संशोधन के लिए एक अन्तः मंत्रालय दल भी गठित किया था। इस दल की रिपोर्ट भारत सरकार के कृषि मंत्रालय को मई, 1980 में प्राप्त हो गई है । कृषि मंत्रालय में इस रिपोर्ट की जांच करने और उसके बारे में सरकारी निर्णय घोषणा करने के वास्ते प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई आरंभ कर दी गई है ।

अखिल भारतीय खाद्य तेल निगम की स्थापना

3967. **श्री० छीतुभाई गामित** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अखिल भारतीय खाद्य तेल निगम की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय में विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है और इस तरह का निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ताकि जनसामान्य के हितों की रक्षा हो सके ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री० विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सूरत जिले (गुजरात) में कम्पनियों और व्यक्तियों की ओर धनकर और निगम-कर की बकाया राशि

3968. **श्री० छीतुभाई गामित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजारत के सूरत जिले में किन-किन कम्पनियों और व्यक्तियों का धन कर और निगम कर के लिए मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) इन व्यक्तियों और कम्पनियों की तरफ कितनी राशि बकाया है और इसकी वसूली के लिए क्या उपाय किए गए है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री० मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) : सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है, उसे एकत्र किया जा रहा है और यथासंभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दिया जायगा।

निर्यात योग्य वस्तुओं के उत्पादन में लगी हुई संयुक्त सेक्टर परियोजना

3969. **श्री० छीतुभाई गामित** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात योग्य वस्तुओं के उत्पादन में लगी हुई संयुक्त सेक्टर या सरकारी सेक्टर की कितनी और कौन सी परियोजनाओं पर राज्य व्यापार निगम द्वारा भागीदारी के लिये इस समय विचार कर रहा है; और

(ख) ऐसे उद्यमों (मदों, स्थिति, विशेष फर्मों, विशेष फर्मों द्वारा पेशकश या किसी भी फर्म को आमंत्रण आदि) के बारे में राज्य व्यापार निगम की क्या योजना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री० प्रणव मुखर्जी) : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा आगरे में चमड़े के जूते के अपर बनाने वाले एक केन्द्र की स्थापना की जा रही है। चमड़े के अपशिष्ट को लैदर बोर्ड में बदलने के बारे में अनुसंधान करने के लिए विदेशी सहयोग से एक परियोजना आरम्भ की गई है। भारतीय भागीदारी तथा विदेशी सहयोग से चमड़ा उत्पादों, साधित फलों तथा समुद्री उत्पादों के क्षेत्र में परियोजनाएं स्थापित करने के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा वार्ताएं की जा रही हैं।

(ख) संयुक्त परियोजनाओं के संवर्धन की राज्य व्यापार निगम की योजना निर्यातों के उत्पादन एकक स्थापित करने पर आधारित है और वह मद के स्वरुप, विदेशी खरीदार (खरीदारों) की आवश्यकताओं, प्रौद्योगिकी के प्रयोग की आवश्यकता तथा निर्यात बाजार की विकास संभाव्यता पर निर्भर करेगी। इसलिए ऐसी परियोजनाओं के ब्यौरे प्रत्येक मद के संबंध में भिन्न भिन्न होंगे।

बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड द्वारा ली जा रही राशि

3970. **श्री छोतुभाई गामित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड द्वारा नौकरी के आवेदन से कितनी फीस ली जा रही है;

(ख) परीक्षा लेने पर कितना व्यय होता है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य निर्धन आवेदकों को कोई रियायत प्राप्त है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री० मगनभाई बारोत) : (क) और (ख): बैंकिंग सेवा भरती बोर्ड राष्ट्रीयकृत बैंकों में लिपिक वर्गीय सेवा की लिखित प्रतियोगी परीक्षा के लिये प्रत्येक आवेदक से 20 रु० का शुल्क वसूल करते हैं। इन बोर्डों द्वारा अधिकारी वर्ग की सेवा की परीक्षा के लिये 40 रुपये शुल्क के रुप में वसूल किये जाते हैं। लिखित और मौखिक परीक्षाओं के आयोजन में अंतर्ग्रस्त लागत को ध्यान में रखते हुए लिपिक वर्गीय परीक्षा के लिये 20 रुपये और अधिकारी वर्गीय परीक्षा के लिए 40 रुपये का शुल्क युक्तियुक्त है और मोटे तौर से सरकार के अन्य भरती अभिकरणों द्वारा इसी प्रकार की सेवाओं के लिये वसूल किये जाने वाले शुल्कों के अनुरूप है।

(ग) और (घ) : बैंकिंग सेवा भरती बोर्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों सें लिपिक वर्गीय सेवा की परीक्षा के लिये 5 रुपये और अधिकारी वर्गीय परीक्षा के लिये 10 रुपये शुल्क के रुप में वसूल करते हैं। भूतपूर्व सैनिकों और लड़ाई अथवा उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में मारे गए भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है।

प्रगति मैदान काम्पलेक्स के रख-रखाव पर व्यय

3971. **श्री० अर्जुन सेठी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रगति मैदान काम्पलैक्स के रख-रखाव और वार्षिक प्रशासनिक व्यय तथा आय (औसत) से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसे पूरे वर्ष उपयोग में लाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो मेला (प्रदर्शनी) नहीं लगी होने के समय इसके उपयोग के बारे में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री० प्रणव मुखर्जी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1977-78 से 1979-80 के दौरान प्रगति मैदान कम्पलैक्स के रख-रखाव पर व्यय (अनुमानित) तथा राजस्व दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु०)

क्रमांक	वर्ष	प्रगति मैदान कम्प-लैक्स का सिविल, बिजली तथा बाग-बाजी संबंधी (पूंजी-गत व्यय के अलावा) रख-रखाव व्यय (इसमें मेलों के आयोजन पर व्यय शामिल है)	प्रगति मैदान के रख-रखाव पर प्रशा-सनिक व्यय	आयोजित किये गये मेलों पर व्यय (इसमें प्रगति मैदान के रख रखाव पर प्रशा-सनिक व्यय शामिल नहीं है)	कुल व्यय कालम (3+4+5)	राजस्व (स्थान किराया, टिकटों की बिक्री तथा विविध)
1	2	3	4	5	6	7
1.	1977-78 . .	64.80	12.70	32.79	110.29	102.34
2.	1978-79 . .	61.22	11.29	21.91	94.42	69.64
3.	1979-80 . .	115.44	12.96	87.86	216.26	230.93

चावल की तेल निकली भूसी के निर्यातकों को आर्थिक सहायता और उत्पादन शुल्क में छूट

3972. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चावल की तेल निकली भूसी के निर्यातकों को वित्तिय सहायता तथा उत्पादन शुल्क में छूट आदि देकर प्रोत्साहन दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन रियायतों से हुए लाभों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) सरकार तेल रहित चावल की भूसी के निर्यात पर नकद सहायता देती रही है। तेल मिल और दिलायक विस्सारण उद्योग के जो उत्पाद अवशिष्ट केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टेरिफ की मद 68 के अन्तर्गत आते हैं, वे उत्पादन शुल्क से मुक्त हैं और इसलिए तेल रहित चावल की भूसी के निर्यात पर उत्पादन शुल्क की छूट का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) चावल की भूसी तेल के उत्पादन के लिए चावल की भूसी की अधिक बड़े पैमाने पर प्रोसेसिंग के लिए और तेल रहित चावल की भूसी से निर्यात आय बढ़ाने के लिए नकद सहायता दी गई। इन उद्देश्यों को काफी हद तक प्राप्त कर लिया गयया है।

भुवनेश्वर हवाई अड्डे का विकास

3973. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर (उड़ीसा) हवाई अड्डे के विकास के लिए सरकार के ध्यान देने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) जी, हां। भुवनेश्वर के हवाई अड्डे का विकास करने की आवश्यकता है क्योंकि इंडियन एयरलाइंस की वहां बोइंग 737 विमान परिचालित करने की योजना है। वहां के धावन-पथ के फर्श का हाल ही में नवीकरण किया गया है और वह सीमित भार के साथ बोइंग 737 परिचालनों के लिये उपयुक्त है। टर्मिनल भवन के विस्तार/सुधार का ठेका दे दिया गया है और उसके 1980 के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है। एक नये कंट्रोल टावर और तक-नीकी ब्लॉक का निर्माण करने और अग्निशमन सुविधाओं दृष्टिक एवं दिक्चालन/संचार उपकरणों जैसे सुरक्षा साधनों में सुधार करने का भी प्रस्ताव है।

स्टाकयार्ड सुविधाओं का विस्तार

3974. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (एस० ए० आई० एल०) ने सरकार से स्टाकयार्ड स्कीम की आर्थिक उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए स्टाकयार्ड सुविधाओं का और विस्तार करने सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जम्मू तथा कश्मीर राज्य में और अधिक बैंक खोलना

3975. **श्री गुलाम रसूल कोचक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से जम्मू तथा कश्मीर राज्य में और अधिक बैंक खोलने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या जम्मू तथा कश्मीर राज्य में अनेक गांवों को अभी तक बैंक सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं;

(ग) अभी तक कितने गांव बैंक सुविधाओं से वंचित हैं;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी नई शाखाएं खोले जाने का विचार हैं; और

(ङ) कितनी शाखाएं छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान खोली जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क), (घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक की चालू शाखा लाइसेंसिंग नीति में 1979 से 1981 तक तीन वर्षों की अवधि व्याप्त है । यह भी सुनिश्चित करना है कि इस अवधि में वाणिज्यिक बैंको के शाखा प्रसार के प्रयास मुख्य रूप से कम बैंक वाले/कमी वाले जिलों के बैंक रहित ग्रामीण/अर्ध-शहरी स्थानों में ही शाखा खोलने पर ध्यान दिया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो जाय कि 20,000 ग्रामीण/अर्ध-शहरी लोगों के लिये कम से कम एक बैंक शाखा अवश्य हो जाय। अलबत्ता, जम्मू और कश्मीर की विशेष भौगोलिक स्थिति जैसे इसके पहाड़ी स्थलों और कुछ जिलों में बिखरी हुई आबादी आदि को ध्यान में रखते हुए, कमी वाले जिलों का निर्धारण करने के लिये जनसंख्या का मापदंड इस राज्य में कठोरता से नहीं लागू किया गया है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार की सिफारिश पर और/अथवा बैंकों से प्राप्त आवेदनों पर जम्मू और कश्मीर में 71 और बैंक कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी है। राज्य में और शाखा प्रसार का प्रश्न राज्य सरकार और बैंकों के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक के विचराधीन है।

(ख) और (ग) मार्च, 1980 के अंतकी स्थिति के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों की 292 शाखायें जम्मू और कश्मीर राज्य के ग्रामीण/अर्ध-शहरी स्थानों में कार्यरत थीं। इन शाखाओं से आशा की जाती है कि वे न केवल उन्हीं स्थानों की बैंकिंग आश्यकताओं को पूरा करेंगी, जहां वे अवस्थित हैं बल्कि अपने आस-पास के ग्रामों की भी आवश्यकातओं को पूरा करेंगी । हालांकि अर्थात परिचालनों के सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में बैंकों के शाखा जाल को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा रहा है, फिर भी बैंकों के लिये यह व्यावहार्य नहीं है कि वे सभी सुदूर गांवों को प्रत्यक्ष व्याप्ति का भी प्रावधान करें। यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन ग्रामों के निवासियों को भी ऋण सुविधायें उपलब्ध हो सके, प्राथमिक समितियों, कृषक सेवा समितियों और एल०ए० एम० पी० एस० आदि के गठन और समीप की बैंक शाखाओं से उनके सम्पर्क पर जोर दिया जा रहा है।

श्रीनगर और लेह के बीच इंडियन एयरलाइन्स की बोइंग उड़ानों का बदला जाना

3976. **श्री गुलाम रसूल कोचक :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीनगर और लेह के बीच दो बोइंग विमानों में से एक को बदलने का जो निर्णय इंडियन एयरलाइंस ने किया है उससे पर्यटन में चिन्ता हो गई है।

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कश्मीर वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल के अध्यक्ष ने इस बारे मे एयर-लाइन्स को अभ्यावेदन किया है;

(ग) यदि हां तो अभ्यावेदन में किन मुख्य मुद्दों पर जोर दिया गया है;

(घ) अभ्यावेदन में उठाए की गए मुद्दों की कहां तक जांच की गई है; और

(ङ) इस बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई ऋण की राशि को शेयरों में बदलना

3977. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा 20 बड़े औद्योगिक घरानों को दिए गए सारे ऋण को शेयरों में बदलने का है, और

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्वन्धी कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋणों का साम्या पूंजी (इक्विटी) में परिवर्तन सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार होता है। सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करते समय, कम्पनी के परिचालन, निवेश-विवरण, इक्विटी शेयरों का आंतरिक मूल्य आदि सहित अनेक बातों को ध्यान में रखकर, ऋण के कुछ भाग को परिवर्तन करने का निर्णय किया जाता है जो सामान्यतः इक्विटी में 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होता। परिवर्तनीयता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों को लागू करने में एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम० आर० टी० पी०) कम्पनियों और अन्य कम्पनियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अलबत्ता, जैसी कि वित्त मंत्री महोदय ने 18 जून, 1980 को अपने बजट भाषण में घोषणा की थी, वित्तीय संस्थायें इसके बाद परिवर्तनीयता के विकल्प का इस प्रकार प्रयोग करेंगी कि किसी मौजूदा प्रतिष्ठान की शेयरपूंजी का 40 प्रतिशत से अधिक न अभिग्रहीत हो जाये। किन्तु कुछ मामलों में जहां सहायता प्राप्त कम्पनी द्वारा ऋण की अदायगी में लगातार व्यतिक्रम हो अथवा उसका प्रबन्ध ठीक न हो, या समाज के लिये आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगी किसी कम्पनी का औद्योगिक एकक लगातार बंद रहे, वहां वित्तीय संस्थायें, सरकार की अनुमति से, अपने परिवर्तनीयता-विकल्प का प्रयोग इस प्रकार कर सकती है कि उनकी शेयरधारिता 51 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की हो जाय।

एपेक्स कृषि बैंक की स्थापना

3978. **श्री चित्त बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकीकृत ग्रामीण विकास की गति तेज करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एपेक्स कृषि बैंक की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय रिजर्व बैंक से प्रस्तावित बैंक का ब्यौरा तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

जीवन बीमा निगम के पालिसीधारियों की परिषदों का गठन

3979. **श्री आर० के० महालगी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के विभिन्न जोनों में "पालिसी धारियों के लिए परिषदों" के गठन करने का कोई प्रावधान है;

(ख) जीवन बीमा निगम के पालिसी डिवीजन के लिए पालिसीधारी जोनल परिषदों के सदस्य कौन-कौन हैं

9—357 एम एस एस (एनी)/80

(ग) इन परिषदों के कार्यक्षेत्र तथा स्वरूप क्या है और इन की बैठकें कितनी अवधि के बाद होती है;

(घ) जीवन बीमा निगम के कार्यकरण में सुधार के लिए गत तीन वर्षों के दौरान पालिसी डिवीजन परिषदों ने क्या क्या सुझाव दिए हैं; और

(ङ) उन सुझावों की क्रियान्विति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जीवन बीमा निगम अधिनियम के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम को प्रत्येक डिवीजन कार्यालय के कार्य-क्षेत्र में पालिसीहोल्डरों के प्रतिनिधियों की परिषदें स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन परिषदों का प्रयोजन इन्हें भेजे गए किसी भी मामले में डिवीजनल कार्यालय को परामर्श देना है।

(ख) पालिसीहोल्डरों की पिछली डिवीजनल परिषदों का कार्यकाल 31 मई, 1980 को समाप्त हो गया और जीवन बीमा निगम बोर्ड ने नामजद किए जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में पहले ही निर्णय कर लिया है। फिर भी, सूचियों को अन्तिम रूप संबंधित व्यक्तियों की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही दिया जाएगा और इनका ब्यौरा उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) पालिसीहोल्डरों की प्रत्येक परिषद में डिवीजनल मैनेजर और डिवीजनल कार्यालय के कार्य-क्षेत्र में रहने वाले पालिसीहोल्डरों के प्रतिनिधि के रूप में तीन सदस्य होते हैं जो निगम द्वारा नामजद दिए जाते हैं । पालिसी-होल्डरों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक सदस्य का सामान्य कार्यकाल दो वर्ष का होता है और पालिसीहोल्डरों की परिषदों की हर साल कम से कम दो बैठकें होती हैं। इन बैठकों की अध्यक्षता डिवीजनल मैनेजर करते हैं। इन परिषदों में डिवीजनल मैनेजर द्वारा भेजे गए सभी मामलों पर विचार-विमर्श होता है लेकिन ये परिषदें किसी कर्मचारी विशेष अथवा पालिसीहोल्डर से संबंधित मामलों पर विचार नहीं कर सकतीं।

(घ) और (ङ) : आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राज्यों में कातीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र

3980. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के अधीन बिहार तथा अन्य राज्यों में कातीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र हैं, यदि हां, तो कर्मचारियों प्रशिक्षुओं, आदि सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत के अनेक भागों में कार्य करने वाले ऐसे केन्द्रों की संख्या 470 और उनके कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 26390 हैं;

(ग) क्या इन केन्द्रों को राज्यों को स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है जिससे उनके स्थायी रूप से बन्द होने की आशंका है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और कर्मचारी तथा प्रशिक्षार्थी किस स्थिति में है और निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(ङ) क्या इनके केन्द्रों को इन वर्तमान रूप में बनाये रखने तथा उनके विकास का कोई प्रस्ताव है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) तथा (ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) से (ङ) 1979 के आरम्भ में, राष्ट्रीय विकास परिषद् ने अन्य बातों के साथ-साथ 1-4-1979 से कतिपय केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को राज्य क्षेत्र में अन्तरित करने का विनिश्चय किया था और कातीन बुनाई प्रशिक्षण योजना उनमें से एक थी। तथापि, संलग्न विवरण में निर्दिष्ट ये 463 कातीन बुनकर शिक्षण केन्द्र अब भी चल रहे शैक्षिक सत्रों को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन केन्द्रों का केन्द्रीय क्षेत्र में और आगे विस्तार करने के प्रश्न पर सरकार तत्काल ध्यान दे रही है ।

विवरण

कातीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक राज्य का नाम	कातीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	463 केन्द्रों की स्वीकृत संख्या जिसमें सिद्धहस्त शिल्पी तथा सहायक शिल्पी शामिल हैं	463 केन्द्रों के प्रशिक्षुओं की स्वीकृत संख्या
1 उत्तर प्रदेश . . .	212	1484	10600
2 जम्मू तथा कश्मीर . .	149	1043	7450
3 बिहार . . .	56	392	2800
4 राजस्थान . . .	14	98	700
5 आन्ध्र प्रदेश . . .	14	98	700
6 हरियाणा . . .	7	49	350
7 कर्नाटक . . .	5	35	250
8 हिमाचल प्रदेश . .	3	21	150
9 पंजाब . . .	3	21	150
	463	3241	23150

प्रत्येक केन्द्र में स्टाफ तथा प्रशिक्षुओं की स्वीकृत संख्या निम्नोक्त प्रकार है :

1. कातीन प्रशिक्षण अधिकारी	एक
2. स्टोर कीपर-सह्-लेखा लिपिक	एक
3. चौकीदार	एक
4. सिद्धहस्त शिल्पी	दो
5. सहायक शिल्पी	दो
6. प्रशिक्षु	पचास

पटसन के स्टाक को उठाने के लिए त्रिपुरा सरकार का अनुरोध

3981. **श्री गदाधर साहा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पटसन निगम के जरिये पटसन और 'मेस्टा' गांठों का स्टाक बिक्री के लिये उपलब्ध कराया जाता है और त्रिपुरा सरकार ने वहां से पटसन के स्टाक को उठाने के लिये कई बार अनुरोध किया है ;

(ख) क्या पटसन निगम अब स्टाक उठा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) भारतीय पटसन निगम पटसन उगाने वाले राज्यों में खरीद करता है। 1978–79 और 1979-80 के दौरान निगम ने त्रिपुरा में 76,697 गांठों की खरीद की। यह केवल 8800 गांठें बेच सका जिसमें से 7200 गांठें उठाई जा चुकीं हैं। निगम यथाशीघ्र अपना सारा स्टाक बेचने के प्रयास में लगा हुआ है ।

रांची का दर्जा बढ़ाया जाना

3982. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली जनगणना के बाद रांची का दर्जा 'ग' श्रेणी के शहर के रूप में रखा गया है।

(ख) क्या यह सच है कि गत दस वर्षों के दौरान रांची में और उसके आस-पास सरकारी क्षेत्र की कुछ विख्यात परियोजनाओं सहित विशाल औद्योगिक समूह विकसित हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बृहत्तर रांची समूह क्षेत्र के विकास से इस बात को औचित्य है कि अब इसका दर्जा बढ़ाकर 'ख' श्रेणी किया जाए;

(घ) क्या सरकार को इस आशय के बहुत से अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ङ) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हां।

(ख) यह सच है कि रांची का तब से विकास हुआ है और अब यह नगर निगम भी है।

(ग) से (ङ) विद्यमान नीति के अंतर्गत केवल वही नगर, जिनकी जनसंख्या 1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 4 लाख से ऊपर और 8 लाख तक है, ख-2 श्रेणी के रूप में वर्गीकरण के पात्र हैं। परन्तु 1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार रांची की जनसंख्या केवल 1,75,934 थी जो कि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित न्यूनतम जनसंख्या से बहुत कम है। यह भी उल्लेख कर दिया जाए कि कतिपय नगरों को, जिनके मामले में 1971 की जनगणना जनसंख्या न्यूनतम अपेक्षित जनसंख्या से थोड़ी सी कम अर्थात् 10 प्रतिशत कम थी, उनके संबंध में रजिस्ट्रार जनरल और भारत के जनगणना आयुक्त द्वारा भेजे गए उनकी जनसंख्या के मध्य-जनगणना के अनुमानों के आधार पर हाल ही में उनको वर्गीकृत किया गया है/उनका दर्जा बढ़ाया गया है; चूंकि रांची की 1971 की जनगणना जनसंख्या 4 लाख से बहुत कम पड़ती है इसलिए इसके मामले में इस आधार पर विचार नहीं किया जा सका। इसलिए रांची का 'ख' श्रेणी नगर के रूप में दर्जा बढ़ाने के लिए प्राप्त हुए अभ्यावेदनों को मंजूर करना संभव नहीं हो पाया।

काल में राष्ट्रीयकरण किये गये बैंकों की जमा राशि में कमी

3983. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बैंकों का ब्यौरा क्या है जिनका हाल में सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था;

(ख) क्या राष्ट्रीयकरण के बाद इन बैंकों में जमा राशि कम होने लग गयी है; और

(ग) वे कारण कौन से थे जिनसे सरकार ने इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अध्यादेश, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत, सरकार द्वारा, 15 अप्रैल, 1980 से निम्नलिखित छः बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है :—

(1) दी आन्ध्र बैंक लिमिटेड, हैदराबाद

(2) कार्पोरेशन बैंक लिमिटेड, मंगलौर

(3) दी न्यू बैंक आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली

(4) दी ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स लिमिटेड, नई दिल्ली

(5) दी पंजाब एण्ड सिंध बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली

(6) विजया बैंक लिमिटेड, बंगलौर।

(ख) 6 जून, 1980 (उपलब्ध ताजा आंकड़े) तथा 11 अप्रैल, 1980 (राष्ट्रीयकरण से ठीक पहले का शुक्रवार) की स्थिति के अनुसार, इन बैंकों की जमाओं के आंकड़े) बैंक से प्राप्यों को छोड़कर) नीचे दिये गये हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

बैंक का नाम	11-4-80 को समाप्त सप्ताह तक (अन्तिम आंकड़ें)	6-6-80 को समाप्त सप्ताह तक (आंकड़े अनन्तिम है)
1. आन्ध्र बैंक . .	475.10	475.22
2. कार्पोरेशन बैंक . .	223.98	222.53
3. न्यू बैंक आफ इंडिया . .	394.75	409.27
4. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स . .	220.69	229.19
5. पंजाब एण्ड सिंध बैंक . .	473.03	491.56
6. विजया बैंक . .	371.83	378.00

उक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कार्पोरेशन बैंक की जमाओं में आई कुछ कमी को छोड़कर, शेष अन्य पांच राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमाओं में आमतौर पर वृद्धि हुई है।

(ग) जैसा कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अध्यादेश 1980 की प्रस्तावना में बताया गया है अत्यधिक मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने, अर्थ व्यवस्था के विकास के लिए आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा करने तथा संविधान के अनुच्छेद 39 की धाराओं (ख) और (ग) में निर्धारित सिद्धान्तों की पूर्ति करने की देश की नीति के अनुरूप लोगों के कल्याणार्थ, सरकार द्वारा इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।

एक रुपये के नोटों की कमी

3984. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में एक रुपये के नोटों (सिक्के नहीं) की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार एक रुपये के नोटों की एक नई सिरिज निकालने वाली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) एक रुपए के सिक्कों की उपलब्धता और दो रुपए के नोटों की छपाई में वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए, एक रुपए के नए नोट कम छापे जा रहे हैं। चूंकि एक रुपए के नोटों की उपलब्धता पहले से कम हो गई है इसलिए लोगों से यह आशा की जाती है कि वे अपने दैनिक लेन-देन में एक रुपए के सिक्के और दो रुपये के नोटों का प्रयोग करेंगे।

हीरों और बहुमूल्य पत्थरों का निर्यात

3985. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किये गये हीरों और बहुमूल्य पत्थरों का (अलग-अलग आंकड़े दीजिये) वर्ष वार औसत वार्षिक मूल्य क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बीजकों में बड़े पैमाने पर हेरा-फेरी बेरोक-टोक चल रही है; और

(ग) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान कितने मामले पकड़े गये हैं और पकड़े जाने वाले मामलों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) पिछले तीन वर्षों में निर्यात किये गये हीरों, रत्नों और उपरत्नों का मूल्य निम्नानुसार था:--

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

वर्ष	हीरे	रत्न/उपरत्न
1977-78 . . .	516.68	25.29
1978-79 . . .	692.94	24.06
1979-80 . . . (अनन्तिम)	540.46	25.28

(ख) और (ग) हीरों और रत्नों के निर्यात के मामले में बीजकों में बड़े पैमाने पर हेरा-फेरी के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली हैं। इन वस्तुओं के निर्यातकर्ताओं को आपूर्ति लाइसेंसों, आदि के रूप में कतिपय प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। वैसे, इस तरह के प्रोत्साहन, निर्यातों के किसी प्रकार के न्यून बीजकांकन को रोकने का ही काम करेंगे। वर्ष 1975 से 1979 तक के दौरान तराशे तथा पालिस किए पन्नों के न्यून-बीजकांकन का केवल एक मामला जानकारी में आया, और इसमें 29,502 रु० का न्यून-मूल्यांकन किया गया था। निर्यातकर्ताओं के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की गई थी।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को जानकारी देनी है....... (व्यवधान) श्री घोष, मैं कुछ घोषणा कर रहा हूं मुझे कुछ घोषणा करनी है। उसके बाद मैं आप के व्यवस्था के प्रश्न पर, यदि कोई है, तो ध्यान दूंगा।

एक सदस्य की गिरफ्तारी तथा दोषसिद्धि (श्री रसीद मसुद)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को जानकारी देनी है कि मुझे सब-डिवीजनल,जज मेरठ तथा न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रणी, मरठ से क्रमशः 9 तथा 10 जुलाई, 1980 के निम्नलिखित दो बेतार-सन्देश 11 जुलाई, 1980 को प्राप्त हुये है : (एक) .

"श्री रशीद मसूद, संसद सदस्य का आज भा० द० सं० की धारा 180 के अधीन जेल में भेजा थाना बागपत ।"

(दो)

"थाना बागपत भा० दं० सं० की धारा 188 के अधीन मामला सं० 1199/80 के सन्दर्भ में । श्री रसीद मसूद, संसद सदस्य को इस मामले के संबंध में उस अवधि के लिये दोष सिद्ध किया गया है जो वह पहले जेल में पूरी कर चुक हैं ।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 229 के अनुसार आपराधिक आरोप पर किसी सदस्य की गिरफ्तारी आदि संबंधी जानकारी में प्रक्रिया नियमों की तृतीय अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्रों म यथास्थिति–बन्दीकरण, निरोध या दोष सिद्धि के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाया जाना चाहिए ।

गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारो तथा प्रशासनों से सभी संबंधित प्राधिकारियों को ऐसे अनुदेश जारी करने के लिये कहा है कि सदस्यो की बन्दीकरण निरोध / रिहाई के बारे में अध्यक्ष महोदय को तार आदि सभी प्रकार से अवश्य पूरे किये जाने चाहिए तथा प्रक्रिया नियमों की तृतीय अनुसूची में दिये गये जो समुचित प्रपत्र में यथा अपेक्षित सभी मुद्दो पर पूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त, संबंधित सदस्यो के बन्दीकरण निरोधक रिहाई के तुरन्त बाद तार भेजे जाने चाहिए तथा प्रतियो को डाक द्वारा भेज कर पुष्टि की जानी चाहिए ।

9 जुलाई 1980 को दोपहर बाद सर्वश्री ज्योतिर्मय बसु, जयपालसिंह कश्यप, रामसिंह शाक्य, चन्द्रजीत यादव, रामविलास पासवान, तथा राजेन्द्रप्रताप यादव द्वारा रशीद मसूद की गिरफ्तारी के बारे में प्राप्त अपूर्ण जानकारी के बारे में दिये गये विशेषाधिकार के प्रश्न के नोटिस की प्रतियां मंत्री महोदय , गृह मंत्रालय को 9 जुलाई, 1980 को मामले पर तथ्यात्मक नोट प्रस्तुत करने के लिये भेज दी गयी थीं । गृह मंत्रालय को पुनः याद भी दिला दिया गया है और अभी भी उनसे अपक्षित सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है । गृह मंत्रालय ने आज मुझे सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार / जिला मजिस्ट्रेट मेरठ स अभी तथ्यात्मक जानकारी की प्रतिक्षा की जा रही है तथा प्राप्त होने पर हमें उनकी तुरन्त सूचना दे दी जाएगी । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे 10 जुलाई, 1980 को दोपहर बाद श्री जार्ज फर्नान्डीस से एक पत्र मिला जिसमें श्री रशीद मसूद का दि० 9 जुलाई 1980 का बन्दीकरण के अवधि के दौरान उनके साथ किये व्यवहार स संबंधीत पत्र संलग्न था। मामला मंत्री महोदय / गृह मंत्रालय को मामले के संबंध में तथ्यात्मक टिप्पणी देने के लिये तुरन्त भेज दिया गया था। गृह मंत्रालय को जानकारी शीघ्र भेजने के लिये भी कहा गया है । गृह मंत्रालय ने आज मुझे जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश सरकार /जिला मैजिस्ट्रेट मेरठ से तथ्यात्मक जानकारी की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है और प्राप्त होने पर तुरन्त सूचित कर दिया जाएगा । मुझे आशा है कि आज ही अपेक्षित जानकारी मुझे भेज दी जाएगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं यह कहना चाहता हूँ...........

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उसके लिए अनुमति नहीं दूंगा। एक के बाद एक की अनुमति प्रदान कर सकता हूँ, मैं आप को सुनने वाला हूँ परन्तु धैर्य रखिये ।

श्री चन्द्रजीत यादव : जैसा कि आपने सही कहा है कि मैने अन्य मित्रों के साथ एक विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया है, मैं सदस्यों के विशेषाधिकार सभा के विशेषाधिकार. के प्रश्न को उठाना चाहता हूँ, तथा जैसा कि मैने अपने विशेषाधिकार प्रस्ताव में कहा कि मेरठ जिले के अधिकारियो ने इस सरकार को असहाय बनाने का निर्णय कर लिया है । (व्यवधान) जी, नहीं, यह गम्भीर मामला है । आपने गृहमंत्री को लिखा है और गृहमंत्री महोदय ने

इस पर विचार किया है। दिल्ली से मेरठ केवल एक घंटे का रास्ता है। परन्तु गृह मंत्रालय तथा आपका कार्यालय इस मामले में असहाय नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर विचार किया हूँ। श्री यादव (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : मुझे प्रसन्नता है कि आपने इस पर विचार किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही इस सारी सभा को आश्वासन दिया है कि मैं सभी संबंधित सदस्यों की सुरक्षा, मानव सम्मान के लिए चिंतित हूँ मैंने इस पर गम्भीरता से विचार किया है और मैंने गृह मंत्रालय को जानकारी दे दी है। जब यह जानकारी आयेगी, तो इस पर हम उपयुक्त कार्यवाही करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या गृह मंत्री महोदय उस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि आप इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। क्या गृह मंत्रालय इस पर गम्भीरता से ध्यान दे रहा है या नहीं। मैं गृह मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा। उन्हें सभा को बताना चाहिए। सदस्य को गिरफ्तार किया गया था .....

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री महोदय कुछ कहें।

श्री चन्द्रजीत यादव : गृह मंत्री महोदय को कहना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब एक साथ बोल रहे हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मार्मगोवा) : हम सदस्यो को सुरक्षा से चिंतित हैं; मैं चाहूंगा कि आप इस श्री मसूद की इस घटना तथा उनके प्रति किये गए व्यवहार, दुर्व्यवहार को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करें। मैं आपको इस सभा में एक पूर्व-दृष्टांत की याद दिलाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी स्थिति को समझता हूँ; मुझे पूर्वदृष्टांत की जानकारी है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह अच्छी बात है। केवल एक पक्ष ही बोल रहा है ....

अध्यक्ष महोदय : यह अभी तय किया जाना है; एक तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। एक तरफ क्या है? यह तो गृह मंत्री महोदय ही कहेंगे, आप नहीं। आप नहीं कह सकते हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मुझे कुछ कहना है।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री महोदय कहेंगे; मैंने गृह मंत्री महोदय से बोलने के लिए कहा है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : ....**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है। बिना किसी कारण के मैं कैसे अनुमति दे सकता हूँ?

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : हम एक गलत दृष्टांत बनाने जा रहे हैं। गृह मंत्री महोदय कैसे..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मेरे लिये बेकार की मुसीबत पैदा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए। वह कुछ कहेंगे। मैं बिना किसी तथ्यात्मक टिप्पणी के अनुमति प्रदान नहीं कर सकता हूं। मैं एक पक्ष के कहने पर कोई विनिर्णय नहीं दे सकता हूँ। गृह मंत्री महोदय यहाँ पर है। वे मुझ तथ्यात्मक जानकरी देंगे। केवल उसके बाद मैं कर सकता हूँ। इसे आपको नहीं करना है।

श्री के० लकप्पा : ...... **

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। कैसा मौका? आपका संबंध नहीं है; गृह मंत्री का संबंध है। वह कहेंगे। श्री लक्कपा, जब कि इस पर कोई वाद-विवाद नहीं है, यह क्या है? इस पर वाद-विवाद नहीं हो रहा है।

श्री एन० कुदन्तई रामलिंगम (मयूरम) : मुझे गिरफ्तार किया गया था। पिछली संसद....में मिशाल हैं..**

अध्यक्ष महोदय : आपको अनुमति नही दी गई है, बिल्कुल नहीं जब वाद-विवाद का समय आयेगे तब आप इसे कह सकते है।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एन० कुदन्तई रामलिंगम : ....**

अध्यक्ष महोदय : जब वाद-विवाद का समय आयेगा तब आप इसे कह सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब तक कोई डिबेट न हो, जब तक कोई मसला न हो, आप पहले कैसे बोलेंगे ? अभी तक तो फैक्चुअल नोट मांगा गया है, वह फैक्चुअल नोट होम मिनिस्ट्री दे सकती है, न आप दे सकते हैं और न मैं दे सकता हूं। जब तक वह यह नहीं कहेंगे कि उन के पास इन्फर्मेशन है या नहीं है या वह कब तक देंगे, उस के बाद पक्ष या विपक्ष के डिबेट की बात होगी । आप पहले से क्या बात कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई वाद-विवाद नहीं है। नहीं, इस पर कोई वाद-विवाद नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों कुछ नहीं कहते हो ?

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : आनरेबिल स्पीकर साहब, जिस वक्त हम को इत्तिला मिली, मेरे महकमे ने आप के सेक्रेटेरियट को लिखा है कि स्टेट गवर्नमेन्ट से पूछा गया है। जब भी स्टेट गवर्नमेन्ट हम को इन्फार्म करेगी, उसी वक्त हम डिटेल्ज आप के सामने रख देंगे ....

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नियम सं० 229 के अन्तर्गत प्वाइन्ट आफ़ आर्डर है...

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : अगर नहीं आयेगी तो क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह बात तो नहीं है कि नहीं आयेगी । यह बड़ा कल्पित प्रश्न है। इन्फर्मेशन तो आयेगी ही।

श्री राम विलास पासवान : नियम 229 के अन्तर्गत मेरा प्वाइन्ट आफ़ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : मैंन पूरा पढा है।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, रिहाई का जो मामला है, उस के सम्बन्ध में न होम मिनिस्टर ने बतलाया है, न आप ने बतलाया है.....

अध्यक्ष महोदय : बतला तो दिया है। जो मेरे पास आया था, मैंने पढ़ कर सुना दिया है।

श्री रामविलास पासवान : क्या कहा गया है यह नहीं बतलाया है। मैम्बर्स भी यहां बैठे हुए हैं, होम मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं और स्पीकर साहब भी हैं—न गिरफ्तारी की पूरी रिपोर्ट आती है, न रिहाई की पूरी रिपोर्ट आती है...

अध्यक्ष महोदय : इसीलिये तो भेजा है.... (व्यवधान).... इसीलिये भेजा गया है । मैंने इस पर ध्यान दिया है। प्रिवलेज मोशन भी उन को भेजा गया है। मैंने सरकार को सब बतला दिया है... (व्यवधान).... मैंने इस पर विचार किया है। उनका भी जवाब आयेगा—हम इस पर चर्चा करेंगे ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कोई निवेदन नहीं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : कृपया मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर ध्यान दीजिए । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा।.... (व्यवधान) आप इन नियमों के संरक्षक हैं। नियम 229 के अन्तर्गत निरोधक अधिकारी.....

अध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज, मैं पढ चुका हूँ। (व्यवधान) मैंने इसका प्रत्येक शब्द पढ लिया है। मैं इसके लिये कह चुका हूँ। इसी लिये मैंने कार्यवाही की है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : नियम 229 के अन्तर्गत मेरा प्रश्न है, सरकार..........

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कार्यवाही कर चुका हूँ। मैंने पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इन नियमों के आप संरक्षक है।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नही किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिये, श्री जार्ज मैं कर रहा हूँ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वह इस मामले कहाँ आते है? आपने नोटिस प्राप्त किया है। यह तृतीय अनुसूची के अनुसार नही है....

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस मामले पर कार्यवाही कर दी है। मैं कार्यवाही कर चुका हूँ। हमे देखना चाहिए कि वे क्या करते है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे ध्यान में रख लिया है। मैं अपना काम कर चुका हूं। मुझे अपना काम पता है और इसे मैं कर रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपको सूचना मिल चुकी है।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए तो मैंने कार्यवाही शुरू कर दी है। मैं नियमानुसार काम कर रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह नियमानुसार नहीं है। इसमें गृह मंत्री का नाम कहा है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने तथ्य मंगाए हैं। मैं इस पर कार्यवाही कर रहा हूं। चिन्ता न करें।

व्यवधान

श्री एन० कुदन्तई रामलिंगम (मयूरम) : इस सदन में एक पूर्वदृष्टांत है। जैसे ही आपको सम्बद्ध अधिकारियों से सूचना मिली आपने सदस्य की गिरफ्तारी की घोषणा कर दी। गत लोक सभा के दौरान पुलिस ने मुझे पीटा था, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया और मैं तीन तक नजरबन्द रहा। उसकी सदन में कोई घोषणा नहीं की गई। अतः इस सम्बन्ध में एक पूर्वदृष्टांत है और इसलिए गृहमन्त्री महोदय को उत्तर देंने की आवश्यकता नही है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह से बातें नहीं कर सकते, आप उचित प्रस्ताव लाइये। उस समय के बारे में मैं क्या कर सकता हूं? उस समय मैं पीठासीन नहीं था। मैं तो निर्धारित नियमों के अनुसार काम कर रहा हूं। मैं तो नियमो का ही पालन करूंगा। दो या तीन वर्ष पहले जो कुछ हो चुका हैं, उसके लिए मैं उत्तरदारी नहीं हूं (व्यवधान)। नियमों के अधीन आप जो मर्जी प्रस्ताव लाइये। (व्यवधान)। यह क्या है? सारा ही सदन बेमिसाल स्थिति में धकेला जा रहा है। मैं नहीं जानता कि हो क्या रहा है। यदि किसी सदस्य को कुछ हो जाता है और नियमों तथा प्रक्रिया में कोई प्रावधान है तो कृपया मुझसे आकर मिलिये। मैं सहायता करने का प्रयत्न करूंगा। आप मुझसे दो-तीन वर्ष पीछे जाने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? जैसा कि मैं कह चुका हूं यदि नियमानुसार कोई शिकायत मुझसे की जा सकती है तो मेरे पास लाइये। मैं उसको सुनने और उसपर ध्यान देने के लिए तैयार हूं। मैं नियमानुसार कोई भी बात सुनने को तैयार हूं। नियमों के अधीन कोई भी चीज लेकर आ जाइये। मैं सुनूंगा, मैं कार्यवाही करुंगा और आपके और इस सदन द्वारा पुस्तक में उल्लेख किए गए नियमों से मार्गदर्शन लूंगा मैं उसका उल्लंघन नहीं करूंगा। जो कुछ कार्यवाई मैंने प्रारम्भ की है वह भी नियमों के अधीन की है; मैं नियमों से बाहर काम नहीं करूंगा; मैं आपके साथ या उनके साथ कोई पक्षपात नहीं दिखा रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मुझे भी बोलने की इजाजत दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इनकी रिपोर्ट आने दीजिए, फिर आपको भी मौका देंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

काफ़ी बोर्ड का वर्ष 1976-77 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं काफ़ी बोर्ड के वर्ष 1976-77 के लेखा परीक्षा* प्रतिवेदन का "शुद्धि-पत्र" (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 1052/80]

गृह मन्त्रालय की अनुदानों की मांगे, 1980-81

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं 1980-81 के लिए गृह मन्त्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 1053/80]

---

*काफी बोर्ड का वर्ष 1976-77 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 21 मार्च, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था।

सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना, भारतीय मूल के प्रत्यावासियों को दी जाने वाली सीमा-शुल्क रियायतों को बढ़ाने, निर्यात क्रया देशों को पूरा करने के लिये निःशुल्क आयात किये जाने वाले सामान की सूची में और वस्तुयें शामिल करने तथा गत्ते के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले रद्दी कागज पर सीमाशुल्क में छूट बढ़ाने सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन, कृषिक पुनर्वित्त और विकास निगम, बम्बई के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और कृषि धन और आय के कराधान सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन**

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 384 (ड), जो दिनांक 30 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा कतिपय देशों से वापिस लौटने वाले भारतीय मूल के प्रत्यावासियों को दी जाने वाली सीमा-शुल्क की रियायतों को, जो दिनांक 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 347-सीमा-शुल्क में दी गई हैं, 31 अगस्त, 1980 तक बढ़ाने सम्बन्धी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 394 (ड), जो दिनांक 4 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा निर्यात क्रय।देशों को पूरा करने के लिये दिये गये अग्रिम लाइसेंसों पर निःशुल्क आयात किये जाने वाले सामान की सूची में और वस्तुएं शामिल करने संबंधी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 701, जो दिनांक 5 जूलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा गत्ते के निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले रद्दी कागज पर उसका आयात करते समय सीमा-शुल्क में छूट को बढाने के लिये दिनांक 5 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या 234-सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन करने संबंधी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 1054/80]

(4) कृषिक पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम, 1963 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कृषिक पुनर्वित्त और विकास निगम, बम्बई के 30 जून, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे। [ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 1055/80]

(5) कृषि धन और आय के कराधान सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन **(हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 1056/80]

राज्यसभा से सन्देश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देशों की सूचना सभा को देनी है :

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 9 जुलाई, 1980 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 5 जुलाई, 1980 को पास किये गये आवश्यक सेवाएं बनाये रखना (असम) विधेयक, 1980 से बिना किसी संशोधन सहमत हुई"।

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 9 जुलाई, 1980 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 5 जुलाई, 1980 को पास किए गये असम विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1980 से बिना किसी संशोधन सहमत हुई।"

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : उससे पहले, आपकी अनमति से मैं एक महत्वपूर्ण मामले को उठाना चाहता हूं अर्थात कार्यरत विदेशी अभिकरणों के बारे में.....

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। आप नियम 377 के अधीन बोल सकते हैं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

**प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 14 नवम्बर, 1972 को सभा पटल पर रखा गया था।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लकप्पा जी, आप इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। आपने इस पर ध्यानाकर्षण का नोटिस दिया है। यदि यह उचित रूप में हो तो मैं इसकी अनुमति देता हूं। मुझे निर्णय लेने दीजिए। यदि इस सदन में हर कोई इसी तरह व्यवहार करे तो, परमात्मा ही मालिक है ।

(व्यवधान)*

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : मैं अपने भविष्य के मार्ग-दर्शन के लिए यह जानना चाहता हूं नियम 377 के अधीन आप प्रतिदिन दो तीन सदस्यों को जो कुछ वह कहना चाहते हैं बोलने की अनुमति दे देते हैं। श्री लकप्पा का कहना है कि उन्होंने नियम 377 के अधीन लिखित में दिया था। हम यह जानना चाहते हैं: कि इसे अस्वीकृत क्यों कर दिया गया? क्या यह उचित ढंग से नहीं रखा गया था? क्या यह समय पर नहीं दिया गया था? क्योंकि सदन में आप नियम 377 के अधीन ऐसे कई मामले स्वीकार कर चुके हैं जो कि उससे कम महत्वपूर्ण हैं, जो कुछ श्री लकप्पा ने उठाये हैं इसलिए हम कुछ बातें लिखित में भी देना चाहते हैं। अतः हमें भविष्य के लिए आपका मार्ग-दर्शन चाहिए: आपने किस आधार पर इसे अस्वीकार किया?

अध्यक्ष महोदय : किसने रिजेक्ट किया है, किसने आपको बताया है ?

श्री भागवत झा आजाद : आपको यह कहना चाहिए कि आपने इसे अस्वीकृत नहीं किया है ।

अध्यक्ष महोदय : यही सब तो मैं उन्हें बताता रहा हूं।

श्री भागवत झा आजाद : उन्हों ने सुना ही नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : वह सुनना ही नहीं चाहते ।

श्री भागवत झा आजाद : तो अभी इस पर विचार हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर मुझे बहुत से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। और मैं उन पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा हूं। मैंने उनमें से किसी को अस्वीकृत नहीं किया है। अतः, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं।

श्री के० लकप्पा : महोदय जब मैंने इस विषय पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी ....

अध्यक्ष महोदय आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, आप जानते हैं कि मैंने इसे अस्वीकृत नहीं किया है, फिर आप सहयोग करके इस सदन को चलने क्यों नहीं देते ?

श्री के० लकप्पा महोदय : मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे संरक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं। श्री लकप्पा जी, यदि आपने मुझसे बात की होती तो मैं, आपको समझाता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली में विधि और व्यवस्था की स्थिति

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

> "दिल्ली में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति और इस संदर्भ में 9 जुलाई, 1980 को खारी बावली, दिल्ली में दिन दहाड़े हुई डकैती की घटना तथा इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही"

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : यद्यपि हाल के महीनों में अपराधों में उल्लेखनीय कमी हुई है परन्तु यह खेद की बात है कि इस प्रकार की घटनाएं कभी कभी होती रहती हैं।

खारी बावली में डकैती की इस घटना में चाकूओं और देशी पिस्तौलों से लैस 6 सशस्त्र व्यक्तियों का एक गिरोह कटरा ईश्वरी भवन में स्थित मकान की पहली मंजिल में 12.40 बजे घुसा । उसने भवन में मौजूद आठ

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री योगेन्द मकवाना]

व्यक्तियों की आखों पर पट्टियां बांधी और उनके हाथ-पांव बांध दिये। उन्होंने लगभग 10 हजार रुपये की सम्पत्ति लूटी जिसमें 6-7 हजार रुपया नकद था। कोई हिंसक घटना नहीं हुई। पीड़ित व्यक्तियों में से केवल एक के मामूली सी खरौंच आई। डाकू लगभग 14.05 बजे भवन को छोड़कर चले गए। इस घटना की रिपोर्ट पुलिस को 14.25 बजे दी गई और पुलिस घटना स्थल पर 14.40 बजे पहुंच गई। लहौरीगेट थाने में भा० द० सं० की धारा 395/398 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है। मामले में छानबीन की जा रही है और अपराधियों को पकड़ने के सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं।.

नई सरकार के सत्ता में आ जाने के बाद राजधानी में कानुन और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं जिनमें नए थानों का खोला जाना, वर्तमान थानों के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना, पुरानी गाड़ियों को बदलना, नियंत्रण कक्ष का आधुनिकीकरण और संचार व्यवस्था में सुधार आदि शामिल हैं।

दिल्ली पुलिस ने वाकी टाकी सैट और वायरलेस युक्त मोटर साईकिलों द्वारा पैदल तथा गतवर गश्त बढ़ा दी है। रात्रि और तड़के सवेरे की गश्त में होमगार्डों को भी शामिल किया गया है। जिलों के विशेष दस्तों द्वारा अपराधियों और अन्य बदमाशों का पता लगाने के लिए सतत रुप से अभियान शुरू किए गए हैं।

पुलिस आयुक्त और उप-राज्यपाल के स्तर पर कानून और व्यवस्था की स्थिति की लगातार समीक्षा की जाती है। गृह मंत्री ने स्वयं अधिकारियों के साथ समीक्षाएं की हैं।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के अलोकप्रिय होने का प्रमुख कारण यह था कि उसके शासनकाल में इस देश में विधि व्यवस्था का नामोनिशान नहीं रह गया था। चारों और भय का वातावरण बना हुआ था। यही कारण था कि जनता पार्टी के स्थान पर देश के लोगों ने सबल हाथों में इस देश की सत्ता सौंपी और श्रीमती इंदिरा गांधी को सत्ता पर बिठाया...... (**व्यवधान**) मैं स्वयं कह रहा हूं कि आज हमारे दल के ऊपर यह दायित्व आया है और हम कहां तक इस प्रकार की अपराध की घटनाओं और इस विधि और व्यवस्था की समस्या से निपटते हैं यह देखना है, कहां तक हम इन पर नियंत्रण करते हैं, यह देखना है। जब केन्द्र में हमारी सरकार बनी थी तब निश्चित रूप से इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण सा लगा दिखाई पड़ता था। इधर कुछ दिनों में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। राजधानी में इस तरह की घटनाएं सरे-आम, दिन में 12 बजे बाजार में हुई जहां हजारों लोग हैं, वहां एक व्यवसायी के घर में घुसकर एक महिला के दुपट्टे को फाड़कर 4,5 आदमियों के हाथ-पैर बांधकर, लगभग 2 घंटे रहकर उसकी सारी सम्पति, यहां स्टेटमेंट में बताया गया है कि मात्र 10 हजार रुपये की सम्पत्ति, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी मिली है, वहां 50 हजार से ज्यादा की सम्पत्ति लूटी गई है। राजधानी में जो घटनाएं इस तरह की होती हैं, उससे पूरे देश के लोगों की चिन्ता बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि सरकार कौनसी ऐसी सख्त कार्यवाही करने जा रही है, जिससे इस तरह के अपराध-कर्मों की रोकथाम हो सके ?

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस पर कोई विचार कर रहे हैं कि जो इस देश में इंडियन पीनल कोड है, आई० पी० सी० है, इसको और कठोर बनाया जाये ? आज आई० पी० सी० के अनुसार अगर 7 दिनों में आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया जाता है, तो उससे स्वत: अपराधियों की जमानत मंजूर हो जाती है। सभी के ऊपर आरोप-पत्र दाखिल नहीं हो पाता है और अपराध-कर्मी 7 दिन के बाद फिर बाहर निकल जाते हैं। उनको इस तरह के अपराध करने की फिर स्वतंत्रता मिल जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय आई० पी० सी० को और कठोर बनाने पर विचार कर रहे हैं ?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि पिछले 6 महीने से जबसे हमारी सरकार बनी है, दिल्ली की राजधानी में अपराधों की संख्या क्या रही है, उसमें कितनी कमी आई है ? इसका विस्तृत ब्यौरा हम चाहेंगे ताकि देश के लोगों को आगाह है किया जा सके कि हमारी सरकार बनने के बाद हम इतना अपराधों पर नियंत्रण कर सके है और क्या करने जा रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य ने तीन विशेष प्रश्न पूछे हैं : (1) इस सरकार द्वारा किये गये निवारक उपाय; (2) पिछले छः महीनों के दौरान नई सरकार के सत्ता में आने के बाद अपराध की स्थिति में सुधार, तथा (3) हमारी सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदम।

हमने कई कदम उठाये हैं। मैंने अपने विवरण में भी कहा है कि हमने अनेक कदम उठाये हैं। उठाये गये अन्य कदम इस प्रकार हैं :—

(एक) पैदल गश्त तथा 'वाकी-टाकी' सेट और वायरलैस सेट से युक्त गाड़ियो तथा मोटर साईकलो द्वारा गश्त में वृद्धि दिल्ली सशस्त्र पुलिस / केन्द्रीय आरक्षण पुलिस से अतिरिक्त 10 कम्पनियों द्वारा जिले में रात को गश्त लगाना और भारत सरकार ने इस हेतु केन्द्रीय आरक्षण पुलिस की एक अतिरिक्त बटैलियन की व्यवस्था की है। इस गश्त की जांच तथा निगरानी स्वयं वरिष्ठ अधिकारी करते हैं।

(दो) होम गार्डज के 2000 जवानों को रात्रि तथा प्रातःकाल स्थानीय पुलिस के साथ गश्त के लिये तैनात करना और पार्क तथा आतारकीय बत्तियों पर विशेष ध्यान देना।

(तीन) बुरे चरित्रवालों तथा अपराधियों के विरूद्ध दंड संहिता प्रक्रिया की सामान्य निवारक धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना।

(चार) अपराध में व्यस्त लोगों को पकड़ने के उद्देश्य से गाड़ियों को अचानक पकड़ा जाना।

(पांच) स्थानीय निवासियो तथा प्राईवेट चौकीदारों द्वारा ठिकरी पहरा तथा गश्त और पुलिस गश्त के साथ तालमेल।

(छः) निष्कासन कार्यवाही में वृद्धि। 1 जनवरी, 1980 से 31 मई 1980 तक 177 बुरें चरित्र वालों तथा अपराधियो को दिल्ली से निष्कासिक किया जाना।

(सात) जब तक स्वीकृति न हो, उस समय तक नाजुक बस्तियों में अस्थायी पुलिस चौकियों की स्थापना।

(आठ) नाजुक स्थानो पर निवारक उद्यम के रूप में सशस्त्र पुलिस द्वारा घेरा।

(नौ) जिले के विशेष पुलिस दस्तों द्वारा डाकुओं, स्कूटर चोरों, जेब कतरों, छेड़खानी करने वालो, तथा अन्य बुरें चरित्र वालों को पकड़ने के लिये लगातार प्रयत्न करना।

(दस) उपपुलिस आयुक्त/सह-पुलीस आयुक्त द्वारा बस्तियों के निवासियों से की गयी कार्यवाही के बारे में बात करना तथा उनके सुझाव लेना।

(ग्यारह) छेड़खानी के अपराध को रोकने के लिये महिला कालिजों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करना।

हमने यें निवारक कदम उठाये हैं। माननीय सदस्य ने दंड संहिता प्रक्रिया के बारे में सुझाव दिया है। मैंने सुझावों को नोट कर लिया है।

जहां तक अपराध की स्थिति में सुधार का सम्बन्ध है, मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि पिछले छः महीनों के दौरान स्थिति में सुधार हुआ है और सुधार हो रहा है। इस बारे में मैं तुलनात्मक आंकड़े देना चाहूंगा :—

	1-1-1980 से 30-6-1980	1-1-1979 से 30-6-1979
डकैती	20	44
हत्या	103	81
हत्या का प्रयास	146	165
राहजनी (चोरी)	169	317

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : ये तो दर्ज किये गये अपराध हैं। बिना दर्ज हुये अपराधों की क्या स्थिति है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं तुलनात्मक आंकड़े दे रहा हूं।

	1-1-1980 से 30-6-1980	1-1-1979 से 30-6-1979
दंगे	93	155
छीना-झपती	85	163
चोटें	970	1032
सेंधमारी	1328	1510
चोरी	9888	10693
मोटर गाड़ियों की चोरी . . .	1366	1662
अन्य	5098	5541
भारतीय दंड संहीता प्रक्रिया के अन्तर्गत कुल अपराध .	19965	21363

श्री भागवत झा आज़ाद : डी०आई०जी० (ट्रेफिक) की अपनी गाड़ी चोरी हुई।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने अपराध रोकने के बहुत लम्बे-चौड़े उपाय बताये हैं। हत्या, डकैती, चोरी, बर्गलरी आदि अपराधों की संख्या कोई बीस हज़ार के लगभग बताई गई है, जबकि प्रिसीडिंग यीअर में वह संख्या 17,851 थी।

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य ने ग़लत सुना है। पहले अपराध 21,363 हुए थे, जबकि इस साल 19,965 हुए हैं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : 11 जून, 1980 को आपने जो उत्तर दिया था, उसमें 17,851 बताये थे। दिल्ली में अपराधों में जो वृद्धि हुई है, उससे दिल्ली के निवासियों में बहुत आतंक फैला हुआ है, जिसकी वजह से वे रात को सो भी नहीं पाते हैं। खारी बावली में डकैती की घटना दिन-दहाड़े हुई है। जनवरी में बीस, पच्चीस ऐसी घटनायें रिकार्ड में आई है। लारेंस रोड, लाजपत नगर और मोतीनगर आदि स्थानों में दिन-दहाड़े डकैतियां हुई है, महिलाओं के साथ मारपीट और बलात्कार के केस हुए हैं। ऐसी घटनाओं पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है और वे दिन-प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं।

खारी बावली में इतनी भीड़ रहती है कि वहां दो आदमी साथ साथ नहीं चल सकते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति में भी वहां ईश्वरी भवन में डकैती होती है, तो यह एक विचारणीय बात है। यह डकैती वहीं पर हुई है, जहां लाहौरी गेट में एस एच ओ अमरजीत सिंह है और डी एस पी गुरचरण सिंह है, जो आप के सुन्दर सिंह डाकू हत्याकांड में ऐक्यूज्ड भी रह चुके हैं ** कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब कि चांदनी चौक में डकैती न होती हो या लूट न होती हो या पाकटमारी न होती हो। एक महीना पहले वहां के पंजाब नेशनल बैंक में जंजीर काट कर और भीतर घुस कर डकैती की, उस का आज तक कोई पता नहीं लगा। इसी तरह से बाबा गुरुवचन सिंह की हत्या की गई, उन का हत्यारा भी अभी तक नहीं पकड़ा गया है। गौतम जय सिंहानिया जो सेंट लारेंस कालेज का विद्यार्थी था, उस के मामले में पुलिस आई, उसने वादा किया था कि 24 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़ कर ला देंगे लेकिन आज तक वह नहीं पकड़ा गया। कल ही कीर्तिनगर में भयंकर घटना घटी है, डकैती हुई है, उस की फोटो यह छपी हुई है। उनका नाम है श्रीमती बलबीर कौर जो मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स में काम करती हैं, उन को मारा, उन की सोने की अंगूठी, चैन और कई जेवरात डाकू लूट कर ले गए। उस के बगल में फर्नीचर मंडी में भी डकैती करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री मदन लाल खुराना ने पुलिस को खबर दी तो डी०एस०पी० मिस्टर सिंह उस का खण्डन करते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, साधारण ट्रेसपास की घटना है और आपस का झगड़ा है जब कि इन को इतनी मार-पड़ी कि वह अस्पताल में पड़ी रही। हिन्दुस्तान टाइम्स के संपादक ने जब उस की फोटो छापी जो उस से इस का पता लगा। इस से स्पष्ट हो जाता है कि सारी घटनाओं को दबाया जाता है। सारी जगह पुलिस जानबूझ कर जितने असामाजिक तत्व हैं, जितने भी नामी गुन्डे हैं सब को प्रोटेक्शन देती है जिस कारण से दिन दहाड़े डकैती बढ़ती चली जाती है।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

मै यह भी कहूंगा कि दिल्ली के जितने भी थाने है सब में एक वर्ग विशेष के लोगों को अप्वांइट किया गया है, श्रीमान भिंदर साहब के जो आदमी है उन्हीं लोगों को सब जगह रखा गया है और उन्हीं के चलते सारी जगह ये चीजें हो रही है। दिल्ली में अगर सुधार हो जाता तो भिंदर साहब रखते या कोई भी नियुक्त करता, अपने आदमी लाता, हम को कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन दिल्ली में आज पहले की अपेक्षा कई गुना ये क्राइम बढ़ चुकें है और ऐसी परिस्थिति में सारा दोष पुलिस आयुक्त के ऊपर जाता है ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यह पुलिस आयुक्त अभी पेरिस जा कर एक महीना रह कर आए है। फिर वियना चले गए और वहां रह गए । अभी मास्को जाने का उन का प्रोग्राम है।**तो क्या यह दिल्ली नगरवासियों की सुरक्षा और उनकी इज्जत लुटने से बचाने के लिए है? ये अपने कार्यों में या पोलिटिकल कार्यों में ही लगे रहेते है । इस लिए ऐसे लोग पुलिस अधिकारी नहीं हो सकते। हो सके तो इन्हें तुरन्त मुअत्तल कर दिया जाए और इन को कहीं टिकट दे कर एम०पी० बना दिया जाय, यह अच्छा होगा । इन की पत्नी भी आ गई और यह भी आ जाय तो यह कहीं ज्यादा लाभदायक होगें। कांग्रेस (आइ) पार्टी के लिए भी यह अच्छा होगा और इन का भी कल्याण हो जायगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय का ध्यान किस बात की ओर दिला रहें है? आप असली बात पर आयें ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मै ठीक कह रहा हूं । दिल्ली की ला एंड आर्डर सिचुएशन इस में दी हुई है। यह मै बिलकुल ठीक कह रहा हूं । सबजैक्ट से बाहर नहीं जा रहा हूं। . . . (व्यवधान). . .

मै आप से आग्रह करना चाहुंगा कि जो दिल्ली की स्थिति आज है उस में कोई भी आराम से न दिन में न रात में सो सकता है। किसी को गारन्टी नहीं है। पुलिस विभाग बिलकुल लापरवाह हो गया है। जितने लोग चोरी करते है किसी को पकड़ते नहीं हैं घटना घट जाती है, उसके बाद पहूंचते है । उन को जब खबर दी जाती है तो आतें नहीं है ।

मन्त्री महोदय ने बताया कि 2 हजार पुलिस की भर्ती और कर रहें है और नयें थाने भी बना रहें है । इस सब के बावजूद भी घटनाएं बढ़ ही रही है, लूट, डकैती बढ़ ही रही है तो आखिर यह क्यों बढ़ा रहें है? यहां प्रेसीडेंटस शासन भी चल रहा है। जनता के प्रतिनिधि भी नहीं है । चुनाव भी नहीं हुआ है। . . . (व्यवधान) . . .

मै आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से कुछ डायरेक्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं :

(क) श्री भिण्डर को तुरन्त ट्रान्सफर किया जाए, मोअत्तल किया जाए ।

(ख) दिल्ली प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि वहां चुने हुए जन प्रतिनिधि अपनी पुलिस व्यवस्था की सारी व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त कर सकें। क्या मंत्री जी यहां पर इसकी घोषणा करेंगें? साथ ही दिल्ली की जो धनी व्यापारिक मण्डियां है वहां पर सफेद सशस्त्र पुलिस की व्यवस्था की जाए।

(ग) सभी थानों का हर दस रोज में अचानक निरिक्षण किया जाए।

(घ) नागरिकों को हर तरह से सूचना देकर, थाना प्रभारी की लापरवाही, अपराध-कर्मों की सूचना को थाने मे दर्ज न करना, नागरिकों को डरा-धमकाकर भगा देना-इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष अधिकारी की बहाली की जाए तथा सूचना को दर्ज कराने की व्यवस्था की जाए।

(च) जिस पुलिस अधिकारी के जिले में अधिक घटनाएं घटें उसको कठोर सजा देने की व्यवस्था की जाए ।

क्या मन्त्री जी इन सुझाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार है?

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मन्त्री महोदय के उत्तर से पहले मेरी बात सुन लें। एक माननीय सदस्य ने दूसरे सदस्य के विरूद्ध आरोप लगाये है . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं । कृपया बैठ जाइए। मन्त्री उन प्रश्नों का उत्तर देंगे ।

श्री जनार्दन पुजारी : एक माननीय सदस्य ने दूसरे माननीय सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाये है और वह भी एक माननीय महिला सदस्य के विरुद्ध । आप सुन क्यों नहीं रहे?

उपाध्यक्ष महोदय : मै सभा की कार्यवाही देखूंगा और जैसा की आपने कहा यदि माननीय सदस्य ने कुछ कहा है तो हम निश्चय ही इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल लेंगे (व्यवधान) . .

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य ने एक महिला सदस्य के विरूद्ध आरोप लगायें है। इन्होने इतना तक कहा है कि श्री भिंदर ने उन्हें टिकट दिलाने में अपने प्रभाव का उपयोग किया है और चुनाव में जीतने में भी सहायता की है आरोप यह है, नियम 352 के अन्तर्गत एक सदस्य बोलते समय किसी दूसरे सदस्य के विरुद्ध वैयक्तिक आरोप नहीं लगायेगा। और नियम 353 . . .

एक माननीय सदस्य : इन्होंने कोई वैयक्तिक आरोप नहीं लगाया है । आप कार्यवाही वृत्तान्त देख सकते है।

श्री जनार्दन पुजारी : इन्होंने कहा है कि श्री भिंदर ने अनुचित प्रभाव का उपयोग किया है। आरोप यही है । नियम 353 . . .

उपाध्यक्ष महोदय : में कार्यवाही वृत्तान्त देखूंगा और जैसा कि आप कहते है, यदि किसी सदस्य के विरुद्ध कुछ कहा गया है तो हम ध्यान रखेंगें ।

श्री भागवत झा आज़ाद : श्री वर्मा द्वारा यह कहा जाना बहुत गम्भीर बात है कि श्री भिंदर, श्रीमती भिंदर की सहायता करने गुरदासपुर गये। यह आरोप है, क्योंकि यदि इसका खंडन नहीं हुआ तो इससे सदस्या का इस सभा के लिये हुआ चुनाव रद्द हो सकता है ।

यह कहना बहुत गंभीर बात है । ऐसी बात कहना सदस्य को शोभा नहीं देता । दूसरा अर्थ है कि श्रीमती भिंदर ने सरकारी अधिकारियों की सहायता ली । यह आरोप है । यह गलत है । उन्होंने यह कहा है कि इस सदन के एक सदस्य ने एक सरकारी अधिकारी की सहायता ली । यह गलत है । कार्यवाही वृत्तांत से उसे निकाल दिया जाना चाहिए । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को समझता हूं । प्रत्येक बात मैंने समझी है । मैं जानता हूं कि यह एक गंभीर मामला है । इस संबंध में समुचित कार्यवाही की जाएगी ।

श्री योगेंद्र मकवाना : महोदय, माननीय सदस्यों ने पुलिस के खिलाफ अनेक बेहूदे आरोप लगाए हैं और इससे स्थिति को नियंत्रित करने में सहायता नहीं मिलेगी । इसके विपरीत इस तरह के आरोप पुलिस को हतोत्साहित करेंगे । जब हमारे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, मैं उनकी बातों से किसी तरह सहमत नहीं हूं. . . **(व्यवधान)** . . . उन्होंने अपन कर्तव्य का निर्वाह किया है । . . . **(व्यवधान)**]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अभिव्यक्ति का पूर्ण अधिकार है । इसलिए, मंत्री को भी उत्तर देने का अधिकार है । अन्यथा, मैं कैसे कार्यवाही चला सकता हूं ?

श्री योगेंद्र मकवाना : महोदय, मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूं । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन में पूर्ण शान्ति की आशा करता हूं ।

श्री योगेंद्र मकवाना : महोदय, पुलिस ने अनेक कदम उठाए हैं । यदि आप चाहे तो मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं कि जनवरी-फरवरी, 1980 से लकर अबतक के इन छः महीनो के दौरान पुलिस ने किस तरह व्यवहार किया है । अपराधियों के 5 गिरोह पकड़े गए थे ; ये डकैतों और लुटेरो के गिरोह हैं जो दिल्ली तथा अन्य दूसरे राज्यों में लगभग चालीस मामलो के लिए जिम्मेदार थे और उनसे एक लाख रुपए से भी अधिक के मूल्य की संपत्ति बरामद की गई थी, पुलिस की सघन सतर्कता के परिणामस्वरूप मार्च, 1980 में 10 गिरोह **(व्यवधान)** मैं उपाध्यक्ष महोदय को संबोधित कर रहा हूं । पुलिस की सघन सतर्कता के परिणामस्वरूप सेंधमारों, डकैतों, लुटरों, हत्यारों और चोरों के दस गिरोह पकड़े गए थे जिनसे 70,000 रुपए मूल्य की सम्पत्ति बरामद की गई ; पुलिस की सघन सतर्कता के परिणामस्वरूप अप्रैल, 1980 में डकैतों, लुटरो और सेंधमारों के 13 गिरोह पकड़े गए थे और 15,09,432 रुपए मूल्य की सम्पत्ति बरामद की गई थी ; मई, 1980 में पुलिस की सघन सतर्कता के परिणामस्वरूप डकैतों, लुटेरों, सेंधमारों, चोरों, राहजना और वाहन उठाने वाले लोगों के 14 गिरोह, जिनमें 40 व्यक्ति थे, पकड़े गए थे और 1,89,000 रुपए मूल्य की संपत्ति बरामद की गई थी ; जून, 1980 में पुलिस की सघन सतर्कता के परिणामस्वरूप, डकैतों, लुटेरों, सेंधमारों, वाहन चोरी करने वाले, ताला तोड़ने वाले, चोरो और राहजनों के 13 गिरोह पकड़े गए थे और उनसे 2,97,785 रुपए मूल्य की संपत्ति बरामद हुई थी । इन गिरोहों की गिरफ्तारी से 148 मामलों का पता लगा । केवल इतना ही नहीं । इन तीन महीनों के दौरान अपराधों की स्थिति में भारी गिरावट आई है ।

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

जहां तक घन्य अपराधों का सम्बन्ध है, उनमें तीन प्रतिशत कमी आई है। सामान्य अपराधों में 11 प्रतिशत की कमी आई है। जहां तक डकैती का सम्बन्ध है, उसमें पिछले छः महीने के दौरान पचास प्रतिशत की कमी आई है। जहां तक लूटमार का सम्बन्ध है इसकी संख्या घट कर 159 तक आ गई है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक ध्यानाकर्षण है। इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए।

श्री योगेंद्र मकवाना : जहां तक छीना कपटी का सम्बन्ध है। इसमें 49 प्रतिशत की गिरावट आई है। ये इस बात के आशाप्रद उदाहरण है कि किस तरह हमारी पुलिस वर्ताव कर रही है। यह बहुत ही अवांछनीय और अत्यधिक निंदनीय बात है कि इस तरीके से हमारे पुलिस अधिकारियों को कहा जाए और इस सदन में उनकी निंदा की जाए और जब वे यहां इस सदन में अपना बचाव करने के लिए उपस्थित नहीं हैं, उनकी चर्चा की जाए। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ खास अधिकारियों की आलोचना करने के लिए इस सदन का उपयोग किया जाता है। मैं माननीय सदस्य महोदय से सहमत नहीं हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमन् पासवान।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) **: बोलने के लिए खड़े हुए (व्यवधान)**

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अधिकारी कृपया नोट कर लें। यह एक ध्यानाकर्षण है। इसके अलावा कोई अन्य जानकारी, कोई दूसरा भाषण और अन्य कोई स्पष्टीकरण कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। श्री रामविलास पासवान।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर (खण्डवा) : मैं एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न पर खड़ा होता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अंतर्गत ?

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : नियम 197(2)...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न के लिए अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह एक ध्यानाकर्षण है। आप कोई विषय नहीं उठा सकते।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : कृपया नियम 197(2) देखें। इसमें स्पष्ट कहा गया है:

"ऐसे वक्तव्य पर जब वह दिया जाए कोई वाद-विवाद नहीं होगा किन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कार्यसूची में यह मद दिखाई गई हो, अध्यक्ष की अनुमति से एक प्रश्न पूछ सकेगा।"

उपाध्यक्ष महोदय : आप ध्यानाकर्षण पूरा हो जाने के पश्चात् एक प्रश्न पूछ सकते हैं। नियम कहता है :

"ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाए कोई वाद-विवाद नहीं होगा, किन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कार्य-सूची में यह मद दिखाई गई हो, अध्यक्ष की अनुमति से एक प्रश्न पूछ सकेगा।"

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : महोदय, वह एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह सब ठीक है। मंत्री महोदय ने पहले ही उसका उत्तर दे दिया है। मैं इसकी समाप्ति पर आपको अनुमति दूंगा—अभी नहीं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में एक सदस्य (क), (ख), (ग) आदि प्रश्न पूछता है। माननीय सदस्य महोदय को यह बात अवश्य समझनी चाहिए।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मकवाना साहब जब बोल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था...

उपाध्यक्ष महोदय : जिस तरह अभी श्री पासवान ने मुस्कराते हुए बात कही, सदन के अन्य सदस्यों को भी ऐसा ही करना चाहिए।

श्री रामविलास पासवान : ऐसा लग रहा था जैसे वह पुलिस को सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं। वह कह रहे थे कि कि क्राइम्ज में इतनी कमी हुई है, इतनी कमी हुई है—इस का मतलब है कि वह पुलिस को इनडायरेक्टली कह रहे थे कि जो क्राइम्ज हो रहे हैं, उन को और बढ़ाना चाहिये। जब क्राइम्ज ज्यादा होंगे, तब सीरियसनेस आयेगी..... (व्यवधान)...

**कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

10—357 LSS (ND)/80

[श्री रामविलास पासवान]

आंकड़े कैसे लिखे जाते हैं—आप को भी मालूम है और हम को भी मालूम है । मेरा सरकार पर यह चार्ज है कि सरकार क्राइम्ज की फिगर्स को कम करने के लिये ऐसी इंस्ट्रक्शन दिये रहती है कि बहुत से मामलों में दर्ज ही न किया जाय . . . (व्यवधान) . . .

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : व्यवस्था संबंधी एक प्रश्न है . . . (व्यवधान) . . .

उपाध्यक्ष महोदय : पासवान जी, कृपया मेरी और मंत्री महोदय की ओर देखिए ।

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, जब आप हम को नहीं देखते हैं तो उधर देख लेता हूं । जब मैं आप को देखता हूं तो आप भी हम को देखिये । . . .

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं आप का रूलिंग चाहता हूं—मेरे प्वाइन्ट आफ़ आर्डर उठाने के बावजूद और आप के रूलिंग देन के बावजूद भी क्या माननीय सदस्य इस पर डिबेट करवाना चाहते हैं ? आप उन को केवल एक प्रश्न पूछने के लिय कहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कहा, आप इसकी समाप्ति पर अपना प्रश्न उठा सकते हैं । मैंने आपसे कह दिया है कि इसको पूरा होने बाद अंत में मैं आपको अनुमति दे दूंगा ।

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्व प्रथम मंत्री जी से यह कहूंगा कि वे इस तरह के वक्तव्य न दें जिस से क्राइम्ज घटने के बजाय बढ़ने लग जांय । उन के कहने के अनुसार इस समय कम हैं, लेकिन ऐसा कहने से क्या उन का मतलब है कि और बढ़ें । मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली में पूरे हिन्दुस्तान की तरह न ला है और न आर्डर है । जिस कानून और व्यवस्था की हम चर्चा कर रहे हैं—आप जरा आम लोगों से जा कर पूछिये । आचार्य भगवान देव जी आज कल आप बहुत वकालत करते हैं । जरा रोड पर और दूसरी जगहों पर जा कर लोगों से पूछिये, तब आप को सारी स्थिति का ज्ञान हो जायगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज कल जो हत्यायें, बलात्कार और डकैतियां होती हैं, यदि उन की प्रतिदिन की एव्रेज निकाली जाय तो एक दिन में 15 हो रहे हैं । आप ने कहा है कि दिल्ली में जब से आप की सरकार आई है, क्राइम्ज की संख्या में कमी हुई है, लेकिन वास्तविकता यह है—चाहे निरंकारी बाबा की हत्या का मामला हो, हालांकि उन की आइडियोलाजी से हम और आप सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो आदमी हमेशा कहता रहा कि उसे डर है, उस की हत्या होने वाली है, फिर भी आप उस को बचा नहीं सके, उस की हत्या हो गई । आप ने जाल डलवाये और न जाने क्या-क्या किया, फिर भी हत्यारे का पता नहीं चला । आप के यहां गौतम सिंहानिया की हत्या हुई, उस के हत्यारे को भी आज तक नहीं पकड़ा गया । एम० पीज के घरों पर डकैती होती है . . . (व्यवधान) . . . मैं कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी उत्तर देंगे । (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : (आजमगढ़) : माननीय सदस्य महोदय को सदन नियंत्रित नहीं करना है । आप सदन को नियंत्रित कर रहे हैं । वह सारे समय व्यवधान पैदा कर रहा है वह एक नया सदस्य है उसे बताया जाना चाहिए । कृपया आप उन्हें अपने कक्ष में बुलाएं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनसे कह दिया है कि मैं उनको अनुमति दूंगा । आखिर में वह अपना प्रश्न रख सकते हैं ।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : वह सारे तथ्यों का वर्णन कर रहे हैं उसे साधारण रूप से एक प्रश्न पूछना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : उस बात का निर्णय आप को नहीं करना है । इस बात का निर्णय मुझे करना है . . .

श्री रामविलास पासवान : तो मैं कह रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि दिल्ली में एम० पी० के घर में डकैती हो रही है और पुलिस आयुक्त के घर से वायरलेस सेट ले कर चोर भाग गया । . . . (व्यवधान) . . . चौकीदार की हत्या हुई । महिला की हत्या होती है, महिलाओं के साथ रेप किया जाता है, पंजाब नेशनल बैंक जो है वहां 18 घंटे तक डैकेट हथोड़े मार कर तोड़ते रहे और पुलिस को पता नहीं रहा 18 घंटे तक । ऐसी बातें यहां हो रही हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न रखिए ।

श्री रामविलास पासवान : मुख्य मुद्दा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में है । आप बीच में बोल कर हमारी प्रवाह को तोड़ देते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बताइए ।

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यहां दिल्ली में जितने भी थाने हैं, उन सब का अलग अलग रेट बंधा हुआ है । थानों की निलामी होती है । एक एक थाने को दो, ढाई लाख रुपये ले ले कर दिया जाता है और वहां पर दो ही तबके के लोग जा सकते हैं । एक तो वह तबका है, जिस की पहुंच मंत्री जी तक होती है और यह चीज आजकल बहुत चलने लगी है ।. . . (**व्यवधान**) . . .हम लोगों ने बन्द कर दी थी । 28 साल तक यह चीज चलती रही और बीच में हम ने बन्द कर दी लेकिन अब फिर चलना शुरू हो गई है । हम को मंत्री जी बताएं. . .

उपाध्यक्ष महोदय : पासवानजी, आज का ध्यानाकर्षण, 9 जुलाई, 1980 को 'खारी बावली' दिल्ली में दिन दहाड़े हुई लूटमार की हाल की घटना, दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के सम्बन्ध में है. . .परन्तु आपने अपने भाषण में इस के बारे उल्लेख नहीं किया है ।

श्री रामविलास पासवान : दिल्ली की ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था के बारे में यह है और हम उसी ला एण्ड आर्डर पर बोल रहे हैं ।. . . (**व्यवधान**) . . .मैं आप को बताना चाहता हूं कि दिल्ली में थानों की निलामी होती है और रेट बंधा हुआ है अलग अलग थाने का और यह चीज भी होती है कि कौन एस० एच० ओ० बनेगा और कौन एस० पी० बनेगा । यहां पर ट्रेजरी बेंचेज के लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं । इन को शायद जानकारी नहीं होगी कि यहां जनवरी के महीने के बाद से जितना अफ़सरों में डीमोरेलाइजेशन आया है, उतना पहले कभी नहीं आया था । आप लोग पैरवी करते हैं और नालायक लोग एस० एच० ओ० बन जाते हैं, आप पैरवी करते हैं और नालायक लोग एस० पी० बन जाते हैं । लोगों को सुपरसीड कर रहे हैं और अब यह एक नया फारमूला चला है कि सुपरसीड कर के एक आदमी को बैठा दिया । जब इस तरह की बातें होंगी, तो कानून व व्यवस्था की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता है ।

मैं मंत्री जी की बात बहुत गौर से सुन रहा था । आंकड़े दे कर ग़लत स्थिति की जानकारी न दें और बरगलाने की कोशिश न करें । जो स्थिति है उस को छिपाने की कोशिश वे न करें । आज हत्याएं हो रही हैं । दो किस्म से आदमी मरता है । एक तो अपनी मौत आदमी मरता है और एक आदमी को मार दिया जाता है, दोनों में अन्तर है । जिस तरह से पिछले 5 महीनों के अन्दर हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं और डकैतियां पड़ रही हैं, उन से आम आदमी, जन-मानस असुरक्षित है, एम० पी० असुरक्षित हैं, तमाम तबके के लोग असुरक्षित हैं । महिलाएं जिन के सम्बन्ध में कहा जाता था कि घर के बाहर असुरक्षित हैं, आज स्थिति यह हो गई है कि हमारी मा-बहनें अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं । दिन-दहाड़े डकैतियों के कांड होते हैं । तो दिल्ली के सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आज यहां पर चार चीजें हैं । एक दिल्ली कारपोरेशन है, एक एन० डी० एम० सी० है, एक लेफ्टीनेन्ट गवर्नर है और एक मेट्रोपोलीटन कौंसिल है, ये चारों जो हैं, क्या इन में कहीं काआर्डीनेशन है ? मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इन चारों में क्या आप काआर्डीनेशन कराएंगें और दिल्ली की ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था को ठीक करने के लिए इन चारों की एक समन्वय समिति बनाएंगे । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि आप बहुत सारे अफ़सरों को सुपरसीड कर रहे हैं और दूसरे अफ़सरों को ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठा रहे हैं जिस से अफसरों में डीमारेलाइजेशन हो रहा है और तीसरी बात यह जानना चाहता हूं कि क्या यह आप की जानकारी में है कि दिल्ली में हर थाने के अलग अलग रेट बंधे हुए हैं ? वहां जो अफसर नियुक्त होते हैं वे थाने की नीलामी करके नियुक्त होते हैं । जो ज्यादा नीलामी लगता है, वह नियुक्त होता है ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं माननीय सदस्य महोदय द्वारा लगाए गए इस आरोप का खंडन करता हूं कि अपराधों के मामलों को रजिस्टर नहीं किया जा रहा है । यह वास्तविकता नहीं है, अपराधों को रजिस्टर किया जाता है । मैंने आंकड़े उद्धृत किए परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम इस बात के बारे में गंभीर नहीं हैं; वे आंकड़े पिछली सरकार और मौजूदा सरकार के सभा में हुए अपराधों की घटनाओं की तुलना दिखाने के लिए दिए गए थे । जब माननीय सदस्य महोदय यह आरोप लगा रहे हैं कि स्थिति बिगड़ रही है तो मुझे उसका खंडन करने के लिए आंकड़ों का उद्धरण अवश्य देना चाहिए, किसी दूसरे तरीके से मैं उनको समझा नहीं सकता । परंतु जैसा कि मैंने कहा, उसका यह मतलब नहीं है कि हम इस बारे में गंभीर नहीं हैं । परंतु इसके साथ ही हमें यह समझना चाहिए कि इस सदन में दिन-रात पुलिस की आलोचना करने और उनके खिलाफ आरोप लगाने से हमें स्थिति सुधारने में कोई सहायता मिलेगी । जहां प्रशंसायोग्य बात हो हमें कभी कभी पुलिस कर्मचारियों के कार्य की सराहना भी करनी चाहिए ।

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

जो उपाय हमने किए हैं मैं उनके बारे में पहले ही बता चुका हूं और मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव दिए हैं और मैंने उनको नोट कर लिया है।

श्री रामविलास पासवान : थानों की नीलामी जो होती है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जैसा कि मैंने कहा मैंने आपके सुझावों को नोट कर लिया है। परन्तु जैसा कि मैंने कहा, हर समय पुलिस की आलोचना करना अच्छी बात नहीं है, हमें कभी कभी उनकी सेवाओं की सराहना भी करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु यहां स्वस्थ आलोचना हमेशा की जा सकती है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जी, महोदय।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) **:** उपाध्यक्ष जी, मैं प्रारंभ में ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि लक्ष्मण रेखा नहीं खींची जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, यह सरकार के लिए लज्जा की बात है कि खारीबावली में ऐसी शर्मनाक और गंभीर घटना केंद्रीय सरकार की नाक के नीचे घट जाए। उपाध्यक्ष जी, जब यह सरकार बनी थी तो इन्होंने दावा किया था और अभी भी दावा कर रहे हैं कि दिल्ली की कानून और व्यवस्था में परिवर्तन आयेगा। इस के लिए जो भी इनके मन में आ रहा है वे आंकडे पेश किये जा रहे हैं। यह कहा गया था कि जो वर्तमान पुलिस कमिश्नर हैं वे जब आयेंगे तब दिल्ली स्वर्ग की सीढ़ी पर पहुंच जाएगी। **(व्यवधान)** अगर स्वर्ग की सीढ़ी पर नहीं कहा था तो इतना तो जरूर कहा था कि दिल्ली में आमूल परिवर्तन अवश्य आयेगा।

उपाध्यक्ष जी, रोज सवेरे अखबार पढ़िये तो सब से पहले हमारी आंखों को इस तरह की घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं। कहीं महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कहीं बल मनी हो रही है, कहीं हत्याएं हो रही हैं, कहीं चोरियां हो रही हैं। तरह तरह के समाज विरोधी काम होते रहने का समाचार पढ़ने को मिलते हैं। ऐसी हालत हम रोज पाते हैं। क्या यही है इस सरकार को और वर्तमान पुलिस कमिशनर की कामयाबी ? मैं तो इसे कामयाबी नहीं मानता बल्कि असफलता मानता हूं और यही वजह है कि निश्चित रूप से यहां के पुलिस कमिशनर को हट जाना चाहिए। ऐसे पुलिस कमिश्नर से ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम हल नहीं होगी। हो सकता है कि आपको राजनीतिक मतलब सिद्ध होता हो जिसके लिए उनको लाया गया है।

इस बयान में कहा गया कि खारीबावली में आदमी जो आठ विचारे कर्मचारी थे उनके हाथ पांव बांध दिये गये उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी फिर भी ये कहते हैं कि कोई हिंसक घटना नहीं हुई। गांधी जी का क्या कहना था ? उनका कहना था कि कोई कटु बात भी बोले तो वह भी हिंसा है। यहां तो हाथ पांव बांध दिए गए थे, आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। तब आप इसको हिंसक घटना क्यों नहीं मानते हैं ? मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इस घटना को बहुत कम करके आंक रहे हैं। आपने सुन ही लिया है कि दस हजार से कई गुना ज्यादा की डकैती पड़ी है और रोज डकैतियां बढ़ती जा रही हैं। अगर आप समझते हैं कि कम हो रही है तो मेरी एक बात का जवाब आप जरूर दें। आप कहते हैं कि कम हो रही हैं और हम कहते हैं बढ़ रही है। ऐसी अवस्था में क्या सरकार दिल्ली में जो अमन कानून की स्थिति है उसको ले कर इन बातों की जांच करने के लिए पार्लिमेंट के सभी दलों की कोई कमेटी बिठाएगी ? वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। अगर आपकी बात गलत मालूम हुई तो हम लोगों की बात साबित हो जाएगी और हमारी बात गलत हुई तो आपकी बात साबित हो जाएगी। अगर आप ईमानदार हैं और चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं रुकें तो ऐसा करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यह सब से बड़ा मेरा सवाल है। अगर आप इससे इंकार करते हैं तो मैं समझूंगा कि आप अमन कानून की व्यवस्था लागू करना नहीं चाहते हैं।

क्या दिल्ली के प्रमुख केन्द्रों में जिन में व्यापारिक केन्द्र और गैर-व्यापारिक केन्द्र भी शामिल हैं, सरकार पुलिस दस्तों की विशेष व्यवस्था करेगी.....

एक माननीय सदस्य : कर रही है।

श्री रामावतार शास्त्री : नहीं कर रही है। अगर करती तो खारी बावली जैसे प्रमुख केन्द्र में इस तरह की घटना न घटती। सरकार पुलिस भेजती है और विदड्रा कर लेती है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आपका गुप्तचर विभाग क्या कर रहा है ? आपको इस घटना की बहुत देर से खबर मिली। आपने इस में लिखा है कि दो बज कर चालीस मिनट

पर पुलिस को खबर मिली । घटना हुई बारह बज कर चालीस मिनट पर। एक घंटा पच्चीस मिनट तक लुटेरे लूटते रहे। खारीबा वली शहर का एक प्रमुख केन्द्र है। पुलिस के अलावा गुप्तचर विभाग के लोग भी वहां घूमते रहते होंगे । वे क्या कर रहे थे, तथा मक्खी मार रहे थे या पुलिस कमिशनर के घर में जा कर उनकी सेवा कर रहे थे ? इसका जवाब भी आपको देना चाहिए ।

एक और बुनियादी सवाल मैं उठाना चाहता हूं। डकैतों को सरकार पकड़ नहीं सकती, बलात्कारियों को सरकार पकड़ नहीं सकती लेकिन मेरे जैसे आदमी के खिलाफ अगर वारेंट निकल जाए तो मिनटों में उसको पकड़ कर ले जाएगी, अगर मजदूर हड़ताल करेंगे, किसान अपनी लड़ाई लड़ेंगे, नागरिक अपनी मांगों के लिए लड़ेंगे तो पुलिस उन पर डंडे बरसाएगी, उनको जेलखानों में डाल देगी, बागपत जैसे कांड करेगी, गोली चलाएगी। वह ऐसा कर सकती है लेकिन बलात्कारियों को या डकैतों को जो शहर के मुख्य केन्द्र में डेढ़ घंटे तक डकैती डालते रहे हैं उनको वह न पकड़ सके, यह पुलिस के लिए लज्जा की बात है और आपकी सरकार के लिए तो और भी ज्यादा लज्जा की बात है। इसलिए पुलिस का जो दायित्व होना चाहिये या है, क्या उस दायित्व को पूरा करने के लिए वर्तमान पुलिस व्यवस्था में आप कोई आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं या नहीं ? खारीबावली में जिनका सामान लूटा गया, क्या उन लोगों की मदद करने का कोई इरादा आपका है या नहीं ?

समाज विरोधी तत्वों की मदद दूसरे लोग करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं में शासक दल के लोग भी समाज-विरोधी तत्वों की पैरवी करते हैं। इस पर कम्पलीट पाबन्दी आप लगाना चाहते हैं या नहीं ?

टेलीफोन व्यवस्था—"पुलिस मुख्यालय में टेलीफोन निष्क्रिय पाए गए।"

अगर पुलिस हैडक्वार्टर में फोन ठीक नहीं रहेगा, मेरे घर में डकैती होती है तो हम कैसे उसकी खबर दे सकते हैं ?

श्री भागवत झा० आजाद : टेलीफोन पुलिस के कार्यभार के अंतर्गत नहीं हैं।

"गत शाम से इन्द्रप्रस्थ एस्टेट स्थित पुलिस मुख्यालय के अधिकांश टेलीफोन निष्क्रिय रहे हैं, जिससे वरिष्ठ अधिकारी हतोत्साहित हुए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण टेलीफोन के सम्बन्ध में नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरा कहना यह है कि वह व्यवस्था ठीक रहनी चाहिये।

क्या आप कम्युनिकेशन्ज मिनिस्ट्री से बात करके तमाम पुलिस थानों के टलीफोनों को इन-आर्डर रखने के लिये कोई प्रयास करेंगे या नहीं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : अपने वक्तव्य में मैंने कहा था कि यह खेद की बात है कि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। हम इन घटनाओं को प्रोत्साहित नहीं करते किन्तु साथ ही बिना आंकड़ों के मैं इसे सिद्ध नहीं कर सकता । उन्होंने सुझाव दिया है कि उपचारात्मक उपाय किये जाने चाहिए। दिल्ली पुलिस में नियंत्रण कक्ष का आधुनिकीकरण करने तथा संचार प्रणाली में सुधार करने के लिए 50 लाख रुपये की लागत पर एक योजना स्वीकृत की गई है । पुलिस स्टेशनों तथा पुलिस कर्मचारियों के लिए इमारत बनाने के लिए 45 लाख रुपये का व्यय स्वीकृत किया गया है। दिल्ली पुलिस का अंगुली निशान ब्यूरो 70,000 रुपये की लागत पर स्वीकृत किया गया है। एक पोस्ट ए० जी० पी०, गांधीनगर की स्वीकृत की गई है और दिल्ली पुलिस के लिपिक कर्मचारियों के लिए निरीक्षकों, मुख्य उप-निरीक्षों के तीन पद और उप-निरीक्षकों के 12 तथा सहायक उप-निरीक्षकों के 12 पद स्वीकृत किये गये हैं।

जिन निवारात्मक कदमों के अतिरिक्त जिनका मैंने पहले उल्लेख किया है, हमने कई कदम उठाये हैं । हम इसके बारे में बहुत ध्यान दे रहे हैं और स्थिति में सुधार के लिए कई बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना मध्याह्न पश्चात् 12-40 बजे हुई और पुलिस ने मध्याह्न पश्चात् 2 बजे उस पर कार्यवाही की । यह दिन में हुई । उधर से बहुत से लोग गुजरे होंगे । केवल यह बात नहीं है कि पुलिस सादे कपड़ों में वहां जाती है, जनता का कोई भी आदमी पुलिस को सूचित कर सकता था किन्तु पुलिस को सूचित किया गया क्योंकि स्थल पर कोई व्यक्ति नहीं था। अतः इसमें समय लगा क्योंकि दूकान में सभी लोगों को रस्सी से बांधा गया था वे बाहर कैसे जाते ?

मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, असल में डकैतियां और कत्ल वगैरह जुर्म घटे हैं या बढ़े हैं और किसकी सरकार में बढ़े हैं और किस की सरकार में घटे हैं, यह सवाल नहीं है। वैसे इस विषय पर बहस की जा सकती है। देश में चार बड़े कत्ल हुए हैं : महात्मा गांधी, संसार के सब से बड़े आदमी, एल० एन० मिश्र, सरकार के सब से बड़े मंत्री, दीनदयाल उपाध्याय, राजनैतिक नेता और बाबा गुरबचन सिंह, धार्मिक आदमी, और ये चारों ही कांग्रेस के राज

[श्री मनीराम बांगड़ी]

में कत्ल किये गये हैं। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, वह दिल्ली में शहीद किये गये। उस वक्त पंडित नेहरू थे, जनता जाग्रत थी और मौके पर ही मुलजिम पकड़ लिये गये। लेकिन बाकी के तीनों कत्लों में असली मुलज़िम पकड़ गये या नहीं, इस बारे में देश की जनता में संशय बना हुआ है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ आंकड़े दे कर यह साबित करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि डकैतियां कम हो गई हैं। हमें इन घटनाओं के कारण तलाश करने चाहिए। मैं वहां मौके पर गया था। वहां इतनी ज्यादा गुंजान आबादी है कि कंधे से कंधा टकराता है। मैं पुलिस की निन्दा नहीं करना चाहता हूं। देश में यह जो रोग है, उसका इलाज करने के बारे में ठीक तरह से सोचना पड़ेगा। मैं जनता सरकार या कांग्रेस सरकार का मुकाबला भी नहीं करना चाहता हूं।

पुलिस तो एक हथियार है, जिससे जुर्म खत्म किये जा सकते हैं। और पुलिस का मतलब है सिपाही। आज उन लोगों की तन्ख्वाह, वर्दी और रहने के मकान वग़ैरह की क्या हालत है? जहां तक लाहौरी गेट थाने का सम्बन्ध है, वहां पर 83 लोग हैं, जिनके लिए वहां पर खड़े होने की भी जगह नहीं है। चौबीस घंटे उनकी ड्यूटी रहती है। उनके बच्चे उनके पास नहीं हैं, वे अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते हैं। राजा हरिश्चन्द्र से ले कर आज तक जो शासन पैसे, गुंडे और पुलिस के इशारे पर चला, वह जनता की सेवा नहीं कर सका। हमारा तरीका बन गया है कि हुक्म से डरो ज्यादा, जुर्म से डरो कम। इस हालत में जुर्म कैसे मिटेंगे?

मैं भिंडर साहब की निन्दा नहीं करता हूं। जो लोग पकड़े गये थे, मैं उनकी निन्दा नहीं करता हूं। वह बेचारे जेल में भी रहे हैं। जिस आदमी ने जेल काटी है, उससे मुझे नफ़रत नहीं हो सकती है। लेकिन अच्छा होता कि उस आदमी को कोई और अच्छी जगह दे दी जाती। जिस बड़े अफ़सर को जेल की सलाखों के पीछे रखा गया, जिसे थानेदार के सामने हथकड़ी लगाई गई, वह पुलिस से अमन-चैन की व्यवस्था नहीं करा सकता है। (**व्यवधान**)

श्री राम प्यारे पनिका (रावर्टसगंज) : यदि वह निर्दोष सिद्ध हो गया है, तो उसको सजा देने की बात क्यों करते हैं?

श्री मनीराम बागड़ी : मैं सजा देने की बात नहीं कहता हूं। मैं सजा के कतई खिलाफ़ हूं। जब आप लोग पिटते थे, तो मैं अपने लोगों से कहता था कि मत पीटो, कल तुम्हें भी पिटना पड़ेगा। आपको भी मैं कहता हूं कि मत पीटो, परसों आपको पिटना पड़ेगा। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : ये व्यवधान क्यों हो रहे हैं? इसका कारण यह है कि आप विषय से दूर चले जाते हैं। यदि श्री बागड़ी विषय तक ही सीमित रहें तो कोई व्यवधान नहीं होगा और केवल मंत्री उत्तर देंगे। वह स्वयं इसके व्यवधान के लिए जिम्मेदार हैं। श्री बागड़ी आप अब कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री मनीराम बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा कमज़ोर आदमी का साथ देता हूं, शक्तिशाली का नहीं। मैं खुद एक कमज़ोर आदमी हूं। जब हमारा शासन था, तब भी मैं कमज़ोर था। और इधर तो मेरी कोई ताकत ही नहीं है। माननीय सदस्यों को मेरे जैसे ग़रीब आदमी पर दया करनी चाहिए।... (**व्यवधान**)... आप के माध्यम से मैं ज्ञानी जी से अर्ज करूंगा कि देखिए, जहां अमन चैन व्यवस्था की बात होती है, एक यह फायदा होता है कि जिस बड़े आदमी को एक दफा बेइज्जत कर दिया जाय और वह सरकारी कर्मचारी हो, तो उस को उसी जगह पर न रखा जाय। आखिर यह कायदा होता है कि एक थाने के आदमी को एक दफा मुअत्तल कर दिया तो उस को दोबारा वहां नहीं रखते क्योंकि प्रेस्टिज नहीं रहती है। मैं भिन्दर साहब की निजी तौर पर बुराई करने के लिए तैयार नहीं हूं। आखिर वह इस समाज के एक अंग है। लेकिन इस तरीके को बदलना होगा और इस तरीको को भी बदलना होगा कि जो आज पचास या सौ मिल के रकबे के आदमियों को, दिल्ली के आस पास के लोगों को पुलिस फोर्स में नहीं भर्ती किया जा रहा है। इस का एक कारण था कि हम ने दिल्ली में पुलिस का एक आंदोलन चलाया था वर्दी के वास्ते, सहूलियत के वास्ते और आठ घंटे की ड्यटी के वास्ते कि आदमी आदमी है, कोई घोड़ा या गधा नहीं है।... (**व्यवधान**) ...

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर): आप नें यह बताया कि भिन्दर साहब चूंकि जेल में गए इसलिए उन को यहां पुलिस का अफसर कैसे रखेंगे? अगर यही प्रिंसिपल रखें तो फ्रीडम स्ट्रगल में जितने भी बड़े नेता थे वे भी जेल गए थे लेकिन वह प्रधान मंत्री बने। जैसे कि हमारी नेता इंदिरा गांधी जी को आप ने जेल में रखा। अगर आप का प्रिंसि-पल अप्लाई करें तो वह प्रधान मंत्री कैसे बन सकती हैं? यह कहां का प्रिंसिपल है?

श्री मनीराम बागड़ी : यह बात सही है इन की कि नेता तभी होता होते हैं जब जेल काटते हैं। समझ लें जरा बात को, नेता गांधी सब से बड़े नेता थे, सब से ज्यादा जेल काटी, खां अब्दुल गफ्फार खां सब से बड़े नेता हैं, जो जेल काटते

हैं। लेकिन सरकारी नौकर जेल काटने वाला उसी थाने में रखा जायगा तो काम नहीं चलेगा। लेकिन मेरी कोई उन से नाराजगी नहीं है। मैं भिन्दर साहब को बुरा नहीं कहता हूं। मैं ने एक उसूल की बात कही है कि जो आदमी जहां पर होता है, सरकारी कर्मचारी अगर वह है और बाद में फिर वही रखा जाता है तो उसकी प्रेस्टिज नहीं रहती है वहां पर जहां पर कि उस को बेइज्जत किया जाय। चाहे मैंने ही किया है, चाहे मैंने ही उनको मुअत्तल करवाया, मैंने ही उन को जेल भिजवाया, चाहे दोष मेरा ही क्यों न हो, लेकिन जिस आदमी को इतने बड़े पैमाने पर ला ऐंड आर्डर को कायम रखना हो उस को चाहे दूसरी इस से अच्छी जगह पर भेजिए, मैं नहीं कहता कि बुरी जगह पर भेजिए, लेकिन ऐसी जगह भेजिए जहां वह ठीक तरह से काम कर सकें।

अब मैं सवाल करूंगा ज्ञानी जी से। दिल्ली तमाम दुनिया की आंख है, सब लोग यहां पर आते हैं। यह कनाट प्लेस है, यहां पर लड़कियां अकेली जाया करती थीं, औरतें फिरती थीं लेकिन आज कोई आदमी मेरे खयाल में बड़े से बड़ा अफसर और बड़े से बड़ा आदमी जो है उस को यह पता लग जाय कि उस की अपनी लड़की वहां बाजार गई है तो पीछे पीछे जायेगा कि कहीं कोई न कोई वारदात उस के साथ न हो जाय। मैं एक दो खुशी की बात भी कहता हूं कि वहां जिन आदमियों को लूटा गया है उन में एक महिला भी थी। मैं सच्ची बात कहने से गुरेज नहीं करूंगा। वह डकैत भी शायद उन सरकारी नौकरों से ज्यादा शरीफ थे, उन्होंने उस लड़की की घड़ी नहीं छीनी, उस की जंजीर नहीं छीनी, उस को कुछ कहा नहीं। शायद इस सरकार के अफसर और नौकर अगर इस तरीके के होते तो वहां बलात्कार न होता। मौके पर जाते जांच कर के आते। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उस मशीन को जिस मशीन के द्वारा अमन चैन व्यवस्था वह रखना चाहती है उस को ठीक करेगी और जो दिल्ली के आस पास के सौ मील के रकबे के लोग इस इलाके से वाकिफ हैं, जिनकी पुलिस में भर्ती बंद है, उन पर से पाबन्दी हटाएगी? उन लोगों को पुलिस में भर्ती करेगी? ये थाने आप के चिड़ियाघर बने हुए हैं, आप की एक एक बैरक में पचास पचास आदमी रहते हैं। तीन तीन साल तक सिपाही, हवलदार और सब-इंसपेक्टर अपने परिवार के बच्चों का मुंह नहीं देख सकते।... (व्यवधान)... मैं ज्ञानी जी से चाहूंगा किसी सरकारी कर्मचारी को अपने हित के लिए निशाने पर आप मत लगाओ, मैं इस बात को अच्छा नहीं समझता हूं। इस सदन का कोई सदस्य किसी सरकारी कर्मचारी का भाई, पति या पत्नी है तो यह कोई दोष नहीं है लेकिन भिन्दर साहब को आप कहीं अच्छी जगह पर लगाइये और यहां पर किसी अच्छे आदमी को रखिए। मैं यह नहीं कहता कि भिन्दर साहब में कोई दोष है, दोष तो हालात ने पैदा किए हैं। इस घटना की जांच के लिए एक भी ड्यूटी पर नहीं था, डाका पड़ने के बाद मैं खुद गया हूं लेकिन वहां पर कोई पुलिस नहीं थी। जब सिर्फ 83 आदमी होंगे तो आप उनको कहां कहां लगायेंगे? इसलिये आंकड़ों के दलदल में न फंसकर आप इस पुलिस संगठन को सुधारने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा हुआ कि गन्दी बस्तियों के बारे में भी अब चर्चा चल पड़ी है वरना उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। मैं चाहूंगा कि ज्ञानी जी जवाब दें और इसपर सोचें। सोचना यही है कि उनकी तनख्वाहों में बढ़ोत्तरी की जाए और सौ मील के रकबे के अन्दर के लोगों की भर्ती की जाए तथा पुलिस वालों के खिलाफ एजिटेशन के दिनों के मोअत्तली और बरखास्तगी के जो हुक्म हैं उनको वापिस लिया जाए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि जब वह यह कहते हैं कि पुलिस को कुछ और सुविधाएं दी जानी चाहिए...

श्री मनीराम बागड़ी : आज ज्ञानी जी यारी तुड़ा गए। दिल्ली के बारे में मकवाना जी को क्या पता है, ज्ञानी जी, आप उठिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि गृह मंत्री केवल आपके लिए खड़े हो और उत्तर दें तो अन्य सदस्यों को जिन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव उठाया है, गलती लग जायेगी। यही कारण है कि मंत्री महोदय खड़े नहीं हो रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : यह क्या बात हुई? ज्ञानीजी ने सारा किस्सा सुना है इसलिए ज्ञानीजी को जवाब देना चाहिए। दिल्ली में इतनी बड़ी घटना घटी है और घर मंत्री सदन में हैं, अगर वे जवाब नहीं देते हैं तो अपनी तरफ से कोताही करेंगे। उठिये ज्ञानी जी।

गृह मन्त्री (श्री जैल सिंह) : सभापति जी, इस कालिंग अटेन्शन मोशन को हमारे राज्य मंत्री जी डील कर रहे थे, वही सुन रहे थे और नोट कर रहे थे, मैं भी इत्तफाक से यहां पर मौजूद हूं। मुझे बोलने में कोई दिक्कत भी नहीं है, हम अपने मुंह में ज़बान भी रखते हैं और बागड़ी साहब की बातों को सुनकर अच्छा लुत्फ भी आता है लेकिन बागड़ी साहब कभी कभी बोलने से पहले सोचते हैं और जब बोलते हैं तब सोचते नहीं हैं। वे कुछ बातें ऐसी कहते हैं जो बिल्कुल रेलिवेन्ट नहीं हैं। रेप्लाई तो मकवाना साहब ही करेंगे। चूंकि मैं बागड़ी साहब का बहुत अदब करता हूं, वे हमारे दोस्त हैं, बेशक

[श्री जैल सिह]

हमको बुरा भला कहें, मैं तो बुरा भला नहीं कहूंगा। हमारे ग्रानरेबल मेम्बर ने कहा था कि कडवा शब्द कहना भी हिंसा है इसलिए हम तो कड़ुवा शब्द कहते नहीं। मगर डिप्टी स्पीकर साहब, ग्रगर ग्रानरेबल मेम्बर यह फैसला करना शुरू कर दें कि फलां ग्रफसर की बदली कर दो फलां ग्राफिसर को वहां रख दो, तो फिर सरकार की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। इसलिए वह बिल्कुल ग्रपने ग्रख्तियारों ग्रौर ख्यालो से ग्रागे बढ़ गए हैं, ग्रब मैं उनको क्या जवाब दूं ? मेरा इतना ही जवाब है कि बागड़ी साहब, मैंने ग्रापकी बातें सुनीं, ग्राप बड़ा ग्रच्छा बोलते हैं। कुछ बातें हैं, जिन पर हम गौर करेंगे ग्रौर कुछ बातें हैं जो इररिलेवेंट हैं।

समिति के लिए निर्वाचन

तम्बाकू बोर्ड

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 3 ग्रौर 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड ग्रधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा 4(ख) के ग्रनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा ग्रध्यक्ष निदेश दें, उक्त ग्रधिनियम ग्रौर उसके ग्रंतर्गत बनाये गये नियमो के ग्रन्य उपबंधो के ग्रध्यधीन, श्री पी० वेंकट रेड्डी के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, तम्बाकू वोर्ड के सदस्य के रुप में कार्य करने के लिए ग्रपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 3 ग्रौर 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड ग्रधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा 4(ख) के ग्रनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा ग्रध्यक्ष निदेश दें, उक्त ग्रधिनियम ग्रौर उसके ग्रन्तर्गत बनाये गये नियमों के ग्रन्य उपबंधों के ग्रध्यधीन श्री पी० वेंकट रेड्डी के स्थान पर, जिन्होने त्यागपत्र दे दिया है, तम्बाकू बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए ग्रपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 377 के अधिन मामले

(एक) देश भर में इस्पात, कोयला, रूई आदि के मूल्य बराबर रखना

श्री नीरेन घोष (दमदम) : बहुत पहले स्वर्गीय श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने सारे भारत में इस्पात की कीमतों को समान किया था। कोयले की कीमतें भी रेल भाड़े की इस प्रकार व्यवस्था कर कि भाड़ा धीरे धीरे लम्बी दूरी में कम हो, समान की गई थी। विश्व में कहीं भी इस्पात के मूल्य में इस प्रकार की समानता तथा कोयले की कीमतों में लगभग समानता कहीं नही है। यहां तक कि महाद्वीप के ग्राकार के संयुक्त राज्य ग्रमेरिका, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ ग्रौर चीन जैसे देशों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। साथ ही वर्षों पहले संसद में ही हम में से कुछ लोगों की बार-बार मांग पर स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्र ने संघ सरकार की ग्रोर से वायदा किया था कि समस्त भारत में रुई की कीमतें समान की जायेंगी ग्रौर संघ सरकार इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है किन्तु तब से कुछ भी नहीं सुना गया। इस्पात के मूल्यों को समान बनाया गया तथा कोयले की कीमतों को लगभग समान इस ग्राधार पर बनाया गया कि सभी राज्यों को ग्रौद्योगिक विकास के मामले में समान ग्रवसर मिलेंगे। किन्तु ऐसा कुछ नहीं हुग्रा। उड़ीसा, बिहार, ग्रांध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ग्रादि जैसे पिछड़े राज्य ग्रौर पूर्वोत्तर क्षेत्र ग्रत्यधिक पिछड़े रहे हैं। किन्तु दूसरी ग्रोर जिन राज्यों को इस्पात ग्रौर कोयले का लाभ प्राप्त है वे उस लाभ को खो चुके हैं ग्रौर उनकी उपेक्षा हो रही है। छोटे ग्रौर मझौले उद्योगपति भी बारबार रुई की कीमतों को समान बनाने की मांग कर रहे हैं। इस व्यवस्था से ग्रनगिनत बुनकरों को लाभ होगा। हाल की घटनाग्रों से सरकार को सचेत हो जाना चाहिए। मेरी मांग है कि सभी मूल ग्रौद्योगिक कच्चे माल, जिसमें रुई के सम्बन्ध में पहला उपाय होगा, की कीमतें तत्काल समान की जायें जिससे भारत के सभी राज्यों को वास्तव में समान ग्रवसर प्रदान किये जायें ग्रौर एक वैध जन ग्रसंतोष को दूर किया जाये।

(दो) चीनी और खाने के तेलों के मूल्य में वृद्धि

श्री चिन्तामणि जना (बालासोर) : गत दो दिनों में खाद्य तेल और चीनी जैसी महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं जिससे उपभोक्ताओं को, विशेषरूप से गरीब, कम आय वाले तथा मध्यम आय के उपभोक्ताओं को बड़ी चिन्ता है। लगभग समस्त देश में मानसून के समय पर आने से मूल्य वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस अत्यधिक मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति को दिवालियों से पहले रोका नहीं जा सकता है। चीनी का थोक मूल्य इस सप्ताह 735 रुपये तक बढ़ गया है और गत एक महीने के अन्दर इसमें 150 रुपये की वृद्धि हुई है। सरसों, मूंगफली और नारियल के तेल जैसे खाद्य तेलों का भी यही मामला है जिनके मूल्य में केवल एक महीने में कितनी अधिक वृद्धि हुई है।

इन आवश्यक वस्तुओं की अत्यधिक मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए संघ सरकार को आगे आना चाहिए।

(तीन) भारतीय खाद्य निगम द्वारा महाराष्ट्र को खाद्यान्नों की सप्लाई की जाना

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं:

महाराष्ट्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से गेहूं और चावल का स्टाक उचित मूल्य की दुकानों से उपभोक्ताओं को सप्लाई करने के लिए उठाती है। गत कई महीनों से महाराष्ट्र में भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्नों की स्टाक स्थिति संतोषजनक नहीं है और राज्य में उनके सभी डिपुओं में खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक नहीं है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने निकटतम डिपुओं से खाद्यान्नों की सप्लाई न कर सकने के कारण हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के लिए यह आवश्यक हुआ है कि वह अपने दूरस्थ डिपुओं से खाद्यान्न उठाये और यह सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक वितरण पद्धति द्वारा नियमित सप्लाई बनी रहे। राज्य सरकार को खाद्यान्नों को सड़क द्वारा भारी लागत पर पहुंचाना पड़ा। महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार से कहा है कि चूंकि भारतीय खाद्य निगम की अपने सामान्य डिपुओं से खाद्यान्नों की सप्लाई करने में असमर्थता के कारण राज्य सरकार को यह अतिरिक्त व्यय करना पड़ रहा है अतः भारतीय खाद्य निगम द्वारा इसकी पूरी वापसी की जानी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार से कहा है कि जब भारतीय खाद्य निगम रोलर फ्लोर मिल्स द्वारा भी सड़क परिवहन पर हुए खर्च की वापसी कर रहा है तो कोई कारण नहीं है कि क्यों राज्य सरकार को भी जो इसी प्रकार का खर्च कर रही है इसकी वापसी नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही भारतीय खाद्य निगम की अपने निकटतम डिपुओं से खाद्यान्नों को सप्लाई करने की असमर्थता को देखते हुए दूरस्थ डिपुओं से खाद्यान्नों को सड़क परिवहन पर लगभग 50 लाख रुपये खर्च किये हैं।

अतः माननीय कृषि मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह महाराष्ट्र सरकार को तत्काल 50 लाख रुपये की वापसी करे और यह सुनिश्चित करें कि उन्हें उनके नजदीक के डिपों से खाद्यान्न उपलब्ध किये जायें।

(चार) केरल में बाढ़ से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता

श्री के० कुन्हम्बु (कन्नानौर) : केरल विनाशकारी बाढ़ की चपेट में है। राज्य के अधिकांश सभी जिलों में जन-धन की बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। कन्नानौर, कालीकट, मलापुरम और पालघाट जिलों में लगभग दस हजार परिवार बेघर हो गये हैं। इसके अलावा खड़ी फसलों को भी व्यापक क्षति पहुंची है उत्तरी तथा दक्षिणी केरल में कई नदियों में बाढ़ आई हुई है और सभी निचले क्षेत्र जलमग्न हो गये हैं।

समुद्र के कटाव से स्थिति और भी बिगड़ गई है। केरल के विभिन्न भागों में सैंकड़ो एकड़ तटीय भूमि नष्ट हो गई है। नारियल के हजारों पेड़ उखड़ गये हैं और केरल के विभिन्न भागों में सैकड़ों झोपड़ियां, विशेष रूप से मछुवारों की झोपड़ियां नष्ट हो गई हैं।

यद्यपि राज्य सरकार ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालने के लिए तथा पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए शीघ्र उपाय किये हैं किन्तु समस्या इतनी गंभीर है कि राज्य सरकार अकेले इस स्थिति का पूरी तरह से सामना करने में असमर्थ है। उस क्षेत्र में हैजा और महामारी का प्रकोप है। राज्य की वित्तीय क्षमता सीमित है। अतः केन्द्रीय सरकार को आगे आना चाहिए और लोगों को राहत देने और बाद में उनका पुनर्वास करने के लिए राज्य सरकार को उदार वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

(पांच) पालघाट (केरल) में तलीकाकुल्लू के आदिवासियों को भुखमरी से बचाने के लिये तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट) : मैं केरल के पालघाट जिले में तेन्माला पहाड़ियों में तलीकाकूल्लू में रहने वाले आदिवासियों की मृत्यु सम्बन्धी दुःखद और हृदयविदारक समाचार की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[श्री वी० एस० विजयराघवन]

यह आदिवासी घने दुर्गम जंगल में रहते हैं। जब से केरल में वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई है उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। उनमें से 30 आदिवासी, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी हैं, छोटी छोटी झुग्गियों में रहते हैं। उन्होंनें वर्षों से चावल, कसावा, मछली आदि खाने की आदत डाल ली है किन्तु अब खाने के लिये उन्हें यह वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं। वर्षा के कारण उन्हें जंगली फल और पौधों की जड़ें भी खाने के लिये उपलब्ध नहीं हैं।

जब से वर्षा ऋतु आरम्भ हुई है यह आदिवासी लगभग भूखे मर रहे हैं। उनमें से कुछ आदिवासी बुखार के कारण मर गये हैं। कुछ सप्ताह पहले 20 वर्ष का एक व्यक्ति बुखार से मर गया। एक अन्य मामले में 4 वर्ष का एक बच्चा भूख से मर गया। इस प्रकार तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्हें न तो खाने को कुछ उपलब्ध था और न ही दवाईयां उपलब्ध थी।

दुर्भाग्य की बात यह है कि इन आदिवासियों के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई रिकार्ड नहीं है। उनके नाम जन-गणना सूची अथवा मतदान सूची में दर्ज नहीं किये गये है। इसके परिणामस्वरूप उन्हें सरकार से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उनका नाम तो आदिवासियों की भी सूची में उपलब्ध नहीं है। वह आदिवासियों की मलाया जाति से संबद्ध हैं।

चूंकि केन्द्र सरकार का भी आदिवासियों की रक्षा करने का दायित्व है, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तालीआकूल्लू में आदिवासियो की भुखमरी और मृत्यु से रक्षा करें।

(छः) सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : उड़ीसा राज्य में पिछले वर्ष शायद सबसे भयानक सूखा पड़ा था जिसके परिणामस्वरूप समूचे उड़ीसा राज्य के कृषकों को बहुत बड़ा धक्का लगा है। यही नहीं, किसानो ने जो अपने खेतों में बोया था सब नष्ट हो गया है और उन पर बहुत ऋण हैं। उन्होंने सहकारी समितियों से ऋण तथा सरकार से तक्कावी ऋण ले रखे हैं किन्तु सूखे की मार के कारण उनका सब खो गया है। उनकी अवस्था इतनी शोचनीय हो गई है कि उन्होंने अपने घर की वस्तुएं बेचनी आरम्भ कर दी हैं। उनपर बहुत ऋण हैं। जब तक वे ऋण नहीं वापस कर देते, तब तक उन्हें सहकारी समितियो अथवा सरकार से ऋण नहीं मिलेंगे और इस प्रकार की वित्तीय सहायता के अभाव में उनके पास कुछ नहीं रहेगा, वह भुखमरी और मृत्यु के शिकार हो जायेंगे।

उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में सूखा प्रबन्ध (1979-80) पर एक नोट प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किया था जब उन्होंने 3 मई, 1980 को उड़ीसा की यात्रा की थी। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि वह उन्हें 16.62 करोड़ रुपये की धनराशि दे ताकि किसानों ने जो सहकारी समितियों से ऋण ले रखा है वह तथा तक्कावी ऋण वापस किया जा सके ताकि वह किसान वर्तमान वर्षा ऋतु में एक बार पुनः कृषि सम्बन्धी गतिविधियों में पूरे मनोयोग से जुट जायें। केन्द्रीय सरकार ने स्थिति का गंभीरता को पूरी तरह समझते हुए स्थिति का स्थल पर जा कर अध्ययन करने तथा सूखा राहत के लिये आवश्यक सहायता की मात्रा निश्चित करने के लिये एक केन्द्रीय दल भेजा।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा केरल सरकार द्वारा सुझाव दिया गया है, केन्द्र सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये और भारतीय रिजर्व बैंक को यह निर्देश देना चाहिये कि वह उड़ीसा सरकार से उस ऋण की वापसी की मांग न करे जोकि किसानों ने सहकारी समितियों से ऋण के रूप में लिया था और इस समूची धनराशि को केन्द्र द्वारा राज्य को दी गई सहायता मान लिया जाये। ऐसी व्यवस्था करने की शीघ्र ही आवश्यकता है क्योंकि जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक किसानों को पुनः ऋण नहीं मिलेगा और इससे कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मुझे आशा है और विश्वास भी है कि केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में उदारता का प्रदर्शन करेगी। मैं माननीय प्रधान मंत्री तथा कृषि मन्त्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 1980-81 वर्ष के दौरान कृषि उपकरणों के क्रय और वितरण के लिये शीघ्र ही 5 करोड़ रुपये के लघु-कालीन ऋण की स्वीकृति दी है।

(सात) पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षक संघ की मिदनापुर जिला शाखा के महामंत्री को तंग करने वाले गुन्डों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि जब मैं यह वक्तव्य दे रहा हूं तो माननीय गृह राज्य मंत्री सदन में उपस्थित हैं। मुझे आशा है कि वह मेरे वक्तव्य के बाद अपना वक्तव्य देंगे।

अगस्त 1979 से मिदनापुर जिला शाखा के पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा संघ के महासचिव श्री अजीत कुमार खानरा तथा उसके परिवार के सदस्यों को कुछ शरारती तत्व कष्ट पहुंचाते तथा परेशान करते आ रहे हैं। यहां तक कि 28 मई,

1980 को स्कूल प्रांगन में स्कूल के समय में ही उनकी हत्या का प्रयास भी किया गया। शरारती तत्वों ने उन्हें इतना पीटा कि उन्हें चोटें आई। अखिल भारतीय पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षक संघ की मिदनापुर जिला शाखा के द्वारा जिला प्रशासन प्राधिकारियों को दिये गये अनेक अभ्यावेदनों के बावजूद भी अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके विपरीत श्री खनारा को अपने स्कूल तथा गांव से कई दिनों तक के लिये असम्बद्ध किया गया। मिदनापुर जिला स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष ने उनका वेतन और भत्ते कई दिन तक नहीं दिये जिसके कारण उन्हें बहुत वित्तीय कठिनाईयों का सामना करना पड़ा और उनके परिवार के सदस्यों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है।

यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। 16,000 प्राथमिक शिक्षकों, अभिभावकों तथा शिक्षा में रुचि रखने वाले व्यक्तियों ने एक संयुक्त याचिका पर हस्ताक्षर किये हैं और उसे केंद्रिय गृह मंत्री महोदय को भेजा है और अनुरोध किया है कि इस मामले की जांच की जाये और शरारती लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कदम उठाये जाये।

श्री भागवत झा आजाद : यह 'शरारती तत्व' कैसे हो सकते हैं? यह तो कोई राजनीतिक दल होगा।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : और इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न की गई तो वह प्राथमिक शिक्षकों की सुरक्षा के लिये एक जन आंदोलन कर सकते हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह एक वक्तव्य दें और सदन को सूचित करे कि इस सम्बन्ध में कौन-सी कार्यवाही प्रस्तावित है। उन्होंने ज्ञापन में इस बात का उल्लेख किया है कि यदि आपने 30 जुलाई तक उस पर कोई कार्यवाही न की तो वे पश्चिम बंगाल में जन आंदोलन आरम्भ करेंगे।

श्री योगेन्द्र मकवाना : हम इस मामले की जांच करेंगे।

अनुदानों की मांगें, 1980-81—जारी

ऊर्जा मन्त्रालय और कोयला विभाग (इस्पात, खान और कोयला मन्त्रालय)—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन ऊर्जा मंत्रालय और कोयला विभाग की अनुदानों की मांगों पर बहस और मतदान करेगा।

माननीय सदस्यों की सूचना के लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास केवल एक घंटा और 42 मिनट का समय शेष है। मन्त्री महोदय को अन्त में उत्तर देना होगा और वह लगभग 40 मिनट बोलेंगे। अतः चर्चा को एक घंटे में समाप्त किया जाना चाहिये।

अब श्री मोतीलाल सिंह अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री मोतीलाल सिंह (सीधी) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल बोल रहा था कि मध्यप्रदेश में जो सिंगरौली कोलियरी है उसका हेड क्वार्टर रांची में है। उसको रांची से हटा कर सिंगरौली में कर दिया जाए। इस से इस क्षेत्र का विकास अच्छे ढंग से हो सकता है। उस क्षेत्र से मजदूरों को वहां रांची जाना पड़ता है। इस से उन्हें वहां नहीं जाना पड़ेगा।

इस के साथ ही साथ सिंगरौली में कोयले का विशाल भंडार है। अनुमान के अनुसार 9 सौ करोड़ टन से भी अधिक वहां कोयले का भंडार है। यह दो सौ वर्ग किलोमीटर खनिज क्षेत्र में है। इसके लिए एक मास्टर प्लान योजना है जिसकी क्रियान्विति अत्यंत आवश्यक है।

इसके साथ-साथ मध्यप्रदेश में चचाई में जो थर्मल प्लांट है जो कि कोयले से चलाया जाता है। उस प्लांट को जो कोयला भेजा जाता है उसमें पत्थर की मात्रा बहुत पायी जाती है। कोलियरी से जो कोयला थरमल प्लांट को जाता है उसमें पत्थर मिला कर वहां भेजा जाता है। सुनने में आया है कि तीन वेगन पत्थर के पकड़े गये। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस विषय में कार्यवाही करें।

मैं यह भी चाहता हूं कि शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों को जिन को नौकरी के लिए इन कोलियरीज में बुलाया जाता है उनको आप को कम से कम दो बार तो जरूर ही बुलाना चाहिये अर्थात उन्हें इंटरव्यू का दो बार मौका मिलना चाहिये। आप एक ही मौका देते हैं। अगर उस मौके पर कोई उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसको दुबारा मौका नहीं मिलना है और वह नौकरी से वंचित रह जाता है। इसलिए मेरी आप से प्रार्थना है कि उनको आपको कम से कम दो अवसर अवश्य देने चाहिये।

[श्री मोतीलाल सिंह]

जनता पार्टी के शासन काल में टाइम रेटिड भरती खदानों में बंद कर दी गई थी एवं केवल पीस रेटिड के बदली लोडरों की ही भरती होती थी। मैं चाहता हूं कि इस में परिवर्तन हो। मैं चाहता हूं कि टाइम रेटिड भरती को पुन: चालू किया जाए। यह बहुत जरूरी है।

जो मजदूर हैं उनको और भी ज्यादा सुविधाएं देने का आपको प्रबंध करना चाहिये। अस्पताल की सुविधायें उनके लिए बढ़ाई जानी चहिये। उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल की सुविधायें मिलनी चाहियें जो उनको आज नहीं मिल पाती हैं। उन बच्चों के लिए और ज्यादा स्कूल खोले जाने चाहिये और बसों का भी उनके लिए प्रबंध किया जाना चाहिये। आज उनको समुचित ढंग से शिक्षा नहीं मिल पाती है।

मैं यह भी चाहता हूं कि मजदूरों के मकानों में बिजली की भी व्यवस्था आपको करनी चाहिये।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मन्त्री महोदय ने अपना दायित्व सम्भालने के पश्चात्, इस देश में कोयला सप्लाई की स्थिति में सुधार करने का पूरा प्रयास किया है और उनके द्वारा किये गये इस अच्छे कार्य के लिये मैं उनको बधाई देता हूं। दुर्भाग्य की बात यह है कि यद्यपि वह एक पक्के इरादे के व्यक्ति हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, किन्तु विपक्षी दल, विशेषकर भारतीय मार्क्सवादी दल तथा भारतीय साम्यवादी दल उन की रोज आलोचना करते रहते हैं। किन्तु वह एक सुदृढ़ व्यक्ति हैं और वह इन बातों से विचलित नहीं होते हैं और वह अपना कर्त्तव्य करते जा रहे हैं।

मैं देश में बिजली केन्द्र स्थापित करने के बारे में तीन अथवा चार सुझाव देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि हमें इस सम्बन्ध में राज्यों की सीमाओं को मान्यता नहीं देनी चाहिये, सब से पहले हमे क्षेत्रीय ग्रिड स्थापित करने चाहिये और उसके पश्चात् एक राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित करना चाहिये ताकि देश के सभी भागों में बिजली की पूर्ति समान रूप से हो सके।

हमारे अपने ही राज्य में पिछले कई वर्षों से श्रीसेलम परियोजना निर्माणाधीन है किन्तु अभी तक इसे पूरा नहीं किया जा सका। यह एक ऐसी शक्ति है कि जब जल को श्रीसेलम टैंक में डाला जाता है तो उसका पुन: प्रयोग किया जा सकता है। अत: मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस बिजली केन्द्र को शीघ्र ही पूरा करें। यदि आवश्यकता हो तो केन्द्र इसको अपने नियंत्रण में ले लें और वह इसकी बिजली को, जहाँ उचित समझे उस राज्य में प्रयोग कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, नागार्जुन परियोजना और भद्राचलम जल विद्युत केन्द्र भद्राचलम गोदावरी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इस स्थान से जल और कोयले का कार द्वारा भी परिवहन किया जा सकता है। इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस परियोजना के निर्माण को शीघ्र ही आरम्भ करें।

अब, रामागुण्डम में एक कोयले का मुहाना है और तापीय स्टेशन है इसका विस्तार करके इसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिये। इन दिनों में कोयले की ढुलाई बहुत कठिन हो गई है और इसलिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह कुछ वैकल्पिक प्रबन्ध करें। 50 प्रतिशत कोयला तथा 50 प्रतिशत जल को मिश्रित करके उसका किसी भी स्थान के लिये पाईपों के माध्यम से परिवहन किया जा सकता है और इसके लिये सभी सम्बद्ध राज्यों को परस्पर सहयोग करना चाहिये।

इस समय उल्टे बांस बरेली वाली बात हो रही है क्योंकि तापीय स्टेशन स्थापित करने के लिये कोयले को दूर दराज के स्थानों तक ढोया जा रहा है और जहां पर कोयला उपलब्ध है वहीं पर तापीय स्टेशन की स्थापना नहीं की जा रही है। यह सभी सुविधाएं आंध्र प्रदेश में उपलब्ध हैं। मैं यह बात इसलिये नहीं कह रहा हूं कि मैं आंध्र प्रदेश का हूं। किन्तु यहां पर विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है और इसे सभी राज्यों को समान रूप से वितरित की जा सकती है।]

उपाध्यक्ष महोदय : कोयले पर समूचे देश का अधिकार है।

बिजली बोर्डों में बहुत व्यक्ति भर दिये गये हैं। मंत्री महोदय को सुनिश्चित करना चाहियें कि उनका आधार सही किया जाये। उनमें केवल सक्षम और न्यूनतम लोग ही रखे जायें।

ग्रामीण विद्युत निगम भी सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। कुछ योजनाओं का समूह आंध्र प्रदेश के लिये स्वीकृत किया गया था और आंध्र प्रदेश ने धनराशि का समुचित प्रयोग किया है और हमने सभी गांवों में बिजली उपलब्ध की है। वे सभी लाभकारी बन गये हैं और सरकार को धनराशि वापस मिल रही है। मेरा अनुरोध है कि ऐसे राज्यों को जो दी

गई धनराशि का उचित प्रयोग करते हैं बहुत प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ताकि लोगों को लाभ पहुंचे और राष्ट्रीय कोष में भी धन वापस आये।]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जातिया, आप केवल सात मिनट का समय लेंगे।

14.02 बजे

[श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए]

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से ऊर्जा का विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। बिना ऊर्जा के जिस प्रकार मनुष्य जीवन नहीं चल सकता, इस सारे देश को अगर आगे बढ़ाना है, औद्योगिक क्षेत्र के विकास में प्रगति करनी है तो हमें ऊर्जा स्रोत के बारे में विचार करना होगा।

देश में जो ऊर्जा के स्रोत उपलब्ध हैं, उनमें प्रमुखतया जल का स्रोत, कोयले से ऊर्जा के स्रोत हैं। बाकी अन्य स्रोत दूसरे अनुसंधान के अंतर्गत हैं।

कोयले का हमारे देश में सीमित भंडार है, उसके भरोसे हम असीमित समय तक उससे बिजली उत्पादन नहीं कर सकते। मैं चाहूंगा कि जल विद्युत उत्पादन के बारे में ज्यादा प्रयत्न करने चाहियें, क्योंकि हर साल वर्षा होती है। जिस साल वर्षा न हो, उस समय कोयले के स्रोत का उपयोग किया जाना चाहिये।

हमारे मध्यप्रदेश में नर्बदा नदी बहती है, नर्बदा-ट्रिब्यूनल का फैसला मंजूर कर लिया गया है और उसके आधार पर नर्बदा प्रोजैक्ट को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिये। नर्बदा सागर योजना के कार्यान्वियन से मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात लाभान्वित होंगे और इससे आगे आने वाले सालों में जो बिजली की कमी होगी, उसको पूरा किया जा सकेगा। नर्बदा सागर प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कारगर किया जाये, इसकी मैं आशा करता हूं।

जहां तक बिजली उत्पादन का मामला है, हमारे पास परमाणु ऊर्जा के अपने कोई स्रोत नहीं है। परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करने के लिये जो तत्व लगता है—यूरेनियम, उसके लिये हम विदेशों पर निर्भर करते है जिसके कारण अपने उत्पादन केंद्र में हम निश्चित क्षमता का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि सारे देश की ग्रिड बनाई जाये, जो विद्युत वितरण प्रणाली है, उस पर नियंत्रण किया जाये। इस प्रणाली को कार्यरूप में परिणत करने के लिये कोशिश की जानी चाहिए।

बिजली कर्मचारियों के लिए समान रूप से सभी प्रदेशों में उनके वेतन-मान और जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए कार्य किया जाना चाहिये। आज अलग-अलग प्रदेशों में उनके वेतन-मान अलग अलग हैं। मुझे आश्चर्य है कोयले में काम करने वाले कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 512 रुपये है, जब कि बिजली के कर्मचारी को विभिन्न प्रदेशों में उससे कम वेतन मिलता है। मध्यप्रदेश में तृतीय वेतन मंडल नियुक्त किया गया, पिछले वेतन मंडल में न्यूनतम वेतन कम दिया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि उसको भी कम-से कम 512 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जायेगा।

बिजली कर्मचारी जिन मुश्किलों में काम करता है, वह हमें पता है। वह विद्युत लाइनों पर दिन रात काम करता है, उन पर चढ़ता है, उसका जीवन कभी भी खतरे पड़ सकता है। उसके इस खतरे में पड़ने वाले जीवन के लिये उसको उसके जीवन की सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिये और कर्मचारियों के प्रति भी हमें उनको अधिक बेहतर काम करने की सुविधाएं देनी होंगी।

आज बिजली क्षेत्र में हम बिल्कुल अनिश्चित हैं, कभी भी हमारे पावरहाउसेज काम करते-करते बंद हो जाते हैं।

मध्य प्रदेश में सारनी थरमल पावर प्लांट बना हुआ है, मगर वह पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहा है। यह आश्चर्य की बात है कि बी एचईएल ने टरबाइन्ज और जेनीरेटर्ज सप्लाई किये हैं, वे ठीक काम नहीं कर रहे हैं। बी एच इ एल जो मशीनरी बनाता है और इरेक्ट करता है, उसमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि जिस यूनिट की अपेक्षा और जिस योजना के साथ लगाया गया है, वह उसके अनुसार बिजली का उत्पादन कर सके।

मध्य प्रदेश में कोरबा में एक नया थर्मल प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। उसका काम तेजी से किया जाना चाहिए। वहां पर कोयले का विपुल भंडार है। इस लिए वहां एन टी पी सी द्वारा बड़ी क्षमता वाला थर्मल पावर प्रोजेक्ट काफी लाभदायक सिद्ध होगा।

यदि पावर स्टेशन्ज से अधिक वोल्टेज की विद्युत ट्रैंसमिट की जाये, तो ट्रांसमिशन लास कम होगा। इस लिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पर ज्यादा जोर देना चाहिए।

[श्री सत्यनारायण जाटियां]

मध्य प्रदेश में बिजली के उत्पादन के सारे स्रोतों का ठीक तरह से दोहन किया जाना चाहिए। वहां इसके लिए काफी अवसर हैं। हाइडल पावर जेनीरेट करने के लिए जल-प्रपातों, झरनों, का भी उपयोग किया जा सकता है। वर्षा के दिनों में हम उनसे बिजली पैदा कर सकते हैं, चाहे विद्युत उत्पादन की मात्रा कम हो। जब गर्मियों में नदियां सूख जाती हैं, उस समय हम इमर्जंसी के तौर पर थर्मल पावर का उपयोग कर सकते हैं। अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर में पीक इरिगेशन डिमांड होती है। उन दिनों में न दियों में पर्याप्त पानी रहता है। उस अवधि में यदि हम अधिक हाइडल पावर का लक्ष्य रखें, तो हम अधिक बिजली पैदा कर सकेंगे और कृषकों की मांग को पूरा कर सकेंगे। इससे कृषि का उत्पादन बढ़ेगा और आजकल की काफी परेशानियां भी दूर हो सकेंगी समय पर पर्याप्त पानी न मिलने के कारण गन्ना और अन्य जिन्सों की पैदावार कम हुई, जो कि महंगाई का बड़ा कारण है। मेरा आग्रह है कि जल-विद्युत के स्रोतों पर अधिक ध्यान दिया जाये।

सभी राज्यों के बिजली कर्मचारियों के वेतनमानों में समानता लाई जाये और कर्मचारियों के जीवन के लिए खतरा होने पर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाये। ऊर्जा विभाग, जिसपर देश की प्रगति और समृद्धि निर्भर है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकेगा।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : सभापति महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्री ने इस कठिन समय में ऊर्जा विभाग का भार संभाला है। इस के बावजूद उन्होंने शक्तिशाली, जोरदार और साहसिक वक्तव्य दिये हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं। परन्तु परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे क्योंकि प्रकृति ने साथ नहीं दिया और साथ ही बिजली उत्पादन के मामलों में राज्यों के बिजली बोर्डों में निचले स्तर पर काफी भ्रष्टाचार व्याप्त है और उनका प्रशासन अकुशल है। जो भी बिजली पैदा होती है उसके वितरण में भारी गोल-माल है। मुझे उम्मीद है कि वह इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे और राज्यों में अपने साथियों से कहेंगे कि स्थिति को सुधारने का यत्न करें अन्यथा इस मामले पर लोग स्वत: नियंत्रण कर लेंगे।

सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय द्वारा पटना में 17 अप्रैल और 14 मई को दिये गये दो वक्तव्यों का स्वागत करता हूं जिसमें उन्होंने कहलगांव में थर्मल स्टेशन की स्थापना का आश्वासन किया है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अंधी, शरारती, अक्षम, अयोग्य जनता सरकार यह भी नहीं समझ सकी कि कहलगांव एक ऐसा स्थान है जहां पर कोयले की खान है, जहां गंगा का पानी उपलब्ध है और जिसके लिए राज्य सरकार ने भूमि देने का वचन दिया है। वहाँ सब कुछ उपलब्ध है। 15 मील की दूरी पर राज महल पर्वत क्षेत्र में कोयला खाने हैं तब भी उन्होंने कहलगांव में थर्मल स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता नहीं समझी। फरक्का में 1000 मैगावाट स्टेशन बनाये जाने पर मुझे आपत्ति नहीं है परन्तु मैं आपको यह बताना चाहता हूं और आप यह बात राज्य सरकार को तथा माननीय प्रधान मंत्री को बता दें कि वहां के लोग तब तक राज महल पर्वत से कोयला अन्यत्र नहीं ले जाने देंगें जब तक कहलगांव में थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना नहीं की जाती। शायद आप मेरा अभिप्राय समझ गए होंगे। मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैं केवल बताना चाहता हूं कि मैं कठोर शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। भारतीय साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय साम्यवादी पार्टी, लोक दल, कांग्रेस (अर्स) और यहां बैठे मेरे मित्र श्री डी० पी० यादव ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मुझे हटाने के संयुक्त प्रयत्न किये। वे इसमें 1977 के अतिरिक्त कभी सफल नहीं हुए जबकि उन्होंने गलत सिद्धांतों का लाभ उठाया। मैं सात में से छः बार जीता हूं। मैं पुन: जीतूंगा। परन्तु यह सब लोगों की सद्भावना पर निर्भर करता है तथा निर्वाचित क्षेत्र में किये जाने वाले कार्य पर निर्भर है। मैंने उन्हें वचन दिया है कि कहलगांव में 1000 मैगावाट का बिजली घर बनाया जाएगा। मंत्री महोदय अपनी बात कह चुके हैं। मुझे जो भय है वह यह है। योजना आयोग ने, जो एक श्वेत हाथी है, श्री डी० पी० यादव को पत्र लिखा है कि कहलगांव में बिजली घर की स्थापना का मामला विकास की आवश्यकता पर निर्भर करेगा। वहीं पर ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्हें योजना आयोग की बजाय संग्रहालय में रखा जाना चाहिए। मैं अर्थ-शास्त्र में प्रथम श्रेणी में प्रथम रहा था। मैं सिद्धांतों के अलावा जनता की अर्थ नीति को भी समझता हूं। उन्होंने कहा है कि वह कहलगांव के दूसरे चरण और फरक्का के मामले पर साथ साथ विचार करेंगे। मंत्री महोदय मुझे संदेह है कि क्या आप देश के मंत्री है अथवा अपने निर्वाचित क्षेत्र के मंत्री हैं। मैं इस विशिष्ट प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। और फरक्का में 1000 मैगावाट बिजली घर अवश्य स्थापित करें परन्तु दूसरा 1000 मैगावाट का बिजलीघर कहलगांव में अवश्य स्थापित किया जाना चाहिए। इसे सब तरफ से, योजना आयोग से भी मंजूरी दी जानी चाहिए। देश की मूल नीति यह है कि 'पिट हैड' पर थर्मल स्टेशन की स्थापना की जाये। इसलिए फरक्का की तुलना में सरकारी रिपोर्ट क्या कहती हैं। मैं कुछ पंक्तियां उद्धृत करूंगा :

"कहलगांव में प्रस्तावित सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोयले की खान तथा जल स्रोत के बहुत निकट है। संयंत्र स्थल उच्च बाढ़ स्तर से भी बहुत ऊंचा है इसलिए उसमें मिट्टी भरने की भी जरूरत नहीं है।"

श्रीमान्, कुछ अधिकारियों ने प्रधान मंत्री को परामर्श दिया था कि वहां पर भारी मात्रा में भरत की जरूरत है क्योंकि उन्होंने विहार सरकार को इस बारे में लिखा था। मैं स्पष्ट रूप से इसका खण्डन करता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, किसी भरत की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है :

"आर्थिक दृष्टिकोण से यह परियोजना फरक्का से अधिक लाभदायक है।"

यह मेरी रिपोर्ट नहीं है। यह भारत सरकार की रिपोर्ट है। उलटे बांस बरेली को ले जाये जा रहे हैं। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि नैशनल थर्मल कारपोरेशन को 80 कि० मी० लाइन बिछानी पड़ेगी यह लाइन बिछानी होगी, तब क्या माल-डिब्बों के निर्माण के लिए एक फैक्टरी भी वहां ला गई जाएगी ? श्री कमलापति त्रिपाठी पर आरोप लगाया जायेगा और वह सभा में आकर कहेंगे मेरे पास माल डिब्बे उपलब्ध नही हैं। यह थर्मल स्टेशन बंद किया जाये। इसलिए मैं यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। सभी पार्टीयों ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में मांग की है कि कहलगांव में थर्मल स्टेशन स्थापित किया जाये। श्रीमान्, मैंने उन्हें तीन बातों का वचन दिया है : कियूल से भागलपुर तक दोहरी लाइन जिसे श्री कमलापति त्रिपाठी ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। भागलपुर में एक पुल, जिसे श्री ए० पी० शर्मा को मानना पड़ेगा और तीसरा महत्वपूर्ण वचन इस मामले में है। मैं जिसे सर्वाधिक महत्व देता हूं : वह है कहलगांव में थर्मल स्टेशन। मंत्री महोदय मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने इसे मान लिया है। परन्तु योजना आयोग भी है। दूसरे मंत्री महोदय, मेरे पास समाचार पत्रों की कतरन है। आपने फरक्का में 1000 मेगावाट का एक और स्टेशन स्वीकार किया है। क्या तीसरा 1000 मेगावाट का स्टेशन कहलगांव में बनाया जायेगा अथवा यह 1000 मेगावाट का दूसरा स्टेशन होगा। कृपया मुझे इस बारे में बताएं क्योंकि समाचार पत्र में यही कहा गया है। इसमें आपका सुन्दर चित्र है तथा आपने विहार सरकार को इस मामले को आगे बढ़ाने का संकेत दिया है। इसके लिए आप का धन्यवाद। परन्तु कृपया हमारे साथ चालबाजी से पेश न आयें। संयोग से मैं चार वर्ष तक उस ओर से मंत्री रहा था। मुझे सरकार के और फाइलों के हथकंडे मालूम हैं और मुझे इस ओर के एक निर्दलीय उम्मीदवार के हथकंडे भी मालूम हैं। मेरे समर्थक लोग हैं और आपकी समर्थक फाइलें हैं। अब आप ठीक निर्णय ले सकते हैं कि विजय जनता की होगी अथवा फाइलों की। इसलिए कृपया कोई चाल न चलें। हमें थर्मल स्टेशन दें तथा योजना आयोग को इसकी मंजूरी देने दें।

अभी हाल ही में आपने श्री कपूर के नेतृत्व में एक दल फरक्का के लिए यह ऋण सम्बन्धी बातचीत करने वाशिंगटन भेजा था।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप भारतीय टीम को कहलगांव में नेथर्मल पावर स्टेशन की स्थापना के लिए आधारभूत कार्य करने के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने का अधिकार दिया था। इसलिए इस महत्वपूर्ण मामले पर मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। पूरे भारत के लिए कानून और आधारभूत सिद्धांत समान हैं। परन्तु विहार राज्य में एक मित्र को पूरे मध्य प्रदेश के संसाधनों पर अधिकार है। परन्तु क्या आप कोयले के मुहाने को थर्मल स्टेशन से वंचित रख सकते हैं। यह सस्ती तथा सुविधाजनक रहेगा तथा कोयल की ढुलाई के लिए माल डिब्बों की फैक्टरी की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको पृथक रेलवे लाइन की भी आवश्यकता नहीं रहेंगी। इसलिए मैं सभा के समक्ष निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमारे साथ पुनः चाल चली गई तो हम कुछ भी कार्यवाही कर सकते हैं। हमें कहलगांव में 1000 मेगावाट का थर्मल स्टेशन अवश्य मिलना चाहिए। वहां पर संसाधन हैं, सरकार भूमि दे रही है तथा सभी बातें ठीक हैं। आपको कहलगांव में कार्य फरक्का के साथ साथ शुरू करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय पूर्वाह्न में कहलगांव के थर्मल स्टेशन का तथा सायंकाल फरक्का का उद्घाटन करें। यह दूरी पर नहीं हैं। आप एक हैलीकोप्टर की सहायता से ऐसा कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मेरे प्रश्न का विशिष्ट रूप से उत्तर दें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो श्री डी० पी० यादव मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बैठक बुलायेंगे तथा लोगों से कहेंगे कि मैं इसमें विफल रहा हूं।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : मैं उन्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से कहूंगा कि श्री भागवत झा आजाद ने कहलगांव में थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना के मामले का भली प्रकार पक्ष लिया। मैं इस मांग में उनका साथ देता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : मुझे खुशी है कि वह जा कर लोगों को इस प्रकार सूचित करेंगे परन्तु इससे साथ ही वह यह भी जोड़ देंगें कि अपने पक्ष का दृढ़ता पूर्वक समर्थन करने के बावजूद 'उन्हें संयंत्र नहीं मिल पाया।' यह चाल वह चलेंगे।

सभापति महोदय : उन्होंने सभा में वचन दिया है कि वह ऐसी चाल नहीं चलेंगे और मुझे उम्मीद है कि वह ऐसा नहीं करेंगे।

श्री भागवत झा आजाद : मुझे उम्मीद है कि वह अपने कार्यकर्त्ताओं की मदद से शरारत नहीं पैदा करेंगे। मेरे मित्र ने बताया कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय साम्यवादी पार्टी, भारतीय साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी) टिमटिमाते सितारों की तरह हैं। वे मेरे विरुद्ध कार्य कर सकते हैं। शरारत करने के बारे में उनकी नेकनियत को चुनौती नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय : अब योजना मंत्री आ गये हैं। आप योजना आयोग के बारे में पहले ही कुछ कह चुके हैं।

श्री भागवत झा आजाद : मैं पहले भी कह चुका हूं कि योजना आयोग एक श्वेत हाथी है पर अब यह सफेद हाथी नहीं रहेगा।

श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी : आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि योजना आयोग पहले ही इसे स्वीकृति दे चुका है।

श्री भागवत झा आजाद : श्री चौधरी मैं आपको तथा योजना मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि अब आपने कहलगांव में थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की बात स्वीकार कर ली है। अभी मैं 50 प्रतिशत धन्यवाद देता हूं तथा शेष 50 प्रतिशत उस समय दूंगा जब भागलपुर में बिजली घर का कार्य पूरा हो जायेगा।

***श्री उत्तमभाई एच० पटेल (वलसार) :** अध्यक्ष महोदय, देश के बहुमुखी विकास के लिए विद्युत को महत्व-पूर्ण स्थान देना आवश्यक है। खास कर के आज कल जब डीजल आईल और पैट्रोल का देश में अभाव है, ऐसे समय में विद्युत को महत्वपूर्ण स्थान देना आवश्यक है।

अध्यक्ष जी, विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए आजकल जापान आदि देशों का जो सहयोग लिया जा रहा है, वह स्वागत योग्य है।

तारापुर के विद्युत परमाणु केन्द्र की क्षतियों को दूर करके उसे अधिक कार्यक्षम बनाने के प्रयास करने होंगे। यदि अमरीका से ईंधन प्राप्त करने में और अधिक विलंब होने की संभावना है, तो हमें इस के लिए और वैकल्पिक उपाय खोजना चाहिए।

सूर्य ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाना होगा। हमारे देश में जल-संपदा भी काफी है। उसका प्रयोग भी बढ़ाना होगा। यथा-संभव नये विद्युत परमाणु केन्द्रों का निर्माण भी करना होगा।

अध्यक्ष जी, हमारा देश कृषिप्रधान देश है। फिर भी गांवों में किसानों की हालत बहुत खराब है। किसी कवि ने कहा है—

"खरे खेडून जगत नो तात गणातो,
ते ज आ जे दुःखियारो रे,
दाता हवो पण दातण वेची,
पेट भरवानों वारो रे।"

(अर्थात् वाकई किसान जगत् का पिता है किन्तु वह काफी परेशान है, दुःखी है। वह दाता था किन्तु आज उसको दातून बेच कर गुजारा करना पड़ता है।)

यह हालत भारत के निर्माण के लिए चिंताजनक है।

आज उद्योगों को जो बिजली दी जाती है, उस में से बहुत कम हिस्सा कृषि को दिया जाता है। उस की नीति भी काशी के हजाम जैसी है। कहा जाता है कि काशी का हजाम सब के थोड़े थोड़े बाल काट कर अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ा लेता है। उसी तरह एक गांव में दस पांच कुंओं या घरों को बिजली दे कर सारे गांव को बिजली दे दी, ऐसा बताते हैं। इस वणिक् वृत्ति को दूर करना होगा।

जब किसानों को अपनी फसलों को पानी देना आवश्यक होता है ठीक उसी समय बिजली में कटौती की जाती है। आम तौर पर सप्ताह में दो दिन बिजली मिलती ही नहीं है। दिन के बजाय रात को ही बिजली दी जाती है। गन्ना या अन्य फसलों को रात को पानी कैसे दिया जा सकता है? इस के कारण तो किसानों को कई बार हिंस्र प्राणियों का शिकार बनना पड़ता है।

बिजली के लिए किसानों को मिनिमम चार्ज (न्यूनतम अदायगी) देना पड़ता है। उस पर पुनर्विचार करना आव-श्यक है।

*गुजराती में दिए गए भाषण का हिन्दी रूपान्तर।

बिजली बोर्ड आम तौर पर प्रायः निष्क्रिय है। उस की कार्य प्रणाली में भी काफी अनियमितता तथा रिश्वतखोरी की भरमार है। इस को दूर करने के लिए कार्यप्रणाली में आमूल परिवर्तन करना होगा।

इस पर मैं माननीय मंत्री महोदय को एक सुझाव देना चाहूंगा। वे राज्यों के बिजली मंत्रियों की बैठक बुलायें तथा उस में इन प्रश्नों को हल करने के लिए उपाय ढूंढे और विभिन्न राज्यों के बीच वर्तमान असमानता को दूर किया जाय।

आज तक जिन जिन गांवों में बिजली दी गई है, वहां यह बिजली पहुंच वाले तथा धनी लोगों को ही मिली है। हरिजन तथा आदिवासी उससे वंचित हैं।

मैं मांग करता हूं कि हरिजनों तथा आदिवासियों को निःशुल्क बिजली दी जाय और सरकार के खर्च से ही यह बिजली दी जाय।

सभी राज्यों में बिजली तंत्र समान तथा सुचारू ढंग से चलाने के लिए तथा किसानों को अपनी परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए एक हाय पावर (उच्चस्तरीय) कमीशन का गठन करने की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

एक अन्य मामले की ओर भी मैं मंत्री जी का तथा सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा।

नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन की 76 वीं रपट के अनुसार केवल गुजरात के लिए ही ई० स० 2000 में 65 लाख 20 हजार मीट्रिक टन लकड़ी के ईंधन की आवश्यकता होगी। इस समय 48 लाख मीट्री टन लकड़ी की आवश्यकता है, जब कि जंगल से केवल 3 लाख मीट्री टन लकड़ी ही उपलब्ध होती है। यह ध्यान देने योग्य मामला है। इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाने जरूरी हैं। इस पर मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

(1) गोबर गैस प्लांट का कार्यक्रम व्यापक बनाया जाय।

(2) गुजरात में, उचित व्यवस्था के अभाव में प्राकृतिक गैस जलायी जाती है। उसका संग्रह करके, उसको काम में लाया जाना चाहिए।

इस परिस्थिति को देखते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि विद्युत शक्ति को प्राथमिकता देने के लिए तथा इस में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए माननीया प्रधानमंत्री की निगरानी में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाय।

आखिर में मैं ऊर्जा विभाग की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई-उत्तर-मध्य) : सभापति महोदय, एनर्जी और ऊर्जा के बारे में मैं अपने विचार आप के सामने रखना चाहती हूं। आज सिर्फ भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में ऊर्जा की क्राइसिज़ है, सब जगह नये-नये आल्टरनेटिव्ज की खोज चल रही है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो बजट पेश किया गया है, वह ऐसे समय में पेश किया गया है कि अगर हम आल्टरनेटिव सोर्स आफ़ एनर्जी की खोज में नहीं लगेंगे तो हमारे सामने भविष्य में बहुत बड़ा ऊर्जा संकट आनेवाला है। आज हम नये थर्मल पावर स्टेशन्ज लगाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा अनुभव करती हूं कि इस से भी समस्या का समाधान नहीं हो पायेगा। हम को थर्मल पावर स्टेशन्ज लगाने के साथ-साथ आल्टरनेटिव फ्यूअल के बारे में भी सोचना चाहिये, वरना हमारा सारा प्लानिंग खतरे में पड़ने वाला है।

हमारा अनुमान है कि सन 2000 तक हमें 92 मिलियन टन तेल की जरूरत होगी, जिस में 69 मिलियन टन तो डिज़ायरेबिल है ही, जब कि हमारे देश में होने वाले तेल का उत्पादन 24 मिलियन टन होगा। ऐसी स्थिति में 68 मिलियन टन तेल हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा जिस पर 15,470 करोड़ रुपया खर्च आयेगा या 45 मिलियन टन डिज़ायरेबिल मान कर चलें, तो भी 10,400 करोड़ रुपया खर्च होगा। उस समय हमारे फारेन एक्सचेंज का अनुमान 20,823 करोड़ रुपया होगा, जिस में से हम 68 मिलियन टन या डिज़ायरेबिल 45 मिलियन टन मंगा सकेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह से हमारे फारन-एक्सचेन्ज का बहुत बड़ा भाग तेल के आयात पर खर्च हो जायगा। जिस पर हमें अभी से गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए।

इस समय हमारी ग्रोथ रेट 6 प्रतिशत है, जो विकसित राष्ट्रों के मुकाबले बहुत कम है। आज हमें 4 गुनां ज्यादा बिजली पैदा करनी चाहिये तथा कम से कम 400 मिलियन टन सालाना कोयला पैदा करना चाहिये—यदि हम अभी से ऐसी व्यवस्था कर सकें तो भविष्य में आने वाले क्राइसिज का मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन हम क्या देखते हैं—आज तक की जो हमारी परफार्मेंस है—कोल इंडस्ट्री के नेशनलाइज़ेशन के बाद उस पर 800 करोड़ रुपया खर्च किया गया, लेकिन हम केवल 20 मिलियन टन कोयला ज्यादा पैदा कर सके, जब कि हमारी आवश्यकता 400 मिलियन टन सालाना की है।

[श्रीमति प्रमिला दंडवते]

ऐसी स्थिति में हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं—इस पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए और अपने उत्पादन को बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिये । इसी के साथ साथ हमें आल्टरनेटिव सोर्स आफ़ एनर्जी को भी देखना चाहिए।

कोयले के बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं—हमें अपने कोल माइन्ज में एफिशियेन्ट मैनेजमेन्ट की व्यवस्था करनी चाहिये, अपनी माइन्ज को माडर्न-माइन्ज बनाना चाहिये। जिस तरह से एक्सीडेन्ट्स पिछले दिनों में माइन्ज में हुए हैं, उन को रोकना चाहिये। वर्कर्ज और मैनेजमेन्ट का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। वर्कर्ज की सर्विस कण्डीशन्ज अच्छी होनी चाहिये । ट्रांसपोर्ट और डम्पिंग की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ग्राहकों का ऐसा अनुभव रहा है—चाहे वे कामर्शियल कन्ज्यूमर हों या डोमेस्टिक कन्ज्यूमर हों, उन को कोयला नहीं मिलता है, जिस से उन को ज्यादा दाम देकर खरीदना पड़ता है । इस का एक कारण यह भी है कि हमारी यातायात की व्यवस्था ठीक नहीं है, हम समय से कोयले को पहुंचा नहीं पाते हैं । इस लिये मेरा सुझाव है कि एनर्जी मिनिस्ट्री कोल-माइन्ज से, पिट-हैड्स से नीअरेस्ट रेल्वे स्टेशन तक अपनी रेल लाइन डाले और उस की पूरी जिम्मेदारी इसी मिनिस्ट्री की होनी चाहिये, रेल मिनिस्ट्री के ऊपर इस की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिये । उस के बाद स्टेट गवर्नमेन्ट को स्टेशन के नजदीक कोयले के डम्पिंग फील्ड्स बनाने चाहिये, जहां ये वेगन्ज कोयला डाल कर चली जाय और उन को रुकना न पड़े तथा वैगन्ज की कमी पैदा न हो । डम्पिंग फील्ड्स से राज्य सरकारें यातायात के अन्य साधनों से उस कोयले को थर्मल पावर स्टेशन्ज पर या दूसरी जगहों पर पहुंचायें ।

मेरा एक सुझाव यह है कि जहां पर कोयला उपलब्ध है, कोल माइन्ज हैं, हमें वहां पर अपने थर्मल पावर स्टेशन्ज लगाने चाहियें । दूर के स्थानों पर थर्मल पावर स्टेशन्ज लगाने से कोयला वहां से उठा कर ले जाना पड़ेगा, जिस से खर्चा भी बढ़ता है और साथ ही यातायात की दिक्कत भी पैदा होती है ।

महाराष्ट्र सरकार ने आप के पास कुछ सुझाव भेजे हैं । उन्होंने कहा है—महाराष्ट्र सरकार के जो मन्जूर हुए प्राजक्ट्स हैं, यदि वे पूरे हो जाते हैं तो 1983-84 तक उन की 6,481 मैगावाट बिजली की कैपेसिटी हो जायेगी जो इंडस्ट्रीज की जरूरत को देखते हुए कम होगी । उन की यह मांग है कि 500 मैगावाट के दो सेट बनाने चाहिए जोकि अजनी में हों और 210 मेगावाट का एक सेट परली में होना चाहिए । इस के अलावा मैं यह कहना चाहती हूं कि चन्द्रपुर में 2 हजार मिलियन टन कोयला मिला सकता है, ऐसा डाइरेक्टर कोल इंडिया ने बताया है । उन की यह मांग है कि 500 मेगावाट के और चार सेट बनाने चाहिए । इस को भी मान्यता देनी चाहिए ।

दूसरा सोर्स हाइडिल पावर है । हिमाचल प्रदेश और अरुनाचल प्रदेश सब जगह आप सर्वे करा रहे हैं, इन्वेस्टीगेशन करा रहे हैं । यह चीज होनी चाहिए क्योंकि इस में पोटेंशियल ज्यादा है और हम हाइडिल प्रोजेक्ट्स से ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं । रत्नागिरी जिले में बहुत बारिश होती है और वहां का वह पानी वैसे ही समुद्र में चला जाता है । वह पहाड़ी इलाका है । उस के लिए मेरी प्रार्थना है कि वहां का भी सर्वे कराइए । वहां का इन्वेस्टीगेशन हो और हाइडिल प्रोजेक्ट्स वहां पर बनाई जाए, इस के बारे में भी स्पेशल एफेर्ट किया जाना चाहिए ।

इसी सम्बन्ध में एक बात और मैं कहना चाहती हूं । विंड पावर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं । ऐसा कर के धीरे धीरे हम बिजली का इस्तेमाल कम कर सकते हैं । जो सोलर इनर्जी है, उस में ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी । श्री विश्वनाथन, जो एक एक्सपर्ट हैं, ने इस बारे में कहा है और सी-वेव से भी कुछ ऊर्जा बना सकते हैं । इस के बारे में बजट में रिसर्च के बारे में ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए था ।

इस के अलावा मैं यह कहना चाहती हूं कि जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे स्टील और रेलवेज हैं, उन में केप्टिव पावर प्लान्ट बनाने चाहिए । उस के बारे में पहले भी पार्लियामेन्ट में कहा जा चुका है कि केप्टिव पावर प्लान्ट बनाने चाहिएं । मैं तो यह कहूंगी कि इस काम के लिए खास तौर पर सबसीडी देनी चाहिए और इस को एन्करेज करना चाहिए ताकि इस दिशा में काम हो ।

गोबर प्लान्ट के बारे में मेरा सुझाव यह है कि मुझे पता चला है कि गोबर प्लान्ट का इस्तेमाल हमारे देश में काफी हो सकता है । हमारे देश में 250 मिलियन जानवर हैं और अगर हम उन के 75 प्रतिशत गोबर का भी इस्तेमाल करें और उस को इकट्ठा करें, तो हमारे देश में 195 मिलियन मेगावाट आवर इनर्जी सालाना मिल सकती है । बम्बई जैसे शहरों में ह्यूमेन एक्सक्रेटा से बहुत बड़े पैमाने पर गैस और खाद बन सकती है । इस पर भी रिसर्च होनी चाहिए और गोबर गैस के रिसर्च पर आप को ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए ताकि इस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सके और देहातों में भी हम इस का इस्तेमाल कर सकें ।

एक बात मैं यह और कहना चाहती हूं कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 1979-80 में हम ने 72 करोड़ रुपये रखा था । अब इस को 29 करोड़ रुपये किया है । इस से ग्रामीण क्षेत्रों में जो इलक्ट्रिसिटी की व्यवस्था आप करना चाहते हैं, वह कम होगी । वैसे तो आप कहते हैं कि हम ग्रामीण विकास करना चाहते हैं और डीसेन्ट्रेलाइजेशन के जरिये इस काम को करना चाहते हैं लेकिन उस के लिए आप ने ज्यादा रुपये की व्यवस्था नहीं की है । उस के लिए आप को ज्यादा पैसा रखना चाहिए था ।

बिजली के कन्जम्पशन के बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि इस में टैक्सटाइल इंडस्ट्री का माड्रेनाइजेशन होना चाहिए क्योंकि इस से बिजली का कन्जम्पशन 20 से 50 फ़ीसदी कम हो सकता है । पावर में इतनी एकोनामी कर सकते हैं । अपने देश में कुछ एकोनामिक ड्राइव हम कर रहे हैं और एक ऐसा वातावरण आप बनाना चाहते हैं । इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि ट्रान्सपोर्ट में 34 पर सेन्ट इनर्जी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे कम करने के लिए मुझे यह कहना है कि छोटी कारों की कोई जरूरत नहीं है । आप को पब्लिक ट्रान्सपोर्ट को ज्यादा बढ़ाना चाहिए, जिससे ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकें । फ्लाइंग क्लब्स आप बन्द कीजिए । फ्लाइंग क्लब में पैट्रोल ज्यादा खर्च होता है । हमारे देश में कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए जिन से बिजली के कन्जम्पशन में कमी हो । मैरिज में जो बिजली का ज्यादा कन्जम्पशन होता है, उस में आप कमी कर सकते हैं ।

इतना कह कर मैं समाप्त करती हूं ।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : हम इस मंत्रालय की अनुदानों की चर्चा कर रहे हैं, विशषकर उस संकट की पृष्ठ भूमि में, जिसे इस सदन ने भी अनुभव किया है । सरकार सदैव ही इस बात से परिचित रही है । इसका एक मुख्य भाग आधारभूत ढांचे के लिए चला जाता है और अर्थव्यवस्था संकट में पड़ जाती है । अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते समय इस मंत्रालय का अपना स्वयं का महत्व और वैधता है, उस स्थितिविशेष में जिसका हम सामना कर रहे हैं ।

संकट का सामना करने के लिए हमें अल्पकालीन और दीर्घकालीन नीति पर विचार करना चाहिए । अल्पकालीन नीति के रूप में सरकार तापीय संयंत्रों में सुधार की बात सोच रही है । उनकी निरन्तर देखभाल, परिवहन प्रणाली में आई हुई रुकावटों को दूर करना, कम राख वाले कोयले को उपलब्ध कराना आदि-आदि बातों पर सरकार ध्यान दे रही है । सम्बद्ध राज्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में, हाल ही में मंत्री महोदय ने परिवहन की रुकावटों का उल्लेख किया था और उन्होंने यह भी बताया था कि कोयले की उपलब्धता को कैसे पूरा किया जाये ?

जब हम अल्पकालीन नीति की बात कर रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण बात पारेषण लाईनों के बारे में भी बता दना चाहता हूं । अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में इसकी दरें ऊंची हैं । प्रतिवर्ष हम कितना-कितना घाटा लाइनों में उठा रहे हैं ? 1965-66 में यह घाटा 14.3 प्रतिशत था, 1976-77 में यह 19.7 प्रतिशत हो गया । यदि इस घाटे में 1 प्रतिशत की भी कमी आती है तो, लगभग 20 करोड़ रुपए की बचत होती है । हम कल्पना कर सकते हैं कि 20 प्रतिशत की औसत से यह घाटा किस प्रकार बिजली उद्योग के ढांचे को प्रभावित कर रहा है । और देश की अर्थव्यवस्था के हितों को हानि पहुंचा रहा है । दूसरे पहलू पर विचार करने से पहले मैं एक अन्य पहलू के बारे में यह बता देना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से अपनी योजना में तापीय संयंत्रों को कोयला भण्डारों के पास लगाने की दूरदर्शिता से हमने काम नहीं लिया । अब सरकार ने घोषणा की है कि कोयला भंडारों के पास बड़े बिजली घर स्थापित किए जायेंगे । यह एक अच्छी बात है । यह हमारे स्रोतों का लाभ उठाने में सफल होगी और यह भी हो सकेगा कि बिजली संयंत्र अपनी उचित क्षमता में काम करते हैं । दीर्घकालीन नीति जिसे हमें अपनाना है, एक विवादास्पद प्रश्न है । मैंने विभिन्न अध्ययन दलों और पैनल प्रतिवेदनों का अध्ययन किया है । बिजली उत्पादन की दिर्घकालीन नीति के लिए क्या हम तापीय संयंत्रों पर निर्भर कर सकते हैं? अथवा विशेषरूप से तेलसंकट में, क्या हम तेल आधारित संयंत्रों पर निर्भर कर सकते है ? मेरा दृढ़ विचार यह है कि हमारे देश को पन-बिजली आधारित दिर्घकालीन नीति पर विचार करना चाहिए । इस देश की पन-बिजली क्षमता 41 हजार मेगावट है । हम केवल 60 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग कर पा रहे हैं जो कि स्थापित क्षमता के केवल 40 प्रतिशत के बराबर है । पन-बिजली का एक निश्चित उपयोग है, लाभ है; अभिकल्प की सरलता, साधारण रखरखाव तथा प्रदूषण की अनुपस्थिति और तेल की शून्य लागत । विद्युत प्राधिकरणों ने विभिन्न सर्वेक्षण किए हैं, विशेषकर केन्द्रीय प्राधिकरण ने उत्तर पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों में सर्वेक्षण कराए हैं । मेरे विचार से देश के सर्वोत्तम हित में पन-बिजली पर आधारित बिजली के मामले में हमें एकदीर्घकालीन नीति को अपनाना होगा । मंत्री महोदय ने समस्या को समझ लिया है और वे चाहते हैं कि स्थिति को एक निश्चित दिशा दी जाए । उन्हें उस नीति के बारे में विचार करना चाहिए जो अधिकाधिक पन-बिजली उत्पादित करके बिजली के क्षेत्र में देश को राहत दे सके । और जो हमारे पास उपलब्ध विभिन्न क्षेत्रों का उपयोग कर सके ।

[श्री के० ए० राजन]

इन सब बातों को छोड़कर मैं उत्पादन, पारेषण और वितरण में असंतुलन के बारे में एक दो बातें कहना चाहूंगा । विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निवेश के पारेषण और वितरण का प्रतिशत निम्न प्रकार से हैं :—

प्रथम योजना में कुल निवेश का पारेषण-वितरण आबंटन केवल 46 प्रतिशत था । यदि हम तीसरी योजना को लें तो यह 39 प्रतिशत हो गया । चौथी योजना में यह 55 प्रतिशत तक पहुंच गया और पांचवीं योजना में यह 45 प्रतिशत हो गया । यदि आप कुल बिजली उत्पादन के मुकाबले में पारेषण और वितरण की अंतर्राष्ट्रीय मानक औसत को लें तो भलिभांति पाएंगे कि औसत अंतराष्ट्रीय स्थिति 60 प्रतिशत है । जहां तक कुल निवेश के आबंटन का संबंध है, अमेरिका में जब आप समस्त विद्युत क्षेत्र में 100 डालर का निवेश करते हैं तो पारेषण और वितरण के लिए 70 प्रतिशत आबंटित किया जाता है । इस असंतुलन से समस्या खड़ी हो रही है । यद्यपि हम बिजली उत्पादन करते हैं, परंतु हम देश की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार उत्पादन नहीं कर सकते । इसलिए सभी प्रकार के बिजली उत्पादन निवेशों में पारेषण और वितरण के आवंटन में आए इस असंतुलन पर भी विचार किया जाना चाहिए । यह मेरा दूसरा निवेदन है ।

मेरा अंतिम मुद्दा औद्योगिक संबंधों के बारे में है । यह उद्योग एक मुख्य उद्योग है । यदि मैं सही हूं तो इसमें 6.25 लाख कर्मचारी सेवा-रत है । बहुत से कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपबंधों अथवा राज्य बिजली बोर्डों के अधीन सेवा कर रहे हैं । यह उद्योग जो नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण है, कुशल इंजीनियरों, तकनीशियनों और सैकड़ों मजदूरों को इसमें काम मिलता है । इस क्षेत्र विशष में औद्योगिक संबंध बिगड़े हुए हैं और इस प्रकार स्थिति बिगड़ रही है, विशेष रूप से जब कि हम बिजली संकट का सामना कर रहे हैं । सरकार को अच्छे औद्योगिक संबंध स्थापित करने के बारे में विचार करना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि एक प्रकार का मानक स्थापित हो ।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : विद्युत इस्पात और कोयला मंत्रालय के अनुदान की मांगों का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । सब से पहले मैं विद्युत मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस महकमें में आने के बाद विद्युत उत्पादन की क्षमता को, कोयला खनन की क्षमता को और स्टील के क्षेत्र में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है । इस काम के लिए उनको बहुत ही कम समय मिला है, केवल ढाई या तीन महिने का ही 31 मार्च तक समय उनको मिला है फिर भी विद्युत की खराब हालत जो जिस तरह से उन्होंने संभाला है उसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं । विद्युत विभाग को लेने क बाद सर्वप्रथम बात तो उन्होंने यह की है कि उन्होंने कहा है कि पूरे देश में एक नैशनल ग्रिड कायम हो उसको जिन्होंने कार्यरुप में परिणित किया है । यह मांग पूरे देश में बहुत जोर से चली आ रही थी । उन्होंने मुख्य मंत्रियों या विद्युत मंत्रियों की एक मीटिंग बुलाई जिस में इस बात का फैसला किया कि एक नैशनल ग्रिड बने ।

जहां नैशनल ग्रिड की बात की जाती है वहां कुछ मुख्य मुद्दे भी इस सदन में उठाए गए हैं । उन में एक रिजनल इंबैलेंसिस का है । इसी तरह से और भी मुद्दे उठाए गए हैं । जब हम विद्युत उत्पादन की बात करते हैं तो कहां कोयला निकलता है, कहां पानी के स्रोत हैं, कहां विद्युत पैदा होती है, इन सब बातों को हम को खत्म करना होगा । जब हम नैशनल ग्रिड की बात करते हैं तो पानी के तरीके से या कोयला के तरीके से या कहां हम अपने सुपर थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं या कहां हम हाइडल प्लांट लगाते हैं ये सब बातें गौण हो जाती है, इनकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है । मैं समझता हूं कि विद्युत मंत्री जी जिस एप्रोच को ले कर चल रहे हैं, वह एप्रोच सारे देश के हित में हैं ।

जहां मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं वहां एक खेदजनक बात की ओर उनका ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे देश में अस्सी प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं । मैंने इनके द्वारा दिए गए विवरण को, प्रतिवेदन को पढ़ा है । उससे मुझे यह मालूम पड़ा है कि देश में जितनी विद्युत का उत्पादन होता है उस में से केवल 15.4 प्रतिशत विद्युत ही गांवों में रहने वाले लोगों के लिए रखी है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विश्व के किसी भी मुल्क में, चाहे डैवलपिंग कंट्री हो या डैवलप्ड कंट्री हो, उसकी पर-कैपिटा कंजम्पशन आफ इलैक्ट्रिसिटी को देखिये, वह किसी भी मुल्क में प्रति व्यक्ति 1200 वाट से कम नहीं आती है, लेकिन हिन्दुस्तान में आपने इसे 133 वाट रखा है । आपको मालूम है कि युरोपियन कंट्रीज में पर कैपिटा कंजम्पशन प्रतिव्यक्ति इलैक्ट्रिसिटी का 2000 से 3000 तक है ।

मैं निवेदन करूंगा कि बिजली की क्षमता उत्पादन जो प्लानिंग कमीशन ने रखा है या जो आपकी दूसरी योजनाओं के तहत आ रहा है, वह बहुत कम है और गांव के लिये व किसान के लिये जो बिजली दे रहे हैं, यह बहुत कम है ।

आपने इंडस्ट्रीज के लिये 60.6 रखा है, कमर्शियल परपूजेज के लिये 6.6 रखा है, लेकिन आपने खेती के लिये जिस पर 80 फीसदी आदमी डिपेंड करता है, उसके लिये 15.4 रखा है । इसलिये आप इस नेशनल पालिसी पर दोबारा विचार कीजिये और इसलिये भी विचार कीजिये कि 1979-80 का वर्ष आपके लिये चुनौती का वर्ष है आई-ओपनर है ।

इसीलिये आपका एग्रीकल्चरल ग्रौस प्रोड्यूस इस देश में 10 प्रतिशत गिरा है। इस 10 प्रतिशत गिरावट के लिये आप केवल मानसून फेल्योर मत मानिये, केवल ड्राउट को मत मानिये। इसमें मुख्य कारण बिजली है और एनर्जी भी है।

आपको यह देखना होगा कि यदि इस देश में पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं तो आज भी सारे देश की कुल आमदनी का 50 प्रतिशत खेती के उत्पादन से, कृषि उत्पादन से है। इसलिये आपको इस मुद्दे को खास तौर से देखना होगा और यह करना होगा कि जहां आप उद्योग के लिये बिजली देते हैं, उसी के मुकाबले आपको गांव और खेती के लिये बिजली देनी होगी।

1979-80 के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जितने भी आपके प्वाइन्ट्स थे, चम्बल में पानी कम हो गया, रावत-भाटा ए० पी० पी० फेल हो गया, इधर सुपर थर्मल प्लान्ट्स जो पुरानी स्टेट्स के थे, उनमें कोयला नहीं पहुंचा। इससे किसानों के खेत में पानी न पहुंचने के कारण उसका जो नुकसान हुआ है, उसका देनदार कौन होगा? आपने किसान के खेत के लिये बिजली नहीं दी, उसके ट्यूबवैल के लिये बिजली नहीं दी, लेकिन फिर भी आपने मिनिमम बिजली चार्ज उनसे वसूल किया है, जो कि राजस्थान का स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्ज करता है। आपको कौनसा नैतिक हक है कि जब आप बिजली नहीं देते तो भी उनसे मिनिमम चार्ज करें?

आपका अटोमिक पावर प्लान्ट बन्द है, चम्बल में उतनी क्षमता में बिजली पैदा नहीं हुई, खेती के लिये एक महीने तक बिजली आपने नहीं दी, फिर भी आपने मिनिमम चार्ज उनसे वसूल किया, मैं समझता हूं कि इस पर सैंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथौरिटी को विचार करना चाहिये और सभी इलैक्ट्रिसिटी बोर्डों को निर्देश देना चाहिये कि यदि आप किसानों को विद्युत् नहीं दे सकते हैं तो उनसे मिनिमम चार्ज वसूल करने का उनको कोई हक नहीं है। राजस्थान के स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को आप निर्देश दीजिये कि राजस्थान में खेती की पैदावार में जितनी गिरावट इस वर्ष आई है, उसमें एक कारण आप का है कि किसान को बिजली नहीं मिल पाई। हम लोग राजस्थान में ग्राउंड वाटर पर डिपैंड करते हैं, इसलिये कुछ इलाकों में बिजली पर डिपैंड करना होता है। अगर डीजल पर डिपैंड करते हैं तब भी उनको बिजली नहीं मिलती। ऐसी सूरत में आप उनसे मिनिमम चार्ज नहीं ले सकते, बल्कि आपको और कंट्रीज अमेरिका, कनाडा के मुताबिक सब्सीडी देनी चाहिये जो कि अपने यहां किसान को कम्पैंसेट करते हैं। आपको भी ऐसा करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि आप इस पालिसी को चेंज कर के इस प्रश्न पर विचार करें। धन्यवाद!

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : देश में एक महान बिजली संकट छाया हुआ है। मेरे राज्य उत्तर प्रदेश में तो बिजली संकट बहुत ही गंभीर है। इसलिए न केवल राज्य में, अपितु देश में भी औद्योगिक और कृषि उत्पादन में रुकावट आई है।

स्थापित बिजली-उत्पादन स्टेशन अपनी स्थापित क्षमता के अनुरूप बिजली उत्पादित नहीं कर रहे हैं। इसके अनेक कारण हैं। जहां तक तापीय बिजली घरों का सम्बन्ध है, इसका मुख्य कारण यह है कि उन्हें कोयला लगातार नहीं मिलता। उन्हें कोयला निरंतर मिलता रहना चाहिए। अन्यथा बिजली उत्पादन में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी।

राष्ट्र के औद्योगिक कृषि और समग्र रूपेण विकास के लिए बिजली में आत्म-निर्भरता अत्यन्त आवश्यक है। जब तक परमाणु बिजली-घर स्थापित नहीं किए जाते, बिजली का संकट हल नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में सरकार पिछले सात वर्षों से नरोरा परमाणु बिजली संयंत्र लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसे अभी चालू नहीं किया गया है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस मामले की देखभाल करें और इसे यथाशीघ्र स्थापित करने का प्रयास करे।

हमारे देश में किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार बिजली नहीं मिलती। उन्हें कम से कम दिन में आठ घंटे तो बिजली मिलनी चाहिए। जब तक उन्हें आठ घंटे बिजली नहीं दी जाती कृषि उत्पादन में सुधार नहीं हो सकता।

किसानों को सस्ती दरों पर बिजली दी जानी चाहिए। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि जो किसान बिजली का उपयोग कर रहे हैं और ट्यूबवैलों से अपनी जमीन की सिंचाई कर रहे हैं, उन्हें कुछ धनराशि देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। चाहे वे बिजली का उपयोग करें या न करें, राशि उन्हें देनी ही पड़ेगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस मामले की छानबीन करें। जब तक वे ट्यूबवैल के पानी को उपयोग में नहीं लाते, उन्हें उस धनराशि को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, जो वे आजकल दे रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युतीकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में तो विशेष से बिजली का बड़ा संकट है। अधिकांश हरिजन और अन्य गांवों की उपेक्षा की जा रही है और उनका विद्युतीकरण नहीं किया जा रहा है। जब तक विद्युत शक्ति का उचित ढंग से उत्पादन नहीं होगा, इस समस्या का हल नहीं हो सकेगा।

बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के बारे में, मैं यह कहना चाहूंगा कि उन से बकाया देय राशि नहीं उगाही जा रही है। यदि कोई गरीब आदमी होता है, छोटा आदमी होता है तो, उसके विरुद्ध तो तुरन्त कार्यवाही हो जाती है,

[श्री हरिकेश बहादुर]

परंतु जहां तक वड़े लोगो का सम्बन्ध है, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैं यह चाहता हूं कि मंत्री महोदय उन वड़े लोगों के विरुद्ध अवश्य कार्यवाही करें जिनकी बकाया देय राशि अधिक है, और भुगतान को टाल रहे हैं।

इदृ की बिजली स्टेशन विस्तार के दूसरे चरण में है। इसकी क्षमता 400 मेगावाट है। और इसके दो भागीदार हैं, एक केरल सरकार और दूसरा भारत सरकार का ऊर्जा मंत्रालय। उन्हें तीन जनरेटिंग सैट्स की आवश्यकता है जिसमें प्रत्येक की क्षमता 130 मेगावाट होनी चाहिए और वे यह कह रहे हैं कि चूंकि प्रथम चरण कनेडा की सहायता से पूरा कर लिया गया था, इसलिए दूसरा चरण भी उन्हें ही पूरा करना चाहिए। भारी उद्योग मंत्रालय और "भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड" का कहना है कि वे इन जनरेटिंग सैटों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर उनका कहना है कि इन जनरेटिंग सैटो का आयात होना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि यदि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के होते हुए स्वदेशी क्षमता पहले ही उपलब्ध है तो, उनसे इन जनरेटिंग सैटों का निर्माण करने को कहा जाए और इनका आयात नहीं किया जाना चाहिए।

जहां तक कोयले की बात है पूर्वी कोयला खानों में पूर्ण अराजकता व्याप्त है। कर्मचारियों और अधिकारियों को सताया जा रहा है। उनकी सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है और जब तक उनकी सुरक्षा का प्रबंध नहीं किया जाता, कोयले के उत्पादन में सुधार लाना बड़ा ही कठिन काम है।

दो दिन पहले कोयले के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि उस दिन भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। मामले पर विचार हो रहा है। परन्तु एक बात और है कि सरकार कोयला खानों से कोयला उठाने में असमर्थ रही है। यह समस्या अभी भी बनी हुई है। रेलवे का कहना है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैगन हैं, परंतु कोयला क्षेत्रों में कोयला उपलब्ध नहीं हैं। मंत्रालय का कहना है कि कोयला खदानो पर पर्याप्त मात्रा में कोयला है, परन्तु उसे उठाने के लिए उन्हें वैगन नहीं मिल रहे हैं। एक बार इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड ने सुझाव दिया था कि कोयले की ढुलाई के लिए पाईप लाईन काम में लायी जानी चाहिए। और पाइप लाईन से यह आसानी से ढोया जा सकता है। यदि यह सुझाव माननीय है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए और इन पाईप लाईनों के द्वारा कोयले की ढुलायी होनी चाहिए।

कोयले की चोरी के बारे में सदन में बहुत चर्चा हो चुकी है। हर समय हम यह सुनते आ रहे हैं कि कोयला चोरी होता है।

सभापति महोदय : मैं दूसरे वक्ता को बुला रहा हूं, श्री ए० के० राय।

श्री हरिकेश बहादुर : इन शब्दों के साथ मैं अनुदान की मांगों का विरोध करता हूं।

श्री ए० के० राय (धनबाद) **:** सभापति महोदय, सत्ता की राजनीति बुरी चीज है, परन्तु विद्युत की राजनीति और बिजली से राजनीति का खेल तो इससे भी कहीं बुरा है। मैंने यहां हुई चर्चा सुनी है और मैंने पाया है कि एक गलत प्रभाव पैदा किया जा रहा है कि जैसे आज के बिजली संकट के लिए जनता सरकार ही पूर्णतया दोषी है। मुझे जनता सरकार से कुछ लेना-देना नहीं हैं, परन्तु इतना मैं अवश्य कहूंगा कि इस प्रकार के गलत प्रभाव का इस सदन में प्रचार नहीं किया जाना चाहिये।

महोदय, जैसा बोओगे वैसा काटोगे वाली कहावत आपके सामने है। परन्तु शक्ति संयंत्रों और कोयला उद्योग में बोने और काटने में समय का अन्तराल है? आप एक खान को विकसित करने में चार वर्ष का समय लगाते है, किसी ताप-विजली घर को चालू करने में पांच वर्ष और पन-बिजलीघर को कार्य शुरू करने में सात वर्ष का समय लगता है। अतः जो कुछ कांग्रेस दल ने बोया उसे जनता सरकार ने काट लिया, और जो कुछ जनता पार्टी ने बोया है, उसे कांग्रेस दल आज काट लेगा। यह तो एक सतत प्रक्रिया है। अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बिजली के साथ राजनीति का खेल न खेलें। किसी विद्युत गृह को विकसित करने के लिए, किसी खान को विकसित करने के लिए जो कि एक समय-उपभोगी प्रक्रिया है, उसमें राष्ट्रीय मतैक्य की आवश्यकता है।

महोदय, कांग्रेस के शासनकाल में भी बिजली की कमी रही थी। आज भी है और आज तो 17% है। पहले यह 10% थी और क्षेत्रीय असन्तुलन के कारण पूर्वी-क्षेत्र में यह 20 से 30 प्रतिशत तक थी।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। तेनुघाट में आपने एक सुपर बिजलीघर स्थापित किया हुआ है। अब यह सुनने में आ रहा है कि इसे कहलगाम स्थानान्तरित किया जा रहा है और इसके बाद फारक्का स्थानान्तरित किया जायेगा। हम यह नहीं जानते कि अब इसे कहां स्थानान्तरित किया जायेगा। महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आज देश में स्थिति क्या है। उत्पादन में क्षेत्रीय असन्तुलन है। पश्चिमी क्षेत्र में आप पायेंगे कि क्षमता का उपयोग 50 प्रतिशत से भी अधिक हो रहा है और पूर्वी क्षेत्र में यह लगभग 30-25 प्रतिशत ही है। यह एक बात हुई।

दूसरी बात यह है कि यदि आप क्षमता उत्पादन को ही देखें तो आप पायेंगे कि असन्तुलन बिल्कुल ही स्पष्ट है। उदाहरणस्वरूप, बिजली उत्पादन और वितरण के मामले में, देश 5 मण्डलों में विभाजित है— उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी। आप देखेंगे कि उत्तर क्षेत्र में 7,888 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, दक्षिणी-क्षेत्र में 7206.9 मेगावाट पैदा होती है, पश्चिमी क्षेत्र में 7338 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और पूर्वी क्षेत्र में 4495 मेगावाट का उत्पादन होता है। अतः यहां बिजली है ही नहीं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे कि केवल 289.7 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन होता है। पहले के चले आ रहे असन्तुलन को ठीक करने के बजाय उन्होंने यह और असंतुलन पैदा किया है और उससे बढ़कर उसे और गम्भीर रूप दिया है। उदाहरणस्वरूप छठी पंच-वर्षीय योजना में उत्तरीक्षेत्र को 4,800 मेगावाट बिजली आबंटित की गई है, दक्षिणी-क्षेत्र में यह 4200 मेगावाट है पश्चिमी क्षेत्र में 5000 मेगावाट और पूर्वी-क्षेत्र में केवल 3400 मेगावाट है। वर्तमान क्षेत्रीय असन्तुलन को सही करने के लिए सरकार तेनुघाट, कहलगाम और फराक्का में सुपर ताप-बिजलीघर लगाने की बात सोच सकती है।

दूसरे, वे कहते रहे है कि पूर्वी क्षेत्र के बिजलीघर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं। उसके तीन कारण हो सकते है-संगठनात्मक, यान्त्रिकी और कच्चे माल सम्बन्धी। कच्चा-माल और संगठन उनके हाथ में है। एक ही मंत्री महोदय कोयला और बिजली दोनों का कार्य देख रहे हैं। अतः वे, आसानी से कच्चा-माल उपलब्ध कर सकते हैं। यह बताना तो विशेषज्ञों का काम है कि कितनी प्रतिशत राख वाला कोयला चाहिए। प्रत्येक भट्टी को एक विशेष प्रकार की राख-घटक के लिए तैयार किया जाता है और इसलिए वे ही काम में लाए जा सकते हैं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिजली-विभाग से विशेषज्ञ लेकर केन्द्रीय बिजली/विद्युत प्राधिकरण एक विशेष दल का गठन करे — केन्द्रीय आरक्षित विद्युतबल, सी० आर० पी० एफ०। इस बल को वहां जाकर, दोषपूर्ण एककों को अलग करके, उन्हें ठीक करके, वापिस उन्हें सौंप देना चाहिये। केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण मध्यस्थीय प्राधिकरण बनकर ही नहीं रह सकता जो कि केवल अन्यों की आलोचना ही करता रहे, अपितु उसे एक सक्रिय प्राधिकरण बनना चाहिये। उसे सभी रुग्ण और असफल एककों की सक्रियता से सहायता करनी चाहिये।

जहां तक कोयले के उत्पादन की बात है आज जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है वह है ओ० एम० एस० प्रतिव्यक्ति शिफ्ट उत्पादन। भूमिगत खानों में प्रतिव्यक्ति शिफ्ट उत्पादन 2 से 2.5 और खुले आकाश की खदानों में 9 से 10 तक होना चाहिये। परन्तु वास्तव में ओ० एम० एस० क्रमशः केवल 0.7 और 0.56 है। इसलिए, इनका यन्त्रिकरण नहीं होना चाहिये, क्योंकि आप कठिनाई में पड़ जायेंगे। इसके बजाय अपनी श्रम शक्ति का पुनर्गठन कीजिए और कीजिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष के बीच अनुपात में परिवर्तन। जो कोई भी बेकार हो, उन्हें लाभदायक रोजगार में भेज देना चाहिये।

अन्तिम एक बात है, कोयला भण्डारों के पास कुछ एकक हैं, उदाहरण स्वरूप निरसा-एकक और बाराकर अभियान्त्रिक-एकक। राष्ट्रीयकरण के समय इनको सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था परन्तु वे फिर से निजी प्रबंध के हाथों चले गये हैं? यह मन्त्रालय, निजी-पार्टी से झगड़ा करके न्यायालय अभियोग में विलम्ब खड़ा कर रहा है। इसी प्रकार का कुमार-धूबी इंजीनियरिंग वर्क्स है। एक एकक तो कोयला पट्टी पर अवस्थित है और दूसरा इसके निकट है। उर्जा मंत्री महोदय को इन दोनों एककों को अपने अधिकार में ले लेना चाहिये।

सभापति महोदय : 3.30 बजे से गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायेगा मंत्री महोदय का कहना है कि वे लगभग 40 मिनट का समय लेंगे। उस मामले में सदन को यह मानना होगा कि गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य 3.45 से प्रारम्भ किया जाए।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

सभापति महोदय : फिर मैं किसी भी माननीय सदस्य का नाम नहीं बुलाऊंगा। मैं मंत्री महोदय से उत्तर देने के लिये कह रहा हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मेरे दल को बिल्कुल समय नहीं दिया गया है। अभी मंत्री महोदय कैसे उत्तर दे सकते हैं? वह सोमवार को उत्तर दे सकते हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपके दल की ओर से श्री राजन ने भाषण दिया है। मैं अब मंत्री महोदय को बुला रहा हूं।

उर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति जिन्होंने वादविवाद में भाग लिया है, इसमें जो रुचि उन्होंने दिखाई है तथा मेरे मंत्रालय की अनुदान संबंधी मांगों के संबंध में जो सुझाव दिये हैं, आभारी हूं। वास्तव में यह एक चुनौतीपूर्ण मंत्रालय है जिसके अधीन अच्छी अर्थव्यवस्था की दो मूलभूत अपेक्षाएं—विद्युत और कोयला हैं। देश के सरकारी क्षेत्र के कुल परिव्यय के 24% से अधिक इसमें लगा है। अतः इसी कारण इस पर इतना अधिक ध्यान दिया जा रहा है। कई माननीय सदस्यों ने भाषण दिया है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अपने भाषणों में उन्होंने कई एक समान मुद्दे उठाए हैं। अतः मैं पहले सभी समान मुद्दों का उत्तर दूंगा, बजाए इसके कि मैं सबका अलग-अलग उत्तर दूं। इसके पश्चात् यदि कोई बात रह गई तो, मैं उसका उत्तर देने का भी प्रयत्न करुंगा।

आज सबसे बड़ा खतरा उर्जा संकट का है। मेरे विचार में सभी इससे सहमत होंगे। भाग्यशील देशों के पास तेल है और वे वर्तमान स्थिति का पूर्ण फायदा उठा रहे हैं। आज ऊर्जा संकट, औद्योगिक आधार, औद्योगिक मूलभूत सामग्री और माननीय समाज के लिए खतरा बना हुआ है। अतः हमारा इस समय काम यह सुनिश्चित करना है कि देश की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति जहां तक सम्भव हो विद्युत से की जाए। परन्तु दुर्भाग्य से इस समय जो स्थिति है, उसके अनुसार कुल वाणिज्यिक ऊर्जा उपभोग में से विद्युत ऊर्जा का भाग केवल 28% है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं विशेषरूप से उस सदस्य के साथ जो यह कह रहे थे कि कुछ समय के बाद कोल के आयात पर आश्चर्य चकित कर देने वाली राशि व्यय करनी पड़ेगी। आज भी हम तेल के आयात पर काफी जन व्यय कर रहे हैं। एक दूसरी तस्वीर भी है। यदि हम प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग को लें, जो कि देश में विकास को नापने का पैमाना है, तो आंकड़े हमें बतलाएंगे कि हम शेष विश्व से कितने पीछे हैं। परन्तु इस विषय में आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अन्य देश हमारे से कहीं अधिक विकसित है और उन्होंने अपनी औद्योगिक मूलभूत सामग्री का निर्माण हमारे से काफी पहले वर्षों पहले का दिया था। इस सन्दर्भ में आप देख सकते हैं कि कनाडा जैसे देशों में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 11,000 किलोवाट, स्वीडन में 9000 किलोवाट, सोवियत रुस में 4,000 किलोवाट, स्पेन में 2,000 किलोवाट है जब कि हमारे देश में यह केवल 120 किलोवाट है। मैं इस बात पर विश्वास करना चाहूंगा कि प्रतिव्यक्ति बिजली की खपत एक आधुनिक समृद्ध देश की निशानी है और इससे लोगों के रहन सहन के स्वर का पता चलता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह समृद्धि सूचकांक हमारे देश में भी उपर जाए।

वादविवाद का उत्तर देते हुए मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि विद्युत की कमी बनी हुई है और मांग और पूर्ति में अन्तर बना हुआ है। यह भी तथ्य है कि विद्युत उत्पादन की दर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वह मांग की बढ़ती दर से बहुत कम है। हाल में विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था और यह सम्मेलन प्रत्येक दृष्टिकोण से सफल रहा था। इस सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि हमारी योजनाएं इस प्रकार बनाई जाएं कि सदैव 10 प्रतिशत आरक्षित रहे। इससे न केवल हमें मांग की पूर्ति करने में सहायता मिलेगी बल्कि बिजली की कटौती रोकने में भी जो कि हमारे देश में आम बात हो गई है, सहायता मिलेगी। विद्युत की कमी के कारण हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने में काफी धक्का लगा है। इसलिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ बनाने का काम यथा संभव थोडे समय में पूरा किया जाना चाहिए। अन्यथा हमें कोई विकल्प नहीं मिलेगा।

सम्पूर्ण भारत की दृष्टि से विद्युत की आवश्यकता 27,000 मैगावाट है जबकि केवल 15,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध है। इस समय कुल स्थापित क्षमता 30,000 मैगावाट है। इस 30,000 मेगावाट में से 11,000 मैगावाट हाइड्रो है और शेष थर्मल। हाल ही के वर्षों में विद्युत की कमी का कारण किसी सीमा तक क्षमता उपयोग की कमी भी रही है । राज्य मंत्री ने क्षमता उपयोग के मुद्दे को लिया था। अतः मैं इस मुद्दे पर सभा का समय नहीं लूंगा। जब कभी हमने इस बात पर चर्चा की है हमारे अधिकांश मित्र क्रुद्ध हो गए और कहने लगे 'आप इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं?' हर जगह इसकी कमी है। परन्तु कमी को दूर करने के लिए कुछ किया जाना होगा। इस समय यह 12,000 मैगावाट के लगभग है ।

मैं अब इस बात को लेता हूं कि लागत में वृद्धि कैसे हुई। यह एक दूसरा मुद्दा है जिस का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक किलोवाट बिजली के उत्पादन और वितरण के लिए पिछले दो वर्ष के 9,000 रुपए की तुलना में इस समय 12,000 रुपए चाहिएं। विशेषज्ञों की राय यह है कि अगले दशक में विद्युत में 100%की वृद्धि होगी। इस सन्दर्भ में अगले पांच वर्षों के दौरान हमारे पास लगभग 20,000 मैगावाट नई क्षमता हो जाएगी। जिसमें से हाइड्रो 5000 मैगावाट होगी। कतिपय सदस्यों ने यह शंका आशंका व्यक्त की है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। इस बात का केवल भविष्य में ही पता चल सकता है भावी घटनाएं इसे सिद्ध कर सकती हैं। परन्तु हम तो केवल इतना कह सकते हैं कि हम अपनी ओर से पूर्ण प्रयत्न करेंगे। हमें विभिन्न उपाय करने होंगे ताकि प्रगति हो सके और समयानुसार काम पूरा हो सके। हमने निरीक्षण प्रणाली अपनाई हुई है। हम प्रत्येक मण्डल को यह कहकर कि "हम आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे आप हमें अपनी आवश्यकताएं बताओं' सहायता कर रहे हैं। हम भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स को यह कह रहे हैं कि 'आपको सुपुर्दगी के अपने नियत समय को बनाए रखना चाहिए; यदि आप सुपुर्दगी के अपने नियत समय पर नहीं चले तो हम एक नई शास्ति खण्ड लगा देंगे। हम ऐसा करने में हिचकेंगे नहीं, हम यद्यपि देशी सेटों का समर्थन करते हैं परन्तु इसका यह अर्थ तो नहीं कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स नियत समय का पालन ही न करें'।"

एक दूसरी बात जो हमारी चिन्ता का कारण बनी हुई है वह यह है। निसन्देह कुछ राज्य विद्युत मण्डल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जैसे महाराष्ट्र और गुजरात। यदि आप इनकी तुलना अन्य मण्डलों से करें तो पता चलेगा कि वे अपना काम भली भांति कर रहे हैं। मैं यहां पर एक से अधिक बार कह चुका हूं कि जब असन्तुलन की बात चलती है तो आपको यह अनुभव करना चाहिए कि हम इन असन्तुलनों को एक दिन एक वर्ष या दो वर्ष या तीन वर्षों में समाप्त नहीं कर सकते हैं। असन्तुलनों को दूर करने में समय लगता है। पश्चिम बंगाल हानि क्यों उठाए। बिहार हानि क्यों उठाए? असन्तुलनों को समाप्त करने के उद्देश्य से हम इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि भारत को एक यूनिट के रूप में लिया जाए और इसके लिए हम यथा सम्भव शीघ्र एक 400 किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइन बनाना चाहते हैं। जिस प्रदेश में कमी है, जिस प्रदेश को विद्युत चाहिए हम उस क्षेत्र को विद्युत देना चाहते हैं ताकि विकास कार्य न रुकें। हाल ही में हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में इस विचार को मुख्य मंत्रियों और विद्युत मंत्रियों का व्यापक समर्थन मिला है।

हम जब यह कहते हैं कि राज्य विद्युत बोर्डों को अपना प्रबन्ध सुधारना चाहिए तब हमारा यह अर्थ नहीं है कि हम उनके अधिकारों का मूल्यांकन कम कर रहे हैं। हम यह नहीं कहते कि हम उनके अधिकारों को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। परन्तु हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि वे कुशलता से कार्य करें और बिजली का अधिकतम उत्पादन करें और क्षमता का उपयोग भी अधिक होना चाहिए।

कुछ सदस्यों ने मेरी आलोचना की है और पूछा है। 'दामोदर घाटी निगम की स्थिति क्या है? दामोदर घाटी निगम की कोई प्रसन्न करने वाली बात नहीं है।, मैं सभी क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, भले ही ये राज्य क्षेत्र हैं या केन्द्रीय क्षेत्र। यदि कोई प्रभावी और कुशलता से कार्य नहो करता है तो उस संवंध में कुछ करना होगा। मैं भारत सरकार के विद्युत मंत्री के नाते इस कार्य अदक्षता का दर्शक मात्र नहीं बना रह सकता। मैं नहीं जानता कि पश्चिम बंगाल के मेरे कुछ मित्र दामोदर घाटी निगम के घटिया और बुरे प्रबन्ध से प्रसन्न क्यों हैं? इसमें खुशी की क्या बात है? इसमें प्रसन्नता की कोई बात नहीं।

[श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी]

वर्ष 1976–77 में दामोदर घाटी निगम का उत्पादन कितना था? वर्ष 1978–79 में कितना था? 1979–80 में कितना था? कृपया उस बारे में सोचें। उत्पादन में सुधार लाने के लिए मैंने दामोदर घाटी निगम के लिए जो कुछ किया है उस के संबंध में कुछ बताऊंगा। मैंने वहां विशेषज्ञ भेजे थे। एक ब्रिटिश दल में से एक अपनी टीम में से तथा दोनों ने अपनी रिपोर्ट दे दी हैं। हम उनके द्वारा निर्दिष्ट त्रुटियों को दूर करने जा रहे हैं। इस प्रकार हमने यह निर्णय किया है कि यदि स्थिति ऐसी हुई तो हम सभी राज्य विद्युत मंडलों में अपने विशेषज्ञ भेजेंगे, विदेशी विशेषज्ञ भी ताकि वे अपनी त्रुटियों को दूर कर सकें और यदि उन्हें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो हम देने के लिए तैयार हैं।

कुछ लोक केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र की तुलना राज्य विद्युत क्षेत्र से कर रहे हैं। केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र में क्या हो रहा है? केवल 2000 मेगावाट। शेष सब राज्य विद्युत मण्डलों के पास है। व्यावहारिक रूप में राज्य विद्युत मण्डलों का हमारे लिए बहुत महत्व है। हमने अपनी चिन्तों व्यक्त की हैं। मेरे विचार में मेरे अधिकांश मित्र मेरी इसी बात से सहमत होंगे कि इस बात पर विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि बहुत से राज्य विद्युत मण्डलों में प्रमुख समस्याएं दक्ष और वाणिज्यिक मूलक प्रबंध से संबंधित हैं। हम राज्य विद्युत मण्डलों में से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अकुशल प्रबन्ध समाप्त होना चाहिए। हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम उनसे आग्रह कर रहे हैं। हम उन सबसे यह कहने जा रहे हैं कि जो कुछ होने जा रहा है उसे समझें। हम सभी मुख्य मंत्रियों से कह रहे हैं कि....

श्री भागवत झा आज़ाद : पश्चिम बंगाल सहित।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : वे समस्या के इस पहलू को भी देखें। आजकल विद्युत समस्या कुछ इस प्रकार की है कि मैं पूर्ण गम्भीरता से कह सकता हूँ कि इसे तब तक कभी हल नहीं किया जा सकता जब तक राज्य मण्डल दक्षता से और प्रभावी ढंग से काम नहीं करते। उन्हें निर्धारित समय पर परियोजनाएं पूरी करनी होंगी। मैंने कई राज्य विद्युत मण्डलों के अध्यक्षों विद्युत, मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों से कहा है कि वे चल रही परियोजनाओं पर अधिक ध्या दें तथा अवसरों और स्रोतों को जो कि सीमित हैं व्यर्थ न गंवाएं। स्रोत मिश्रित है।

मेरा ऐसा कहने का यह अर्थ नहीं है कि केवल आप चालू परियोजनाओं पर ध्यान दें। अनेक राज्यों द्वारा यह शिकायत की गई है कि उर्जा विभागों को स्वीकृति हेतु भेजी गई परियोजनाओं को अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है और वे काफी समय से वहां पड़ी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निर्णय लिया है, वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया है, विशेषरूप से ऊर्जा विभाग ने कि प्रत्येक ताप परियोजना के औद्योगिकी—आर्थिक पक्ष को तीन महीनों के अन्दर स्वीकृति दे दी जाएगी। कुछ भी निलम्बित नहीं रखा जाएगा। परन्तु यह स्पष्ट है कि स्रोतो के प्रश्न पर जो कि सभी राज्यों के सीमित हैं, बड़ी सावधानीपूर्वक विचार करना है। मैं पूर्ण गम्भीरता से सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को यह कहता हूं कि अपने विभाग की ओर से मैं सभी प्रकार की सहायता दूंगा ताकि यह वित्त मंत्रालय या योजना विभाग में जाकर न अड़ जाए।

महोदय बहुत से सदस्यों ने कोयले की सप्लाई, कोयले की किस्म की समस्या पर प्रकाश डाला है। केन्द्र इस संबंध में पूरी तरह जिम्मेदार हैं और निस्संदेह कुछ कठिनाईयां रही भी हैं, मैं इस से इन्कार नहीं करता और न ही किसी विवाद में पड़ता हूं। कुछ कठिनाइयां रही हैं परन्तु मैं इसकी जिम्मेदारी राज्यों पर नहीं डालूंगा। यह हमारा उत्तरदायित्व है और हमने इसे पूरा करने का निश्चय किया है।

जहां तक कोयले की किस्म का संबंध है हमने इस ओर ध्यान दिया है और मुझे आशा है कि कोयला धुलाई के कारखानों से, जिन्हें जल्दी लगाने की हमारी योजना है, कोयले की किस्म में और अधिक सुधार होगा और कोई शिकायत नहीं रहेगी। रेलवे मंत्रालय ने निस्संदेह, हमारी सहायता की है परन्तु वे हमारी सहायता उस सीमा तक नहीं कर पाएं है जितनी हम चाहते थे।

इस प्रकार कोयले की ढुलाई भी एक बड़ा गतिरोध बनी हुई है। तथा कोयले की ढुलाई के तरीकों के संबंध में अत्यधिक विचार भी किया गया है। यह ढुलाई 'स्लरों पाइपलाइन' द्वारा की जाए या समुद्र द्वारा, इस पर विचार किया जाना है और आगे बढना है ताकि कोयला निर्धारित स्थल पर पहुंचे। हमने उनसे रेलवे के विस्तार के बारे में भी अनुरोध किया है। हमारे प्रधान मंत्री ने ही यह सुझाव दिया था कि कोयला क्षेत्रों के निकट एक विशाल ताप बिजली केन्द्र की स्थापना यथासम्भव शीघ्र की जाए।

आधे घंटे की चर्चा के बारे में

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट ठहरिए। सायं 3.30 बजे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर सभा को विचार करना है और सायं 6.00 बजे आधे घंटे की चर्चा पर विचार करना है। सरकार मांगों को आज पूरा करने के लिए उत्सुक है। उस हालत में हमें 3.30 बजे के बाद तक उन पर विचार करना होगा और यह केवल सभा की सहमति से हो सकता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा आधे घंटे की चर्चा के समय तदनुसार बदल जाएंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के संबंध में कोई समझौता नहीं होगा। गैर-सरकारी सदस्यों के समय का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : हम केवल इन्हें स्थागित कर रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह एक गलत प्रथा बन जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : पिछली बार यह किया गया था।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह गलत था। ऐसा नहीं होना चाहिए था।

श्री भागवत झा आजाद : हमें जानना चाहिए कि मंत्री महोदय कितना समय लेंगे। समय समाप्ति के समय बढाया जा सकता है। (व्यवधान) दूसरे पक्ष के सदस्यों ने अपना मत व्यक्त कर दिया है। हम यहां मंत्री जी को सुनना चाहते हैं और मांगे समाप्त करना चाहते हैं। हमें सभा की सहमति लेनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप को कितना समय चाहिए ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मुझे मुश्किल से 20 से 25 मिनट चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जारी रख सकते हैं। मेरे विचार में सभा स्थगित करने के लिए सहमत है। हम गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों को 3.30 के बजाए 4.00 बजे लेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : नहीं, श्रीमान्, सहमति एक दल की नहीं सभी दलों की होनी चाहिए।

श्री भागवत झा आजाद : यह पूरी सभा की सहमति है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अन्य दल भी हैं। अंतः गैरसरकारी सदस्यों के विधेयक के समय का अतिक्रमण न किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री क्या कहते हैं? वह श्री जार्ज से अनुरोध करें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : गैर सरकारी सदस्यों के समय का अतिक्रमण नहीं होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : हम 4.00 बजे तक का समय लेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप इसे 6.30 के बाद ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह जार्ज फर्नान्डीस से अनुरोध कर रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जहां तक हमारा संबंध है, गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य परमपावन है। मेरे विचार में आप इसका अतिक्रमण नहीं कर सकते।

संसदीय कार्य विभाग म राज्य मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : मेरा निवेदन है कि इसको आप खत्म कर लें और इसके बाद गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को ले लें और उसकी पूरा ढाई घंटे का समय दे दें। थोड़ा सा इसके लिए हाउस को बढ़ा दें।

श्री रामावतार शास्त्री : आधे घण्टे की चर्चा के बाद आप इसको लें।

श्री भागवत झा आज़ाद : आप गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों को 4.00 बजे ले सकते हैं। इसे चार बजे होने दीजिए। मैं सभा को यह सुझाव देता हूं और सभा का कार्य 6.30 बजे तक चल सकता है। हम गैर-सरकारी सदस्यो के समय में से एक मिनट भी नहीं लेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : महोदय, मुझे खेद है। गैर सरकारी सदस्यों के समय में कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए **(व्यवधान)**।

श्री भागवत झा आज़ाद (भागलपुर) : यह हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। गत 25 वर्षों में यह सभा की सम्पत्ति से अक्सर किया गया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जी नहीं, सर्वसम्मत्ति एक पार्टी का दृष्टिकोण नहीं है। फिर आप बहुमत कहिए। **(व्यवधान)** सर्व सम्मति का अर्थ बहुमत नहीं है। हम सभी-मार्क्सवादी, जनता और लोकदल के सदस्य इसके विरुद्ध हैं।

(व्यवधान)

श्री सीता राम केसरी : महोदय, क्या मैं निवेदन कर सकता हूं? मैं नियम 26 उद्धरित करता हूं :

"शुक्रवार को बैठक के अन्तिम ढाई घंटे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए आवंटित किये जायेंगे।"

अन्तिम का अर्थ है जब सरकार का कार्य समाप्त हो जाये तब गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक लिए जायगे।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : इस मामले में कार्यसूची में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य मध्याह्न पश्चात् 3.30 बजे आरम्भ होगा। यदि सरकारी कार्य की समाप्ति के बाद ही इसे शुरु होना होता तो कार्यसूची में कोई भी समय नहीं दिया होता।

(व्यवधान)

श्री भागवत झा आज़ाद : हम नियमों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री के अपने कार्यकरण के दौरान श्री वर्मा ने कई बार समय बढाने का प्रस्ताव किया होगा जब कि समय 6 बजे तक बढाया गया था।

श्री रवीन्द्र वर्मा : नहीं, नहीं। मैंने समय बढाने के लिए कहा होगा किन्तु गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आरक्षित समय का उल्लंघन करने के लिए कभी नहीं कहा होगा।

(व्यवधान)

श्री भागवत झा आज़ाद : इस सभा में गत 25 वर्षों में कई बार इसे 4 बजे तक बढाया गया। अतः म कोई भी अपूर्व बात नहीं कह रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप साढे 6 बजे के बाद बैठिए, आप हमारी बात क्यों नहीं मान लेते?

श्री सीता राम केसरी : यह तो 15 मिनट में ही खत्म हो जायेगा और अब तक तो यह खत्म हो भी जाता, इसमें क्या बात है?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आधे घंटे की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : सभा मध्याह्न पश्चात 6.30 बजे के बाद बैठे।

(व्यवधान)

श्री भागवत झा आज़ाद : सभा में गणपूर्ति नहीं होगी और आपको यह नहीं मिलेगी। यदि विपक्ष हमारे साथ सहयोग नहीं करता है तो हम आधा घंटे की चर्चा के दौरान यहां नहीं होंगे। तुम्हारी कोई चर्चा नहीं होगी इसका ध्यान रखिए **(व्यवधान)**।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त। कृपया सुनिए। मैं इसमें बहुमत अथवा अल्पमत नहीं कहना चाहता। मैं सारी सभा का सहयोग चाहता हूं। अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक लेंगे। यह किसी की विजय या हार नहीं है। अब हम आगे चलें।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : यदि आप गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य अब लेते हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या आप इस चर्चा को गैर-सरकारी सदस्यों के बाद लेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे इस बात पर विचार करें क्या हम आधे घंटे की चर्चा कब तक स्थगित कर सकते हैं। हम इसे कब ले सकते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : महोदय, यह नहीं हो सकता है। यह बार स्थगित हो चुकी है। यह दूसरी बार है।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः 6 बजे बाद गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के बाद मंत्री महोदय उत्तर देंगे। हम आधे घंटे की चर्चा 7 बजे लेंगे। यह मेरा निर्णय है। ....

श्री भागवत झा आजाद : ठीक है। अब हम आगे कार्यवाही करें। आप क्या चाहते हैं? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आखिर हमें समझौता करना ही चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, अब आपको मेरी बात माननी चाहिए। मुझे बहुत खेद है। यह मेरा निर्णय है। अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक लेगी।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं इसको विरोध कर रहा हूं। मैं आपके निर्णय से सहमत नहीं हूं। आधे घंट की चर्चा समाप्त होने के बाद इस चर्चा के लिए मैं तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम आगे शुरु करें। अब श्री बैठा।

श्री रामावतार शास्त्री : हम इसके लिए सहमत नहीं है वे इस चर्चा को समाप्त करना चाहते हैं। वे आधे घंटे की चर्चा को समाप्त करना चाहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने विरोध कर लिया बस ठीक है। आप कृपया बैठ जाए।

अब हम गैर सरकारी सदस्यो का कार्य आरम्भ करते हैं।

श्री बैठा।

गर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चौथा प्रतिवेदन

श्री डूमर लाल बैठा (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन से, जो 9 जुलाई, 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन से, जो 9 जुलाई 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत **(व्यवधान)**

श्री रामावतार शास्त्री : **

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री अब जो कुछ बोलेंगे वह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। कृपया शान्त। मैंने श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत का नाम लिया है .... वह उपस्थित नहीं हैं। श्री आर० एल० पी० वर्मा—वह भी अनुपस्थित हैं। प्रो० नारायण चन्द पाराशर।

**कावार्यंही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अष्टम अनुसूची का संशोधन)

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 366 आदि का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : फिर प्रो० पराशर।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मैं विधेयक पुनःस्थापित करता हूं।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) निरसन विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीस।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1958 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वी० एन० गाडगील—अनुपस्थित। श्री पारुलेकर—अनुपस्थित। प्रो० मधु दंडवते—अस्वस्थ हैं। अब श्री रामविलास पासवान।

भूख से मृत्यु (पूर्वविधानी उपाय और उत्तरदायित्व) विधेयक

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भूख से मृत्यु न होने देने के लिए और इस संबंध में उत्तरदायित्व के लिये ग्राम एवं जिला प्राधिकारियों द्वारा पूर्वविधानी उपायों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूख से मृत्यु न होन देने के लिए और इस संबंध में उत्तरदायित्व के लिए ग्राम एवं जिला प्राधिकारियों द्वारा पूर्वविधानी उपायों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करन की अनुमति दी जाये'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम विलास पासवान : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 341 का प्रतिस्थापन)

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम विलास पासवान : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (अनुसचित आदिम जातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश (संशोधन) विधेयक

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत (अलमोडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधाव (अनुसजित आदिमजातिया) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

स्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक—जारी

(अनुच्छेद 19 और 326 का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दण्डवते द्वारा 27 जून, 1980 को पेश किए गए निम्न लिखित प्रभाव पर हम आगे विचार करेंगे, अर्थात् :—

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए हमारे पास केवल 44 मिनट हैं। अतः मेरा श्री डागा से जो गत समय बोल रहे थे, निवेदन है कि वह केवल चार मिनट लें।

मूल चंद डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, जो इस बिल में जनमत जानने के लिए संशोधन पेश किया गया है उस का मैं मजबूती से समर्थन करता हूं। मैं जानता हूं कि संविधान में संशोधन करना कितना आसान है। जिसमें यहां बिल पेश न किए जाते हैं उन में संविधान का संशोधन करने के बिल ज्यादा आते हैं और उस के आधार पर ज्यादातर विधेयक पेश किए जाते हैं। जब मैंने यह बिल देखा तो सभी मालूम हुआ कि आप चाहते हैं कि 18 साल की आयु के लोगों को वयस्क मत्ताधिकार, यानी वोट देने का अधिकार दे दिया जाय। बहुत अच्छा लुभावना नारा है और इस नारे के आधार पर आप आस्था खडी करना चाहते हैं। आज हिन्दुस्तान में सब लोग चाहते हैं और उधर बैठने वाले युवक यह चाहेंगे कि 18 वर्ष के लोगो को यह अधिकार दे दिया जाय। लेकिन मैं समझता हूं कि इस पर थोड़ा गहराई से विचार किया जाय। थोड़ा सा और समय दिया जाय और इस पर सोचा जाय कि क्या आज हिन्दुस्तान के अन्दर हम 18 साल के लोगों का मत देने का अधिकार दे दें? क्या संविधान में यह अधिकार देना उचित है या नहीं? इस के ऊपर कई दृष्टिकोणों से में हमें विचार करना चाहिए।

हिन्दुस्तान गावों में रहता है। एजूकेशन की जो फिगर्स मैंने देखी हैं उससे मालूम होता है कि हिन्दुस्तान में आज 29 प्रतिशत लोग ही शिक्षित हैं। गांवो के अंदर देखें तो गावों में केवल 18 प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं। और कुछ राज्यों में, जैसे मैं अपने राजस्थान की बात कहना चाहता हूं, वहां 11 प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं। कई ऐसे प्रदेश हैं जहां इस से भी कम लोग गावों के अंदर पढ़े लिखे हैं। तो हमारी

[श्री मूलचंद डागा]

80 प्रतिशत जनता जो गांवों में रहती है वह शिक्षित नहीं है। आज हम चाहते हैं कि हम जवानों को यह उम्मीद बंधाएं कि हम तुम को वोट देने का अधिकार देना चाहते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान में जो आज शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट आई है, कहीं यह न हो जाय कि हिन्दुस्तान में बैंड बजाने वाले और केम्प लगाने वाले जो हैं उन की संख्या बढ़ जाय और बहुत कम तादात में ऐसे लोग रहें जो अपना ध्यान इस तरफ दे सकें। आज ऐसा दिखाई पड़ता है कि युवकों में वह शालिनता नहीं आई है जिस की हम उन से उम्मीद करना चाहते हैं। 18 साल के युवकों में उमंग हो सकती है, उनमें बड़ा जोश हो सकता है लेकिन वह सौम्यता और शालीनता अभी तक नहीं बढी है। मैंने देखा है कि वोटर लिस्ट में 16—18 साल के युवक भी अपनी उम्र 21 साल लिखा देते हैं ताकि उनको वोटिंग राइट मिल जाए। (व्यवधान) एक माननोय सदस्य कह रहे हैं कि 9 साल वाले भी 21 साला की उम्र लिखा देते हैं। कोई लड़का अगर मोटा-ताजा होगा तो वह कह देगा कि मेरी उम्र 21 साल की है। आप अगर 21 साल की उम्र को घटाकर 18 साल कर देंगे तो 14-15 साल की उम्र के युवक अपनी उम्र 18 साल बता देंगे। इस तरह से आप मतदाताओं का नम्बर और बढ़ा देंगे। आज हमारे विद्यार्थियों का काम शिक्षा प्राप्त करना है। हमारे नेताओं ने कहा था कि शिक्षा जगत में विद्यार्थियो को ज्यादा राजनीति के क्षेत्र में न डाला जाए। उनको शिक्षा ग्रहण करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। मैंने इस देश के सारे प्रान्तों में इल्लीट्रेसी की जो स्थिति है वह पहले ही बताई है। आज वोट देने के अधिकार की जहां तक बात है, सभी जवान लोग कहेंगे कि यह अधिकार हमें दे देना चाहिए लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि फ्रायड की जो "सैक्स साइकालोजी" किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि 18 साल की उम्र में युवक एडल्ट होता है और 21 साल में मानसिक शक्तियो का विकास होता है।

दूसरी बात हमें यह भी सोचनी है कि हमारी देश में वोटिंग परसेंटेज क्या है। अभी विधान सभाओं के चुनावों में तो वोटिंग परसेंटेज और भी कम हो गया। यह वोट देने वालो की संख्या क्यों कम हो रही हैं? मने देखा एक पोलिंग बूथ पर केवल 35 परसेंट वोट ही डाले गए। इस तरह से 65 परसेंन्ट लोग वोट देना पसंद ही नहीं करते हैं। ऐसी हालत मे 18 साल के लड़के जोकि स्कूल हाई और एइण्डरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं उनका ध्यान आप वोट की तरफ आकृष्ट मत कीजिए।

लोग तो कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए क्योकि जवानों में उमंग होगी और युवक खुश होंगे कि उन्हें वोट का अधिकार मिल गया लेकिन मन्त्री जी को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि ऐसा करने से इस देश में करोड़ों वोटर्स बढ़ जायेंगे, आपको पोलिंग बूथ बढ़ाने पड़ेंगे और इस तरह से आपका एक्सपेंडीचर बहुत बढ़ जायेगा।

यूनिवर्सिटीज में जो चुनाव होते हैं उनका माहौल भी मैंने देखा है। लड़कों की जो वहां हालत होती है और जो खर्चा होता है उन सभी बातों को हमें सोचना चाहिए। केवल लुभावने नारे में हमकों नहीं पड़ना चाहिए। दण्डवते साहब यहां पर नहीं हैं, शायद मेहरबानी करके वे इसकी वापिस ले लेते। अगर नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर एक बार हिन्दुस्तान की 52 करोड़ जनता से पूछ लीजिए, प्रचारित कर लीजिए और हिन्दुस्तान के लोगों की राय ले लिजिए। लेकिन मैं यह समझता हूं कि 21 साल से कम उम्र के लोगों को मत देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी लगभग 9 माननीय सदस्यों ने वोलना है। बहुत सीमित समय उपलब्ध है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : कृपया समय एक घंटे और बढ़ाया जाये।

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री श्री पी० शिव शंकर : गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य में अन्य विधेयक हैं। उनका क्या होता है ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आज अन्य कार्य भी लिया जा सकता है। क्या सभा इस मद के लिए एक घंटा समय बढ़ाना चाहती है ?

कुछ माननीय सदस्य : हां।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : महोदय, मुझे उत्तर देने का अवसर मिलना चाहिए। प्रस्तावक यहां नहीं हैं। मैंने संशोधन पेश किया है।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री चित्त बसु।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि सभा माननीय सदस्य प्रो० मधु दण्डवते के प्रति आभार प्रकट करेगी कि वह उचित समय पर इस प्रकार का विधेयक लाये हैं। **(व्यवधान)** मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि विधेयक के प्रस्तावक ने इसे पेश करते हुए इसमें व्यापक क्षेत्र को लिया है।

मैंने श्री मूलचन्द डागा के तर्कों को सुना। केवल श्री डागा ही नहीं किन्तु अन्य लोग भी विधेयक की भावना का विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध तीन आधारों पर हैं। ये हैं : (क) यदि मतदान की उम्र 21 से घटा कर 18 की जाये तो निर्वाचन व्यय में वृद्धि होगी; (ख) शिक्षा का स्तर तथा जितनी साक्षरता आज है उससे 18 वर्षीय व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से जिम्मेदार नहीं समझा जा सकता है; और (ग) युवकों में अभी भी भारी अनुशासनहीनता है।

इसलिए उन्हें वयस्क मताधिकार नहीं देना चाहिये। (व्यवधान) भारत सरकार की अद्यतन सूचना के अनुसार यदि वोट देने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी जाये तो मतदाताओं की संख्या 3,81,34,800 और बढ़ जायगी। यह जानकारी इस वर्ष के 17 मार्च को माननीय कानून और विधि मंत्री द्वारा राज्य सभा में दिये गये उत्तर के अनुसार है। अतः चुनाव खर्च बढ़ेगा।

महोदय आप इस बात से सहमत होंगे कि प्रजातंत्र महंगा है, इस कारण यदि चुनाव कार्य में खर्च कुछ हद तक बढ़ता है तो देश को इसके लिए शिकायत नहीं करनी चाहिए। परन्तु मुख्य बात यह है कि क्या हम देश में युवा शक्ति को मान्यता देना चाहते हैं, क्या हम उन्हें हमारे प्रजातंत्र में भाग लेने देना चाहते हैं, क्या हम हमारे देश की युवाशक्ति को निर्णय करने की प्रक्रियाओं में हिस्सेदार बनायेंगे? मेरे विचार से पूरा राष्ट्र और सदन इस बात को मानेंगे कि जब तक इस राष्ट्र के युवकों को हमारे देश की नीति-निर्माण प्रक्रियाओं से जोड़ा नहीं जायेगा, तब तक उनसे आप जो उत्तरदायी दृष्टिकोण की अपेक्षा रखते हैं इसकी आशा नहीं कर सकते। अगर हम उन्हें इसका उत्तरदायित्व दें तो मुझे विश्वास है कि वे उतने ही उत्तरदायी सदस्य उतने ही उत्तरदायी मतदाता सिद्ध होंगे, जितने हमारे समाज के अन्य वर्ग के लोग हैं। अतः, देश की युवाशक्ति का उपयोग हमारे प्रजातंत्र के लिए करने और उन्हें यह महसूस करने देना कि वे भी प्रजातंत्र के महत्वपूर्ण अंग है, हमारे राष्ट्र के हित में है। मेरे विचार से मतदान करने के लिए उम्र कम करने के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये। यह प्रो० दंडवते का कोई नया विचार नहीं है।

कई वर्ष पूर्व, इस सदन की याचिका समिति ने मतदान करने की उम्र कम करने के विषय पर विचार किया था। सदन के लाभ के लिये मैं इस याचिका समिति के प्रतिवेदन से कुछ अंश उद्धरित करता हूं :

> "यद्यपि इस प्रस्ताव के विरुद्ध इस उम्र में युवकों का अपरिपक्व होना, और मतदाताओं की संख्या में भारी वृद्धि होने से चुनाव खर्च काफी वृद्धि जैसे तर्क दिये गए हैं फिर भी समिति यह महसूस करती है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मताधिकार से वंचित करने का कोई वैध कारण नहीं है विशेषकर जब कानून के सभी दूसरे प्रयोजनों के लिए उन्हें वयस्क माना जाता है और अपने मामलों को निपटाने में सक्षम समझा जाता है।"

अतः पुनः उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। याचिका समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची और 1970 में उसने यह सिफारिश की थी। इस मामले की जांच केवल याचिका समिति ही ने नहीं की, डा० कर्णसिंह के नेतृत्व वाली समिति ने भी मामले की जांच की एवं उसने भी अपना विचार वोट देने की उम्र को कम करने के पक्ष में दिया।

19 मार्च 1976 को भी दूसरे सदन में इसी तरह की मांग करते हुये मतदान करने की उम्र कम करने की मांग को लेकर श्री भूपेश गुप्ता द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था। उत्तर देते वक्त सरकार ने यह कहा

[श्री चित्त बसु]

कि वह मतदान करने की उम्र कम करने के विचार को अस्वीकार नहीं करती । मेरा विचार है कि आप मुझसे सहमत होंगे ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैं अब भी उससे सहमत हूं ।

श्री चित्त बसु : सरकार का तर्क यह था कि जब निर्वाचकीय सुधार के सम्पूर्ण प्रश्न पर संसद की संयुक्त समिति द्वारा विचार किया जा रहा है तो मतदान करने की उम्र कम करने के मामले को भी उसके विचार के लिए छोड़ देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बहस में भाग लेने वालों में से एक था । मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री चित्त बसु : 27 फरवरी 1978 को भूतपूर्व विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री शांति भूषण ने एक प्रश्न के उत्तर में राज्य सभा में कहा कि "सरकार मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 से 18 वर्ष करने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है ।" कांग्रेस सरकार ने इस विचार का विरोध नहीं किया।

जनता सरकार ने भी इस विचार को अस्वीकार नहीं किया बल्कि उन्होंने कहा कि मतदान करने की उम्र को कम करने के प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया में सुधार के बारे में संसद की संयुक्त समिति की सिफारिश का उल्लेख मैंने और दूसरों ने भी किया है । उस समिति ने भी मतदान की उम्र कम करने के पक्ष में अपना विचार दिया था । निर्वाचकीय सुधार की जांच करने हेतु श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित समिति का भी उल्लेख करूंगा । उस समिति ने भी मतदान करने की उम्र कम करने की सिफारिश की थी । अतः यह स्पष्ट है कि मतदान की उम्र कम करने के लिए विभिन्न समितियों ने भारी बहुमत से सिफारिशें की हैं। केरल विधान सभा द्वारा 26 मार्च 1971 को सर्वसम्मति से पास किये गये गैरसरकारी संकल्प में केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से संविधान में आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध किया था ताकि उन सभी भारतीय नागरिकों को मत देने का अधिकार मिल सके जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है ।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और केरल सरकार ने पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम के चुनाव में मतदान करने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी है । बिहार, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनावों के लिए मतदान करने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी है । राजस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार ने मतदान की उम्र नगरनिगम एवं नगरपालिका के चुनाव के लिए 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह श्री मूलचंद डागा से सुझाव लिये बिना किया गया था ।

श्री चित्त बसु : तमिलनाडु सरकार ने, जिसका प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य आपको मिला है, स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए, मतदाताओं की उम्र 21 से 18 वर्ष करने के लिए विधान प्रस्तुत करने का निर्णय किया है । अतः मेरा श्री डागा से यह प्रश्न है कि यदि इस राज्य की सरकार और अन्य राज्य, नगरनिगम, पंचायत एवं स्थानीय निकायों के चुनाव हेतु 18 वर्ष के युवकों को मताधिकार प्रदान करने में सहमत हो सकते हैं तो फिर लोक सभा और विधान सभा चुनाव इनसे किस तरह अलग है ? यहां भी वही उत्तरदायित्व है । यदि वे स्थानीय निकाय के चुनावों में अपने मताधिकार के प्रयोग करने में पर्याप्तरूपेण उत्तरदायी साबित हुये हैं तो उन्हें संसद एवं विधान सभाओं के चुनाव में वोट देने से रोकने के तर्क को युक्तिसंगत नहीं माना जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक राज्य में स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि विधान सभाओं के लिए भी चुने जाते हैं । अतः 18 वर्ष की आयु पहले ही हो चुकी है ।

श्री मूल चन्द डागा : मेरे विचार से अध्यक्षपीठ द्वारा अपना ही विचार व्यक्त किया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनको विषयवस्तु दे रहा हूं ।

श्री चित्त बसु : मेरे विचार से सदन इस बात से पूर्णतया सहमत होगा कि युवकों की देश के कार्यों में अन्तर्ग्रस्तता सुनिश्चित करने के हित में है यह उच्चतम महत्व की बात है कि यह विधेयक पारित किया जाए ।

मैं भारत से बाहर के देशों के, जिन्होंने मतदान उम्र 18 वर्ष स्वीकार कर ली है उनके नाम नहीं गिनाना चाहता हूं। अगर आप को दिलचस्पी है तो मैं लम्बी सूची को पढ़ता हूं :—

1. अर्जेन्टीना
2. आस्ट्रेलिया
3. ब्राजील
4. बुलगारिया
5. कनाड़ा
6. कोस्टारीका
7. चेकोस्लोवाकिया
8. फिनलैंड
9. फ्रांस
10. जर्मन जनवादी गणतंत्र
11. जर्मन (फेडरल गणतंत्र)
12. हंगरी
13. डायल इरीन (आयरलैंड)
14. इज़रायल
15. पाकिस्तान
16. पोलैंड
17. रूमानिया
18. दक्षिण अफ्रीका
19. श्रीलंका
20. स्वीडन
21. ब्रिटेन
22. संयुक्त राज्य अमेरिका
23. इटली
24. पुर्तगाल
25. बंगला देश

श्री पी० शिवशंकर : इटली में मतदान की उम्र 21 वर्ष है।

श्री चित्त बसु : जी, नहीं। मेरे पास जानकारी है। ग्रंथालय के संदर्भ अनुविभाग से मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है। परन्तु कोई गलती होगी तो मैं सुधार करूंगा।

श्री पी० शिवशंकर : यह पूर्णतः सही नहीं है। इटली में मतदान करने की उम्र 21 है।

श्री चित्त बसु : मैं शुद्धि के अध्यधीन दूसरे देशों के नाम देना चाहता हूं जो इस प्रकार हैं :—

26. नीदरलैंड
27. वियतनाम
28. सीरिया अरब गणतंत्र
29. सोवियत संघ
30. युगोस्लाविया
31. ज़ाइरे
32. जाम्बिया

यह प्रश्न नहीं है कि किसी विशेष देश ने लागू किया है या नहीं।

जहां तक इटली का सम्बन्ध है मेरी अपनी जानकारी में सुधार करता हूं। इसका कोई महत्व नहीं है कि इटली में मतदान की उम्र 21 वर्ष है या 18 वर्ष। परन्तु यह बिलकुल स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में समाजवादी और पूंजीवादी देशों में सिद्धांततः मतदान करने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष स्वीकार किया है।

मैं एक बार पुनः इस सदन के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इसे दलीय मामला न बनायें। यह आवश्यक है कि हमारी युवाशक्ति को विधि निर्माण प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाय ताकि हमारे देश के संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके, ताकि युवक ऐसा महसूस करें कि वे हमारे राष्ट्र के हमारी अर्थव्यवस्था और निर्णय निर्माण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग है। इस विधान को पारित करना आवश्यक है और मुझे आशा है कि सदन मुझसे सहमत होगा। धन्यवाद।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री मधु दण्डवते ने जी कांस्टीट्युशन अमेंडमेंट बिल (1980) नं० 67 प्रस्तुत किया है उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। कांग्रेस की सरकार को यह निर्णय पहले ही ले लेना चाहिए था। जनता पार्टी की सरकार को भी अवसर मिला था। मधु दण्डवते जी गवर्नमेंट में मंत्री थे। वे और जनता पार्टी निर्णय ले सकते थे। पर मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने यह क्यों नहीं किया। अब हमारे जो मंत्री महोदय हैं वे भी यही कहेंगे कि हम इस पर सिम्पेथेटिकली विचार करेंगे। इस भाषा से अब काम नहीं चलेगा और विद्यार्थियों को इससे संतोष नहीं होने वाला है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर कल को विद्यार्थियों ने संघर्ष किया तो सरकार को झुक कर यह निर्णय लेना पड़ेगा। इसलिए कल को संघर्ष की कोई स्थिति पैदा हो जाए, उस से पहले ही, समय रहते हमारी सरकार को इस सम्बन्ध में कदम उठा लेने चाहिएं। अगर केन्द्रीय सरकार इस बात से डरती

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

है कि 18 वर्ष के जो नवयुवक हैं वे अधिकतर आर०एस०एस० में हैं तो हमारा और भी कर्तव्य हो जाता हैं और हमारे ऊपर और भी जिम्मेदारी आ जाती है कि हम उन नवयुवकों को जो ऐसी संस्थाओं में पार्टिसिपेट करते हैं उनको राष्ट्र की धारा में, नेशनल स्ट्रीम की ओर मोड़ें। जब वे मतदाता हो जाएंगे तो वे भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे और हम पर भी जिम्मेदारी आ जाएगी कि हम उनका मत प्राप्त करें।

इसका प्रयास भी करें। हमारी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है। अठारह वर्ष के नवयुवक जो साम्प्रदायिक विचारधारा में बह रहे हैं—शहरों में ये हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति नहीं है—उत्तर भारत की स्थिति मैं बता रहा हूं, दक्षिण भारत की स्थिति के बारे में—मुझे जानकारी नहीं है—उनको हमारा कर्तव्य हो जाता है कि वोट का अधिकार दे करके—नैशनल स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें। यह जिम्मेवारी हमारी है। उनको हम सही दिशा देने की कोशिश करें, यह कर्तव्य हमारा हो जाता है। आर्टिकल 326 मैंने पढ़ा है और कोट भी किया है। उस में साफ लिखा हुआ हैं एडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज का मतलब है वयस्क मताधिकार। मैंने कानूनों का भी अध्ययन किया है। जितने भी कानून बने हुए हैं सब में वयस्क अठारह वर्ष के युवक को माना गया है। वह मानेटरी ट्रांजेक्शन कर सकता है, एग्रीमेंट्स कर सकता है, रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस कर सकता है, कांट्रैक्टस्, एग्रीमेंट्स किसी भी प्रकार के कर सकता है, सम्पत्ति को ट्रांसफर कर सकता है चाहे वह लाखों रुपये की क्यों न हो, पार्टिशन में उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिन के पास करोड़ों की सम्पत्ति होती है उनके अन्दर भी वह बराबर का भागीदार होता है। अब उसको वोटिंग का अधिकार देने में आपको क्यों संकोच होता है यह मेरी समझ में नहीं आता है।

जहां तक डागा जी का सम्बन्ध है, वह कंजर्वेटिव मईंड के हैं। हमेशा मैंने देखा है कि कोई भी प्रगतिशील कदम उठाया जाए, वह उसका विरोध करते हैं, कोई भी बढ़िया कार्य हो, वह रुकावट डालते हैं। यह उनका काम है। इस प्रकार के जो प्रगतिशील कानून हैं, इनको हम को बनाना चाहिये। हम को खतरों को मोल लेना है, उनका मुकाबला करना है।

यह कहा जाता है कि अनपढ़ लोगो को इस तरह के अधिकार देना ठीक नही होगा। मैं कहना चाहता हूं कि कौन विद्यार्थी है जो अनपढ़ है? कहां उसका दुरुपयोग होने की गुंजाइश है। जो विद्यार्थी हैं उनकी एज स्कूल रिकार्डस में मौजूद है। यही लोग हैं, यही नवयुवक हैं जो वोट नहीं दे पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो अठारह वर्ष के जो हैं वे वोट देते ही हैं। उनका रिकार्ड पंचायतों में मौजूद नहीं है। वे 21 वर्ष की उम्र लिखाते हैं और वोट दे देते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण करवा लें, जांच करवा लें आपको पता चल जाएगा कि उत्तर भारत में अस्सी प्रतिशत लोग अठारह वर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों में वोट देते हैं। इसको सब जानते हैं। मैं चाहता हूं कि जब तक कानून नहीं बदलता है इसके बारे में आप स्ट्रिक्टनेस बरते। अगर कोई सोलह वर्ष का या सतरह वर्ष का है तो उसका नाम आप वोटर्स लिस्ट में न रखे —

एक माननीय सदस्य : कैसे पता लगाया जाए ?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : ग्राम पंचायतों में भी एज का रिकार्ड रखना आप कम्पलसरी कर दें। आप नगरपालिकाओं में रखते हैं तो क्यो नहीं नियम बना देते हैं कि ग्राम पंचायतों को भी रखना पड़ेगा। राजस्थान में इसके बारे में कानून बना हुआ है। नियम बने हुए हैं। नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। हम कांस्टीट्यूशनल वर्ल्ड में रह रहे हैं, वैधानिक दुनिया में रह रहे हैं, और नियमों का हम को पालन करना पड़ेगा। अठारह वर्ष जिस की एज है कानून के मुताबिक वह बालिग हो जाता है। कांस्टीट्यूशन के अन्दर 21 वर्ष का प्रावधान किया गया है। लेकिन आप देखें कि अठारह वर्ष का नवयुवक कालेज का विद्यार्थी होता है। वह बहुत समझदार होता है। अनपढ़ लोगों तक ने वोट दे कर हमारे इस प्रजातंत्र में बहुत ही इम्पार्टेंट रोल प्ले किया है। सन् 1977 और 1980 के इलेक्शन्ज में जो पढ़े-लिखे जर्नलिस्ट्स हैं, वह यह अन्दाजा लगाते थे कि किसी भी पार्टी की सरकार केन्द्र में नहीं आयेगी। आप अंग्रेजी के अखबार देखिये, परन्तु अनपढ़ों ने जो मतदान किया, वह सही निर्णय किया। आप यह मत समझिये कि लोग अनपढ़ हैं, वह ठीक निर्णय नहीं कर सकते हैं। वह अनपढ़ जरूर हैं, लेकिन समझदार हैं, अनुभवी हैं।

अनपढ़ बहुत योग्य होते हैं और सही निर्णय लेते हैं। 1977 के इलेक्शन्ज में भी उन्होंने सही निर्णय लिया था जब कि हमारी गवर्नमेंट चली गई थी। अब उन्होंने 1980 में भी सही निर्णय लिया है। इस

प्रकार जो यह समझते हैं कि अनपढ़ सही तरीके से अपना वोट एक्सरसाइज नहीं कर पाते, यह ठीक नहीं है, वह सही ढंग से अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिये इस मामले में जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिये।

बहुत सारे कंट्रीज ने रूस, अमेरिका, ब्रिटेन सब ने इस चीज को मान लिया है। वह कहते हैं मैच्योर नहीं है, क्यों मैच्योर नहीं है। वह लोग बहुत बढ़िया सलाह देते हैं, 18 वर्ष के कालेज के विद्यार्थी बहुत अच्छी सलाह देते हैं, बहुत योग्य होते हैं, उन पर विश्वास न करना उचित नहीं होगा। यदि वह गलत डायरेक्शन में जाते हैं तो आप उनको ठीक कीजिये, उनकी दिशा ठीक करने की कोशिश कीजिये। इनको वोट-राइट न होना ठीक नहीं है।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह खुद गवर्नमेंट की तरफ से बिल प्रस्तुत कर के इस सैशन में ही पास करायें क्योंकि जितनी देरी करेंगे, उतना ही हमारी पार्टी को लाभ होगा और देश को लाभ होगा।

*श्री अनन्त रामुलूमल्लु (नगरकुरनूल) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे तेलुगु में बोलने की अनुमति दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक माननीय सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार है।

श्री अनन्त रामुलूमल्लु : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो यह जान कर आश्चर्य हुआ है कि प्रो० मधु दंडवते ने मतदान की आयु को कम करके 18 वर्ष करने के अभिप्राय से संविधान का एक संशोधन पेश किया है। सत्ता में आने से पूर्व प्रो० मधु दंडवते तथा अन्य जनता नेताओं ने लोगों को अनेक बातों का वचन दिया था। उनके द्वारा दिये गये वचनों में एक वचन यह भी था कि 18 वर्ष के युवकों को मतदान करने का अधिकार दे दिया जायेगा। उन्होंने यह वचन दिया था कि देश के युवकों को इस लोकतंत्र में उचित स्थान प्रदान किया जाएगा। उन्हें देश का प्रशासन चलाने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। सत्तारुढ़ होते ही पहली बात वह यह करेंगे कि मतदान की आयु को कम करके 18 वर्ष कर देंगे। यह उनके सत्ता में आने से पहले की कहानी थी। महोदय, मैं अब उन से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे सत्तारुढ़ होते ही अपने सभी वचनों को भूल गये थे। क्या वे अपनी विजय की घड़ी में इस देश के युवकों को भूल गये थे अथवा उन्हें उन लाखों युवकों के बारे में विचार करने का समय ही नहीं मिला, क्या उनका गौरव समस्याओं का समाधान करने में बाधक था? उन्होंने अपने शासन के तीन वर्षों के दौरान युवकों के लिये क्या किया है? कैसे वे अपनी गहरी नींद से जाग उठे हैं और उन्होंने युवकों और उनकी समस्याओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया है?

आज वे युवकों को याद कर रहे हैं। वे ऐसा केवल इस लिये करने लगे हैं जबकि उन्होंने यह देखा कि इस देश के लाखों युवक अपने प्रिय नेता, स्वर्गीय संजय गांधी को अपना नेता मान रहे हैं। उनके मार्गदर्शन के अन्तर्गत हमें एक नयी दशा तथा एक तथा उद्देश्य मिला। महोदय, यदि इस देश के युवक को अपना गौरवपूर्ण स्थान मिल जाता है, तो मैं भी प्रसन्नता महसूस करूंगा। यदि कोई दल मतदान की आयु को कम कर सकता है, तो वह केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व वाला दल ही है। यदि कोई ऐसा नेता है जो युवकों की श्रद्धा का पात्र हो सकता है तो वह केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी ही हैं। वही एक मात्र ऐसी नेता हैं जो युवकों को संघटित कर सकती हैं, उन्हें समझ सकती हैं उनका नेतृत्व कर सकती हैं और एक नये भारत का निर्माण करने के हेतु उनका उपयोग भी कर सकती हैं। कोई अन्य नेता ऐसा करने के योग्य नहीं हैं। यदि राष्ट्र का मार्गदर्शन करने के लिये इस सम्मानित सभा के लिये इतने अधिक युवा लोग निर्वाचित हुये हैं, तो ऐसा केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व के कारण ही हुआ है। स्वतंत्रता के पश्चात् किसी भी समय हमने इस सभा में इतने अधिक युवा लोग नहीं देखें हैं। श्रीमान्, उन्होंने ये सब बातें सत्ता में आने के लिये ही नहीं की हैं। उन्होंने युवकों के बारे में सोचना केवल आज से शुरू नहीं किया है, जैसा कि विरोधी पक्ष के कुछ नेता कर रहे हैं, किन्तु उनकी इच्छा सदैव यह सुनिश्चित करने की रही है कि युवा पुरुषों एवं महिलाओं को उनका गौरव पूर्ण स्थान दिया जाये। वह उनका इस उद्देश्य को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प है। किसी के मन में इस बारे में संदेह नहीं रहना चाहिये। जब समस्त देश में जनता शासन था, तब केवल मेरे राज्य अर्थात् आन्ध्र प्रदेश कांग्रेस-आई शासन के अन्तर्गत था। मुझे यह कहते हुये गर्व हो रहा है कि देश में हमारा राज्य ही पहला राज्य है जिसने 18 वर्ष की आयु के सभी लोगों को मतदान का अधिकार देने के लिये विधान प्रस्तुत किया है। उन सभी को, जिन की आयु 18 वर्ष की है, पंचायतों, समितियों और जिला

*तेलुगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री अनन्त रामुलू मल्लु]

परिषदों में उनको उचित स्थान दे दिया गया है। आज वे सभी स्थानीय निकायों में भाग लेने जा रहे हैं। इस सबका श्रेय अवश्य ही हमारी प्रिय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी को दिया जाना चाहिये। यह इस बात को प्रदर्शित करने के लिये पर्याप्त है कि अतीत में भी, जब कि हम केन्द्र में सत्ता में नहीं थे, हमारी रुचि युवकों में थी।

महोदय, प्रो० मधु दंडवते के इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य केवल युवकों को आकर्षित करना और इस विशाल युवा शक्ति को विकासात्मक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में लगाना है। हमारी सरकार भी इस मामले के बारे में बहुत ही गम्भीरता से सोच रही है। हम भी इस संबंध में वचनबद्ध हैं। यह सरकार इस बारे में बहुत ही गम्भीरता से सोच रही है कि किस प्रकार इस मामले को समाधान किया जाये। युवकों के कल्याण के मामले में हम किसी में कम नहीं हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् पहली बार अपना पूर्ण समर्थन देकर इस देश के युवक श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में इकट्ठे हो गये हैं। हमने विशेषकर कि युवकों के लिये इतनी अधिक नीतियां तथा कार्यक्रम बनाये हैं। आपातकाल के दौरान 5 सूत्री कार्यक्रम भी मुख्य रूप से युवकों के लिये ही था।

देश अपने पुनर्निर्माण में लगा हुआ है। हम अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता हो रही है कि देश के युवक भविष्य में सभी चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयारी कर रहे हैं। मैं केवल इस लिये ही युवकों के बारे में नहीं सोच रहा हूँ कि प्रो० मधु दंडवते ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। यह सरकार इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि जब 18 वर्ष का एक युवक सरकारी सेवा में प्रवेश कर सकता है और परिपक्व पुरुष के रूप में विभिन्न बातों के बारे में सोचने के लिये समर्थ हो सकता है, तब उसे इस मतदान के अधिकार से क्यों वंचित कर दिया जाय। सरकार उनकी समस्यायें जानती है। हमें इस मामले को सरकार पर छोड़ देना चाहिये। सरकार युवकों के प्रति न्याय करेगी मुझे इस बारे में संदेह नहीं है कि यह सरकार इस मामले पर सहानुभूति और समझदारी से विचार करेगी। इस प्रकार के विधेयक को लाने का यह उपयुक्त समय नहीं है। हमारी सरकार इस समस्या के बारे में सोच रही है। हमने पहले ही युवकों को इस राष्ट्र के भाग्य का मार्गदर्शन करने के लिये उचित स्थान दिया हुआ है। केवल यह सरकार ही युवकों के प्रति न्याय कर सकती है। कृपया इस मामले को सरकार पर छोड़ दीजिये। मुझे यह कहने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है कि यह सरकार उचित समय पर उपयुक्त निर्णय लेगी।

महोदय, मैं सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता और इस मामले पर मुझे बोलने का यह अवसर प्रदान कर लेने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

***श्री गिरिधर गोमांगो** (कोरापुट) : सभापति महोदय, मैं प्रो० मधु दंडवते द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। प्रो० मधु दंडवते ने विधेयक पेश करते समय इस सभा से अपील की थी कि चुनाव में मतदान करने के लिये आयुसीमा 21 से कम करके 18 वर्ष कर दी जानी चाहिये थी। इस संदर्भ में मैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से एक श्लोक को उद्धृत करना चाहूँगा जिसका अर्थ यह है कि बच्चों को 5 वर्ष की आयु तक अवश्य ही दुलाए जाना चाहिये, उन्हें 10 वर्ष की आयु तक फटकारा जाना चाहिये; किन्तु जब एक बार वे 16 वर्ष की आयु के हो जाते हैं, तो उनके साथ अनिवार्य रूप से मित्रों जैसा व्यवहार किया जाना चाहिये; और बच्चों जैसा नहीं।

यदि हम ऊपर दिये गये श्लोक की समीक्षा करें, तो हमारे सामने कौटिल्य युग के समाज की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। 16 वर्ष की आयु के बच्चों को राजनीति में परिपक्वता का श्रेय दे दिया जाता था। उनसे उनके आस पास समाज की समस्याओं का समाधान करने की आशा की जाती थी। इस छोटी आयु में ही उनकी मानसिक शक्ति पूरी तरह विकसित हो जाती थी। शायद कौटिल्य युग में ऐसा होना सर्वथा सम्भव था। आजकल 19 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है जबकि प्रो० दंडवते ने मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करने का सुझाव दिया है। बेशक मेरे अधिकांश मित्रों ने युवकों की भूमिका की सराहना की है। मैं उन बातोंसे सहमत हूँ। किन्तु, मैं उन लोगों के साथ कभी भी सहमत नहीं होऊंगा जो भिन्न भिन्न समय पर अपने लाभ के लिये युवाबल का दुरुपयोग करना चाहते हैं। चुनावों में युवक जोरदार भूमिका अदा करते हैं। किन्तु यह बहुत ही खेद की बात है कि कई बार विभिन्न दलों के राजनीतिक नेता भी युवा बल को पुलिस के विरुद्ध उकसाते हैं। वे उन्हें गैरकानूनी हड़ताल करने के लिये प्रोत्साहन देते हैं।

---

*उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं का यह दायित्व है कि वे युवा शक्ति का सही दिशा में मार्गनिर्देशन करें और उसके परामर्श दाता बनें। यह कहते हुए मुझे दुःख हो रहा है कि कभी कभी वे अपने इस दायित्व से च्युत हो जाते हैं जो उनका समाज के प्रति हो। युवक अबोध होते हैं। वे बहुधा सुविधाओं की ओर आकर्षित हो जाते हैं। वे वरिष्ठ नेताओं के आदेशों का पालन करना ज्यादा अच्छा मानते हैं।

हम इस बात की चर्चा करें कि क्या मत देने की आयु सीमा कम किए जाने का हमारे देश के मतदाताओं पर किसी तरह का असर पड़ेगा? मुझे उस बात का विश्वास है कि भले ही इस समय इसका प्रभाव महत्वपूर्ण न हो फिर भी भविष्य में इस बात को बल मिलेगा। महोदय, हमारी लोकतांत्रिक पद्धति के संघीय ढांचे में हमारे यहां केन्द्रीय सरकार, राज्य-सरकार और स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय निकायों के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदाताओं की मत देने की आयुसीमा कुछ राज्यों में घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अब इस बात का मूल्यांकन करने का हमारा कर्तव्य है कि क्या इससे उन राज्यों में, जहां यह संशोधन किया गया है, किसी तरह का राजनीतिक परिवर्तन आया है।

महोदय, आप आसाम में मतदाता सूचियों के संबंध में संघर्ष और विवाद तथा उनके संशोधन की मांग से परिचित हैं। इन परिस्थितियों में क्या यह बुद्धिमानी की बात है कि युवकों की मत देने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाए? यदि उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो नई मतदाता सूचियां तैयार करनी होंगी। क्या यह इस तरह का संशोधन किए जाने का उचित समय है? मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किए जाने के इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से पूर्व हमें इन प्रश्नों पर विचार करना होगा।

महोदय, हम मताधिकार की आयु कम किए जाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें तीन आयु श्रेणियां हैं। पहली है आदमी की वास्तविक आयु, दूसरी है प्रमाणपत्रों में दर्शायी गई आयु और तीसरी है मत देने की आयु।

अब मैं, मत देने की आयु के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना चाहूंगा।

युवक और वृद्ध व्यक्ति में क्या अन्तर है? युवक आपको भविष्य के बारे में बताएगा, जबकि वृद्ध आदमी अतीत के बारे में बताएगा। परन्तु राजनीतिक और मानसिक शक्ति के बिना युवक नेता किस तरह बन सकते हैं? महज यह कहने से कुछ काम नहीं चलेगा कि युवकों को नेता बनना चाहिए, कि युवाशक्ति समाज को कुछ ठोस उपलब्धियां देगी।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : युवकों को राजनीतिक शक्ति दिए जाने की बात तो मेरी समझ में आती है परन्तु आप उनको मानसिक शक्ति किस तरह देना चाहेंगे?

श्री गिरिधर गोमांगो : मानसिक शक्ति से मेरा अभिप्राय है कि मनोवृत्ति बदलनी चाहिए। जब आप उनको नैतिक शिक्षा नहीं देते तो उनकी मानसिक शक्ति किस तरह बदल सकती है?

इस संकटपूर्ण घड़ी में, युवकों की क्या भूमिका है? आज यह प्रश्न हमारे सामने है। नेतृत्व के लिए आयु कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। नेतृत्व के लिए पांच महाशक्तियों की आवश्यकता होती है जिनमें सहनशीलता, विचारशक्ति, समस्त तकनीक और किसी बात से निपटने की क्षमता शामिल है। ये बातें नेतृत्व के लिए आवश्यक हैं। महज किसी व्यक्ति को नेता कहने से वह नेता नहीं बन जाएगा। नेताओं को पीछे नहीं जाना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। यह नेता का गुण है।

अब कुछ टिप्पणियों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। हर कोई यह कह रहा है कि युवा शक्ति को आगे आना चाहिये। क्या ऐसा कोई है जो आगे बढ़ने में हमें सहयोग दे? यह सब महज कहने की बातें हैं और कार्यरूप में कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा। जब हम एक एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वे हमें पीछे खींच रहे हैं। जिस तरह हमारे यहां जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, उसी तरह भारतीय राजनीति भी दूषित हो गई है और अब समय आ गया है जब हमें भारतीय राजनीति का शुद्धीकरण करना चाहिए और उस कार्य में युवकों को अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है।

तीन तरह के व्यक्ति भारतीय राजनीति को दूषित कर रहे हैं, वे हैं—दल बदलू, जो एक दल से दूसरे दल में आते-जाते रहते हैं। वे लोग जिनके अनुयायी हैं और दर्शक जो मात्र दर्शक हैं। यह युवकों के लिए है कि वे आगे आएं और भारतीय राजनीति के इस प्रदूषण को रोकें केवल इसीसे हमारी राजनीति का शुद्धीकरण किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है परन्तु चेतनाविहीन राजनीति विज्ञान की कोई सार्थकता नहीं है। देश के नौजवानों को यह बात जाननी चाहिए कि राजनीति में सही क्या है और गलत क्या है और

[श्री गिरिधर गोमांगो]

तदनुसार उन्हें कार्य करना है । हमारी प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था को शुद्धीकरण करने के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए ।

श्री ए० टी० पाटिल (कोलाबा) : महोदय, प्रो० दंडवते मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किए जाने के लिए यह विधेयक लाए हैं। विधेयक पर विचार किए जाने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए उन्होंने दो संशोधनों की मांग की है, पहला अनुच्छेद 19 में और दूसरा अनुच्छेद 326 में । इस मुख्य प्रश्न के अलावा कि क्या आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाए, दूसरा प्रश्न जो अभी बाकी है, यह है कि यदि सभी इस पर सहमत हो जाए तो इसे किस तरह किया जा सकता है। अब हमारे सामने प्रश्न यह है : क्या मताधिकार को एक मूल अधिकार बनाया जा सकता है ? यह सर्वाधिक संवैधानिक अधिकार हो सकता है । माननीय सदस्यों में से कुछ, जो पिछली लोकसभा के सदस्य थे, इस तथ्य से वाकिफ होंगे कि बयालीसवें संविधान संशोधन से बदलने के दृष्टिकोण से चवालीसवां संविधान संशोधन लाते समय और अन्य कुछ दूसरे परिवर्तन लाते समय भी उन्होंने सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाने का प्रयास किया था। परन्तु बहुत ही चतुराई से—मैं "चालाकी से या सयानेपन से" जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वह कार्य इस सदन द्वारा किया गया है और सदस्यों के बारे में अथवा सदन के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कही जा सकती— उन्होंने अनुच्छेद 300क पुरःस्थापित किया जिसमें उन्होंने इस बात का प्रावधान किया है कि संबधित कानून के अधिकार के सिवाय किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा । अनुच्छेद 31 और 19(1) (च) को हटा दिया गया था और उसके स्थान पर वैसी ही बात का प्रावधान करने के लिए, अनुच्छेद 300क को पुरःस्थापित किया गया था। उस अधिकार को मूल अधिकारों से अलग करके एक साधारण संवैधानिक अधिकार के रूप में बदलने का क्या कारण था? कारण यह है कि इस संबंध में मूल अधिकार का एक विशेष महत्व है और अन्य किसी बात की सहायता के बिना उसे न्यायिक कार्यवाही की प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जा सकता है । यदि यह एक मूल अधिकार हो जाता है तो परिणाम यह होगा कि भले ही एक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में हो अथवा नहीं, यदि किसी संस्था के लिए चुनाव कराया जाता है तो उसे उन चुनाव को किसी भी समय चुनौती देने का अधिकार मिल जाता है और तथ्य हमारे चुनावों के सम्बन्ध में लगातार अव्यवस्था होगी । इसलिए यह कहना काफी नहीं है कि मत देने का अधिकार एक व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाए; यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह अधिकार किस तरह दिया जा सकता है । इसलिए, जहां तक इस विधेयक के प्रथम पहलू का सम्बन्ध है, मत देने के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में लाने के लिए अनुच्छेद 19 में लाए जा रहे संशोधन पर पुनर्विचार किए जाने और उसको बदले जाने की आवश्यकता है ।

जहां तक 18 वर्ष और 21 वर्ष की बीच की आयु में मत देने के अधिकार का सम्बन्ध है, उद्देश्यों तथा कारणों के इस कथन में दो तर्क दिए गए हैं। पहला है "विधि के समक्ष समानता" क्योंकि विधेयक के प्रस्तावक की यह मंशा है कि हर जगह 18 वर्ष की आयु को वयस्कता की आयु माना जाता है और, इसलिए, उस वयस्कता की आयु को उसको मत देने का अधिकार देने के लिए क्यों नहीं स्वीकार किया जाये ?

अब, हम वयस्कता की आयु की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो हम पाएंगे कि जहां तक यहां व्यक्तिगत कानूनों का सम्बन्ध है वे वयस्कता की आयु के लिए वयस्कता अथवा नाबालिगता अथवा एक विशेष कानून की आवश्यकता के बारे में ज्यादा चिन्ता नहीं करते । परन्तु, ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ-साथ उन्होंने वयस्कता की विशेष आयु निर्धारित करने के बारे में सोचना और बात करना प्रारम्भ कर दिया। 1865 में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1865 से समाज के कुछ वर्गों के लिए 18 वर्ष की आयु का वयस्कता की आयु के रूप में प्रावधान किया गया । बाद में भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 पारित किया गया जिसमें उन्होंने पहली बार कहा कि सामान्यतया 18 वर्ष की आयु को वयस्कता की आयु के रूप में माना जाएगा परन्तु जहां 18 वर्ष की आयु होने से पहले किसी व्यक्ति के लिए उसकी स्वयं की और उसकी सम्पत्ति के संरक्षण के लिए न्यायालय द्वारा एक संरक्षक नियुक्त किया जाता है, तब वयस्कता की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी जाएगी और तब तक उसे वयस्क व्यक्ति नहीं माना जाएगा । इस विधेयक को पुरःस्थापित करते समय—वह है भारतीय वयस्कता अधिनियम के लिए विधयक—विशाखापत्तनम के महाराजा ने कुछ टिप्पणियां की थीं । उन्होंने कहा कि देश के बुद्धिजीवी बड़ी संख्या में आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिए जाने के पक्ष में हैं, परन्तु फिर भी, मैं सभी

प्रयोजनों के लिए आयु को 18 वर्ष से 21 वर्ष करने का परिवर्तन करने नहीं जा रहा हूं। परन्तु केवल प्रयोजन विशेष के लिए मैं यह परिवर्तन कर रहा हूं: जहां एक व्यक्ति व्यस्कता की आयु से नीचे है—वह है, 18 वर्ष से कम है—और एक न्यायालय द्वारा उसके लिए एक संरक्षक नियुक्त किया गया है केवल उसी के लिए मैं इस आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करूंगा। भारतीय व्यस्कता विधेयक के उस अवसर पर बोलने वाले बहुत से सदस्यों का दृष्टिकोण था कि इस देश के अधिसंख्यक लोग यह चहाते हैं कि सम्बद्ध व्यक्ति के संरक्षण का सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि 21 वर्ष की अवस्था से पूर्व उसे अपनी सम्पत्ति बेचने अथवा अपनी सम्पत्ति का सौदा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इसलिए, व्यस्कता की आयु को 21 वर्ष तक बढा दिया जाना चाहिए।

परन्तु वह मेरा तर्क नहीं है। मैंने तो सिर्फ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई है। **(व्यवधान)**

परन्तु यहां जो प्रश्न है वह एक व्यक्ति की सिर्फ निजी सम्पत्ति के संरक्षण का प्रश्न नहीं है। यहां प्रश्न राष्ट्र और समाज के हितों के संरक्षण का है। जब आप समाज अथवा राष्ट्र के हितों के बारे में सोचते हैं तब आप काम करने के लिए उसी सिद्धान्त को लागू नहीं कर सकते। जहां तक व्यक्तिगत हितों का सम्बन्ध है, आप किसी व्यक्ति को किसी भी उम्र में, जो आप चाहें, उसके अपने अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दे सकते हैं, क्योंकि यदि किसी निर्णय से कोई बात होनी होती है तो आप अंततः यह कह सकते हैं कि नुकसान मुझे होना है, समाज को नहीं। परन्तु यह एकदम एक भिन्न विषय है, और इसलिए इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। मैं श्री मूलचंद डागा की इस बात से सहमत हूं कि इस समस्या पर पुनर्विचार होना चाहिए और इस बात का निर्णय इस देश के लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि क्या संसद और राज्य विधान सभाओं के चुनावों में किसी व्यक्ति को मत देने का अधिकार देने के लिए उसकी आयु 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष की जानी चाहिए। महज यह कहना ही पर्याप्त नही है कि देश के भाग्य का निर्धारण करने वाले निर्णयों में युवाशक्ति को भागीदारी का मौका मिलना चाहिए। यह वैसी बात नहीं है।

21 वर्ष की आयु से या उससे ज्यादा आयु के नौजवान इसमें भाग ले रहे हैं। प्रश्न केवल उन लोगों का है जो 18 वर्ष और 21 वर्ष की आयु के बीच हैं। अब प्रश्न यह होगा: 18 वर्ष ही क्यों? 17वर्ष क्यो नहीं? 16 वर्ष क्यों नहीं? यह व्यक्तिगत निर्णय का मामला हो सकता है।

जहा तक अपराधों के सम्बन्धी कानूनों का सम्बन्ध है, आप जानते हैं कि व्यस्कता की आयु क्या है। उस मामले में, आप अब भी यह मांग करते हैं कि आयु को घटाकर 18 वर्ष किया जाना चाहिए।

इसलिए, प्रश्न यह होगा कि वे किस सीमा तक एक आयु विशेष मे भावनात्मक रुप की अपेक्षा विवेकपूर्ण ढंग से अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझ पाने में समर्थ होंगे?

इस सम्बन्ध में सोचने का एक दूसरा तरीका भी है जिससे विपक्ष के सदस्य सुपरिचित है; अर्थात, कि कुछ देशों ने उन सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं दिया है जिन्होंने व्यस्कता की आयु जो 18 वर्ष, 21 वर्ष या अन्य कोई दूसरी आयु हो, प्राप्त कर ली है। वे पूछते हैं, "क्या आप दर्शन को समझते हैं, क्या आप कार्यक्रम को समझते हैं?" और तब वे कहते हैं। "यदि आप इसे समझते हैं; यदि आप इसके अनुसार काम करते हैं, तभी हम आपको मत देने का अधिकार प्रदान करगे।" कि उन लोगों को जो इस दर्शन में अथवा इस तरह सोचने में विश्वास करते हैं। आगे आना चाहिए और यह कहना चाहिए कि 18 वर्ष की आयु से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को मत देने और देश के भाग्य का फैसला करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह वस्तुतः एक आश्चर्यजनक तथ्य है।

तथापि, मैं सामान्यतया यह कहता हूं कि श्री डागा के इस विधेयक के बारे में जनमत जानने के लिए इसको परिचालित करने के संशोधन का मैं समर्थन करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): सभापति जी, मैं इस विधेयक का समर्थ करने के लिए खड़ा हुआ हूं। नौजवानों की भूमिका की बात बहुत कही गई और हमारे कांग्रेस के नेता रोज इस भूमिका की बातें करते हैं, लेकिन जब उन को अधिकार देने की बात आ रही है, तब कहते हैं कि बुध्दि परिपक्व नहीं हैं, ज्यादा पैसा खर्च हो जायगा ...

श्री मलिक एम० एम० ए० खां (एटा): शास्त्री जी, मुझे एक बात का जवाब देदें। जो इस बिल के मूवर है—श्री दण्डवते साहब, उन्होंने अपने तीन साल के जमाने में इसे क्यों नहीं किया?

श्री रामावतार शास्त्री : इस का जवाब तो मैं नहीं दूंगा, मैं उन के साथ नहीं था ।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : आज सोते-सोते कैसे जाग गये ।

सभापति महोदय : शास्त्री जी, आप को अगर अपनी मुश्किलें दूर करनी हैं, तो इधर मुंह कर के बोलिये, तब आप पांच मिनट में खत्म कर सकते हैं, ।

श्री रामावतार शास्त्री : सभापति जी, नौजवानों की बात जरुर कही जाती है और सही बात कही जाती है कि जो लोग नौजवान हैं उन को आगे बढ़ाना चाहिये, उनको अधिकार दिये जाने चाहिये, लेकिन जब इस को व्यवहार में उतारने की बात आती है तब हमारे शासक दल के लोग तरह-तरह के तर्क दे कर उस को खण्डित करने की कोशिश करते हैं । जो कहते हैं, उस को स्वयं काटते हैं — मैं समझता हूं यह मुनासिब नहीं है ।

सभापति जी, नौजवानों की भूमिका स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों में क्या थी—ज़रा इस पर गौर कीजिये । हमारे बहुत पुराने स्वतन्त्रता सेनानी प्रोफेसर रंगा साहब इस समय सदन में मौजूद हैं, कुछ अन्य लोग भी हैं, इस सभा में 100 के लगभग स्वतन्त्रता सेनानी संसद-सदस्य के रुप में हैं, । वे जानते हैं —उन की भूमिका को । स्वतन्त्रता की लड़ाई में 10,12, 14, 16 और 18 साल के नौजवान लड़कों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिये थे, उन के दांत खटटे कर दिये थे । लेकिन जब आज़ादी आई और उन को अधिकार देने की बात आई, तो हम और आप तरह-तरह के तर्क दे कर उसका विरोध करते हैं – मैं समझता हूं यह नामुनासिब है । आप उन की भूमिका को समझिये ।

आप समाजवाद की बात भी खूब करते हैं । बहुत सारे समाजवादी मुल्कों के साथ हमारी दोस्ती है । लेकिन ये समाजवादी मुल्क क्या करते हैं ? तमाम सामाजवादी मुल्कों के अन्दर वोट देने का अधिकार 18 वर्ष के नौजवानों को है और क्यूबा में तो 16 वर्ष के नौजवानों कोवोट देने का अधिकार है । स्वयं हमारे देश में, बिहार के लोग जानते होंगे—बिहार में पंचायतों के चुनाव में 18 वर्ष के नौजवान वोट डालते हैं । जब वे वहां वोट डाल सकते हैं तो असेम्बली के चुनाव में या पार्लियामेंट के चुनाव में क्यों वोट नहीं डाल सकते? डागा साहब दोनों में तफ़रका क्यों करते हैं ?

सरकार क्या चाहती हैं । हम तो बिहार में ऐसा कर रहे हैं और वे सारे के सारे वोटर, उम्रभलेही न बढ़ाइए, वे सब असेम्बली में वोट डालते हैं, हम सब जानते हैं कि10,12 वर्ष के ऐसे वोटर हैं जो वोट डालते हैं और उन को कोई रोक नहीं पाता है । (**व्यवधान**) रिगिंग करने वाले तो और ज्यादा करते हैं । इसलिए मैं कहता हूँ कि 18 वर्ष की उम्रमें तो बुद्धि बहुत परिपक्व हो जाती है, 18 वर्ष वाले को भी वोट डालने की इजाजत दीजिए । खर्चे की बात मत किजिए। हम संसद में आधे घंटे की मीटिंग में हज़ारों रुपया खर्च कर देते हैं अगर खर्च का तर्क देंगें तो यह एक लघु बात होगी । उन्हें शासन-सूत्र चलाने की ट्रेनिंग दीजिए । इस में ट्रेनिंग होती है यहां पर हर दल के नौजवान लोग आए हैं । वे यहां पर आ कर कुछ सीखेंगें और आने वाले दिनों में शासन की बागडोर उन के हाथों में जाएगी । जितने भी युवा संगठन 'हैं, आल इन्डिया स्टूडेंट्स फेडरेशन है, स्टूडेंट फेडरेशन आफ इन्डिया है, यूथ कांग्रेस है, आल इन्डिया यूथ फेडरेशन है और जितने भी दूसरे संगठन नौजवानों के हैं, सब पागल तो हैं नहीं कि मांग कर रहे है कि हमें यह अधिकार दो । सब बुद्धि वाले लोग हैं, पढ़-लिखे लोग हैं, आप के आन्दोलन मे आप का साथ देते हैं और आप उन का इस्तेमाल भी करते हैं चुनाव में तथा दूसरे आन्दोलनों म, पर कहते हैं कि उन को वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए । तो यह तर्क उचित नहीं जंचता है । इसलिए सब दृष्टियों से आप नौजवानों को अधिकार दीजिए । अगर नहीं दीजिएगा तो वे आप को धकियाएंगें, धक्का मार कर बाहर निकाल देंगे । अपना अधिकार हिन्दुस्तान का नौजवान लेना जानता है । जिस तरीके से नौजवानों ने अंग्रेज़ों को सात समुद्र पार भगाया उसी तरीके से वे अपना अधिकार आपसे लेना जानते हैं, इस वक्त तो वे सिर्फ आप को जांचना चाहते हैं कि नई जो सरकार बनी है, इन्दिराजीके नेतृत्व में, यह कुछ करना चाहती है या नहीं । थोड़ा सब्र के साथ आप की तरफ आखे लगाए हुए हैं । अगर आप ने ध्यान नहीं दिया, तो बहुत बड़ा बवंडर उठाने वाले हैं । 18 वर्ष के नौजवानों को आप वोट का अधिकार दीजिए । राइटिंग आन दि वाल को देख लीजिए । यूथ उबलता है, इस को रोकिये मत, सही रास्ते पर जाने दीजिए, ताकि यह देश में सही माइने में समाजवाद को मजबूत करे, जनतन्त्र को मजबूत करे, धर्मनिरपेक्षता की नीति को मजबूत करे और डेमोक्रेसी को मजबूत करे । केवल आप से ही यह नहीं होने वाला है । यूथ के हाथों में शक्ति दीजिए और पहली शक्ति 18 वर्ष के नौजवानो को वोट डालने के रुप में दीजिए । यह अधिकार आप उन को दीजिए । मैं तो यह कहुँगा कि इस का विरोध करने वाले प्रतिगामी हैं, दकियानूसी हैं । वे देश को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते है ।

बस इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं ।

श्री बी० के० नायर (क्विलोन) : जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं इस विधेयक की भावना से पूरी तरह सहमत हुँ ।

मैं अनुभव करता हूं कि नौजवानों को मत देने का अधिकार दिए जाने के परिणामों के बारे में कोई खतरा या आशंका नहीं है। इस देश के नौजवानों ने उस प्रत्येक क्षेत्र में जिसमें वे कार्य करते रहे है जिम्मेदारी की उत्कट भावना का प्रदर्शन किया है।

महोदय, मैं केरल राज्य मे से चुन कर आया हूं ,जहां पंचायतों और नगरपालिकाओ जैसे स्थानीय निकायों के सम्बन्ध मे मताधिकार की आयु पहले ही घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। हमने यही देखा कि चुनाओं में भाग लेने में और निर्वाचित हो जाने में युवकों में जबर्दस्त उत्साह और शक्ति थी।

श्री दण्डवते के विधेयक के सम्बन्ध में मेरी आलोचना केवल यही थी कि जब वह सत्ता में थे तो उनके पास इस विधेयक को आसानी से और सहजता से पारित कराने का मौका था।

उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष करने का वचन दिया था। उन्होंने कई वचन दिये थे, मेरे विचार में प्रो० मधु दण्डवते 1974 की हड़ताल के लिये जिम्मेदवार थे, रेलवे कर्मचारियों को बोनस का वचन दिया गया था वे उस में विफल हुये थे। जनता सरकार ने दस वर्ष के अंदर बेरोजगारी दूर करने का वायदा किया था। वे उसमें असफल हुये। वास्तव में वे कई वायदों को पूरा करने में असफल रहे। उन्हें किसी गम्भीर बात होने का भय था। यही कारण है कि उन्होंने मतदान की आयु कम करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये। यदि मतदान की आयु 18 वर्ष की जाती है तो इसे केवल कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है और वह ही इसे कार्यान्वित कर सकती है। देश को 1947 में आजादी मिली। जब पंडितजी तथा गांधीजी ने कहा कि देश द्वारा वयस्क मताधिकार लागू करने से कोई खतरा नही तो इस बारे में बहुत आलोचना ई थी। उन्होंने उस बात को करके दिखाया। अब चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित हैं, देश के नौजवानों नें अपने काम में परिपक्वता तथा समझदारी का सबूत दिया है।

प्रत्येक क्षेत्रों में उन्होंने ही उम्मीदवारों के चुनावों के अभियान में कार्य किया है। उन्होंने हर समय जिम्मेदारी तथा परिपक्वता का सबूत दिया है।

मेरे विचार में विधेयक की भावना को कांग्रेस पार्टी आज या कल स्वीकार करने जा रही है। किसी भी समय आयु घटा-कर 18 वर्ष की जा सकती है। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आप सब के सहयोग से इस विधेयक को कार्यान्वित करेगी। कांग्रेस का विश्वास अब युवकों पर ही टिका हुआ है। मैं चाहता हूं कि विपक्ष के सदस्य इस बात का ध्यान रखे कि इस संसद के हर युवा सदस्य को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है। कांग्रेस पार्टी ने युवकों को संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। वे जिम्मेवारी की भावना का परिचय दे रहे हैं। वे अपनी जिम्मेवारी अपने दल की आकांक्षाओं के अनुसार निभा रहे हैं।

अतः मैं इस विधेयक की भावना का समर्थन करता हूं लेकीन साथ-साथ मै एक बात का स्पष्टीकरण की चाहता हूँ चुनाव प्रक्रिया में सुधार करते समय हम अनुभव करते है कि हमें अपनी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को बनाये रखना है। मुझे आशा कि और विश्वास है कि देश प्रगति करेगा और इस देश का भविष्य उज्जवल होगा।

सभापति महोदय : श्री रामेश्वर निखरा। मेरी सूची में कई सदस्यो के नाम है। अतः आप आपना भाषण दो तीन मिनट तक ही सिमित रखें ताकि सभी सदस्यो को अवसर दिया जा सके।

श्री रामेश्वर निखरा (होशंगाबाद): सभापति जी, हमारे मधु दंडवते महोदय द्वारा रखे गये इस बिल की भावना का मैं समर्थन करता हूं, पर उनकी ओर शंका की दृष्टि से देखता हूं क्योकि मधु दंडवते जी उन लोगो में है जिन्होंने 1977 में जनता पार्टी का घोषणापत्र बनाया था और उस घोषणापत्र में उन्होंने नौजवानो से वायदा किया था कि यदि उनकी सरकार बन जाती है तो वे मतदाता की आयु 21 वर्ष से घंटाकर 18 कर देगें।] अपने तीन साल के शासन काल में जब वे बड़े बड़ें बंगलो मे रहते थें, झंडेवाली गाड़ियो में घूमते थें उस समय उनको नौजवानों की याद नहीं आयी। आज जब वे फिर से विरोधी पक्ष में बैठे है तो उन्हे फिर से नौजवानो की याद आयी है।

अब उन्होने यह बिल रखा है। इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। उनकी भावनायें ठीक नहीं हैं, ऐसा में समझता हूं। हमारी हिंदी में एक छोटा सा दोहा है :

4 बरस लडयाइये
दस में ताड़ विशेत
जब सोलह के सुत भय
आप सम्भाल घर लेत।

[श्री रामेश्वर निखरा]

यह बात बहुत ही प्राचीन महाकवि की कही हुई है। इसकी भावना का अर्थ समझ कर सरकार को यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। डागा जो ने कहा कि नौजवानो में मानसिक शक्ति नहीं होती है, जिम्मेदारी की भावना नहीं होती है, नौजवान सही बात को नहीं समझते है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया था उस समय उनके सामने का देश का जो नक्शा था, नागरिको का जो नक्शा था, उस समय स्थिति थी वह उनके सामने थी। देश में अशिक्षा बहुत अधिक थी, अपरिपक्वता बहुत अधिक थी, दवा कुचला हुआ समाज था। इस कारण से उन्होने 21 वर्ष की आयु को रखा था। आज स्थिति बिलकूल बहुत गई है। शिक्षा का प्रसार बहुद तेज से हुआ है भले ही परसेंटेज के लिहाज से वह कम हो। परन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि उस जमाने के युवा वर्ग और आज के युवा वर्ग का मुकाबला किया जाए तो आपको पता चलेगा कि आज का युवा वर्ग, आज का नौजवान बहुत आगे बढ़ चुका है, तब के नौजवान जिन बातों की चर्चा नहीं करते थे, जिन बातो को नहीं समझते, उनकी चर्चा आज के नौजवान करते है, उन बातो को आज के नौजवान समझते है। आज का नौजवान खेत खलियान में, कारखानों मे, घर में, कालेज मे पूरे देश की चर्चा करता है, देश समस्याओं में रुचि लेता है, देश में क्या हो रहा है, उसकी चर्चा करता है, बहस करता है, तमाम बातों को समझता है। ऐसीं अवस्था में उनको यह वोटिंग अधिकार क्यो न दिया जाए, यह बात मेरी समझ नहीं आती है। समाज उनके सोलह सतरह वर्ष की आयु में शादी कर लेने की अनुमति देता, शारदा एक्ट के तहत अठारह साल का नौजवान शादी के योग्य समझा जाता है। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि आज हिन्दुस्तान में सोलह वर्ष वर्ष का नौजवान बाल बच्चे वाला हो जाता है। कानूनी रूप से अठारह वर्ष की आयु में उसकी सम्पति के हस्तांतरण का अधिकार मिल जाता है, उस के ऊपर इनकम टैक्स लगाना होता है तो लग जाता है और वह चुकाने लग जाता है। ये तमाम कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारियां जब आपने उस पर सौंपी है तो इस राजनीतिक जिम्मेदारी को क्यों न सौंपा जाए, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

श्री मूल चन्द डागा : मरेज की एज अब अठारह साल नहीं है, 21 हो गई है।

श्री रामेश्वर निखरा : अभी बनी है। कांग्रेस की सरकार के समय अठारह वर्ष थी।

श्री मूल चंद डागा : हमने कर दी थी, कांग्रेस ने कर दी थी।

श्री रामेश्वर निखरा : डागा जी दकियानूसी विचारों के है जो अपने लड़के को जिन्दगी भर नालायक समझेंगे। उनको चिन्ता रहती है कि उनका बेटा पूरी जिम्मेदारी से बात नहीं कर पाएगा। ऐसा करेगा, वैसा करेगा। पर उनको अपनी इस भावना को बदलना चाहिए। आज युग परिवर्तन हो रहा है। हम भी देख रहे है पांच साल पहले साठ साल की उम्र से कम उम्रवालो कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बनने की बात सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज 25,30 वर्ष के नौजवान भी संसद में बैठे हुए है।

आज विधान-सभाओं में हम देखें तो बहुत बड़ी संख्या में, शायद 60 प्रतिशत से अधिक नौजवान असेम्बलीज में बैठे है। जब इतनी बड़ी-बड़ी जिम्मेदारी देश और प्रदेश की नौजवान संभाल रहे है तो कैसे वोट देने की अपनी जिम्मेदारी को नहीं संभाल पायेंगें, यह बात समझ में नहीं आती है।

यह तर्क कि उनसे करोड़ मतदाताओ की संख्या बढ़ जायेगी, असेम्बलीज और लोक-सभा में स्थान बढ़ जायेंगें, यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे तो बहुत से तर्क है, हमें इन तर्कों में नहीं पड़ना चाहिये। यदि इससे कुछ ज्यादा खर्च भी होता हैं तो उसकों हमें स्वीकार करना चाहिये।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन से अनुरोध करता हुं कि चूंकि श्री मधु दंडवते जी की भावना इस बिल के पीछे केवल हिन्दुस्तान के नौजवानो की सहानूभूति लेनेकी है। वास्तव में वह नहीं चाहते कि 18 साल के नौजवानो को इसका अधिकार मिले। अगर वह चाहत होते तो अपने 3 बरस के शासन में इस बिल को संसद में लाकर स्वीकार करा सकते थे। मै उनकी इस भावना को सपोर्ट नहीं करता हूं लेकिन जो बिल में बात कही गई है, उसको सपोर्ट करता हूं और मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि हर क्रांतिकारी निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है, उसी भावना को सामने रखकर इस निर्णय के लिये आगे बढ़कर एक और क्रांतिकारीता का निर्णय लें और हिंदुस्तान के नौजवानों को 18 वर्ष की आयु में मत देने का अधिकार दे। यह कहकर मै अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : सभापति महोदय, श्री मधु दंडवते जी के बिल का मैं जोरदार समर्थन करता हूं और हमारे नौजवान दोस्त जो उस साईड में बैठे है, उनका भी दिल कहता है कि यह बिल सही है। उन्होंने उसका विरोध नहीं किया है किन्तु राजनीतिक बातें कहीं है। उन्होंने अपने धर्म और कर्तव्य को निभाया है। इस बात को भूलाकर

आप यह समझिये कि इस बिल में तमाम जनवादी और नौजवानों की भावनाओं की अभिव्यक्ति है । आप सहमत होंगे, नौजवान चाहते हैं और आपको सही बात को मानना चाहिये।

इसलिये इस सदन में देखा जाये तो केवल पुराने लोग सहमत नहीं है । जो पुराने विचारों के लोग हैं जो चाहते हैं कि दुनिया में प्रगति न हो, वही इस बिल का विरोध करेंगे । मैं तो आश्चर्य तब करूंगा जब मंत्री जी इस बिल का विरोध करने के लिये उठेंगे । मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय इसका विरोध नहीं करेंगे । उनका भी दिल गवारा नहीं करता है कि इस बिल में सन्निहित भावनाएं गलत है । आज चूंकि यह बिल यहां श्री दंडवतेजी ने रखा है, इसलिए उनकी नियत खराब है। आज कुछ व्यक्ति यह कहें कि क्योंकि जनता पार्टी पहले इसे अपने मैनिफैस्टो में लायी और उसने खुद इस को पास नहीं किया, इसलिये हम इसको नहीं करेंगे, इस तर्क में कोई जान नहीं है ।

दूसरी बात डागा साहब ने कही है, बड़ी परिपक्वता की बात कही । डागा साहब भूल गये कि हमारे देश में एक परम नीतिज्ञ चाणक्य हुए थें । उन्होंने कहा था :

प्राप्ते षोडषे वर्षे, मित्रवत् समाचरेत्

16 वर्ष का बेटा हो जाये, तो उसको भी मित्र मानो। उस जमाने में इतनी शिक्षा नहीं थी, आज के जमाने में शिक्षा के विकास, विज्ञान के विकास से जो दूसरे परिवर्तन आयें है, उससे आज का नौजवान भी चाणक्य के जमाने के नौजवान से आगे बढ़ा हुआ है। आप उनको दायित्व दीजिये । यह कहना कि इससे खर्चा बढ़ जायेगा, ठीक नहीं ।

पुराने जमाने में अंग्रेजी राज्य में यह था कि जो लोग कुछ निश्चित टैक्स पे करते थे, वही वोट दे सकते थें, उन्हीं को वोट का अधिकार था परन्तु जनता की आवाज और देश की आजादी की लड़ाई ने उस दकियानूसी कानून को तोड़ दिया और उस बात को खत्म कर दिया । आजादी के बाद हम लोगो ने बालिग मताधिकार के सिध्दांत को माना है। इसलिये वोट देने के अधिकार की आयू सीमा को घटाया जाये ।

इसलिये जनतंत्र के विकास के लिये, हिंदुस्तान की भावनाओं का आदर करने के लिये साथ ही साथ विश्व का व्यापक जनमत भी, जो कि समाजवादी मुल्क है, उनमें भी इस बात के गारन्टीशुदा, अधिकार दिये गये है कि 18 बरस की उम्र-वालों को वोट देने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि चूंकि यह विरोधी दल के लोग बिल लाये है, इसलिये हम इसे नहीं मानेंगे, इसका कोई औचित्य नहीं हैं। संसद भवन की दीवारों पर लिखा है कि हम सब मिलकर राय करेंगे सब मिलकर चलेंगे और सब मिलकर मंत्रणा करेंगे । यदि प्रो० मधु दंडवते ने सही बात कही है, तो उसको मान लिया जाना चाहिये, और इस बिल को स्वीकार किया जाना चाहिए ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटर) : महोदय युवकों के हित में वयस्क-मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष करने के सम्बन्धी सिध्दान्त के पक्ष में सामान्य मतैक्य है । इस सिद्धान्त से सम्बद्ध ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि के सम्बन्ध में श्रीचित्त बासु द्वारा पहले हो प्रकाश डाला जा चुका है । जहां तक इन दोनों सदनों का सम्बन्ध है, इनमें भी पिछले 10 वर्षों में इस विषय में मतैक्य ही रहा है । इस विषय पर दलगत दृष्टी से विचार करना और एक दूसरे पर यह दोषारोपण करना कि यदि कांग्रेस दल ने इस का समर्थन न किया होता तो याचिका समिति द्वारा इस सम्बन्ध में एकमत सिफारिश करना सम्भव न होता, अच्छी बात नहीं है । यह मामला राजनीतिक दलोंसे ऊपर का मामला है । इस बारे में हम सभी एकमत हैं । मुझे इस बात की खुशी है कि श्री० डागा ने इस सम्बन्ध में अपने अनेक मित्रों को विचार व्यक्त करने का सुअवसर प्रदान किया है, श्री रामावतार शास्त्री ने पहले की तरह वी, हर दल का विरोध किया है और यदि उनके सामने विरोध हेतु कोई अन्य दल न हो तो वह अपने ही दल का विरोध करने लगते हैं । परन्तु एक बात स्पष्ट है कि हमें यह आयु तो कम करनी ही चाहिये । परन्तु इसके पीछे भी एक इतिहास है । 1925 में वयस्क मताधिकार के पक्ष में पहला आवहान दिया गया था उस समय इसके पक्ष में एक तर्क यह भी दिया गया था कि हरिजनों, तथा अछूतों को भी मताधिकार का अधिकार दे दिया गया तो उसके परिणाम-स्वरूप धीरे धीरे अस्पृश्यता समाप्त ही जायेगी और लोग उनके वोट प्राप्त करने के लिए उनके बच्चों को चूमने तथा गले लगान लगेंगे । अतः राजनीतिक समानता लाने वाला यह शस्त्र हमने हरिजनों के हाथ में दे दिया । उस समय भी श्रीमती एनी बेझंत जैसी महत्वपूर्ण नेताने भी श्री डागा की तरह इसके सम्बन्ध में अपने संदेह व्यक्त किये थे । अतः केवल श्री डागा को ही रूढ़िवादी कहना ठीक नहीं है । उचित संदेह तो सदा ही हो सकता है । उन्हें इस बात की आशंका की कि क्या हमारी अनपढ़ जनता इस शस्त्र का उपयोग बुद्धिमत्तापूर्वक कर सकेगी । महात्मा गांधी का विचार था कि ऐसा नहीं किया जायेगा । इसके उपरान्त पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, श्री प्रकासम, श्री जिन्हा तथा श्री श्रीनिवासा आयंगर सभी दिग्वजो द्वारा इस विचार का समर्थन किया गया । इसलिए वयस्क-मताधिकार को भारत की राजनीतिक के एक व्यवहारिक प्रस्ताव माना गया ।

[प्रो० एन० जी० रंगा]

वर्ष 1927–28 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा, जिसके सदस्य श्री जिन्नाह भी थे–वयस्क मताधिकार को उनके द्वारा बनाये गये संविधान के मसौदे में शामिल कर दिया गया। इसमें कोई आश्चर्य नही है कि जब हमने संविधान विधेयक तैयार किया तो उस समय हमने अपने विश्वास के द्योतक इस प्रस्ताव को पहले अनुच्छेदों में ही स्थान दिया और 21 वर्ष की आयु वाले सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार का अधिकार दे दिया गया। अब समय आ गया है जब कि हमे यह आयु घटा कर 18 वर्ष करनी चाहिये। इसका बहुत सशक्त कारण भी है। उस समय शिक्षा का प्रसार इतना नहीं था जितना कि अब है। यह ठीक है कि निरक्षरता आज भी है परन्तु वह देश के बड़े बजुर्गों की अपेक्षा युवा वर्ग में कहीं कम है। अतः युवा वर्ग को यह दायित्व सौंपा जा सकता है। यह ठीक है। पहले सरकार इसके बारे में विधेयक पुरःस्थापित करने वाली थी। परन्तु वह इसे पारित नहीं करवा सकती थी। मैं समझता हूं कि अब वर्तमान सरकार इस प्रकार की भूल नहीं करेगी। हम आशा करते हैं कि यदि सरकार इस विधेयक को अब स्वीकार नहीं भी करती तो वह इस सम्बन्ध में और अधिक व्यापक विधेयक, जिसमें सम्भवतः इस विधेयक को भी समादित कर लिया जायेगा, की निकट भविष्य में लायेगी और साथ ही यह सुनिश्चित करेंगी कि यह पारित की जाये।

एक अन्य संवैधानिक सुधार करने के लिए भी हम काफी इच्छूक है और वह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। इससे हमारे देश के अल्प संख्यकों की संसद तथा अन्य विभाग सभाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्राप्त हो जायेगा। इस शस्त्र का उपयोग करने के लिए आज की अपेक्षा अधिक साक्षरता की आवश्यकता होगी। जब हम वयस्क मताधिकार को आरम्भ करने जा रहे थे तो उस समय भी हम बहुत अधिक जोखिम उठा रहे थे क्योंकि हमारे देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या तो अशिक्षित ही है। हम वोट डालने के लिए उनकी किस प्रकार सहायता कर सकते थे? हमने उनके लिए चुनाव चिन्हों की प्रक्रिया खोज निकाली जिसका अनुसरण अब अन्य देशों द्वारा किया जा रहा है। हमने उसमें सफलता प्राप्त कर ली है और हमें उसका काफी अनुभव भी हो गया है। हमें 18 वर्ष के युवकों को वयस्क मताधिकार का अधिकार देकर तथा अनुपातित प्रतिनिधित्व को आरम्भ करके इस सम्बन्ध में एक अन्य नया प्रयोग करना चाहिये।

मैं इस विधेयक में निहित सामान्य सिद्धात का समर्थन करता हूं।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, गलत दिशा में सोचने वाले लोगों के द्वारा एक अच्छी दिशा का बोध कराने वाला विधेयक यहा पर लाया गया है। मैं उसी का समर्थन करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। प्रतिपक्ष के मेरे मित्रों ने अभी इस बात को दिखाने की कोशिश की है कि सत्तारुढ़ दल के लोग युवकों के विरोधी हैं। या युवकों को मतदान का और प्रजातंत्र का अधिकार देने के विरोधी हैं। मैं तो उनको केवल एक साधारण दृष्टांत इस हाउस का देना चाहता हूं। वह देखे दोनों तरफ तुलनात्मक तरीके से कितने नौजवानों को कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रजातंत्र के इस सर्वोच्च मंच पर, इस सर्वोच्च अदालत में चुनवा कर लाई है। उन की तरफ दृष्टि डालें तो एक दो नौजवान उन की तरफ दिखाई देंगे जो दिल से उन के साथ नहीं हैं जैसे राम विलास पासवान बैठे हैं। और हमारी तरफ एक के बाद एक नौजवानों की एक अच्छी खासी संख्या आप को दिखाई देती है। आज जब हम यह सोचते हैं कि नौजवानों को इस देश के विकास के लिए, इस देश के उत्थान के लिए कुछ ठोस काम करने चाहिए, कुछ दिशा-बोधक काम करने चाहिए तो हमे इस बात को भी महसूस करना चाहिए कि हम उन को कुछ ऐसी कानूनी और व्यावहारिक जिम्मेदारी भी सौंपे। माननीय डागा जीने कहा कि यदि 18 वर्ष के नौजवानों को वोट का अधिकार दे दिया जायेगा तो उसका खर्चा बढ़ जायगा, उन की *संख्या बढ़ जायगी।* मैं उन से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस प्रजातंत्र को और प्रजातंत्र के आधार स्तंभ को मजबूत करने के लिए करोड़ो कंधे और खड़े होते हैं और उस में कुछ और खर्चा होता है तो क्या है? यह तो और भी स्वागत करने योग्य बात है। देश ही नहीं यदि हम विश्व की बात को लें तो इतिहास की धारा को मोड़ने का काम सभी जगह नौजवानों ने हि किया है। अपने देश के अंदर क्रांति लाने वाले लेनिन भी नौजवान थे। दुनिया के और भी मुल्कों का उदाहरण लें तो नौजवान ही उन देशों के अंदर परिवर्तन लाए हैं। हिंदुस्तान के स्वतंत्रता-संग्राम में भी महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरु, सुभाष चंद्र बोस ये सब लोग नौजवान थे और उन्होंने ही इतिहास की धारा को बदला है। तो आज भी नौजवानों को वही जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए नौजवानों की नौजवानी पर। आज इस देश की राजनीति में एक जेनरेशन का गैप पैदा हो गया था, उस को पाटने का काम एक नौजवान स्वर्गीय श्री संजय गांधी ने किया।

मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज जब हम इस बिल पर विचार कर रहे हैं तो यह बिल टेकनिकल रुप में किसी तरीके से भी मजबूत नहीं है।

सरकार को शीघ्र ऐसा बिल लाना चाहिए जो तकनीकी दृष्टि से मजबूत हो। 1951 का जो जन प्रतिनिधित्व कानून बना है उसमें कई प्रकार की त्रुटियां हैं और उसके संदर्भ में कई प्रकार की शंकायें उठाई गई हैं। इसलिए आप एक व्यापक संशोधन बिल इस सदन में लायें और उसमें इस बात का प्रावधान करें कि 18 साल के नौजवानों को इस देश में वोट का अधिकार होगा। आप नौजवानो को ज्यादा जिम्मेदारी दें ताकि वे इस देश के प्रजातंत्र को मजबूत बना सकें। निर्मल चंद्र शास्त्री जी ने भी कहा है कि आगे आने वाली पीढ़ीं, जो पीढ़ी चली गई है उससे ज्यादा बुद्धिमान होगी। जितना बुद्धिमान हमारी 28-30 साल की उम्र का नोजवान है, आगे आने वाले समय में सौ पचास साल के बाद 12–15 साल का नौजवान उतना बुद्धिमान होगा। अतः आगे आने वाले समय को देखकर हमें नौजवानों को अधिक से अधिक जिम्मेवारी देने का प्रयास करना चाहिए। हमारे विधि मंत्री जो दिल दिमाग से नौजवान हैं, नौजवानों की भावनाओं को अच्छी तरह से जानते हैं, वे शीघ्र इस सदन के सामने एक व्यापक विधेयक लायेंगे जिसके अंतर्गत 18 साल की आयु वाले नौजवानों को मतदान का अधिकार दिया जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं श्री दंडवते जी के बिल का तकनीकी आधार पर विरोध करता हूं।

श्री तारिक अनवर (कटिहर) : मान्यवर, अभी जैसा कि हमारे साथी ने कहा, किसी, भी देश में कोई भी परिवर्तन आता है तो उसमें युवा शक्ति, नौजवान आगे बढ़कर हिस्सा लेतें हैं। हम अपने देश का इतिहास भी देखेंगे तो चाहे वह आजादी की लड़ाई कर रहा हो, चाहे किसी प्रकार के परिवर्तन का सवाल हो, उसमे नौजवान आगे आये हैं और उसमें एक अहम रोल अदा किया है। आज हमें यह फैसला करना है कि नौजवानों पर जिम्मेवारी डाली जाए या नहीं। मै यह कहना चाहता हूं कि नौजवान अपने भविष्य के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में जितना ठीक ढंग से सोच सकते हैं उतना बुजुर्ग नहीं सोच सकते हैं। कारण यह है कि नौजवान इस बात को महसूस करता है कि उसका सारा भविष्य अभी बाकी है और जब वह फैसला कई करेगा तो बहुत सोच-समझकर करेगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि चाहे राजनैतिक फैसला हो, चाहे किसी भी प्रकार का फैसला हो, नौजवान कभी भी गलत निर्णय नहीं ले सकता है। इतिहास इस बात को बताता है कि उसने हमेशा सही निर्णय लिया है।

इस बात की भी यहां पर चर्चा हुई कि आज विश्व के अधिकतर देशों में 18 वर्षों के नौजवानों को वोट देने का अधिकार मिला हुआ है और भारत जोकि विश्व का सबसे बड़ा डिमोक्रैटिक देश है, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाता है, वहां पर एक बड़ी संख्या में जो नौजवान हैं उनको अगर वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा तो यह उनके साथ अन्याय है और यह कोई सही निर्णय नहीं होगा।

मैं अपनी साथियों से इस बात में भी पूरी तरह से सहमत हूं कि दंडवते जी की ओर से जो बिल यहां पर लाया गया है इसकें पीछे उनकी नीयत साफ नहीं है, वे केवल यह दिखलाना चाहते हैं, यह जताना चाहते हैं कि उनको इस देश के नौजवानों से हमदर्दी है लेकिन पिछले तीन सालों में इस देश के नौजवानों और छात्रों ने देख लिया, जनता पार्टी के शासन काल में, कि उनको कितनी हमदर्दी है नौजवानों से और कितनी हमदर्दी है छात्रों से।

मैं आपका और अधिक समय नही लेना चाहता, मैं इतना ही कहूंगा कि अब इस बात का समय आ चुका है और ठीक समय पर हमको निर्णय लेना है। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी सरकार है और इस देश की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। उन्होंने हमेशा सही निर्णय लिया है और आज फिर एक बार उनको निर्णय लेने का मौका मिला है। वे जो भी निर्णय लेंगी सही निर्णय लेंगी नौजवानों के हित में निर्णय लेंगी-ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे अपनी पार्टी और सरकार पर भी पूरा विश्वास है कि वह एक सही निर्णय लेगी।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : सभापति महोदय, मैं श्री दंडवते द्वारा पेश किये गये विधेयक का विरोध करता हूं। मैं युवा पीढी के प्रति उनकी सहानुभूति तथा दया की भावना की प्रशंसा करता हूं परन्तु मुझे शंका है कि उन्होने दया ठीक जगह नहीं दिखाई है। हमारे संविधान के निर्माता बड़े बुद्धिमान थे और वे वास्तव में हमारे देश के हालातों के बारे में जानते थे; और इसलिए उन्होंने कहा कि संसद तथा विधान सभाओं के चुनावों के लिये खड़े होने के लिये युवक 25 वर्ष का होना चाहिए और मतदान करने के लिये उसकी आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। आर्थिक विकास और सांस्कृतिक प्रगति के साथ वास्तव में बालिगता की आयु बढाती जा रही है। 18 वर्ष की आयु में हम उसे छात्र मानते हैं। हम उससे स्कूल व कालेज जाने तथा सुशिक्षित होने की आशा रखते है। यह कहना कि उस आयु में छात्र को मतदान करने का अधिकार प्रदान किया जाए और उसे वयस्क समझा जाए मेरे विचार से युवकों के साथ न्याय नहीं होगा। उन्हे अपने अध्ययन को जारी रखने, विकास करने तथा महत्वपूर्ण अनुशासन में, अपने आप को ढालने के अवसर प्रदान करने की बजाय हम उन्हें राजनीतिक हुल्लड़ में घुसने के लिये कह रहे है। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव के पीछे राजनैतिक उद्देश्यों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। वास्तव में इसमें युवकों का हित नहीं है।

[श्री वाई० एस० महाजन]

इस मामले पर हमारे देश में चर्चा हुई थी। चुनाव आयोग तथा विभिन्न राज्यों ने केन्द्रीय सरकार को अपने-अपने विचार भेजे है। मैं यह बताना चाहूंगा कि राजस्थान का एक सज्जन तथा इस पक्ष का एक अन्य सज्जन कहते हैं कि मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 की जानी चाहिए। मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद उन की सरकारों ने यह कहा कि आयु 21 से घटाकर 18 नहीं की जानी चाहिए क्योंकि 18 वर्ष की आयु में युवक अपनी समझ के बारे में अच्छी तरह से नहीं जान पाता है। **(व्यवधान)** वह सामाजिक समस्याओं के बारे में सही निर्णयों को लेने के योग्य नहीं है; वह दृढ़ धारणायें नहीं बना सकता है और इसी लिये 18 वर्ष की आयु में मताधिकार प्रदान करना देश के हित में नहीं होगा। यह विचार न केवल देश के राज्यों का है बल्कि निर्वाचन आयोगों का भी है।

यह कहा जाता है कि यदि हम मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष नहीं करते है तो हम युवा शक्ति को उचित अवसर नहीं दे पायेंगे। हमारे दल में कई युवक है जिन्होंने हमारे दल के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है परन्तु उन सभी की आयु 25 वर्ष से अधिक है, यह कहना कि यदि हम 21 वर्ष से कम आयु नहीं करते है तब तो आप युवक को अवसर नहीं दे रहे हैं, एक गलत तर्क है। इसके अतिरिक्त यह विधेयक गलत है क्योंकि यह वास्तव में तर्क संगत नहीं है, यह पूरे मामले पर विचार नहीं करता है। यदि आप यह कहते है कि आप को 18 वर्ष से अधिक की आयु वाले सभी युवकों को मताधिकार दिया जाना चाहिए तो आपको उन्हें चुनावों में खड़े होने का भी अधिकार देना चाहिए, आपको उन्हें मंत्री तथा राज्यों के मुख्य मंत्री बनने का भी अधिकार देना चाहिए। श्रीमान् मेरे विचार से यह एक अपूर्ण विधेयक है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे सर्वप्रथम खुशी होती यदि आप लोग भी इसका समर्थन करते। हम लोगों के बजाय यदि हमारे बुजुर्ग साथी, पुराने साथी, लोग भी इस बिल का समर्थन करते, तो हम लोगों को ज्यादा खुशी होती। अकल की पहचान उम्र से हुआ नहीं करती है, बुढ़े भी बेवकूफ हुआ करते हैं।

सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी आफिस में एक चपरासी है, जो 25 साल पुराना हो गया है और आई०ए०एस० आफिसर नया-नया आता है, वह कलैक्टर, एस०डी०ओ० बन जाता है, यदि 25 साल पुराना चपरासी यह कहे कि मुझे कलैक्टर बना दिया जाए, तो वह तो नहीं हो सकता है। हम लोगों के देहात में एक कहावत है :

"बारह बरस तक कुत्ता जीए, तेरह बरस तक सियार
बरस अठ्ठारह क्षत्री जीए, आगे जीए तो धिक्कार"

जो बहादुर लोग हैं, उनको भी 18 साल तक जीने का अधिकार है। आप देख लीजिए, 18 साल के जितने भी बड़े-बड़े लोग हुए हैं, जिन्होंने काम किया है। अकबर को कितने साल की उम्र में गद्दी सौंप दी गई थी ? किस बहादुरी के साथ उस ने राज्य को चलाया। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि उस की उम्र को मत देखिये, उस की बुद्धिमत्ता को देखिये।

आप कहते हैं कि उस को 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार न दिया जाय, और 25 साल के बाद वह बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि 25 साल के लड़के को जब नौकरी नहीं मिलती तो वह बूढ़ों की श्रेणी में आ जाता है, इस लिये कि आप ने उस को राइट-आफ़-जाब नहीं दिया है, ऐसी हालत में वह अपने आप बूढ़ा हो जाता है। 18 साल का नाबालिग और 25 साल का बूढ़ा, तो वह नौजवान कब हुआ ?

डागा साहब ने जो तर्क दिया है, वह कोई तर्क नहीं है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं इस बात को कूबूल भी करता हूं कि इस बार ट्रेज़री बेन्चेज़ पर बहुत से नये-नये, खास कर नौजवान लोगों के चेहरे देखने को मिले हैं। लेकिन इस के पहले जो पार्लियामेन्ट थी, आप ज़रा उस की फोटो देख लीजिये, किस उम्र के लोग आते थे। इस बार जो परिवर्तन आया है, यह जयप्रकाश जी के आन्दोलन की देन हैं। 1974 में जय प्रकाश जी ने जो आन्दोलन चलाया, उस ने देश के नौजवानों को एक नई दिशा दी है और उसी का प्रभाव है कि आज कांग्रेस बेन्चेज़ पर नये-नये लोग आये हैं। लेकिन जो यूथ-मूवमेन्ट है, उस को कांग्रेस पार्टी ने नहीं चलाया है . . .

श्री मूल चन्द डागा : जयप्रकाश जी ने कहीं नहीं कहा है कि वोटिंग की उम्र 18 वर्ष कर दीजिये।

श्री रामविलास पासवान : मेरे पास समय नहीं है, इस लिये मैं आग्रह करूंगा कि जितने भी नौजवान साथी हैं या बूढ़े साथी हैं—जवान उम्र से जवान नहीं होता है, उस में जवानियत होनी चाहिये। डागा साहब भी आज कितने जवान दिखाई देते हैं। इस लिये मैं डागा साहब और सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप सब इस बिल को तहेदिल से

समर्थन दो। हमारे एक साथी ने कहा कि इस से अच्छा बिल लाया जाय, मैं कहता हूं इस से अच्छा बिल और क्या आयेगा, आप इस को समर्थन दे कर पास कर दीजिये और नौजवानों के लिये जो दरवाज़े वन्द हैं, उन को खोल दीजिये।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : चेअरमैन साहब, यह बिल तो बहुत अच्छा है, लेकिन 18 साल वालों को यह हक़ देंगे तो वे क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे और मां-बाप को लड़ाई में शामिल कर के सिर फोड़ेंगे। मैं कहता हूं कि 30—40 साल तक तो अक्ल ही नहीं आती है, आप इस को घटा कर 18 साल करना चाहते हैं। आप यों देखिये—जब आप को ही अक़ल नहीं आई, रोज़ हंगामे करते हैं, तो इन नौजवानों को क्या अक़ल आयेगी।

आप कहते हैं कि यह डेमोक्रेसी है, क्या डेमोक्रेसी है? रिश्तेदारों को साथ ले कर वोट लेते हैं। जो गलत काम कराना चाहे, वह वोट दे . . .

श्री मूल चन्द डागा : बिहार में 45 आदमी मरे हैं।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : जहां तक हरिजनों का ताल्लुक है, वह ठीक है, होना चाहिये। लेकिन वोट का हक़ 21 साल वाले को भी नहीं होना चाहिये, 25 साल वाले को हो और 30 साल का आदमी चुनाव में खड़ा हो सके, ताकि उन के अन्दर अक़ल तो हो।

इस लिये यह बिलकुल गलत बात है और मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : सभापति जी, मुझे बहुत खुशी है, श्री दण्डवते जी जो बिल यहां पर लाये हैं मैं उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं देख रहा हूं कि हमारे तीनों साथी—डागा साहब, महाजन जी और चौधरी सुन्दर सिंह जी--एक साथ बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस बिल का विरोध किया है और कहा है कि 18 वर्ष वालों को वोट का अधिकार नहीं देना चाहिये। आप को मालूम होना चाहिये कि महाराष्ट्र में म्युनिस्पिल इलैक्शन्ज़ में 18 साल वाले को वोट देने का अधिकार है। आन्ध्र प्रदेश में भी म्युनिस्पिल और पंचायतों के इलैक्शन में 18 साल वालों को वोट देने का राइट है। जब आप पंचायत ईंस्टीचूशन्ज़ के लिये और म्युनिस्पिल इलैक्शन्ज़ में यह अधिकार देते हैं तो जैनरल इलैक्शन में इस राइट को देने से क्यों इन्कार करते हैं? आप की फिलास्फी मेरी समझ में नहीं आ रही है, मैं तो यह समझता हूं कि इन को वोट देने के राइट का हमें बराबर समर्थन करना चाहिये। लेकिन एक बात मैं यह कहूंगा कि हमारे ला मिनिस्टर साहब पर इस को छोड़ दीजिए। वे जरूर इस के बारे में एक बिल लाएंगे और यह प्रस्ताव मत कीजिए।

सभापति महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं आप को अपना तर्जुबा बताता हूं। मैं 1952 में 10वीं क्लास में था और उस वक्त जब जनरल इलैक्शन हुआ, तो मैं 18 साल का था और उस समय हमारे जो भाषण होते थे, उस से लोग प्रभावित होते थे और कहते थे कि ये इतनी अच्छी स्पीच करते हैं। हमारे महाजन साहब प्रोफेसर हैं और उन के साथ बच्चे भी रहते हैं। वे जानते होंगे कि बच्चे कितने समझदार होते हैं। आप यह भी जानते हैं कि अकबर-ए-आज़म 15 साल की उम्र में ही सम्राट बन गया था और वह इतना बड़ा आदमी हो गया था कि सारी दुनिया उसे जानती थी और उस उम्र में ही वह एक बड़ा आदमी साबित हुआ। इसलिए ऐसा कहना कि नौजवानों को वोट का अधिकार नहीं देना चाहिए, यह ग़लत बात है। डागा साहब ने जो कहा, उस को मैं ने सुना और मैं तो यह समझता हूं कि वे दिल से तो चाहते हैं उन को वोट का अधिकार मिले लेकिन उन्होंने इस का **अपोजीशन फार दि सेक आफ अपोजीशन** किया।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं और ला मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे जल्दी से ऐसा बिल लाएं और उसे पास कराएं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : प्रो० दंडवते के विधेयक में दो संशोधनों का प्रस्ताव है। प्रथमतः वे मताधिकार को एक मौलिक अधिकार बना कर अनुच्छेद 19 में खंड (ज) को शामिल करना चाहते है और उसमें वे इस बात का उल्लेख करना चाहते है कि संविधान के अनुच्छेद 326 के अन्तर्गत अपेक्षित प्रतिबंधों के अध्यधीन मतदाता की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए; दूसरे जहां तक अनुच्छेद 326 का संबंध है, वे चाहते है कि शब्द 'इक्कीस' वर्ष' को संशोधित किया जाना चाहिए या 'अठ्ठारह वर्ष' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। यही दो मुख्य संशोधन वह करना चाहते हैं।

प्रथम बात जो मैं नहीं समझ पाया हूं वह यह है कि प्रो० दंडवते मताधिकार को मौलिक अधिकार म क्यों सम्मिलित करना चाहते हैं? मौलिक अधिकारों की अपनी खुद की महत्ता है। कुछ निर्णयों में तो इस हद तक कहा गया है कि वे अनुभवातीत है। वे वास्तव में ऐसे है या नहीं है, मैं इस बहस में नहीं पड़ूंगा परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि मौलिक अधिकारों का स्वरूप मौलिक है। यदि वह ऐसा है तो जो प्रश्न उठता है वह है : 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को मताधिकार

[श्री पी० शिवशंकर]

को मौलिक अधिकारों में शामिल करने का प्रयोजन क्या है ? यह मेरी समझ से बाहर की बात है । यह बात मैं समझ गया होता यदि वे ऐसा कहते कि, देखिये, आप इसको भाग-चार-क में शामिल करें जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है ताकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए मतदान करना अनिवार्य हो जाए किसी भी व्यक्ति को जो एक आयु विशेष का है उसे मतदान अवश्य करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का बिल्कुल भी मतदान न करने का प्रश्न नहीं है । यह मौलिक कर्तव्य है । मैं इस को समझ सकता हूं । परन्तु मैं इस बात का महत्व नहीं समझ पाया हूं कि वे इस को मौलिक अधिकार क्यों बनाना चाहते है और इसे अनुच्छेद 19 में लाकर जिसमें (क), (ख), (ग), (घ) आदि है जिन्हें सात स्वतंत्रताएं कहा जाता है जिनमें से एक स्वतंत्रता समाप्त हो चकी है अर्थात सम्पत्ति का अधिकार जबकि बाकी अधिकार अभी बने है ।

यदि आप उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर नजर डालोगे तो आप को मालूम होगा कि वे इन संशोधनों के लिये दो आधार देते हैं । प्रथमत: वे कहते है कि वे कानून के सामने समानता के सिद्धान्त का पालन करना चाहते है, वे इस तथ्य के कारण दलील देते हैं कि न्यायालयों में यह माना हुआ सत्य है कि सभी अधिनियमों में वयस्कता की आयु 18 वर्ष मानी गई हैं । मुझे खेद है कि शायद उन्होंने उन विभिन्न अधिनियमों को नहीं देखा है जिनमें इक्कीस वर्ष की आयु को वयस्कता माना गया है । मैं कुछ को उद्धृत करता हूं कि भारतीय वयस्क अधिनियम, संरक्षक तथा आश्रित अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भारतीय इसाई विवाह अधिनियम में 21 वर्ष की आयु को वयस्क मानने के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं । यह तर्क देना ठीक नहीं है कि इससे कानून के समक्ष समता स्थापित हो जाएगी क्योंकि केवल इस आधार पर यह कहना कि अन्य कानूनों में भी यह 18 वर्ष है अत: मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी जाए, समझ में आने वाली बात नहीं है । यदि यह कानून के समक्ष समता का मामला है तो मैं सभा के ध्यान में विधेयक में विद्यमान कई असंगतियों को ला सकता हूं । क्या मैं यह कहूं कि उस रूप में विधेयक बिल्कुल आधे दिल से किया गया उपाय है श्री डागा ने उसे उठाया है और मैंने उनसे आशा की थी कि वे इस पर आगे भी कार्यवाही करेंगे । यदि आप लोकसभा और राज्य सभा की सदस्य संख्या से संबंधित अनुच्छेद 84 को देखें तो उसमें यह बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है कि चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप मतदान की आयु को 18 वर्ष तक कम करना चाहते हैं तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप किस तर्क के आधार पर यह उचित ठहराएंगे कि कोई व्यक्ति केवल 25 वर्ष की आयु का होने पर ही लोकसभा का चुनाव लड़े ? इसी वजह से मैं इसे आधे दिल से किया गया उपाय कहता हूं । इसी प्रकार यदि आप अनुच्छेद 173 को देखें तो इस में विधान सभा और राज्यों के उच्च सदनों की सदस्यता हेतु अहर्ताएं निर्धारित की गई हैं । इसमें आयु संबंधी अहर्ताएं क्रमशः 25 वर्ष और 30 वर्ष दी गई हैं । अत: क्या यह श्री मधु दण्डवते द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्यों तथा कारणों को दर्शाने वाले विवरण में किसी प्रकार सहायक होता है ? वह कहते हैं कि समता के नाम पर यह नितान्त अनिवार्य है । समता है कहां ? समता एक सापेक्ष शब्द है । अत: समता की एक धारणा के रूप में चर्चा करना बिल्कुल गलत है । उद्देश्यों तथा करणों के विवरण में दो आधार दिए गए हैं अर्थात उनमें से एक यह है कि अन्य कानूनों में वयस्कता की आयु 18 वर्ष दी गई है, दूसरे, कानून के समक्ष समता । मेरे विचार में इन दोनों बातों का कोई आधार नहीं है । यदि यही बात है तो उद्देश्यों और कारणों को दर्शाने वाला विवरण बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है । यदि यह ठीक है तो इस आधे दिल वाले उपाय के माध्यम से बिना कोई आधार दिए संशोधन द्वारा ऐसा करने का औचित्य क्या है । और आप इसे सम्मिलित क्यों करना चाहते हैं ? इस सब के पीछे प्रमुख धारणा क्या है ? इसके पश्चात् आप यह कहते हैं कि यह अनुच्छेद 326 में दिए गए प्रतिबन्धों के अध्यधीन हो गए ।

यदि आप अनुच्छेद 326 को देखें तो आप पायेंगे कि यह गैर-निवासी, मस्तिष्क विकार, अपराध या भ्रष्टाचार या अवैधानिक कार्यों के संबंध में राज्यों की कानून बनाने की शक्ति को सीमित करता है, यह कुछ भी हो सकता है । एक ऐसी धारणा जो अस्पष्ट और अधूरी है । यदि इस धारणा को मान भी लिया जाए और यदि आप इसके आधार पर कानून बनाने संबंधी संपूर्ण शक्तियों को विधान मण्डल से वापस लेना चाहें तो मुझे समझ नहीं आता कि इस संशोधन से उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी ।

मैं वास्तव में आम सहमति की सराहना करता हूं । मैंने अन्य कई सदस्यों के विपरीति आधारों पर विधेयक के विरोध में भाषण सुने हैं । परन्तु आम तौर पर माननीय सदस्यों में विधेयक का समर्थन किया है । यद्यपि मैंने यह कहा था कि यह बदले हुए रूप में है, यह आधे दिल से किया गया है तथा यह उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता जिसके लिए यह प्रस्तुत किया गया है । अन्य बातों के साथ साथ मैं यह अनुभव करता हूं कि अधिकांश सदस्यों में विधेयक का समर्थन करने की सहमति है । आप जानते हैं कि विभिन्न पक्षों द्वारा चुनाव सुधारों के संबंध में चिन्ता व्यक्त की गई है । प्रतिनिधित्व की किस्म, क्या यह आनुपातिक होना चाहिए, क्या यह आंशिक रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व और तथा आंशिक रूप से

प्रत्यक्ष होना चाहिए, मतदान की आयु कम करने के संबंध में चिन्ता तथा चुनावों का राज्य द्वारा वित्त पोषण कुछ ऐसे विषय हैं जिनके संबंध में आम तौर पर चिन्ता व्यक्त की गई है और प्रकाश में लाए गए हैं। यह एक ऐसा पहलू है जिसके संबंध में सभी वर्गों के लोग अपनी चिन्ता प्रकट करते रहे हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग चुनावों में धन की भूमिका, चुनाव व्यय को कम करने तथा चुनाव याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय ऐसे विषय हैं जिनके संबंध में चिन्ता प्रकट की गई है। मैं चिन्ता की सभी बातें चुनाव कानूनों के संदर्भ में नहीं बता रहा हूं परन्तु कुछ प्रमुख चिन्ताजनक बातों का उल्लेख कर रहा हूं जिनके संबंध में लोग विशेषरूप से सदस्य समय-समय पर चिन्ता प्रकट करते रहे हैं। मैंने उसे केवल ध्यान में रखा है। अतः यह विधेयक जो कि यद्यपि पेचिदे रूप में है, समस्या को केवल स्पर्श भर ही करता है। मैं इसी पृष्ठभूमि के सन्दर्भ विचार कर रहा था कि क्या यह उपाय बिना विचारे नहीं किया गया है। इसके पीछे एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिसका मेरे मित्र श्री चित्त बसु तथा अन्य कई माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया था। क्या मैं आपके ध्यान में वर्ष 1976 में जब एक अतारांकित प्रश्न संख्या 54 का उत्तर 10 अगस्त, 1976 को दिया गया था ला सकता हूं। इसके अनुसार जिन राज्यों ने मतदान आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करने का विरोध किया था उनमें कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा कतिपय संघ शासित क्षेत्र अण्डमान, निकोबार द्वीप समूह, गोवा, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी मिजोरम, आन्ध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, चन्डीगढ़ और दिल्ली थे।

श्री चित्त बसु : यह 1976 की बात है।

श्री पी० शिवशंकर : आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं कि स्थिति यह थी।

ऐसे बहुत से राज्य थे जो सूचना नहीं देना चाहते थे। और उनमें से बहुत से राज्यों ने सूचना नहीं भेजी।

जहां तक विधानसभाओं और लोकसभा के चुनावों का संबंध है, यह एक ऐसा विषय है जिस पर आवश्यक रूप से विचार होना चाहिए और गहराई से विचार करना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : अब सब स्पोर्ट कर देंगे। उस वक्त एमरजेंसी थी।

श्री पी० शिवशंकर : कठिनाई तो यह है कि आप को देर से समझ में आता है। अन्य बातों के साथ-साथ 2½ से 3 वर्षों के आपके शासन के दौरान आप इसे नहीं कर सके हैं।

अतः 1970 में जैसा कि श्री चित्त बसु ने कहा है, याचिका संबंधी समिति ने इस पर विचार किया था। तत्पश्चात् मंत्रिमंडल ने इस प्रश्न पर विचार किया। और स्थिति से अवगत हुआ। इसके अतिरिक्त व्यावहारिक समस्याओं जिनके संबंध में मेरे कुछ मित्रों ने उल्लेख किया है, पर विचार किया तथा इसका चुनावों संबंधी प्रभाव क्या होगा और युवकों पर इसका क्या असर होगा इस पर भी विचार किया गया। इन सभी मामलों पर विचार किया गया। परन्तु दुर्भाग्य से एक विशेष स्थिति के पश्चात्, यह मामला अनिर्णीत ही रहा। इस पर 1978-79 तक चर्चा होती रही। परन्तु इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। अतः मामला बिल्कुल अस्पष्ट स्थिति में छोड़ दिया गया। मैं जानता हूं कि मेरे एक मित्र ने विवरण देते हुए कहा कि बहुत से देशों में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। मेरी जानकारी में अब भी 13 देश ऐसे हैं जहां मतदाता की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है।

अतः मैं और अधिक विस्तार में गए बिना यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक का दृष्टिकोण बिल्कुल पेचीदा है और यह एक अधूरे दिल से किया गया उपाय है क्योंकि यह समस्या का केवल स्पर्श मात्र ही करता है। इसके इलावा और भी कई विषय हैं जिनपर चुनाव सुधार के संबंध में विचार किया जाना है।

अतः मैं विधेयक के प्रस्तुतकर्ता से विधेयक वापस लेने का अनुरोध करता हूं ताकि हमें इन सभी पहलुओं पर विचार करने का अवसर मिल सके चूंकि प्रस्तावकर्ता यहां उपस्थित नहीं है, मेरे पास इस समय इस विधेयक का विरोध करने के इलावा कोई चारा नहीं है। और मैं तदनुसार इसका विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : मुझे प्रो० मधु दण्डवते से पत्र प्राप्त हुआ है। वे लिखते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वे अस्पताल में दाखिल हैं और उन्होंने सभा से अनुपस्थित रहने के लिए खेद व्यक्त किया है।

इस प्रकार मैं सभा के विचारार्थ प्रस्ताव रखता हूं। यह चूंकि संविधान (संशोधन) विधेयक है मतविभाजन किया जाना होगा। दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के सविधान में और संशोधन करने के लिए इस विधेयक पर विचार किया जाए।

लोकसभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 5

17.56 बजे

पक्ष में

वसु, श्री चित्त
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चोवे, श्री नारायण
घोष, श्री नीरेन
गिरि, श्री सुधीर
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हरिकेश बहादुर, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन० ई०
मंडल, श्री धनिक लाल
मोदक, श्री विजय
मुखर्जी, श्री समर
मुलतान सिंह, चौधरी
निहाल सिंह, श्री
पासवान, श्री राम विलास
पाठक, श्री ग्रानन्द
राय, डा० सरदीश
शास्त्री, श्री रामावतार
यादव, श्री विजय कुमार
जायलन ग्रबेदिन, श्री

विपक्ष में

ग्रनुरागी, श्री गौदिल प्रसाद
ग्राक्कल, श्री जेवियर
ग्राजाद, श्री भागवत झा
बैरवा, श्री बनवारी लाल
भगत, श्री एच० के० एल०
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
डागा, श्री मूलचन्द
दलवीर सिंह, श्री
दास, श्री ग्रनादि चरण
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
दुबे श्री रामनाथ
फैलीरो श्री एडुग्रार्डो
गायकवाड, श्री उदयसिंह राव
गोमांगो, श्री गिरिधर
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जेन, श्री घिरधी चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणी
कौशल, श्री जगन नाथ
झा, श्री मलिक एम० एम० ए०
कुचन, श्री गंगाधर एस०
लकप्पा, श्री के०
महाजन, श्री विक्रम
महाजन, श्री वाई० एस०
माधुरी सिंह, श्रीमती
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मल्लु, श्री ए० आर०
मिश्र, जोति ग्रानंद
मिश्र, श्री जमनमीना
मिश्र, श्री हरिनाथ
मुखोपाध्याय, ग्रानंद गोपा
नायडू, श्री पी० राजगोपाल
नायर, श्री बी० के०
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र
परमार, श्री हीरालाल ग्रार०
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री वसन्त राव
पत्ताभी रामा राव, श्री एस० बी० पी०
फुलवारिया, श्री विरदा राम
पुजारी, श्री जनार्दन
राम, श्री राम स्वरुप
राणे, श्रीमती संयोगिता
रंगा, प्रो० एन० जी०
राव, श्रीमती, बी० राधाबाई ग्रानन्द
राव, श्री एम० सत्यनारायण
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
रावत, श्री हरिश चन्द्रसिंह
रेड्डी श्री के० ग्रोवुल
रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सईद, श्री पी० एम०
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शर्मा, श्री मुंडेर
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर

शास्त्री, श्री धर्मदास	तिवारी, प्रो० के० के०
शिव शंकर, श्री पी०	वर्मा, श्रीमती उषा
शुक्ल, श्री विद्या चरण	विजयराघवन, श्री वी० एस०
सुखवन्स कौर, श्रीमती	वाघ, डा० प्रताप
सुन्दर सिंह श्री,	यादव, श्री राम सिंह
स्वामी, श्री के० ए०	याजदानी, डा० गोलम
तारिक अनवर, श्री	जैनुल बशर, श्री

सभापति महोदय : मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में	:	20
विपक्ष में	:	74

प्रस्ताव के पक्ष में सभा के अधिकांश सदस्य नहीं है और दो तिहाई से कम सदस्य उपस्थित हैं और मतदान किया है।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

लघु कृषक और कृषि कर्मकार सुरक्षा विधेयक

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चितूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"लघु कृषकों और कृषि कर्मकारों को दुर्घटनाजन्य क्षति के लिए प्रतिकर के संदाय का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

मुझे बहुत प्रसन्नता है कि श्रम मंत्री ने पहले ही यह संकेत कर दिया है कि वे कृषि मजदूरों के लिए एक व्यापक कानून बनाने जा रहे हैं। मुझे यह भी सुनने को मिला है कि स्थायी समिति ने पहले ही इसे स्वीकृत कर दिया है।

सभापति महोदय : गैर-सदस्यों के कार्यों हेतु 6–08 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। माननीय सदस्य 6–08 बजे तक बोल सकते हैं।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : लघु कृषकों और कृषि कर्मकारों की सुरक्षा संबंधी विधेयक का दृष्टिकोण भिन्न है, उसकी एक नई धारणा है तथा इस पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह कर्मकारों को क्षतिपूर्ति अधिनियम से भिन्न है। कर्मकारों को क्षतिपूर्ति अधिनियम में नियोक्ता द्वारा क्षतिपूर्ति करने की परिकल्पना की गई है। नियोक्ता एक उद्योगपति होता है जो कि क्षतिपूर्ति कर सकता है। परन्तु यहां कृषि कर्मकारों की बात हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि लगभग सभी कृषकों के पास सिंचाई योग्य 5 एकड़ या सूखी भूमि 10 एकड़ है और वे जीवन निर्वाह के स्तर पर रह रहे हैं। यदि आप आंकड़ों को देखें तो आप पाएंगे कि 80% कृषक गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। कृषि से उन्हें कोई आय नहीं हो रही है। कृषि कर्मकारों के लिए रोजगार की सुरक्षा नहीं है। लघु कृषकों और सीमान्त कृषकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने वाला कोई कानून नहीं है। अतः कृषि मोर्चे पर अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं है। इसमें उतारचढ़ाव रहता है। अतः सभी कृषक गरीबी के नीचे पिस रहे हैं। वे ऋणग्रस्त भी हैं। इसलिये आपको इस पर एक विभिन्न दृष्टिकोण अपनाते हुए एक भिन्न स्तर पर विचार करना है। यहां पर मुआवजे की राशि सरकार द्वारा वहन की जानी चाहिए। अनेक वर्गों के लोगों को सुरक्षा प्रदान की गई है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कारखानों के श्रमिको ने लम्बे संघर्ष के बाद बहुत से अधिनियम पारित करा लिये हैं; बहुत से अधिनियम है जो उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे है। हमारे पास औद्योगिक विवाद अधिनियम, श्रमिक मुआवजा अधिनियम, कारखाना अधिनियम, प्रसूति लाभ अधिनियम, बोनस अधिनियम, उपदान अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम तथा बहुत से अन्य अधिनियम है। इन अधिनियमों के माध्यम से उन्हें न केवल उनके रोजगार की सुरक्षा प्राप्त है बल्कि उनकी आय तथा स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा भी प्राप्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगो विशेष रूप से कृषि श्रमिकों तथा छोटे कृषकों के लिये भी इन की आवश्यकता है। मैं छोटे कृषकों को भी कृषि श्रमिकों के अधीन श्रेणी वद्ध करना चाहता हूं क्यों कि वे भी शारीरिक श्रमिक है। भूमि के टुकड़ों के मालिक होने के सिवाय उनकी कोई निश्चित आय नहीं है। वे भी कृषि श्रमिक है। मुख्य बात क्या है। निःसंदेह छोटे कृषक भी एक या दो श्रमिको को नैमत्तिक रूप से काम देते हैं। परन्तु उसका अर्थ यह नहीं है कि वे उद्योगपतियों की तरह से नियोजक है। इसलिये हमें छोटे कृपकों जो श्रमिकोंको नैमत्तिक रूप से काम देते हैं तथा उन उद्योगपतियों के बीच अन्तर करता है जो श्रमिकों को स्थायी रूप से काम देते है।

[श्री पी० राजगोपाल नायडू]

यहाँ औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत न केवल वास्तविक श्रमिक बल्कि उन वर्गों के बहुत से लोग जो अधिकारी है और जो 1,000 या 1500 रु०से अधिक वेतन ले रहे हैं, 'श्रमिक' शब्द की परिभाषा में शामिल किया गया है ताकि वे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत लाभ उठा सके। मैं अपने सदस्यों के लाभ के लिये पढ़ूंगा। औद्योगिक विवादों के बारे में...

सभापति महोदय : श्री नायडू, आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं। अब एक बात और है जिसे मैं सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं।

सदस्यों को याद होगा कि ऊर्जा तथा कोयला मंत्रालय संबंधी अनुदानों की मांगों पर ऊर्जा तथा कोयला मंत्री द्वारा अंतिम उत्तर दिए जाने के लिये तथा बिहार विधान सभा चुनावों के परिणामों की घोषणा में विलम्ब के संबंधों में श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा उठाई जाने वाली आधे घंटे की चर्चा को कार्यसूची के अनुसार सायं 6 बजे लिया जाना था उन्हें उक्त मंत्रालयों की अनुदानों के लिये मांगों के निपटान के बाद लिये जाने के लिये स्थगित किया गया है। श्री इन्द्रजीत गुप्तने अब अनुरोध किया है कि इतनी देर से आधे घंटे की चर्चा पर विचार करने की बजाय इसे बुधवार, 16 जुलाई, 1980 के लिये स्थगित किया जाए। विधि मंत्री महोदय भी इससे सहमत है। यदि सभा सहमत है तो आधे-घंटे-की चर्चा को तदनुसार स्थगित किया जाए। मुझे आशा है कि सभा सहमत है।

कई माननीय सदस्य : जी, हाँ।

सभापति महोदय : तदनुसार इसे स्थगित किया जाता है। अब, माननीय मंत्री महोदय।

अनुदानों की मांगे 1980-81—जारी

ऊर्जा मंत्रालय तथा कोयला विभाग (इस्पात खान तथा कोयला मंत्रालय)—जारी

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : मैं बड़े तापीय विद्युत केन्द्रों के संबंध में बोल रहा था। यह हमारी प्रधान मंत्री महोदय है जिन्होंने पहले कोयला क्षेत्रों के पास बड़े तापीय विद्युत केन्द्रों के इस विचार को शुरू किया था। जब यह शुरू किया गया था तो विचार उन्हें क्षेत्रीय आधार पर रखने का था। सदस्यों को सायद यह भी मालूम होगा कि हम कोरबा में तथा उत्तर प्रदेश में सिंगरोली, तथा मध्य प्रदेश में खोरबा, आंध्र प्रदेश में राम गंदम तथा प० बंगाल में फरक्का में बड़े तापीय विद्युत केन्द्रों का निर्माण कर रहे हैं। हमारा अनुभव हमें यह बताता है कि कोयला क्षेत्र के पास बड़े तापीय विद्युत केन्द्र बनाने से अत्यधिक जटिल समस्या अर्थात् परिवहन की समस्या स्वतः ही सुलझ जाती है। हमारी वर्तमान विचारधारा यह है कि जहाँ भी कोयला उपलब्ध है, तो हम वहाँ बड़े तापीयविद्युत केन्द्र स्थापित करें। इसके लिये हमने खालतागांव में एक विद्युत केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है। हमारे मित्र श्री भागवत झा आजाद अति क्रुद्ध है। श्री आजाद जैसे एक प्रतिष्ठित सदस्य को उस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब कभी हम किसी क्षेत्र में किसी सुपर तापीय विद्युत केन्द्र का निर्माण करते हैं तो उस से प्राप्त विद्युत केवल उस क्षेत्र के लिये नहीं होता।

उदाहरण के तौर पर फरक्का को लीजिए। जब हम इसका निर्माण कर रहे हैं तो हम केवल प० बंगाल के लिये नहीं कर रहे हैं। हमने पहल ही बिहार तथा अन्य राज्यों से समझौता कर लिया है कि विद्युत बिहार को भी दी जाती है। इसलिये इस पर कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। आरम्भ में फरक्का में 1,000 मे० वाट क्षमता का बिजलीघर बनाने की योजना थी परन्तु अब इसे बढ़ाकर 2,000 मे०वाट कर दिया गया है। इसलिये कहलगांव शुरू में 1,000 मे०वाट रखने का मेरा विचार है। यदि अधिक कोयला उपलब्ध होगा तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हम 2,000 मे०वाट तक पहुंच जायेंगे। यहाँ पर प्रश्न यह है कि वहाँ कोयले की उपलब्धता है या नहीं। यह सारी बात है। उसी प्रकार हम तालचर के लिये सोच रहे हैं। यह परियोजना प्रतिवेदन पर निर्भर है। हमारी उस प्रकार की विचारधारा है। मध्य प्रदेश के लिये भी यदि वहाँ कोयला क्षेत्र है तो हम बड़े तापीय विद्युत केन्द्र बनायेंगे। यदि मुझे ऐसा कहने की अनुमति दी जाए तो मैं कहता हूं कि हमारी वर्तमान नीति यह है। हमारा अत्याधिक महत्वपूर्ण कार्य मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को स्पष्ट रूप से यथा संभव शीघ्र पूरा करने है। देश विद्युत की कमी के कारण कष्ट उठा रहा है। तुरन्त केवल बड़े तापीय विद्युत केन्द्र देश की सहायता कर सकते हैं। हमने सम्मेलन में भाग लेने वाले मुख्य मंत्रियों, वित्त मंत्रियों तथा विद्युत मंत्रियों से अनुरोध किया कि वे उन के पास जो संसाधन उपलब्ध है उनको अधिकतम उपयोग करें।

हमारे कुछ मित्रों द्वारा दिये गये सुझावों में उन्होंने जल-विद्युत के विचार पर बिल्कुल ठीक ही बल दिया । मैं भी उनके साथ सहमत हूं । परन्तु बहुत सी तकनीकी तथा प्रचालनात्मक कठिनाइयां है । जल में पूंजीगत लागत अधिक है परन्तु इसकी चालू लागत बहुत सस्ती है । इसलिये हम बड़े पैमाने पर जलविद्युत पैदा करने की बात सोच रहे हैं । हमने पता लगाया है कि हमारे पास इस समय 75,000 मे० वाट की जल क्षमता कम से कम है हालांकि विकसित वास्तविक जल क्षमता 11,400 मे०वाट है । उन समस्याओं को सुलझने के लिये अधिक ध्यान देने का मेरा विचार है जिनसे जल की परियोजना में विलम्ब हुआ है । जल-विद्युत परियोजनाएं बहुत वर्षों से पड़ी है और कई परियोजनाएं जल के उपयोग पर राज्यों के बीच समझौते की कमी के कारण शुरू नहीं हुई है । हमें इस समस्या का समाधान करने के लिये राज्यों से सहयोग लेकर उपयुक्त तरीका निकालना पड़ेगा ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : परन्तु महत्वपूर्ण योजना श्री सेलम परियोजना के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री ए बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं उसी विषय पर आ रहा हूं । मैंने जल के बारे में प्रतिनिधियों से बातचीत की है । प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए । सामान्य रूप से इसमें 8 वर्ष से 10 वर्ष तक लग जाते हैं । स्वाभाविक रूप से, कुछ ही राज्यविद्युत मंडल इस प्रकार का निर्माण करना चाहते हैं जो विद्युत की कमी महसूस कर रहे हैं । इसलिए हम इस के संबंध में विदेशी सहयोग अथवा विशेषज्ञ जानकारी लेने की सोच रहे हैं ताकि हम इस अवधि में कमी कर सकें । जल में अन्य कठिनाई पड़ताल की है । इसमें बहुत समय लगता है । कभी कभी राज्य विद्युत मंडलों के पास सही पड़ताल करने के लिये पर्याप्त धन नहीं होता है । हमने निर्णय किया है कि राज्य विद्युत मंडलों के सहयोग से हम इस पड़ताल को केन्द्र के खर्च पर करेंगे ।

श्रीमान्, हम सौर भू-तापीय, ज्वार-भाटा तथा वायु जैसे नए साधनों का विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिये उपयोग करने की बात की सोच रहे हैं । हम इन मामलों पर विशेषकर सौर ऊर्जा पर विभिन्न देशों से बात चीत कर रहे हैं हालांकि मुझे डर है कि अभी तक इन बातचीत के कुछ भी ठोस परिणाम नहीं निकले है । परन्तु हम बातचीत कर रहे है और बहुत से युरोपीयन देश इस में बहुत रूचि ले रहे हैं ।

श्रीमान् मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ सदस्यों ने ग्रामीण विद्युतीकरण पर बहुत बल दिया है । मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि मुझे बड़ी दिलचस्पी है और मैं यह सुनिश्चित करने में कोई कसूर नहीं छोड़ूंगा कि ग्रामीण विद्युतीकरण सार्थक उद्देश्य तथा गति के साथ किया जाए । जब मैं सार्थक उद्देश्य की बात करता हूं तो मेरा अर्थ उस ग्रामीण विद्युतीकरण से है जो किया जा चुका है परन्तु वह विद्युत नहीं है । यह बेवकूफी की बात है । मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब कभी ग्रामीण विद्युतीकरण किया जायेगा तो कृषि क्षेत्र में कम से कम छः घंटे या आठ घंटे बिजली दी जाएगी । श्रीमान् वितरण राज्य विद्युत मंडलों द्वारा किया जाता है परन्तु हम उन्हें मना सकते हैं और उनसे यह कह सकते है कि उन्हें कृषि क्षेत्र की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जो हमारे देश की महत्वपूर्ण क्षेत्र है । उसी तरह से मैंने बहुत से मुख्य मंत्रियों से बात की है और जो कुछ भी बिजली उपलब्ध है उसका वितरण विवेकपूर्ण ढंग से करने की आवश्यकता पर बल देने के लिये मैं सभी राज्यों की राजधानियों का दौरा करने जा रहा हूं । अतः, केवल उत्पादन पक्ष पर ही ध्यान देने की जरूरत नहीं है बल्कि वितरण के पहलू पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश, कुछ ऐसे राज्य बिजली बोर्ड हैं जहां बिजली एक वितरण अविवेकपूर्ण ढंग से होता है । मुझे सदन को यह जानकारी देने में प्रसन्नता है कि बहुत से राज्य जैसे महाराष्ट्र, उडीसा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडू बिजली की कटौती खत्म करने में सफल हुए है । अच्छी वर्षा होने के कारण हरियाना भी बिजली की कटौती पर काब दाने में सफल हुआ है और अगर अब कोई कटौती होगी तो भी वह नाममात्र ही होगी । यह करीब 10 प्रतिशत है ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, जी नहीं ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : हमें यह जानकारी मिली है । आप इसका विरोध कर सकते हैं ।

महोदय मैं समझता हूं कि मैंने अधिकांश बातों का उत्तर दे दिया है । मैं पुनरावृत्ति करना नहीं चाहता हूं । जैसा कि मैंने कहा, उसे मैं दोहरा रहा हूं—कोई भी बिजली परियोजना जो हमें भेजी जाती है हम उस पर विचार करेंगे और 3 महीने में निपटारा कर देंगे परन्तु हो सकता है कि संसाधनों के अभाव में उसका क्रियान्वयन न हो ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : श्री सैलम के बारे में क्या हुआ ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं जांच करूंगा और आपको दूंगा । मेरे पास अधिक समय नहीं है ।

अब मैं कोयला के सम्बन्ध में बोलने जा रहा हूं ।

श्री समर मुखर्जी (हावडा) : क्या मैं उनसे बिजली के बारे में एक प्रश्न पूछ सकता हूं (व्यवधान)

केवल एक ही प्रश्न पूछूंगा क्योंकि वह दूसरे विषय के बारे में बोलने जा रहे हैं।

कुछ दिन पहले बुलगारिया से एक शिष्ट मंडल आया था। हमारे सभापति महोदय भी वहाँ थे और हमने शिष्ट मंडल के नेता से चर्चा की थी। हमें यह बताया गया कि भारत सरकार से कुछ समझौता हुआ था (व्यवधान) मंत्री महोदय जी, क्या मैं उसे दोहरा सकता हूं ? कुछ दिन पहले उच्च शक्ति प्राप्त बुलगारियन शिष्टमंडल यहाँ आया था। शिष्ट मंडल के नेता हमसे मिले, हमारे सभापति महोदय भी उस बैठक में उपस्थित थे। उस बैठक में उन्होंने बिजली के संबंध में कुछ बातों का वर्णन किया और उन्होंने बताया कि उन लोगों ने एक विशेष शिल्पविज्ञान का विकास किया है जिसके माध्यम से निम्न किस्म का कोयला प्रयोग कर बहुत सस्ते दर से बिजली पैदा की जा सकती है। वह बंगलौर और कुछ अन्य जगह गये। उन्होंने बताया कि हम लोग भारत सरकार से बात करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस विषय में हमारे लिये जानने योग्य कोई बात है ? इस संबंध में आपको कुछ कहना है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : राज्य मंत्री की उन लोगों के साथ चर्चा हुई थी अतः मेरे विचार से इस विषय में बताने के लिये वह ही सक्षम होंगे।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : वार्तालाप का दौर चल रहा है क्योंकि उन्होंने हमें ठोस प्रस्ताव देना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने हमें बुलगारिया आने के लिये निमंत्रण दिया है। अतः यह हमारे विचाराधीन है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अब मैं कोयला के विषय में बोलूंगा। कोयला-नीति की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

आने वाले वर्षों में कोयला ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होगा और देश में ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये कोयले का उत्पादन बढ़ाया जायेगा।

कोयला उद्योग के विकास हेतु धनराशि एवं संसाधनों के आबंटन करने में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

कोयले उद्योग, जिसका 1973 में राष्ट्रीयकरण किया गया था उसे राष्ट्रीय कृत क्षेत्र में रखा जायेगा। निजी क्षेत्र को कोयले का खनन करने की अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

इस अस्थायी संसाधन के उचित संरक्षण के लिए कोयला उद्योग का विकास किया जायेगा। निर्माण, विकास और खनन, संसाधन और प्रयोग में इस पहलू को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी।

खानों की सुरक्षा बनाये रखने एवं वहां काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा प्रदान करने के काम को सर्वोच्च प्रमुखतः मिलेगी।

कोयले उद्योग में काम करने वाले कार्मिकों का जीवन स्तर सुधारने के काम को प्राथमिकता दी जायगी।

अगर कोयले के उत्पादन को बढ़ाना है तो हमें कुछ अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उपाय करने होंगे। हमने पहले से ही इन उपायों की जांच करना शुरू किया है और हम उन्हें लागू करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। अल्पकालीन उपायों में डीजल, सीमेंट, इस्पात, बिजली और विस्फोटक पदार्थ जैसी आवश्यक चीजों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि शामिल है। ये सारी चीजें हमें प्राप्त करनी होंगी और जब तक हम इन्हें प्राप्त नहीं करते हैं तब तक कोयले का उत्पादन बहुत अधिक नहीं बढ़ सकता है। विशेषकर आसनसोल क्षेत्र में भूमि अर्जन करने में हमे बहुत कठिनाई हो रही है। इसे दूर करना होगा। मैंने मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों से बात की है और मुझे आशा है कि भूमि प्राप्त होगी। बिगड़ी हुई कानून और व्यवस्था की दशा सुधारनी होगी।

दीर्घकालीन उपायों के सम्बन्ध में हमें पहले सालों के कोयले के प्रमाणित भण्डारों के बारे में पर्याप्त आंकड़ों की आवश्यकता है। इसे विस्तृत खुदाई एवं खोज कर किया जा रहा है। जितनी खानकी आयोजना अपेक्षित आकार के डिज़ाइन के लिए पर्याप्त मात्रा में विशेष जानकारी का उपलब्ध न होना भी एक कमी है। आयोजना और डिज़ाइन के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर तथा रूस, पोलैंड, ब्रिटेन तथा फ्रांस के विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करके इस कमी को पूरा किया जा रहा है।

महोदय, इस समय हम यह विचार कर रहे हैं कि इन देशों से हम विशेष जानकारी लें। हमें कोयले का बुनियादी ढांचा बनाना है ताकि हम जितना जल्दी सम्भव हो कोयले का उत्पादन बढ़ा सकें।

पर्याप्त मात्रा में उपकरणो तथा खान तकनीक में आवश्यक विशेषज्ञता की कमी को दूर किया जा रहा है और इस काम के कुछ भाग को बाहरी एजेन्सियों को सौंपकर इसकी व्यवस्था की जा रही है। इन एजेंसियों में दूसरे देश भी शामिल हैं तथा यह आन्तरिक निर्माण सम्बन्धी विशेषज्ञता का विकास कर भी किया जायेगा। खराब खनन पद्धति की विरासत तथा राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि के दौरान अपनाई गई पुरानी प्रौद्योगिकी को जिससे उत्पादन की वृद्धि करने के लिए खानों के आधुनिकीकरण में कठिनाइयां पैदा हुई है, समाप्त करना पड़ा। नई खनन प्रौद्योगिकी को लागू करना केवल उन नई खानों में ही सम्भव है जिनमें राष्ट्रीयकरण के बाद काम आरम्भ किया गया है।

अब हमने कोल इंडिया का आंशिक पुनर्गठन किया है। हम और भी करना चाहते हैं। किन्तु दुर्भाग्य से आज मैं सभा-पटल पर इस संगठन में किये गये पूरे व्यवस्थात्मक परिवर्तनों को नहीं रख सकता हूं। इस समय इस मामले में योजना आयोग और वित्त मंत्रालय में चर्चा चल रही है। जब तक हम इन व्यवस्था सम्बन्धी परिवर्तनों को अपनी आवश्यकता के अनुसार नहीं बना लेते मैं नहीं समझता कि तब तक हम राष्ट्र के प्रति अपनी वचनवद्धता पूरी कर सकते हैं। आन्तरिक मांग को पूरा करने के लिए, जो प्रति वर्ष बढ़ रही है, उदाहरण के लिए 1984–85 में मांग बढ़ कर 1700 लाख टन होने की सम्भावना है, मैं व्यक्तिगत रुप से यह महसूस करता हूं कि कोयले का उत्पादन बढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं है बशर्ते कि बुनियादी ढांचे सम्बन्धी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। हम कुछ ऐसी पद्धति भी लागू करने की सोच रहे हैं जिससे कोल इंडिया स्वयं विपणन के क्षेत्र में अर्थात् वितरण के क्षेत्र में काफी जिम्मेदारी ले सके। यदि कोयले की चोर बाजारी होती है तो हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। हम बाजार में पर्याप्त कोयला भेजना चाहते हैं बशर्ते कि परिवहन की कठिनाइयां दूर हो जाएं। मैं इस बात पर जोर देता रहा हूं और कोयले की कोई कमी नहीं होगी . . . (**व्यवधान**)। इसका कम से कम कुछ राज्यों में समाधान हो सकता है, उदाहरण के लिए पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, बिहार में कोयला ट्रकों से विभिन्न स्थानों को आसानी से ले जाया जा सकता है। परमिट पद्धति की जो वर्तमान बाधाएं हैं, मैं उनको दूर करने की भी सोच रहा हूं। जब सप्लाई की कमी है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही इसका एक मात्र समाधान है। किन्तु सार्वजनिक वितरण-प्रणाली कुशल और दोषमुक्त होनी चाहिए। जब वितरण प्रणाली कुशल नहीं है और सम्बद्ध वस्तु की कमी नहीं है तो खुल्ला बाजार अधिक अच्छा है यद्यपि परिवहन की कठिनाइयां बनी रहती है। मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कोल इंडिया को पूरा अधिकार प्राप्त है कि वह वर्तमान वितरण प्रणाली में सुधार करे। एक या दो अवसरों पर मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से तथा खाद्य मंत्री से पश्चिम बंगाल में हो रही अनियमितताओं के बारे में बात की है . . . (**व्यवधान**)। मुझे याद नहीं है कि गत तीन वर्षों में उन्होंने किसी कोयला विक्रेता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है। सारे पश्चिम बंगाल मे कोयले की कमी है। जब भी हम पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल को इसके बारे में कहते हैं और यह सुझाव देते हैं कि वितरण में सुधार किया जाये तो, सुधार नहीं किया जाता है। हमारे अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाते हैं। यदि वे वास्तव में सोचते हैं कि कोयला संगठन में कुछ गड़बड़ी है तो वे मुझे लिख सकते हैं। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि हम उन अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे जो दोषी हैं किन्तु कार्यवाही किये जाने से पहले दोष सिद्ध होना चाहिए . . . (**व्यवधान**)। उन लोगों के विरुद्ध इस सभा में निराधार आरोप नहीं लगाये जाने चाहिए जो अपने को दोषमुक्त सिद्ध नहीं कर सकते। किन्तु यदि उन्हें इस बात की नाराजी है कि मालदा के कुछ लोगो को जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश के अनुसार या मेरे व्यक्तिगत हस्तक्षेप से रेशम उद्योग आदि के लिए कोयला मिलता है जिसकी उन्हें अत्यधिक आवश्यकता है तो मैं नहीं समझता कि मैंने कुछ गलत काम किया है . . . (**व्यवधान**)। यह मेरी क्षमता के अन्तर्गत है। इसी तरह से जब वे लोग जो संकट में हैं मेरे पास आते हैं या कोयला कम्पनियों के पास कोयले की उचित मांग के लिए जाते हैं तो हम तदर्थ आधार पर कोयला परमिट जारी करते हैं बशर्ते कि कोल इंडिया द्वारा उचित जांच की गई हो . . . (**व्यवधान**)।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय मान नहीं रहे हैं।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं नहीं समझता कि केवल मेरे यहां से कुछ जरूरतमंद उपभोक्ताओं को परमिट जारी किये जाने से आसमान गिर गया है। यह याद रखा जाना चाहिए कि 40,000 टन का तदर्थ आवंटन कुछ भी नहीं है किन्तु केवल समुद्र म एक बूंद क समान है जब कि कोल इंडिया प्रति वर्ष 910 लाख टन कोयले का वितरण करता है कोई भी व्यक्ति इसे कैसे ही उछाल सकता है किन्तु भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं और राजनीति से प्रेरित हैं . . . (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : श्री घोष आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। सदस्य जो कुछ भी मेरी अनुमति के बिना कह रहे हैं वह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जब मैंने साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) की सरकार का तथा उन अनियमितताओं का उल्लेख किया है जो पश्चिम बंगाल में हो रही हैं तो मैं इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता था कि बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के लोग मेरे पास आये और मुझे बताया कि उन्हें अपनी जरूरत के लिए वहां के सरकारी तंत्रसे कोयला नहीं मिल रहा है क्योंकि वे साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के समर्थक नहीं हैं . . . **(व्यवधान)**

कोयले की सामान्य सप्लाई के बावजूद उपभोक्ताओं को अपने यहां उचित मूल्य पर कोयला प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। इस स्थिति का एक कारण यह है कि किसी क्षेत्र से जिसके लिए कोयले का नियतन किया गया है आवंटित कोयले का वहां से अन्य जगहो को कोयला भेजा जाना है। उदाहरण के लिए मैं कलकत्ता के एक मामले का दृष्टांत देता हूं जब एक क्षेत्र से प्रतिदिन कोयले के 100 से 150 रेल वेगन (छोटी-छोटी बन्द बोरियों में) बंगाल से बाहर भेजा गया। अत: कलकत्ता में उपभोक्ताओ के संकट का बना रहना अस्वाभाविक बात नहीं है . . . **(व्यवधान)**। इसके अलावा, अप्रैल के मध्य तक पश्चिम बंगाल में निजी खान मालिकों द्वारा कोयले के भंडारो का अनधिकृत खनन हो रहा था। इस कोयले के वितरण और मूल्यों पर भी बहुत थोड़ा नियंत्रण था।

राज्य में गलत तरीकों के कारण लोगों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए मैंने कोल इंडिया को सलाह दी कि वे कलकत्ता में बड़े-बड़े वितरण केन्द्र खोलें। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है इससे लोगों को घरो में जलाने के कोयले में प्रति 40 किलो ग्राम 5 से 7 रुपये तक की राहत मिलेगी।

मैं इस निर्णय पर भी पहुंचा हूं कि कोल इंडिया को वितरण पर अपना नियंत्रण न केवल बंगाल तथा बिहार किन्तु अन्य राज्यो में भी जहां भी स्थायी गोदाम हों, करना होगा। मुख्य बात अस्थायी गोदामो की है . . . **(व्यवधान)**। मैंने माननीय सदस्यो के भाषण में व्यवधान नहीं किया **(व्यवधान)**।

सभापति महोदय : क्या मैं सदस्यो से निवेदन कर सकता हूं कि हम एक महत्वपूर्ण विभाग पर चर्चा कर रहे हैं। सभा के समरूप तथा समस्त देश के समक्ष नीति को विस्तार से बताया जा रहा है। कृपया . . . हम मंत्री महोदय को सुने कि वह क्या कह रहे हैं **(व्यवधान)**।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों से इस सम्बन्ध में चर्चा चल रही है **(व्यवधान)**। अतः मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे अनुदानों की मांगो को स्वीकृत करें।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं सभा की कार्यवाही चलाऊंगा। कृपया शान्त रहें। मैं यह करूंगा। अब मैं कटौती प्रस्तावों को एक साथ रखूंगा . . .

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैं चाहता हूं कि मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या 119 और 120 को अलग से मतदान के लिए रखा जाये।

सभापति महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 119 और 120 को छोड़कर शेष सभी को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब मैं श्री राम विलास पासवान द्वारा पेश किये गये कटौती प्रस्ताव संख्या 119 और 120 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

**कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : अब मैं ऊर्जा मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों को रखूंगा । प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई ऊर्जा मंत्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 30 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
30	ऊर्जा मंत्रालय	44,07,56,000	370,28,86,000

सभापति महोदय : अब मैं कोयला विभाग (इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय) के सम्बन्ध में पेश किये गये सभी कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा । यदि कोई माननीय सदस्य किसी विशेष कटौती प्रस्ताव को अलग से मतदान के लिए रखना नहीं चाहता है तो मैं सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखूंगा ।

कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : अब मैं कोयला विभाग (इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय) सम्बन्धी अनुदान की मांग को रखूंगा । प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई कोयला विभाग (इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय) सम्बन्धी मांग संख्या 82 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
82	कोयला विभाग	70,86,28,000	381,03,28,000

सभापति महोदय : सभा सोमवार, 14 जुलाई, 1980 के मध्याह्न पूर्व 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 14 जुलाई, 1980/23 आषाढ़, 1902 (शक) के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

भा. स. मु. नासिक–वि.2–357 एल. एस. एस. ।एनडी।80—30–9–80—210